वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2013-14

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

www.easterncoal.gov.in

राकेश सिन्हा

वी. पेद्दन्ना

अभिजीत चटर्जी

के. के. गौतम

एस. चौधरी

एस. के. मोहंती

एस. एम. लोढ़ा

एस.एम. शर्मा

सुब्रत चक्रवर्ती

चंदन कुमार डे

रमेश चंद्र

के॰ एस॰ पात्र

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रबंधन
कार्यकारी निदेशकगण :
श्री राकेश सिन्हा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव निदेशक (कार्मिक) (31.10.2013 तक)
श्री सुब्रत चक्रवर्ती निदेशक (तकनीकी) संचालन
श्री चंदन कुमार दे निदेशक (वित्त)
श्री रमेश चंद्र निदेशक (तकनीकी) योजना परियोजना
श्री के॰ एस॰ पात्र निदेशक (कार्मिक) (01.11.2013 से)
अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण:
श्री ए. चटर्जी निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लि.
श्री वी. पेद्दन्ना निदेशक, कोयला मंत्रालय
बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक :
श्री के. के. गौतम
अंशकालीन गैर-आधिकारिक निदेशकगण:
श्री सुब्रत चौधरी
श्री एस. के. मोहंती
श्री एस. एम. लोढ़ा
श्री एस॰ एम॰ शर्मा
कंपनी सचिव:
श्री वी. आर. रेड्डी

14 जून, 2014 को प्रबंधन
कार्यकारी निदेशकगण :
श्री राकेश सिन्हा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री सुब्रत चक्रवर्ती निदेशक (तकनीकी) संचालन
श्री चंदन कुमार दे निदेशक (वित्त)
श्री रमेश चंद्र निदेशक (तकनीकी) योजना-परियोजना
श्री के॰ एस॰ पात्र निदेशक (कार्मिक)
अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण:
श्री ए. चटर्जी निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लि.
श्री वी. पेद्दन्ना निदेशक, कोयला मंत्रालय
बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक :
श्री के. के. गौतम
अंशकालीन गैर-आधिकारिक निदेशकगण:
श्री सुब्रत चौधरी
श्री एस. के. मोहंती
श्री एस. एम. लोढ़ा
श्री एस. एम. शर्मा
कंपनी सचिव:
श्री वी. आर. रेड्डी

2013-14 के दौरान बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक	एक्सिस बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	केनरा बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक

2013-14 के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक

1.	मेसर्स दत्ता सरकार एवं कंपनी, 7ए, किरण सरकार रॉय रोड, द्वितीय तल, कोलकाता-700001

शाखा लेखा परीक्षकगण

2.	मेसर्स लोढ़ा एवं कंपनी, 14 गवर्मेंट प्लेस ईस्ट, कोलकाता-700069
3.	मेसर्स आर पी बूबना एंड कंपनी, करनानी एस्टेट्स, 209, ए जे सी बॉस रोड, द्वितीय तल, कमरा संख्या – 87, कोलकाता - 700017,
4.	मेसर्स एल.बी. झा एवं कंपनी, जीएफ-1, गिल्लेंडर हाउस, 8, नेताजी सुभाषा रोड, कोलकाता-700001
5.	मेसर्स यू. एस. साहा एवं कंपनी, 35, बहिर सर्बमंगला रोड, बर्द्धमान-713101
6.	मेसर्स रॉय घोष एवं एसोसिएट, 39, कलना रोड, बदामतल्ला, बर्द्धमान-713401

2013-14 के दौरान मूल्य लेखा परीक्षक

1.	मेसर्स बी जी चौधरी एंड कंपनी, श्री अपार्टमेंट्स, 4ए, 11/47ए, पांडित्य रोड, कोलकाता -700029
2.	मेसर्स मनी एंड कंपनी, अशोका, 111 साउदर्न एवेन्यू, कोलकाता - 700029
3.	मेसर्स दत्ता घोष भट्टाचार्या एवं एसोसिएट्स, 37 गोविंडो बॉस लें, कोलकाता – 700025
4.	मेसर्स एम जी एसोसिएट्स, पंजाबी पाड़ा, आर एन रोड, बर्नपुर, आसनसोल,जिला–बर्दवान–713325
5.	मेसर्स बासु बनर्जी चक्रवर्ती चट्टोपाध्याय एंड कंपनी, 42/बी शिबतला स्ट्रीट, हुगली-712258
6.	मेसर्स ए टी एम एंड एसोसिएट्स, 36/1 ब्लॉक-ए, बांगुर एवेन्यू, कोलकाता-700055

2013-14 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक

1.	मेसर्स डी बी के एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
2.	मेसर्स ए सी दत्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
3.	मेसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
4.	मेसर्स भट्टाचार्जी दास एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
5.	मेसर्स जी जी एम एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
6.	मेसर्स नाहा धर कपूर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
7.	मेसर्स डी एन दोकानिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
8.	मेसर्स घोषाल एंड घोषाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
9.	मेसर्स टी के सी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
10.	मेसर्स स्पैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
11.	मेसर्स सुदीप घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
12.	मेसर्स घोष एंड घोष, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
13.	मेसर्स कोनार मुस्तफ़ी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
14.	मेसर्स के एन जिआन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
15.	मेसर्स शंकर दत्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट-डिसेरगढ़, जिला- बर्द्धमान, पिन-713333

मिशन कथन

खान सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कुशलता एवं मितव्ययिता पूर्वक योजनाबद्ध परिमाण में कोयले का उत्पादन करना।

दूरदर्शी कथन

पर्यावरण एवं सामाजिक संपोषण का सम्मान करते हुए खदान से बाजार तक सर्वश्रेष्ठ पद्धति अपनाते हुए ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू नेतृत्व से वैश्विक खिलाड़ी प्रमुख के रूप में स्थापित करना।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक का कार्यालय

सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़, जिला- बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333

कंपनी सचिवालय

पत्रांक - ईसीएल/सीएस/15(2014)/1542 दिनांक- 05.06.2014

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के शेयरधारकों की 39वीं बैठक आगामी 14 जून, 2014 (शनिवार) को इसके पंजीकृत कार्यालय - सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़, जिला- बर्द्धमान (पश्चिम बंगाल)-713333 में अपराह्न 12:15 बजे निम्नलिखित कारोबार के लिए होगी :

सामान्य कारोबार :

1. 31 मार्च, 2014 को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि तथा लेखा परीक्षकों एवं निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त, विचार एवं स्वीकार करना।
2. निदेशक श्री ए. चटर्जी के स्थान पर एक निदेशक की नियक्ति करना जो कंपनी संयोजन के अनुच्छेदों की धारा 33(आई) (ई) (III) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य है।
3. निदेशक श्री वी. पेद्दन्ना की जगह पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कंपनी संयोजन के अनुच्छेदों की धारा 33(आई) (ई) (III) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य है।

बोर्ड के आदेशानुसार

(वी.आर. रेड्डी)
महाप्रबंधक (वित्त)
कंपनी सचिवालय

दिनांक- 05 जून, 2014

<u>पंजीकृत कार्यालय –</u>
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,
जिला-बर्द्धमान, (पश्चिम बंगाल),
पिन- 713333.

टिप्पणियाँ –

(क) कोई सदस्य जो सम्मेलन में भाग लेने एवं मत देने के हकदार हैं वे अपने स्थान पर मत देने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकते हैं एवं प्रतिनिधि के लिए सदस्य होना जरूरी नहीं है। बैठक के 48 घंटे पहले प्राप्त होने वाली प्राक्सी ही प्रभावी होगी।

(ख) सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 171 (2) (I) के तहत अल्प सूचना पर बैठक बुलाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 139(5) के अनुसार एक सरकारी कंपनी के महालेखापरीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा होती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 142(1) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी के द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय की जाती है अथवा आम बैठक में कंपनी जिस प्रकार निर्धारित करे। कंपनी की 30 जुलाई, 2001 को सम्पन्न आठवीं असाधारण आम बैठक में आपकी कंपनी के सदस्यों ने कंपनी के निदेशक मण्डल को वैधानिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने को प्राधिकृत किया।

अध्यक्ष का कथन

मित्रों,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 39 वें वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार खुशी है। निदेशकों का प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए परीक्षित लेखा के साथ-साथ वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं भारत के महालेखापरीक्षक की समीक्षा एवं रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है।

1. किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा बड़े निर्विष्टों में से एक है। आज भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है तथा भारत में कोयला ऊर्जा कारकों में प्रबल है, जिसका कुल बुनियादी ऊर्जा उत्पादन में 52 प्रतिशत योगदान है। हमारी कंपनी गैर कोकिंग कोयले के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी है, जो विभिन्न विद्युत संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, सीमेंट कारखाने इत्यादि की जरुरतों को पूरा करती है।

2. हमारी कंपनी की रणनीतिक दृष्टि यह है कि पर्यावरण एवं सामाजिक संपोषण का सम्मान करते हुए खदान से बाजार तक सर्वश्रेष्ठ पद्धति अपनाते हुए ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू नेतृत्व से वैश्विक खिलाड़ी प्रमुख के रूप में स्थापित करना।

3. 2013-14 के दौरान, ईसीएल ने 36.043 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। ईसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में 6.32% की वृद्धि दर के साथ लक्ष्य प्राप्ति की है। यह वृद्धि दर को कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कंपनियों की तुलना में सर्वाधिक है। कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक 85.76 मिलियन क्यूबिक मीटर तक ओवरबर्डेन हटाया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.18% की निरंतर सकारात्मक वृद्धि के साथ वार्षिक लक्ष्य का 129.65% है एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सभी कंपनियों के बीच दूसरा सर्वाधिक स्तर है। एक लंबे अंतराल के बाद, ईसीएल ने भूमिगत उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 0.32% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। झांझरा एवं अन्य खदानों में कंटीन्यूअस माइनर तथा पीएसएलडबल्यू जैसी नई तकनीकों के स्थापित होने से आने वाले वर्षों में भूमिगत कोयला उत्पादन में निरंतर सुधार आएगा।

4. वित्तीय-वर्ष के शुरुआती महीनों में पर्याप्त लिंकेज की कमी के कारण प्रेषण में हुई कठिनाइयों के बावजूद ईसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में 1.13% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 36.25 मिलियन टन कोयला (लक्ष्य का 103%) प्रेषित किया। साथ ही साथ, एफ़एसए के कैश एन कैरी क्लाउज (Cash & Carry Clause) को सख्ती से लागू करने से जो बकाया 01 अप्रैल, 2013 में रू॰ 3582.13 करोड़ था वह 01 अप्रैल, 2014 में रू॰ 1720.01 करोड़ तक आ गया।

5. वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन नई परियोजनाएँ - न्यू केंदा ओसी के लिए पीआर, कुमारडीही बी-सीएम के पीआर का यूसीई एवं इटापाड़ा ओसीपी का पीआर बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई थीं तथा माइन डेवेलपर सह ऑपरेटर पद्धति के अंतर्गत अंतिम परियोजना का परिचालन प्रस्तावित है।

6. श्रीपुर, निमचा एवं तिलबोनी परियोजना में हाईवाल माइनिंग तकनीक की स्थापना प्रस्तावित है। भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। 31.03.2014 के अनुसार, ईसीएल के विभिन्न भूमिगत खदानों में 202 एसडीएल एवं 29 एलएचडी संचालन में हैं।

7. कोयला निकाले जाने के कारण पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसपर हमारी कंपनी द्वारा लगातार नज़र रखी जा रही है तथा वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण एवं ध्वनि-प्रदूषण, भूमि के क्षय होने, जंगलों की कटाई आदि को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम भी उठाये जा रहे हैं। ये कदम सभी वैधानिक नियमों, अधिनियमों तथा नियमावली को लागातार ध्यान में रखते हुए उठाये जा रहे हैं। 2013-14 के दौरान, 18 हेक्टर ज़मीन में कुल 45,000 पौधे लगाये गये।

8. ईसीएल कमान क्षेत्र के आसपास के गाँवों में पेय जल की आपूर्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे विभिन्न निरंतर विकासात्मक कार्यों एवं सीएसआर गतिविधियों को अंजाम देना हमारी प्रतिबद्धता है। वर्ष के दौरान, निरंतर विकासात्मक कार्य एवं सीएसआर गतिविधीयों पर रू॰ 105.52 करोड़ से अधिक खर्च हुए।

9. ईसीएल में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिलकर सामूहिक उपदान योजना (Group Gratuity Scheme) की शुरूआत की गई जिससे किसी कर्मी के समय-पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में उन्हें पूर्ण उपदान की राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

10. हमने हमेशा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है जो ईसीएल में आभ्यंतरिक उत्पादन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में माना जाता है। सुरक्षात्मक मानकों में सुधार करने के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान ईसीएल के द्वारा कई सशक्त कदम उठाये गये।

11. हमारी कंपनी ने भारत सरकार के लोक उधम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय लोक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए कंपनी अभिशासन पर दिशा-निर्देश की शर्तों का पालन किया है। जैसा कि उपरोक्त दिशा-निर्देश के तहत आवश्यक है, निदेशकों के प्रतिवेदन में कंपनी अभिशासन पर एक अलग खंड शामिल किया ग्ज़ा है तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों से एक अनुपालन प्रमाणपत्र लिया गया है।

12. हम वर्ष 2014-15 के दौरान 38 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ईसीएल आगे बढ़ती रहेगी एवं सभी के सहयोग और हमारे अथक प्रयास से कंपनी बीआईएफ़आर से बाहर निकाल जाएगी।

मैं कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालय तथा विभाग, राज्य सरकारों, सभी कर्मियों, मजदूर संगठनों, उपभोक्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा दिये गये पूर्ण समर्थन तथा सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

स्थान : सांकतोड़िया

दिनांक : 14 जून, 2014

(राकेश सिन्हा)

अध्यक्ष

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारकगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

सज्जनों,

मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ निदेशक मंडल की तरफ से कंपनी का 39वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा पर वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं प्रबंधन के जवाबों के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

विशेष उपलब्धियाँ :

क) ईसीएल ने कोयला उत्पादन, संस्तर हटाव एवं ऑफ-टेक लेने के सभी लक्षित मापदण्डों को हासिल किया है तथा यह कंपनी के इतिहास में अबतक की सर्वाधिक उपलब्धियाँ हैं।

ख) कंपनी के इतिहास में ईसीएल ने 2012-13 में पहली बार उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्राप्त की है।

ग) राजमहल एवं सोनपुर बाजारी परियोजनाओं को आईएसओ 9001, 14001 तथा 18001 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया।

घ) सभी चालू एवं परित्यक्त खदानों के लिए माइन क्लोज़र योजना को निरूपित किया गया एवं कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31.10.2013 को एस्क्रो अकाउंट खोला गया।

ङ) पाँच लाख रूपये से अधिक मूल्य वाले सभी टेंडरों के लिए ई-टेंडरींग की पद्धति का कार्यान्वयन किया गया।

च) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी से निबटते हुए बोर्ड की स्वीकृति से कंपनी ने नई परियोजनाओं को खोलने/वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार के लिए ज़मीन की प्रत्यक्ष खरीद में सफलता पायी है।

छ) नियोजन प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए ऑनलाइन रिक्रुटमेन्ट पोर्टल की प्रस्तुति।

ज) भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक उपदान योजना (**Group Gratuity Scheme**) को लागू किया गया जो किसी कर्मचारी के समय से पहले मृत्यु होने की स्थिति में उसे उपदान की पूर्ण राशि का भुगतान सुनिश्चित करता है।

झ) विप्स (वीमान इन पब्लिक सेक्टर) की ईसीएल शाखा ने अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन में प्रथम स्थान हासिल किया।

ञ) परियोजना प्रभावित लोगों के बीच रोजगार के सुअवसर उत्पन्न करने के लिए रानीगंज कोयलांचल में भी एप्पारेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी) की स्थापना की गई। इन केन्द्रों में अब तक 371 परियोजना प्रभावित लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं उनमें से सभी को विभिन्न स्थानों पर टेक्सटाइल उद्योग में रोजगार मिल गया है।

ट) जनवरी, 2014 में आयोजित इंटर कोयला कंपनी क्रिकेट टूर्नामेंट में ईसीएल ने प्रथम स्थान हासिल किया।

1.0 **उत्पादन** :

1.1 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान लक्ष्य की तुलना में कंपनी का उत्पादन निष्पादन निम्नलिखित है :

विवरण	इकाई	2013-14			2012-13	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक	निरपेक्ष	%
1. उत्पादन :	मिलियन टन						
i) कच्चा कोयला- भूमिगत		7.00	6.871	98.16	6.849	0.022	0.32
		27.50	29.175	106.09	27.052	2.124	7.85
-		34.50	36.046	104.48	33.901	2.145	6.33

खुली खदान							
कुल		0.00	0.10	100.00	0.01	0.09	900.0
		0.00	0.38	100.00	0.03	0.35	1166.7
ii) कोकिंग कोयला							
- मिश्रित		34.50	35.99	104.32	33.86	2.13	6.29
- अन्य							
iii) गैर-कोकिंग कोयला							
2. उपरि संस्तर निष्कासन	मि.घ.मी.	66.15	85.76	129.65	76.45	9.31	12.18
3. उत्पादकता (ओएमएस)	टन						
- भूमिगत		0.49	0.48	97.96	0.46	0.02	4.35
- खुली खदान		10.65	10.96	102.91	10.17	0.79	7.77
- समग्र		2.05	2.12	103.41	1.94	0.18	9.28

1.2 बाधाएँ :

(मिलियन टन में आँकड़े)

विवरण	**31.3.14 को**	**31.3.13 को**
कारण वार उत्पादन में हानि :		
i) विद्युत गतिरोध	0.099	0.285
ii) मशीन ब्रेकडाउन	0.094	0.190
ii□) अनुपस्थिति	0.026	0.121
i□) श्रमिक अशांति (औद्योगिक संबंध)	0.160	0.174
□) वर्षा के कारण जल ठहराव	0.490	0.312
□□) भूमि-अधिग्रहण समस्या	0.050	0.000
vii) अन्य	0.326	0.206
कुल	**1.245**	**1.288**

1.3 पद्धति-क्षमता की उपयोगिता :

(प्रतिशत में)

विवरण	**2013-14**			**2012-13**	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक	निरपेक्ष	%
क) भूमिगत	72.78	70.76	97.22	66.18	4.58	6.92
ख) खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	113.98	105.86	92.87	86.25	19.61	22.74
ग) खुली खदान (भाड़े का) उत्खनन	114.48	173.68	151.71	188.65	-14.97	-7.94
घ) खुली खदान (विभागीय+भाड़े का) उत्खनन	114.20	147.06	128.77	133.84	13.22	9.88
ङ) कुल [भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)]	108.92	101.55	93.24	83.88	17.67	21.07
च) समग्र (भूमिगत+खुली खदान) (भाड़े+ विभागीय)	**111.17**	**130.77**	**117.63**	**118.96**	**11.81**	**9.93**

2.0 वित्तीय परिणाम :

2.1 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष में कंपनी का सकल विक्रय विगत वर्ष के रू॰ 12162.59 करोड़ की तुलना में रू॰ 11959.75 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.67% की कमी देखी गई। आलोच्य वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष कर-पूर्व रू॰ 1897.18 करोड़ एवं कर-पश्चात रू॰ 1655.54 करोड़ की तुलना में कर-पूर्व रू॰ 1299.28 करोड़ तथा कर-पश्चात रू॰ 872.23 करोड़ का लाभ दर्ज किया। विवरण निम्नलिखित है :

(रू॰ करोड़ में)

विवरण	2013 – 14	2012 – 13
पीआरपी/अधिकारी अधिवर्षिता लाभ ब्याज, मूल्यह्रास, हानि, ओबीआर, पूर्वावधि समायोजन से पूर्व सभी व्यय चार्ज करने के पश्चात लाभ(+)/हानि(-)	1832.35	2090.61
	88.51	75.94
न्यून : पीआरपी/अधिकारी अधिवर्षिता लाभ का प्रभाव	-54.31	164.84
न्यून : बीमांकिक प्रावधान (एएस – 15)	0.98	8.48
न्यून : ब्याज	284.53	267.31
न्यून : मूल्यह्रास/हानि/खदान बंदी प्रावधान	210.00	(-)324.59
न्यून : उपरि संस्तर निष्कासन समायोजन	1302.64	1898.63
ब्याज, मूल्यह्रास, हानि तथा उपरि संस्तर निष्कासन समायोजन के पश्चात वर्ष हेतु लाभ(+)/हानि(-)		
न्यून: पूर्वावधि समायोजन	3.36	1.45
पूर्वावधि समायोजन विचार करने के पश्चात निवल लाभ (+)/हानि(-)	1299.28	1897.18
नकदी लाभ	1518.43	2282.86
कर के पश्चात लाभ	872.23	1655.54

2.2 पूँजीगत व्यय :

आलोच्य वर्ष के दौरान कुल पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के रू॰ 202.94 करोड़ की तुलना में रू॰ 408.87 करोड़ (विनिमय उतार-चढ़ाव छोड़कर) कुल व्यय रहा।

2.3 पूँजीगत संरचना :

(रू॰ करोड़ में)

विवरण	2013 – 14	2012 – 13
क. शयेर पूँजी		
i) प्राधिकृत शेयर पूँजी (प्रत्येक `1000 के 2,50,00,000 इक्विटी शेयर)	2500.00	2500.00
ii) प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (प्रत्येक `1000 के 2,21,84,500 शेयर)	2218.45	2218.45
ख. ऋण निधियाँ :		
i) कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी)	518.97	518.97
ii) एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट कोरपोरेशन, कनाडा	162.07	155.20

2.4 विदेशी ऋणों का पुनः भुगतान :

(रू. करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
i) कोल इंडिया के माध्यम से विदेशी ऋण का पुनःभुगतान	5.74	5.14

2.5 वर्ष के दौरान रायल्टी, सेस, नौभरण उत्पाद शुल्क एवं विक्रय कर का भुगतान/समायोजन :

(रू. करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
i) कोयले पर रायल्टी	312.45	240.15
ii) कोयले पर सेस	1648.01	1527.32
iii) विक्रय कर (केंद्रीय एवं राज्य)	381.61	376.56
iv) नौभरण उत्पाद शुल्क	35.78	34.75
v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	547.20	545.00
कुल	2925.05	2723.78

2.4 निदेशकगण के दायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के तहत कंपनी के निदेशक मंडल यह कहते एवं सुनिश्चित करते हैं कि :-

क. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा को तैयार करने में सामग्री प्रेषण से संबंधित लेखा मानकों का पालन उचित व्याख्या के साथ किया गया है।

ख. निदेशकों ने एसे लेखांकन नीति को चुना एवं उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और न्याय तथा आंकलन किया साथ ही मूल्य परक एवं बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग किया कि वे एक सत्य स्पष्ट कार्यकलाप को कंपनी के वित्तीय वर्ष के अन्त में उस काल के लाभ के साथ पेश करे।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निदेशकों ने यथेष्ट लेखांकन प्रतिवेदन को सही एवं पर्याप्त सावधानी से लागू किया है जिससे कंपनी के परिसंपत्ति की रक्षा हो सके तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव हो सके।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखा की तैयारी लाभकारी कारोबार वाली संस्थान के रूप में किया है।

ङ. सभी प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उचित पद्धति की योजना बनायी है एवं इस प्रकार की पद्धति समुचित थी तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

3.0 योजना :

3.1 परिचालन का अधिकार क्षेत्र :

संचालन का खनन पट्टा क्षेत्र करीब 753 वर्ग कि.मी. है जिसमें से सतह अधिकार क्षेत्र करीब 237.18 वर्ग कि.मी. है। ईसीएल का संचालन अधिकार क्षेत्र दो राज्यों पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान, बांकुड़ा तथा पुरूलिया जिले में फैला हुआ है जबकि झारखण्ड के देवघर जिले में स्थित साहाजुड़ी कोयला क्षेत्र एस.पी.माईन्स के रूप में कार्यरत है। झारखण्ड के गोड्डा जिले में स्थित हुरा कोयला क्षेत्र है जहाँ ईसीएल का सबसे बड़ी खुली खदान राजमहल यहाँ परिचालित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र का हृदय स्थल अजय नदी के उत्तर में स्थित है जबकि मेजिया एवं परबेलिया दामोदर नदी के दक्षिण में स्थित है। धनबाद जिले में

मुगमा क्षेत्र बराकर नदी के पश्चिम स्थित है। कोल सीम का निर्माण मुख्य रूप से ईसीएल में 2 क्रम में हुआ है- रानीगंज मीजर्स एवं बराकर मीजर्स। रानीगंज मीजर्स के अन्तर्गत – पाण्डेश्वर का पूरा कोयला क्षेत्र, काजोड़ा, झांझरा, बांकोला, केन्दा, सोनपुर बाजारी, कुनुस्तोड़िया, सतग्राम, श्रीपुर, सोदपुर एवं सलानपुर क्षेत्र का आंशिक भाग आता है। बराकर मीजर्स के अंतर्गत दो क्षेत्र सलानपुर एवं मुगमा, एस.पी. माइन्स तथा राजमहल मुख्य रूप से बराकर मीजर्स एवं तालचेर सिरीज से जुड़े है।

3.2 वर्ष 2013-14 के लिए नियोजित एवं वास्तविक तथा वर्ष 2014-15 के लिए योजना :

क्रम सं.	विवरण	2013-14			2012-13	2014-15
		लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आरई)	वास्तविक	वास्तविक	नियोजित
1	उत्पादन (मि.टन)	34.50	36.00	36.043	33.901	38.00
2	समग्र उत्पादकता	2.04	2.129	2.13	1.944	2.057
3	योजना व्यय (` करोड़ में)	525.00	525.00	400.48	202.94	970.00

3.3 भूगर्भीय अन्वेषण तथा व्यधन (ड्रिलिंग) :

वर्ष 2013-14 के दौरान, सीएमपीडीआईएल द्वारा सीआईएल ब्लॉक में 38,275 मीटर लक्ष्य की तुलना में 40,381 मीटर (सीआईएल एवं गैर-सीआईएल ब्लॉक) बेधन किया गया।

(आँकड़े मीटर में)

ड्रिलिंग एजेंसी	2013-14			2012-13	2014-15
	लक्ष्य (बीई)	संशोधित लक्ष्य (आरई)	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य (बीई)
सीएमपीडीआईएल	38275	38275	40381	29150	48800

3.4 अनुसंधान एवं विकास :

3.4.1 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

सीआईएल मंडल के अनुसंधान एवं विकास अनुदान के अंतर्गत चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजना के कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण अनुलग्नक – I में संलग्न किया गया है।

3.4.2 एस एण्ड टी परियोजनाएँ :

कोयला मंत्रालय के एस एण्ड टी अनुदान के अंतर्गत चालू एस एण्ड टी अनुसंधान परियोजनाओं का विस्तृत विवरण अनुलग्नक- II में संलग्न किया गया है।

3.5 कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण :

2013-14 तक एलएचडी/एसडीएल के साथ मध्यवर्ती तकनीक के तहत 63 भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण एवं यांत्रिकीकरण का प्रयास जारी रहा। 2013-14 के दौरान आठ मानविक क्षेत्रों को यंत्रीकृत किया गया। 31.03.2013 को विभिन्न भूमिगत खदानों की सूची में 202 एसडीएल एवं 29 एलएचडी थे। 2013-14 के दौरान, 202 एसडीएल से 4.0227 मि.टन एवं 29 एलएचडी से 0.907 मि.टन तथा 1 डोसको से 0.024 मि.टन कोयला उत्पादन किया गया।

तात्कालिक प्रौद्योगिकी के अलावा झांझरा एवं सार्पी परियोजना में शटल कार के साथ संयुक्त सतत खदान के परिनियोजन द्वारा मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्थापित किया जा चुका है। 2013-14 के दौरान, सतत खदान परिचालन से झांझरा परियोजना में 0.561 मि.टन तथा सर्पी परियोजना में 0.512 मि.टन उत्पादन प्राप्त हुआ।

3.6 स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली प्रचालक का स्थापना

बेड़े के प्रबंधन में सुधार एवं उसके द्वारा एचईएमएम की उत्पादकता के क्रम में, सोनपुर बजारी खुली खदान में ईसीएल ने जीपीएस पर आधारित स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली प्रचालक शुरू किया है जो सफलतापूर्वक परिचालित किया जा रहा है।

3.7 भूमिगत उत्पादन में सुधार हेतु उठाए गए कदम :

विभिन्न संचालन बाधाओं, अपर सीम के तरलीकरण, केवींग भूमि की उपलब्धता इत्यादि पर विचार करते हुए हटाए गए मैनुअल ऑपरेशन एवं लोडिंग ऑपरेशन में एसडीएल/एलएचडी को तैनात कर मैनुअल खदान से सेमि-मेकनाइज्ड ऑपरेशन में बदलने के अलावा XII वीं योजना में अधिक संख्या में भूमिगत खदानों जैसे झांझरा में दूसरा सेट सीएम,झांझरा लो हाईट सीएम, खोट्टाडीह, तीलाबनी, शंकरपुर, पाण्डेश्वर- डालुरबाँध तथा कुमारडीही बी के लिए शटल कार के साथ सतत खदान स्थापित कर मुख्यतः मास प्रोडक्शन तकनीक द्वारा भूमिगत उत्पादन में सुधार लाने के लिए कर्रवाई की गई हैं। सेवानिवृत्ति के कारण ड्रिलिंग गैंग की कमी को ध्यान में रखते हुए सीधा रखने के लिए तथा सीधे एवं सहायक के साथ-साथ अधिक कोयले की उपलब्धता के दोहरे उद्देश्य के साथ यूडीएम को लाने के लिए कार्रवाई की गई है।
14.06.2012 को झांझरा में द्वितीय सेट सीएम की आपूर्ति हेतु मेसर्स बुसिरस डीबीआई जीएमबीएच के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। कार्य करने की पद्धति के संबंध में अनुमति प्राप्त करने के लिए डीजीएमएस के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। मार्च, 2014 में परियोजना स्थल पर सीएम पैकेज प्राप्त किया गया तथा अप्रैल, 2014 के अंतिम सप्ताह में स्थापित हो जाने की संभावना है।
खोट्टाडीह भूमिगत में कंटीन्यूअस माइनर के लिए ग्लोबल टेंडर के कागजात तैयार होने की प्रिकरिया में हैं एवं बहुत जल्द इसे प्रकाशित किया जाएगा।

3.8 वर्ष के दौरान ईसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (करोड़ में)	अनुमोदन की तारीख
1	न्यू केंदा खुली खदान का पी॰ आर॰	1.20	75.01	19.05.2013 को ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित
2	कुमारडीही बी – सीएम के पी॰ आर॰ का यूसीई	0.51	100.74 (ईक्विपमेंट हायरिंग विकल्प)	10.03.2014 को ईसीएल बोर्ड द्वारा कोस्ट प्लस आधार पर अनुमोदित
3	ईटापाड़ा ओसीपी का पी॰ आर॰	3.00	581.68 (एमडीओ ढंग से आउटसोर्सिंग विकल्प के अंतर्गत)	10.03.2014 को ईसीएल बोर्ड द्वारा कोस्ट प्लस आधार पर अनुमोदित

3.9 परियोजना निरूपण : सिदुली भूमिगत खदान के लिए परियोजना प्रतिवेदन की 447.84 करोड़ के अनुमानित पूँजी व्यय के साथ पुन: गणना की गयी।

3.10 पूँजीगत परियोजनाएँ / योजनाएँ :

i. नवीन परियोजनाओं की संख्या : शून्य ।

ii. परियोजनाओं का विस्तार/संशोधन/प्रतिबंध : शून्य ।

iii. अन्य – 17

iv. कुल - 17

3.11 परियोजना पूर्णता :

□. पूरी की गयी परियोजनाओं की संख्या – 01 (एक) शंकरपुर भूमिगत खदान

□□. क्षमता – 0.12 मिलियन टन प्रति वर्ष

□□□. स्वीकृत पूँजी - रू॰ 6.22 करोड़

□□. पूर्णता मूल्य – रू॰ 5.79 करोड़

3.12 नयी पहल एवं भविष्य की योजना :

भूमिगत एवं खुली खदानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए 2013-14 में निम्नलिखित कदम उठाए गये :

क) **हाई-वाल माइनिंग की प्रस्तुति :** ईसीएल में हाई-वाल माइनिंग की प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित पैचों/इलाकों को चिह्नित किया गया :

क्रम सं॰	ब्लॉक/सीम का नाम	अधिकतम .... लंबाई के लिए निकाला जाने वाला अनुमानित रिज़र्व (मि॰ टन)		आवश्यक पूँजी (करोड़ में)
		300 मीटर	200 मीटर	
1	श्रीपुर/तालतोड़ (आर-□)	0.86	0.81	6.38
2	निमचा/(आर-□□ए)	1.84	1.66	5.35
3	तिलबोनी/आर-□□□□टी2	1.23	1.08	44.97

ख) **एमडीओ पद्धति से परिचालन के लिए चिह्नित की गई परियोजना :** 1.46 मि॰ टन प्रति वर्ष की क्षमता एवं 842.16 करोड़ की अनुमानित पूँजी के साथ घुसिक भूमिगत परियोजना की, जहाँ पीएसएलडबल्यू प्रस्तावित किया गया है, एमडीओ पद्धति में संचालन हेतु जाँच की जा रही है।

ग) **वर्तमान भूमिगत खदानों का तकनीकी अप-ग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण :** जिन वर्तमान भूमिगत खदानों को तकनीकी अप-ग्रेडेशन तथा आधुनिकीकरण के लिए जिन खदानों को चिह्नित किया गया है उनमें बैजना, श्यामपुर बी, सिदुली, चिनाकुड़ी, कुमारडीह-बी (सी एवं ई पीट), घुसिक तथा निमचा प्रमुख हैं। मेसर्स केपीएमजी एडवाईजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त कार्य का जिम्मा दिया गया। उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है तथा उस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर टिप्पणी देकर उसे उनके पास अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है।

घ) **मास उत्पादन तकनीक की प्रस्तुति :**

कंटीन्यूअस माइनर : □□□/□□□□ योजना में निम्नलिखित खदानों में कंटीन्यूअस माइनर लगाने हेतु उन खदानों को चिह्नित किया गया है :

क्रम सं॰	खदान का नाम	क्षमता	अनुमानित पूँजीगत व्यय (रू॰ करोड़ में)
1	तिलबोनी	1.86 मि॰ टन प्रति वर्ष	788.53
2	डालुरबांध-पांडवेश्वर	भूमिगत – 1.29 मि॰ टन प्रति वर्ष खुली खदान – 2.00 मि॰ टन प्रति वर्ष	476.86
3	कुमारडीही बी	0.51 मि॰ टन प्रति वर्ष	100.74
4	शंकरपुर	भूमिगत – 1.163 मि॰ टन प्रति वर्ष	401.43

		खुली खदान – 2.00 मि॰ टन प्रति वर्ष	
5	झांझरा लो हाइट सी एम	0.72 मि॰ टन प्रति वर्ष	320.55
6	सिदुली	0.51 मि॰ टन प्रति वर्ष	447.84

ङ) तिलबोनी भूमिगत परियोजना में हाई स्पीड इंकलाइन ड्रीवेज प्रस्तावित है। प्री-एनआईटी बैठक मार्च, 2014 के महीने में हुई।

च) मोटी सीम (5.5 मीटर एवं ऊपर) के परिसमापन के लिए खोट्टाडीह कोलियरी में केबल बोल्टिंग के साथ डीपीलरिंग की व्यवस्था।

छ) मैन-राइडिंग : हरीपुर और पड़सीया कोलियरी में मैन-राइडिंग पद्धति की उपलब्धि के लिए आदेश बहुत जल्द मिल जाने की उम्मीद है।

ज) फ्री-स्टीयर्ड मैन-राइडिंग व्हेकिल : झांझरा परियोजना में 03 फ्री-स्टीयर्ड मैन-राइडिंग व्हेकिल की उपलब्धता प्रक्रियाधीन है।

3.13 **2013-14 के दौरान स्वीकृत ओसी पैचों का विवरण** : वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित ओसी पैचों का अनुमोदन दिया गया है :

क) निरसा ओसीपी पैच (कोयला - 2.8 मिलियन टन तथा ओबी 10.42 मि॰ क्यूबिक मीटर)

ख) सोनपुर बाज़ारी कम्बाइन्ड ओसी के (8.0 मिलियन टन प्रति वर्ष) के सेक्टर – □ से 3.49 मिलियन टन तथा सेक्टर – □□□ से 6.80 मिलियन टन कोयले के उत्पादन हेतु एचईएमएम भाड़े पर लेने का प्रस्ताव।

ग) आउटसोर्सिंग द्वारा कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के बांसड़ा ओसी पैच (2.1 मिलियन टन कोयला उत्पादन हेतु) वैचारिक प्रतिवेदन।

घ) 7.06 मिलियन टन कोयला उत्पादन हेतु मोहनपुर ओसी पैच के लिए एचईएमएम भाड़े पर लेने की योजना।

3.14 **एमओयू गतिविधियाँ :**

क्रम सं॰	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति
1.	ईसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना की स्वीकृति	माह	जून, 2013	प्राप्त हुआ। 1.20 मि॰ टन प्रति वर्ष की क्षमता के लिए रू॰ 75.01 करोड़ की पूँजी लागत के साथ न्यू केंदा ओसी के पीआर की स्वीकृति ईसीएल बोर्ड द्वारा 19.05.2013 को इसकी बैठक में मिल गयी।
2.	सीआईएल बोर्ड से स्वीकृति लेने के लिए ईसीएल बोर्ड की संस्तुति – 1 परियोजना	माह	नवंबर, 2013	मार्च, 2014 में ईसीएल बोर्ड द्वारा सीआईएल बोर्ड के समक्ष संस्तुत किया गया। 14.03.2014 में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सीआईएल में प्रस्तुत किया गया।
3.	नई परियोजना की स्थापना (झांझरा द्वितीय सेट सीएम)	माह	फरवरी, 2014	98% उपलब्ध हुआ। मई, 2014 में स्थापित किया गया।
4.	राजमहल ओसीपी के गाँवों का पुनर्वास	घरों की संख्या	50	उपलब्ध हुआ। कुल 71 पीएएफ़ का पुनर्वास किया गया।
5.	सोनपुर बाजारी परियोजना में तुमनी नाला प्रत्यावर्तन के कार्य की पूर्णता (3.31 कि॰ मी॰)	माह	15 मार्च, 2014	उपलब्ध हुआ। 100% पूर्ण।
6.	सोनपुर बजारी परियोजना की रानीगंज-सिउड़ी	माह	अक्तूबर, 2013	मई, 2013 में सर्वेक्षण कार्य

	सड़क (5.6 कि॰ मी॰) के प्रत्यावर्तन के लिए सर्वेक्षण, प्रारूपण, तैयारी तथा आकलन की ईसीएल के समक्ष एनएचएआई द्वारा प्रस्तुति			पूरा हुआ। रानीगंज-सिउड़ी सड़क के प्रत्यावर्तन के लिए एनएच प्लानिंग एवं डिजाइन सर्किल द्वारा आकलन किया गया तथा स्वीकृति हेतु 10.10.2013 को पीडबल्यू (सड़कें) निदेशकीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अप्रैल, 2014 में पीआर ईसीएल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्वीकृति का इंतज़ार है।
7.	सोनपुर बजारी कम्बाइन्ड ओसीपी के रेलवे साइडिंग के लिए मेसर्स आरआईटीईएस द्वारा विस्तृत प्रारूपण की प्रस्तुति तथा टेंडर डोक्यूमेंट की तैयारी	माह	सितंबर, 2013	उपलब्ध हुआ। संशोधित एवं अंतिम डीपीआर आकलन के साथ 31.08.2013 को आरआईटीईएस द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह 20.12.2013 को ईसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।
8.	झांझरा में लॉन्ग-वाल पैकेजों की नियुक्ति हेतु वैज्ञानिक जाँच	माह	15 मार्च, 2014	उपलब्ध हुआ। 02.05.2013 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
9.	सोनपुर बजारी कम्बाइन्ड ओसीपी के रेलवे साइडिंग के लिए मेसर्स आरआईटीईएस द्वारा टेंडर की फ्लोडिंग, कार्य की सुपुर्दगी एवं मुल्यांकन	माह	फरवरी, 2014	ईसीएल बोर्ड ने 20.12.2013 को आकलन की स्वीकृति दी है। मेसर्स आरआईटीईएस द्वारा 21.02.2014 को टेंडर कागजात भेजे गए। 26.03.2014 को टेंडर खोला गया।
10.	सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत अथवा 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन वाली नई परियोजना के मास्टर कंट्रोल नेटवर्क की तैयारी I. सोनपुर बजारी कम्बाइन्ड ओसी 8.0 मि.ट.प्रतिवर्ष	माह	दिसंबर, 2013	उपलब्ध हुआ। एमसीएन तैयार कर लिया गया है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वेकृत किया गया है तथा 05.07.2013 को सीआईएल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
11.	त्रैमासिक आधार पर सभी एमओएसपीआई से मॉनिटर होने वाली परियोजनाओं के लिए अद्यतन एमसीएन की प्रस्तुति। I. राजमहल विस्तार ओसीपी (17.00 मि.ट.प्रतिवर्ष) II, झांझरा पीएसएलडब्ल्यू (आर-VI) फेज-II	%	90	उपलब्ध हुआ। एमओएसपीआई द्वारा मॉनीटर की जाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए अद्यतन एमसीएन तैयार किया गया, स्वीकृत किया गया एवं सभी तिमाही के खत्म होने पर या उसके पहले कोल इंडिया लिमिटेड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
12.	भूमिगत ट्रेप्ड माइनर लोकेसन पद्धति हेतु परियोजना की पूर्णता	माह	जनवरी, 2014	झांझरा भूमिगत खदान में टू-वे वॉइस सम्प्रेषण के लिए एमएफ़ सुवाह्य रेडियो की जमीनी जाँच

13.	केविंग के साथ डीपीलरिंग के द्वारा पाण्डवेश्वर क्षेत्र की खोट्टाडीह कोलियरी के मोटे सीम (आर-□□) के निष्कासन की सम्भाव्यता के लिए अध्ययन	माह	फरवरी, 2014	उपलब्ध हुआ। सीआईएमएफ़आर, धनबाद द्वारा जून-2013 में अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
14.	आर-□□ तथा दुर्गम आर-□□–ए सीमों के बीच पतली पार्टिंग की स्थिरता की स्थिति का मूल्यांकन तथा श्रीपुर क्षेत्र के मुसलिया यूनिट में स्थिरता की पद्धति की सलाह देना।	माह	15 मार्च, 2014	आईआईटी, खड़गपुर द्वारा अध्ययन अप्रैल, 2014 से आरंभ हो जाने की उम्मीद है।
15.	डम्परों में खपत होने वाले डीजल की मात्रा में कमी लाने के लिए सोनपुर बजारी ओसीपी में पायलट परियोजना	माह	15 मार्च, 2014	उपलब्ध हुआ। सोनपुर बाजारी क्षेत्र में तीन महीनों से जाँच प्रक्रिया संचालित की जा रही है। डीजल की औसत खपत में 5% की दर से सफलतापूर्वक कमी आई है।
16.	मानविक / मिश्रित भूमिगत खान इलाकों को पूरी तरह यांत्रिक पद्धति में रुपांतरण	खानों की संख्या	07	उपलब्ध हुआ। 8
17.	पुनर्संगठन द्वारा भूमिगत इलाकों का औचित्यीकरण	इलाकों की संख्या	01	उपलब्ध हुआ। 2
18.	उद्यमी जोखिम प्रबंधन योजना की तैयारी हेतु कार्य आवंटित	माह	15 मार्च, 2014	उपलब्ध हुआ। जोखिम आकलन की तैयारी के लिए 19.02.2014 को ई एवं वाई, कोलकाता को कोल इंडिया लिमिटेड में इसकी प्रशासन प्रक्रिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों को अलग से ठेका दिया गया।
19.	झारखंड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के निपटान के संबंध में चित्रा वासरी के लिए आरएफक्यू कागजात को अंतिम रुप देना	माह	15 मार्च, 2014	भूमि के निबटान नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं हुआ।
20.	वे-ब्रीजों की प्रगति/फेरबदल	संख्या	01	उपलब्ध हुआ। 2

3.15 परियोजना निगरानी एवं कार्यान्वयन की स्थिति :

अनुलग्नक - **III** में विवरण दिया गया है। (अलग से)

4.0 प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन :

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन के अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है। **(अनुलग्नक-IV)**

5.0 कोयले का विपणन :

5.1 उठाव की सम्मुखीन माँग :

वर्ष 2013-14 में 35.20 मिलियन टन कोयले का उठाव (ऑफ-टेक) किया जाना था, जबकि 36.25 मिलियन टन ही हो पाया। माँग संतोष का 103% है। वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान क्षेत्रगत माँग एवं उठाव का विवरण निम्नलिखित है :

(आंकड़े मि. टन में)

सेक्टर	उठाव 2013-14			उठाव 2012-13		
	माँग	वास्तविक	**% संतुष्टि**	माँग	वास्तविक	**% संतुष्टि**
विद्युत	29.950	31.052	104	27.06	30.015	111
सीमेंट	0.200	0.064	32	0.13	0.146	112
सीपीपी(ओआरएस)	0.403	0.123	31	0.365	0.218	60
सीपीपी(इस्पात)	0.300	0.310	103	0.505	0.313	62
इस्पात(ब्लेंड)	0.008	0.007	88	0.06	0.01	17
स्पांज आयरन	0.807	0.172	21	0.32	0.275	86
निर्यात	-	-	-	0.02	0.00	00
लोको	-	-	-	0.01	0.00	00
डीईएफ	0.030	0.004	13	0.03	0.01	33
कोलियरी खपत	0.340	0.276	81	0.40	0.301	75
अन्य	3.162	4.242	134	5.35	4.556	85
कुल	**35.200**	**36.250**	**103**	**34.25**	**35.844**	**105**

5.2 वैगनों का प्रतिदिन औसत भारण (लोडिंग) :

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए वैगनों का क्षेत्रवार औसत भारण (लोडिंग) निम्नलिखित है :

(आँकड़े बॉक्स/दिन में)

कार्य-क्षेत्र	**वैगनों का भरण** (लोडिंग)			
	2013-14		**2012-13**	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	701	663	668	647
मुगमा/सलानपुर	150	164	119	149
आद्रा	24	16	21	17
पिरपेंती	201	76	144	84
राजमहल (वार्फ वाल)	00	130	00	153
कुल	**1076**	**1049**	**952**	**1050**

5.3 विधिवार प्रेषण :

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में विधिवार प्रेषण निम्नवत है :

(आँकड़े मि.टन में)

प्रेषण की विधि / पद्धति	2013-14	2012-13
रेल	24.594	24.158
रोड	1.936	2.117

हिंडोला (एमजीआर)	9.444	9.267
कुल	**35.974**	**35.542**

5.4 31 मार्च, 2014 को कोयले का भंडार निम्नवत है :

(आँकड़े लाख टन में)

कार्य-क्षेत्र	31.03.2014 को
रानीगंज	5.72
मुगम/सलानपुर	3.68
एस.पी. माइन्स	1.65
राजमहल	8.08
कुल	**19.13**

5.5 हाजिर 'ई'-नीलामी एवं वायदा 'ई'-नीलामी :

विधि	2013-14			2012-13		
	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	**अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (` करोड़ में)**	**प्राप्ति प्रतिशत(%)**	**प्रेषित परिमाण (लाख टन में)**	**अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (` करोड़ में)**	**प्राप्ति प्रतिशत(%)**
हाजिर 'ई' नीलामी						
रेल	23.22	59.71	9.35	27.60	161.39	17.79
रोड	15.82	164.69	30.80	14.24	229.31	45.10
कुल	**39.04**	**224.40**	**19.13**	**41.84**	**390.70**	**27.60**
वायदा 'ई' नीलामी						
रोड	--	--	--	0.25	4.1	101.99
कुल	**--**	**--**	**--**	**0.25**	**4.1**	**101.99**

5.6 बिक्री प्राप्ति :

(करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
बिक्री प्राप्ति	14108.85	11121.88

6.0 उपकरणों की संख्या (एचईएमएम) :

6.1 31 मार्च, 2013 की तुलना में 31 मार्च, 2014 को उपकरणों की संख्या तथा वर्ष 2013-14 में किए गए मुख्य मरम्मत / पुनरूद्धार निम्नलिखित है :

उपकरण	को उपकरणों की संख्या		**2013-14** के दौरान उपकरणों की मरम्मत/पुनरूद्धार	
	31.03.2014	**31.03.2013**	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
ड्रेगलाइन	1	1	-	-
डम्पर	232	197	-	-

डोजर	87	82	1	1
शॉवेल	71	59	-	-
ड्रिल	48	45	-	-

6.2 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान सीएमपीडीआईएल मानकों के तहत प्रत्येक प्रकार के उपकरणों की उपयोगिता एवं प्रतिशत उपलब्धता निम्नलिखित है :

उपकरण	उपलब्धता				उपयोगिता			
	सीएमपीडी आईएल मानक	2013-14	2012-13	% में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि	सीएमपीडी आईएल मानक	2013-14	2012-13	% में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि
ड्रेगलाइन	85	91.98	92.01	-0.03	73	87.09	86.55	0.54
डम्पर	67	72.10	67.37	4.73	50	38.21	39.47	-1.26
डोजर	70	69.45	69.94	-0.49	45	27.27	30.85	-3.58
शॉवेल	80	75.49	70.91	4.58	58	45.40	46.25	-0.85
ड्रिल	78	79.27	77.15	2.12	40	30.35	31.14	-0.79

ड्रैगलाइन, डंपर तथा ड्रिल की प्रतिशत उपलब्धता सीएमपीडीआईएल के नियमों से अधिक है। 10 क्यूबिक मीटर की मरम्मत तथा ड़ेमग शॉवेल की रैक पीनियन, डिपर स्टिक, पीटीओ की खराबी की समस्या एवं हायड्रोलिक पंप की खराबी, 13 क्यूबिक मीटर शॉवेल की बकेट मरम्मत, बीई 1000 की अंतिम ड्राइव की खराबी तथा टाटा हिटाची शॉवेल के हायड्रोलिक पंप की खराबी के कारण शॉवेल की प्रतिशत उपलब्धता कम है। फाइनल ड्राइव, ट्रांसमिशन तथा इंजन की खराबी के चलते डोज़र की प्रतिशत उपलब्धता कम है।

ड्रैगलाइन की प्रतिशत उपलब्धता सीएमपीडीआईएल के नियमों से अधिक है। सितंबर-2013, अक्तूबर-2013, फरवरी-2014 तथा मार्च-2014 के दौरान अनिश्चित बारिध के कारण एवं राजमहल, चित्रा, मोहनपुर, बेलबाद तथा राजपुरा ओसीपी में भूमि समस्या के कारण भी शॉवेल, डंपर, डोज़र तथा ड्रिल की प्रतिशत उपयोगिता कम है।

डम्पर उपयोगिता में सीएमपीडीआईएल मानकों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम :

- परियोजनाओं के एचईएमएम निष्पादन की समीक्षा नियमित अन्तराल पर की जाती है तथा ब्रेकडाउन को टालने के लिए मुख्यालय से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6.3 वर्ष 2013-14 में खुली खदान परियोजनाओं को उपलब्ध कराये गए नए/ प्रतिस्थापित उपकरण निम्नवत है :

उपकरण	संख्या	परियोजना
डंपर	78	डाबर-3, जामबाद-2, सोनपुर बाजारी-27, चित्रा-9, गोपीनाथपुर-5, खोट्टाडीह-9, महाबीर-3, बेलबाद-3, राजमहल-6, राजपुरा-5, शंकरपुर-6
डोजर	11	बोनजेमेहरि-1, जामबाद-1, खोट्टाडीह-1, मोहनपुर-1, बेलबाद-1, राजमहल-2, राजपुरा-1, सोनपुर बाजारी-3
शॉवेल	14	सोनपुर बाजारी-3, शंकरपुर-1, राजमहल-1, बेलबाद-1, मोहनपुर-1, महाबीर-1, गोपीनाथपुर-1, डाबर-1, चित्रा-2, बोनजेमेहरि-1, बारामुरी-1
ड्रिल	06	सोनपुर बाजारी-6

7.0 ऊर्जा संरक्षण :

7.1.1 विद्युत एवं इंधन की खपत :

क्रम	विवरण	ईकाई	2013-14	2012-13
I	**बिजली खरीदी**			
	क. खरीदी गई यूनिट	M.KWH	836.38	824.53
	ख. आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई कुल राशि (लगभग)	` करोड़ में	579.90	559.07
	ग. दर/ यूनिट (औसत)	`/KWH	6.93	6.78
	घ. बिजली की विशेष खपत (लगभग)	KWH/Te	23.20	24.30
II	**स्व-उत्पादन (डीजी सेट द्वारा)**			
	क. उत्पादित यूनिट	लाख KWH	6.63	7.04
	ख. उत्पादित यूनिट प्रति लीटर डिजल तेल	KWH/Ltr.	6.23	5.80
	ग. उत्पादन की लागत	`/KWH	10.30	9.87
III	**विद्युत की उपलब्धता**			
	क. विद्युत की औसत उपलब्धता	MVA	167.18	171.54
	ख. विद्युत की माँग	MVA	181.27	182.41
	ग. % उपलब्धता	%	92.23	94.04

7.1.2 चिनाकुड़ी विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की प्रगति :

चिनाकुड़ी विद्युत संयंत्र का पट्टा 31.03.2012 को समाप्त हो गया। नए सिरे से पट्टा के लिए निविदा सूचना भेजी गई है। 2012-13 के दौरान कोई आकर्षक बिजली उत्पादन नही है।

7.2 ऊर्जा संरक्षण एवं लेखा परीक्षण :

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रमाणित उर्जा लेखा परीक्षक के रूप में सीएमपीडीआईएल को सूचीबद्ध किया गया है। 2013-14 में खोट्टाडीह भूमिगत खदान तथा पाण्डवेश्वर भूमिगत खदान में ऊर्जा लेखा परीक्षण आयोजित किया गया। खास केंदा एवं ईस्ट निमचा के लिए लेखा परीक्षण शुरू किया गया है।

2012-13 में ` 164.79 की तुलना में 2013-14 में प्रति टन कोयले के उत्पादन में ऊर्जा लागत ` **160.88** रहा। 2012-13 की तुलना में 2013-14 में विद्युत की विशेष खपत में कमी आयी है।

7.3 भूमिगत मशीनरी का कार्य निष्पादन :

उत्पादकता के साथ भूमिगत मशीनरी का विवरण निन्नलिखित है –

उपकरण	2013-14		2012-13	अभ्युक्ति
	पंजी पर	उत्पादकता (टन प्रति दिन)	उत्पादकता (टन प्रति दिन)	
एसडीएल	202	60	55	
एलएचडी	29	91	85	
रोड हेडर	1	79	24	रोड हेडर मशीन (यूके-डोस्को) बहुत पुराना है एवं 1984 मे शुरू हुई थी। यह मॉडल अप्रचलित है एवं स्पेयर्स आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
कंटीन्यूअस माइनर	2	1498	1521	2012-13 के 1043332 टन कोयला उत्पादन की तुलना में 2013-14 के दौरान 1072860 टन कोयले का उत्पादन सीएम द्वारा किया गया।

7.4 सीएचपी का कार्य-निष्पादन :

31 मार्च, 2014 को कंपनी में 06 बृहद सीएचपीज एवं 02 छोटी सीएचपीज का परिचालन हो रहा था। वर्ष 2013-14 के दौरान, वृहद सीएचपीज द्वारा 14.92 मि.टन एवं छोटी सीएचपीज 0.27 मि.टन कोयला संचालित किया गया।

8.0 कल्याण सुख-सुविधाएँ :

क्रम	मद		31.03.2013 को संचयी स्थिति	2013-14 के दौरान उपलब्धि	31.03.2014 को संचयी स्थिति
1	**सहकारी समिति**				
	(क) सहकारी ऋण समिति		74	0	74
	(ख) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार		30	0	30
	(ग) केन्द्रीय सहकारी		4	0	4
	(घ) सहकारी समिति को ऋण एवं निवेश (` लाख में)		63.80	0	63.80
2	**बैंकिग सुविधा – कार्यरत शाखाओं की संख्या**		26	0	26
3	**क्रेच**		48	0	48
4	**कैंटीन**		82	0	82
5	**शैक्षणिक सुविधाएँ**				
	(क)	डीएवी स्कूल	4	0	4
	(ख)	i) आवर्ती अनुदान प्राप्त विद्यालय की संख्या	162	0	162
		ii) आवर्ती अनुदान की राशि (` लाख में)	3785.97	373.92	4159.89
	(ग)	**i)** अनावर्ती अनुदान प्राप्त विद्यालय की संख्या	387	00	387
		ii) अनावर्ती अनुदान की राशि (` लाख में)	288.21	00	288.21
	(घ)	**i)** तदर्थ अनुदान स्वीकृत विद्यालय की संख्या	79	0	79
		ii) तदर्थ अनुदान स्वीकृति की राशि (रू. लाख में)	69.60	0	69.60
	(ङ)	विद्यालय में लगे हुए बसों की संख्या	156	0	156
6	**खेलकूद पर खर्च की गई राशि (रू.लाख में)**		358.08	21.83	379.91
7	**सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर खर्च की गई राशि (लाख में)**		66.31	3.94	70.25
8	**कोल इंडिया लि. छात्रवृत्ति (क) प्रदान की गई छात्रवृत्ति की संख्या**		13568	924	14492
	(ख) स्वीकृत राशि (लाख में)		155.97	17.40	173.37

9	**वेजबोर्ड कर्मचारियों के बच्चे जो चुने गए इंजीनियरिंग एवं सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए वित्तीय सहयोग हेतु कोल इंडिया लि. योजना -**			
	क) स्वीकृत वेजबोर्ड कर्मी के बच्चों की परवरिश की संख्या	172	60	232
	ख) स्वीकृत राशि (लाख में)	27.15	14.57	41.72

9.1 चिकित्सीय सुविधाएँ :

कुल 1285 बेड की क्षमता के साथ 02 केंद्रीय अस्पताल, 11 क्षेत्रीय अस्पताल एवं 115 डिस्पेंशरी कर्मियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 130 अम्बुलेंस कार्यरत थे।
ईसीएल कमान क्षेत्र के आस-पास के इलाकों की चिकित्सा की जरूरतों को 05 मोबाइल चिकित्सा वाहन द्वारा ध्यान रखा गया।

9.2 **कर्मियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा हेतु बाहर भेजा गया एवं उनके चिकित्सा में हुआ व्यय तथा स्वचालित डिसपेंशरी द्वारा तय इलाज किए गये ग्रामीणों की संख्या** :

विवरण	2013-14	2012-13
बाहर भेजे गए मरीजों की संख्या :	1329	1084
उनके इलाज पर खर्ज की गई राशि (` लाख में)	842	876
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम : - शिविरों की संख्या - लाभुकों की संख्या	 18 685	 23 1221
मोबाइल डिसपेंसरी द्वारा तय किए गए गाँव : - शिविरों की संख्या - लाभुकों की संख्या	 544 30969	 647 33755

उपरोक्त के साथ-साथ, 04 चक्षु जाँच शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 324 लोग लाभान्वित हुए। विभिन्न रूप से नि:शक्त लोगों के लिए 01 चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया जिससे 65 लोग लाभान्वित हुए। 2013-14 के दौरान, कुल चिकित्सा सीएसआर व्यय 33 लाख (लगभग) रहा एवं औषधि की उपलब्धता में कुल 395 लाख रूपये का सदुपयोग किया गया।

9.3 चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन हेतु पुनर्गठन :

क. सांकतोड़िया अस्पताल में नवीकरण का कार्य पूरा होने वाला है। केंद्रीय अस्पताल, कल्ला के नवीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

ख. कर्मियों, उनके आश्रितों के साथ-साथ ईसीएल कमान क्षेत्र के आस-पास के इलाकों में रह रहे लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए केंद्रीय अस्पताल, कल्ला एवं सांकतोड़िया अस्पताल में हर महीने सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिक का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतिष्ठित अस्पतालों से आये चिकित्सकों ने इन शिविरों में भाग लिया।

ग. केंद्रीय अस्पताल, कल्ला में नर्सिंग स्कूल का उदघाटन किया गया तथा इसमें भर्ती प्रक्रियाधीन है।

घ. सर्विकल कैंसर रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए सांकतोड़िया अस्पताल तथा केंद्रीय अस्पताल, कल्ला में अभी हाल ही में कॉलपोसकॉपी मशीन स्थापित किया गया।

10.0 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 135(2) के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व पर प्रतिवेदन निदेशकीय प्रतिवेदन के अंग के रूप में अलग अनुभाग में प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक –)। सीएसआर से संबंधित एमओयू गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति /उपलब्धि
1.	आयोजित होने वाली संगोष्ठियों/कार्याशालाओं की संख्या	संख्या	3	4
2.	इस प्रकार की कार्याशालाओं/संगोष्ठियों में उच्च प्रबंधन/अधिशासियों की उपस्थिति	संख्या	25	64
3.	लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या	संख्या	90	122
4.	सीएसआर एवं दीर्घता पर वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन	हाँ/नहीं		हाँ
5.	कंपनी की वेबसाइट में इस संबंध में समय-समय पर अद्यतन सूचना का प्रदर्शन	अवधि	अर्धवार्षिक	त्रैमासिक
6.	सीएसआर एवं दीर्घता गतिविधियों पर खर्च पूँजी (वार्षिक बजट आवंटन) (पिछले वर्ष के पीएटी का 1%)	%	**>65**	75.72%
7.	बोर्ड स्तर की समिति में स्वतंत्र निदेशक की अनिवार्य सदस्यता के साथ द्विस्तरीय संगठनात्मक संरचना का अस्तित्व	हाँ/नहीं		हाँ
8.	बोर्ड स्तर की समिति द्वारा आयोजित हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	3	4
9.	बोर्ड स्तर से नीचे के स्तर की समिति द्वारा आयोजित हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	3	4
10.	राजमहल परियोजना के प्रभावित गाँवों में सामुदायिक शौचालय पद्धति	माह	15 मार्च, 2014	कार्य पूर्ण हुआ
11.	प्रेशर फिल्टर के माध्यम से शुद्ध जल देने के लिए मुगमा क्षेत्र के बैजना कोलियरी के अंतर्गत टोपाण्ड गाँव के लिए पेय जलापूर्ति योजना	माह	15 मार्च, 2014	कार्य पूर्ण हुआ

10.1 सामाजिक सुविधाएँ :

स्थापना के बाद से, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने कर्मियों के कल्याण के साथ-साथ खदानों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों/समुदायों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसके अतिरिक्त, बुनियादी सुविधाएँ, औद्योगिक संरचना, रोड एवं रेलवे साइडिंग, जलापूर्ति तथा अन्य कल्याणकारी गतिविधियों इत्यादि के विकास के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

10.1.1 आवासीय भवन :

कंपनी में कुल मिलाकर 91180 आवासीय घर हैं जिसमें से 62960 मानक क्वाटर तथा 28220 गैर मानक क्वाटर हैं। वर्तमान में आवासीय संतुष्टि 118% से अधिक है। इन क्वाटरों की नियमित रूप से मरम्मत एवं रखरखाव किया जाता है। साथ ही, **ब्लॉक रीपेयरिंग** की अवधारणा के तहत, आवासीय क्वाटरों के सम्पूर्ण ब्लॉकों की पूर्ण मरम्मत का जिम्मा लिया गया है। वर्ष 2013-14 में ब्लॉक मरम्मत कार्यक्रम के तहत ` 20.07 करोड़ का बजट ब्लॉक मरम्मत कार्यों में दिया गया तथा करीब 4150 क्वाटरों की सम्पूर्ण मरम्मत की गई।

10.1..2 कल्याण भवन :

कर्मियों के कल्याण के लिए, राष्ट्रीयकरण के बाद से परिसंपत्तियों में जबरदस्त सुधार हुआ है, विवरण निम्नलिखित है -

क) अस्पताल - 12
ख) डिसपेंशरी – 115
ग) कैंटीन - 82
घ) आरामगृह - 137
ङ) बहु-उद्देशीय संस्थान- 12
च) वयस्क शिक्षा केंद्र - 03
छ) सामुदायिक केंद्र – 54

10.1.3 जलापूर्ति :

ईसीएल ने अपने क्वाटरों में रहने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ आस-पास के निवासियों को पीने के पानी की आपूर्ति पर हमेशा विशेष ध्यान दिया है। कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिए 22 स्लो सैंड फिल्टर, 20 रेपिड ग्रेविटी फिल्टर मौजूद हैं। 11 रीवर बेड बोर-वेल्स भी हैं।

इसके अतिरिक्ति, ईसीएल पश्चिम बंगाल सरकार के आरसीएफए-I एवं आरसीएफए-II जलापूर्ति योजना एवं झारखण्ड सरकार के चिरकुंडा जलापूर्ति योजना के साथ भागीदारी की है जिससे 5,40,000 जनसंख्या को जलापूर्ति की जाती है। वर्ष 2013-14 में, प्रेशर फिल्टर, इलेक्ट्रो क्लोरीनेटर, पाइपलाइन का कार्य, जलापूर्ति आधारभूत कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों की स्थापना करने हेतु 16 नयी योजनाओं को स्वीकृति दी गयी ताकि विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता तथा इसकी शुद्धता के स्तर में सुधार किया जा सके। जे के रोपवेज तथा पांडवेश्वर की योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। अन्य बची योजनाओं का कार्य टेंडरिंग एवं निष्पादन के विभिन्न स्तरों पर है।

10.1.4 कोयला उत्पादन सड़क एवं रेलवे साइडिंग :

कोयले का प्रेषण ईसीएल की एक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं तथा इसे प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक किया जाता है। मुख्यतः सड़क एवं रेलवे द्वारा कोयले का प्रेषण किया जा रहा है। इस विषय में ईसीएल ने उचित कदम उठाया है। कुछ चल रहे एवं नए कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

क) सड़कें – वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कोयला परिवहन सड़क को मजबूत करने के लिए 30 किलोमीटर (लगभग) लंबाई के 09 कार्य किए गए। वे कार्य टेंडरींग तथा निष्पादन के विभिन्न स्तरों के अधीन हैं। कार्यों का विवरण निष्पादन के साथ निम्नवत है :-

क्रम	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	झांझरा क्षेत्र में 1 एवं 2 इंकलाइन से पीओसीपी रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन सड़क को मजबूत करना । (लंबाई – 5.05 किलोमीटर)	कार्यादेश जारी किया गया।
2	पांडवेश्वर क्षेत्र में खोट्टाडीह ओसीपी कर्मशाला से 'सी'-टाइप क्वाटर के नजदीक रनवे रोटरी तक	कार्य प्रगति पर है।

	वर्तमान कोयला परिवहन सड़क को मजबूत करना। (लंबाई – 1.40 किलोमीटर)	
3	कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अंतर्गत पड़सीया कोलियरी में रेलवे लेवल क्रॉसिंग से 5 नंबर पिट एवं 6 व 7 इंकलाइन तक मुख्य सड़क को मजबूत करना। (लंबाई – 2.60 किलोमीटर)	40% कार्य पूरा किया गया है।
4	कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अंतर्गत सिउड़ी रोड बेलबाद मोड़ जंक्शन से पड़सीया बस स्टैंड; बेलबाद कोलियरी तक सड़क को मजबूत करना। (लंबाई – 4.50 किलोमीटर)	कार्यादेश जारी किया गया।
5	सिउड़ी रोड जंक्शन (कांता मोड़) से कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के एजीएम बंगले तक बिटुमिनस सड़क आका निर्माण। (लंबाई – 1.00 किलोमीटर)	17% कार्य पूरा किया गया है।

ख) रेलवे साइडिंग, व्हार्फ वाल इत्यादि -

क्रम	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	सोनपुर बाजारी परियोजना की सेवाओं के लिए नए रेलवे साइडिंग का निर्माण (परियोजना की लागत ` 108.15 करोड़)	मेसर्स आरआईटीईएस लिमिटेड द्वारा कार्य का टेंडर किया जा रहा है।
2	ईसीएल के कुनुस्तोड़िया क्षेत्र की पड़सीया कोलियरी में व्हार्फ वाल का निर्माण	कार्य पूरा हो चुका है।

ग) **अन्य कार्य :** खदान से साइडिंग/कोयला डीपो तक कोयले के परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य/जिला बोर्ड की सड़कों के रख-रखाव तथा उसके विकास के लिए ईसीएल राज्य सरकार तथा अन्य जिला बोर्ड अधिकारियों को निधि भी मुहैया करवाती है।

क्रम सं.	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	आसनसोल अनुमंडल, पीडबल्यूडी, आसनसोल के अंतर्गत आने वाली उखड़ा-हरीपुर सड़क का सुधार 1.80 किलोमीटर से 5.00 किलोमीटर (2.6 किलोमीटर का फैलाव)।	2.38 करोड़ जमा किए गए। कार्य पीडबल्यूडी, आसनसोल के अंतर्गत लिया गया है एवं प्रगति पर है।
2	रानीशायर मोड़ से निमचा केबिन तक सड़क को मजबूत करना (3.2 कि. मी.) तथा रानीशायर मोड़ से निमचा रेल-ओवर पुल होते हुए एवं मेजिया सड़क से जुडते हुए बर्न्स क्लब तक सड़क का फैलाव।	1.00 करोड़ जमा किए गए। कार्य आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।
3	सलानपुर क्षेत्र के बाराबनी के अंतर्गत मोहनपुर कोलियरी के निकट अमीढ़ा गाँव में 400 मीटर ज़िला परिषद सड़क का विपथन।	0.29 करोड़ जमा किए गए। कार्य प्रगति पर है।

10.1.5 खान विकास कार्य :

वर्ष के दौरान की गई कुछ प्रमुख खान विकास गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :

क्रम सं.	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	पांडवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत खोट्टाडीह कोलियरी में नए इंकलाइन के ड्रिवेज का निर्माण	कार्यादेश जारी किया गया।
2	झांझरा क्षेत्र में सतह से आर-[illegible] सीम तक मुख्य इंकलाइन के समानान्तर इंकलाइन स्तम्भ के ड्रिवेज का निर्माण	कार्यादेश जारी किया गया।

10.2 एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं.	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष का लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति /उपलब्धि
1.	ईसीएल के किसी क्षेत्र में रेलवे साइडिंग का जीर्णोद्धार एवं प्रगति	माह	15 मार्च, 2014	कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अंतर्गत पड़सीया कोलियरी के रेलवे साइडिंग मरीन व्हार्फ

				वाल के निर्माण का कार्य 31.03.2014 को पूरा हुआ।
2.	खदान से साइडिंग तक कोयला परिवहन सड़क का विस्तार	कि॰ मी॰	12	पूरा नहीं हुआ। कार्य प्रगति पर है।

11.0 खान सुरक्षा :

11.1 वर्ष 2013-14 की दुर्घटना सांख्यिकी :

वर्ष	**2013-14***	**2012-13**
i) प्राण-घातक दुर्घटनाएँ (संख्या)	11	10
ii) मृत्यु (संख्या)	11	10
iii) गंभीर चोट (संख्या)	62	79
iv) विपत्ति / मि.टन उत्पादन	0.305	0.295
v) विपत्ति / 3 लाख श्रमिक-पारी	0.195	0.172

(* डीजीएमएस से साथ सामंजस्य का विषय है)

11.2 खान सुरक्षा संबंधी उपाय :

ईसीएल के खदानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईएसओ द्वारा लिए गए कार्य **:**

क. खदानों की जाँच एवं पाई गई कमी के निवारण हेतु निगमित स्तर सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। खान सुरक्षा की समीक्षा के लिए प्रत्येक माह सुरक्षा बोर्ड की नियमित बैठक होती है। इस बैठक में सभी कार्यकारी निदेशक, समस्त विभागीय प्रधान, समस्त सुरक्षा बोर्ड सदस्य, समस्त क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा समस्त क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहते हैं। सुरक्षा बोर्ड परिचालित श्रमिक संघों द्वारा नामित 06 सदस्यों से बना होता हैं।

ख. घातक दुर्घटना होने के बाद पिट्स सुरक्षा समिति की विशेष बैठक करना तथा विशेष पिट्स सुरक्षा समिति द्वारा सुझाए गए सुझावों का कार्यान्वयन करना।

ग. मूल कारणों को जानने तथा जिम्मेदारियाँ तय करने के क्रम में घातक दुर्घटनाओं की जाँच।

घ. पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दुर्घटनाओं/खतरनाक संयोगों/पास आती घटनाओं की जाँच निष्कर्ष के समान सुरक्षा परिपत्र जारी करना।

ङ. निवारक कदम उठाने के लिए जानलेवा एवं गंभीर दुर्घटनाओं की सांख्यिकी का विश्लेषण करना एवं अनुरक्षण करना।

च. खदानों में आपूर्ति होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।

छ. खदानों में रूफ व्यवहार के अध्ययन तथा रूफ सपोर्ट के सुधार के लिए ईसीएल मुख्यालय मे स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है एवं इसी तरह सभी क्षेत्रों में भी स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग सेल स्थापित किए गए हैं। जब जरूरत हो तब आरएमआर निकाला जाना है तथा तदनुसार सपोर्ट रूल तैयार करवाना है।

ज. खनन एवं विविध गतिविधियों तथा खनन मशीनरी/एचईएमएम के परिचालन के संबंध में सुरक्षित संचालित विधियों को निकालना।

झ. खुली खदानों एवं भूमिगत खदानों में प्रदीप्ति सर्वेक्षण किए गए।

ञ. निवारक कदम उठाने के लिए खुली खदानों में ब्लास्ट होल ड्रिल एवं अन्य एचईएमएम के आस-पास कोलाहल मानचित्रण करवाना।

ट. कमियों के उन्मूलन हेतु खदानों का निरीक्षण के पश्चात आईएसओ से अधिकारियों/निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अपवाद रिपोर्ट निदेशक (तकनीकी) के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है उन्होंने संबंधित क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को कमियों के बारे जानकारी दी एवं उनसे निपटने को कहते है।

ठ. वैधानिक कार्मिकों का नियोजन : जूनियर ओवरमैन-5, माइनिंग सरदार-115 एवं सर्वेक्षक-24।

ड. विविध गतिविधियों, सामान्य या खदान विशेष एवं लागू करने के लिए सुरक्षित संचालन प्रक्रिया तैयार करना।

ढ. डिग्री III खदान में एलएमडी उपलब्ध कराया जा रहा है।

ण. विस्तृत दुर्घटना विश्लेषण किया गया है एवं यह देखा गया कि 05 दुर्घटनाएँ छत/चाल गिरने के कारण, एक ऑब्जेक्ट गिरने के कारण घटीं वहीं दो दुर्घटनाएँ ट्रक/डंपर से संबंधित, एक भूमिगत परिवहन में तथा दो मिश्रित कारणों से घटीं।

त. वर्ष 2013-14 के लिए सुरक्षा अभियान का जो कैलेंडर तैयार किया गया था उसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :

माह	सुरक्षा अभियान के मद
अप्रैल, 2013	भूमिगत खदानों में आग एवं विस्फोटक खतरों पर विशेष अभियान
मई, 2013	सतह पर एवं भूमिगत खदान में सामान्य साफ-सफाई
जून, 2013	मानसून की तैयारी पर पुनर्विलोकन.
जुलाई, 2013	पुराने सभी आइसोलेशन स्टोप्पिंग्स का इस प्रकार निरीक्षण कि जल दबाव के निर्माण में कोई जोखिम न हो
अगस्त, 2013	सर्वेक्षण (संयुक्त सर्वेक्षण एवं जाँच सर्वेक्षण योजना), भूमिगत खदानों की वातायन व्यवस्था
सितम्बर, 2013	खान बचाव की तैयारी, विस्फोटकों एवं आयुधागार का संचालन तथा वाइनडिंग, एमएमवी इत्यादि जैसों का सतह स्थापना
अक्तूबर, 2013	रूफ एवं साइड ड्रेसिंग तथा अवलंब
नवम्बर, 2013	आग खतरा तथा अग्निशमन व्यवस्था
दिसम्बर, 2013	यात्रा के रोडवेज, उनकी सफाई, व्हवाइट वाश, डस्टिंग, ड्रेसिंग, सपोर्टिंग आदि
जनवरी, 2014	ईसीएल की सभी भूमिगत खदानों में सपोर्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसएसआर पर सुरक्षात्मक कदम
फरवरी, 2014	ईसीएल के समस्त खुली खदान परियोजनाओं में ओपनकास्ट लाइटिंग पर पहल, हौल सड़क की स्थिति, बर्म्स की स्थिति, ओबी डंप्स पर लाइटिंग
मार्च, 2014	स्व-रक्षा तथा उचित अनुभागीकरण एवं पुराने तथा बिना इस्तेमाल किए क्षेत्रों के आइसोलेसन पर वातायन सर्वेक्षण दबाव

विविध वर्षों में रूफ बोल्टों की खपत की संख्या निम्नलिखित है :

(संख्या लाख में)

खपत	2013-14	2012-13
रूफ बोल्ट	9.30	8.53
सिमेंट कैप्सूल	34.16	32.31

11.3 सुरक्षा लेखा परीक्षण :

आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षण कर दिया गया है। डीजीएमएस की सिफारिश पर बाह्य एजेंसियों द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षण का आयोजन प्रक्रियाधीन है।

11.4 मानसून की तैयारी :

खान सुरक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ कोलियरी प्रबंधन द्वारा जून 2013 में मानसून तैयारी पर एक विशेष अभियान चलाया गया एवं कार्यान्वयन स्तर की मॉनिटरिंग 2013-14 के दौरान की गई। 24x7 आधार पर ईसीएल मुख्यालय में 10.06.2013 से 15.10.2013 तक 24X7 के आधार पर एक नियंत्रण कक्ष खोला गया जिसमें सभी क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष के साथ संपर्क रखने एवं आवागमन के लिए वाहनों एवं टेलीफोन के साथ अधिकारियों की व्यवस्था की गई।

“बाढ़ चेतावनी संदेश” प्राप्त करने हेतु डीवीसी, मैथन के मुख्य अभियंता (हाईड्रल) के साथ नजदीकी संपर्क रखा गया, जब कभी पंचेत एवं मैथन डेम से पानी छोड़ा जाता है। निदेशक मौसम विभाग, अलीपुर कोलकाता तथा निदेशक, क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर कोलकाता से ‘मौसम पुर्वानुमान रिपोर्ट’ टेलीफोन एवं फैक्स द्वारा प्राप्ति हेतु नजदीकी संपर्क रखा गया ताकि भारी वर्षा/गर्जन/शोवर की चेतावनी क्षेत्रों को दी जा सके।

11.5 सुरक्षा प्रशिक्षण

वर्ष	... के लिए दो सप्ताह का संरचित प्रशिक्षण			
	फ्रंटलाईन पर्यवेक्षक		श्रमिकों का निरीक्षक	
	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
2013-14	4	96	3	41
2012-13	4	86	3	33

11.6 वैधानिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रशिक्षण :

परीक्षा का प्रकार	प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	प्रशिक्षण संस्थान
क. ... में उपस्थित होने के लिए		
प्रथम श्रेणी – कोयला	8	एमटीएस, धधका
द्वितीय श्रेणी – कोयला	11	एमटीएस, धधका
ओवरमैन	14	एमटीएस, धधका
माइनिंग सरदार	67	एमटीएस, धधका
सर्वेक्षक	23	एमटीएस, धधका
बिजली सर्वेक्षक	30	एमटीएस, धधका
वाइंडिंग ईंजन ड्राईवर	22	एमटीएस, रतिबाटी
गैस टेस्टिंग	28	एमटीएस, धधका
ख. व्यवसाय पाठ्यक्रम		
सर्वेक्षक	33	एमटीएस, धधका
माइनिंग सरदार	52	एमटीएस, धधका
इलेक्ट्रिसियन	31	एमटीएस, धधका
ग. डिप्लोमा इन माइनिंग (अंशकालीन)	160	रानीगंज माइनिंग इंस्टीच्यूट

उपरोक्त के अलावा, माइनिंग सरदार की परीक्षा में शामिक होने हेतु 56 कर्मचारियों को पीडीपीटी(भूमिगत) का प्रशिक्षण दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड के □□□□□□□ प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा 202 अधिशासियों को भूमिगत खदान के लिए तथा 65 अधिशासियों को खुली खदानों का प्रशिक्षण दिया गया।

11.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी पर वैधानिक) 2012-13 :

प्रशिक्षण के प्रकार	2013-14	2012-13
आधारभूत (बेसिक)	1313	564
पुनश्चर्या (रीफ्रेशर)	9672	8690
विशेष प्रशिक्षण	5653	6399
आई.ओ.डी.	121	394
ठेका श्रमिक	3833	4568

11.8 ईसीएल में खान सुरक्षा सेवाएँ :

खान बचाव स्टेशन, सीतारमापुर ; पुनश्चर्या प्रशिक्षण के साथ खान बचाव कक्ष (आरआरआरटी) केंद्र तथा झांझरा, मुगमा और कालीदासपुर में संचालित खान बचाव कक्षों के जरिए ईसीएल के समस्त कोलियरी, बीसीसीएल के चुंच विक्टोरिया क्षेत्र, ईस्को की रामपुर कोलियरी के साथ-साथ नगर प्रशासन एवं लोक प्राधिकारण (आवश्यक होने पर) को खान बचाव सेवाएँ प्रदान किया गया हैं।

11.8.1 वर्ष के दौरान खान बचाव सेवाएँ द्वारा निम्नलिखित खदानों में आग/लगातार गर्म होने की घटनाओं का सफलतापूर्वक निपटारण किया गया :

क्रम	कोलियरी	क्षेत्र	दिनांक	
			से	तक
1	बंकोला	बंकोला	12.03.2013	14.03.2013
2	झांझरा	झांझरा	17.06.2013	23.06.2013
3	माधाईपुर	पाण्डेश्वर	22.08.2013	27.08.2013
4	सिदुली	केंदा	22.10.2013	22.10.2013

उपरोक्त के अलावा अन्य 09 (नौ) आपातकालीन खान बचाव सेवाएँ प्रदान की गई जो निम्नवत है :-

क्रम	कोलियरी	क्षेत्र	दिनांक		घटना की प्रकृति
			कब से	कब तक	
1	बैजना	मुगमा	07.06.13	-	हानिकारक गैसों के संचयन हेतु भूमिगत पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण
2	बंकोला	बंकोला	13.06.13	-	कार्बन-डाई-ऑक्साइड से भरे पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण
3	हातीबगान	कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के निकट	21.06.13	-	एक परित्यक्त पिट से एक मृत शरीर की बरामदगी
4	श्यामपुर (ए)	मुगमा	11.08.13	12.08.13	एक अवैध कार्यकारी खदान से तीन खनिकों (माइनर्स) को बचाया गया।
5	हुसैनिया मोड़	ईसीएल मुख्यालय के निकट	26.09.13	27.09.13	धसान से एक मृत शरीर की रिकवरी
6	बासन्तीमाता	बीसीसीएल	11.12.13	12.12.13	विशाल चाल गिरने से मृत शरीरों की रिकवरी
7	केंद्रा	पांडवेश्वर	21.01.14		एक मृत शरीर की बरामदगी
8	खास काजोड़ा	काजोड़ा	28.01.14	30.01.14	भूमिगत खदान से एक सर्वेक्षक के मृत शरीर की बरामदगी
9	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स		29.03.14	31.03.14	भंडार यार्ड में ब्लेजिंग फायर (03 किलोमीटर) का खुलना

11.9 प्रशिक्षण :

खान बचाव केंद्र में पुनश्चर्या (रीफ्रेशर) के साथ-साथ प्रारंभिक प्रशिक्षण निरंतर प्रदान किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है :

विवरण	2013-2014	2012-2013
प्रशिक्षित सुरक्षा बचाव कर्मियों की संख्या	676	679
हाल में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	26	40
पुनश्चर्या प्रथाओं की संख्या	6040	5970
आपातकालीनों की संख्या	13	10

11.10 आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता :

वर्ष 2013-14 के लिए आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता, पूर्वी अंचल दिनांक 28 सितंबर, 2013 को हुआ जिसमें 12 रेस्क्यू टीमों ने भाग लिया।

11.11 अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोल एवं मेटल) :

22 से 24 दिसम्बर, 2013 तक 44 वाँ अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोल एवं मेटल) खान बचाव स्टेशन, धनसार (बीसीसीएल) द्वारा आयोजित किया गया जिसमें कोल एंड मेटल कंपनीज़ की कुल 21 टीमों ने भाग लिया। ईसीएस से दो टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और फ्रेश एअर बेस में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

11.12 खान बचाव स्टेशन के लिए बजट प्रावधान :-

विवरण	पूँजीगत बजट (लाख में)		राजस्व बजट (लाख में)	
	2013-14	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**
स्वीकृत	6.10	120.33	1614.05	1260.85
व्यय	5.86	22.08	1460.67	1454.50

11.13 एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं॰	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष का लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति /उपलब्धि
1.	संरक्षा प्रबंधन योजना की तैयारी	लाभान्वित खदानों की संख्या	25	पूरा किया गया। 30 खदानों के लिए संरक्षा प्रबंधन योजना तैयार कर ली गई।
2.	यांत्रीकृत रूफ ड्रिलिंग मशीन को सक्रिय करना	स्थापित किए गए एम/सी की संख्या	8	ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 10 एसडीएल को हाईड्रोलिक रूफ ड्रिलिंग मशीन में रूपांतरित किया गया।
3.	अनुकारियों के माध्यम से डंपर संचालकों का प्रशिक्षण	प्रशिक्षित संचालकों की संख्या	25	38
4.	बहुद्देशीय गाड़ियों की उपलब्धता हेतु आदेश का प्रस्तुतीकरण	माह	15 मार्च, 2014	कार्य प्रगति पर है।

12.0 सामग्री प्रबंधन :

12.1 वस्तु-सूची नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु किए गए उपाय :

विगत वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 को समाप्त वर्ष के लिए वस्तुसूची समापन आँकड़े पता चलता है कि वस्तुसूची मूल्यों के हिसाब से 9.08% की कमी आयी है तथा माह खपत में 17.80% तक की कमी आयी है। आँकड़े निम्नलिखित है :

क्रम	विवरण	31.03.2014	31.03.2013	% कमी
1	वस्तु-सूची (मूल्य) (करोड़ में)	152.07	**167.26**	**9.08**
2	वस्तू-सूची (माहवार खपत)	2.54 माह	**3.09** माह	**17.80**

12.2 रद्दी का निपटारण :

ई-निलामी के जरिये रद्दी का निपटारण मेसर्स एम जंक्शन द्वारा संचालित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन निलामी संचालित की गयी एवं 3.15 करोड़ रू॰ (लगभग) की बिक्री प्राप्त हुई है।

12.3 ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन :

ईसीएल के 08 (आठ) क्षेत्रीय भंडारों एवं सेंट्रल वर्कशॉप, सोदपुर में ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस) पूर्ण रूप से संचालित है। 2014-15 के दौरान, पाण्डेश्वर, मुगमा तथा बांकोला क्षेत्रीय भंडारों में ऑनलाइन एमएमएस का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है एवं उनका संचालन निर्धारित है।

12.4 एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं॰	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष का लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति /उपलब्धि
1.	गैर-कार्यकारी, क्षतिग्रस्त तथा अप्रचलित भंडारों के निर्धारण हेतु तकनीकी मूल्यांकन	माह	फरवरी, 2014	पूरा हुआ।
2.	रद्दी के उत्पादन तथा निबटान हेतु समुचित रेकॉर्ड का रखरखाव	माह	फरवरी, 2014	पूरा हुआ। सभी क्षेत्रीय भंडारों ने इस बात की पुष्टि की है कि वे समुचित रेकॉर्ड का रखरखाव करते हैं।

13.0 गुणवत्ता नियंत्रण :

13.1.1 वजन एव साइजिंग स्थिति :

13..1.1 वजन स्तर :

वर्ष 2012-13 के 98.94% की तुलना में 2013-14 में ईपीएस के तहत वजन कुल प्रेषण का 98.95% था। पिछले वर्ष की तुलना में 3.44% की वृद्धि दर्ज़ करते हुए 2013-14 के दौरान ईपीएस में मात्रा तौल 307.25 लाख टन रहा। विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में बिजली घरों की आपूर्ति एवं अन्य खाते के लिए ईपीएस की मात्रा तौल निम्नलिखित है :

विवरण	2013-14			2012-13		
	पावर ईपीएस	अन्य खपत	कुल	पावर ईपीएस	अन्य खपत	कुल
प्रेषित मात्रा (लाख/टन)	310.52	49.26	359.78	300.21	55.21	355.42
ईपीएस के तहत मात्रा तौल (लाख/टन में)	307.25	49.09	356.34	297.02	55.13	352.15
ईपीएस के तहत तौल %	98.95	99.65	99.04	98.94	99.85	99.08

13.3.2 साइजिंग स्थिति

2013-14 में कुल कोयला प्रेषण 359.36 लाख टन था जिसमें से बिजली सेक्टर को 310.52 लाख टन कोयले का प्रेषण किया गया। सीएचपी/एफबी/यूजी द्वारा रेल के माध्यम से बिजली घरों को 269.31 लाख टन साईज्ड कोयले का प्रेषण किया गया जो कुल प्रेषण का

86.73% है। 2012-13 में यह 82.83% था। 2013-14 में सीएचपी/एफबी/यूजी में साईज्ड कोयले की मात्रा में 20.65 लाख टन की वृद्धि हुई है। सीएचपी/एफबी सुविधा के अलावा साईडिंग से प्रेषण में साईजिंग का कार्य डोज़र से किया गया एवं इस प्रकार बिजली घरों को 100% यंत्रीकृत क्रष्ड कोयला आपूर्त कराया गया। विवरण नीचे दिया जा रहा है :

कोयले की साइजिंग	2013-14			2012-13		
	पावर	अन्य	कुल	पावर	अन्य	कुल
सीएचपी/एफबी में साइज्ड मात्रा (लाख/टन)	269.31	31.61	300.92	248.66	38.14	286.80
%	86.73	64.72	83.74	82.83	69.08	80.69
डीजेडआर/एमएनएल	41.21	17.65	58.86	51.55	17.07	68.62
%	13.27	35.28	16.26	17.17	30.92	19.31
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

14.0 सतर्कता गतिविधियाँ :

संस्था की पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में इसकी जटिल भूमिका पर विचार करते हुए, ईसीएल में प्रबंधन कार्यों के साथ सतर्कता गतिविधियाँ वास्तव में एकीकृत हो गयी हैं। विभिन्न स्टेकधारकों के बीच विश्वास जगाने के लिए पिछले साल उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों के परिणामस्वरूप कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण सुधार आया एवं उन्हें इस वर्ष एक कदम और आगे बढ़या गया है। नियमित अंतराल में अकस्मात निरीक्षण किए गए तथा बड़ी संख्या में मामलों की गहन जाँच की गई जिनमें प्रणाली सुधार उपायों पर ज़ोर दिया गया। रिसाव तथा प्रणाली में उठाईगिरी पर नियंत्रण रखते हुए महत्वपूर्ण बचाव पर फोकस करते हुए निवारक सतर्कता को जारी रखा गया है। सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न स्टेकधारकों के लिए संचालित जागरूकता-सह-प्रेरणात्मक कार्यक्रम से कंपनी के लाभांश में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ई-उपलब्धता, ई-भुगतान, डिस्काउंट बिडिंग, सीसीटीवी, शिकायत दर्ज़ करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन आदि को प्रस्तुत कर उत्तोलन तकनीक के लिए सतर्कता विभाग द्वारा की गई पहल से कंपनी के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है।

14.1 निवारक सतर्कता :

सतर्कता विभाग द्वारा किए जा रहे अकस्मात निरीक्षण की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई है जो कंपनी के समस्त परिसर में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखता है। इसके अलावा, एक हज़ार से अधिक लाभुकों को कवर करते हुए विभिन्न स्टेकधारकों के लिए सतर्कता जागरूकता-सह-प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। इन प्रयासों का कंपनी की कार्य-संस्कृति पर हितकारी प्रभाव पड़ा एवं इसके प्रदर्शन में सर्वमुखी सुधार आया है।

क्रम	विषय	संख्या
1	आकस्मिक जाँच/निरीक्षण आयोजित	65
2	सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित : आंतरिक संकाय सदस्यों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम अंशधारकों की बैठक निबंध/चित्रकला इत्यादि प्रतियोगिता बाह्य संकाय सदस्यों द्वारा सेमिनार/कार्यशाला	 20 2 8 3

14.2 व्यवस्थित सुधार के लिए उठाए गए कदम :

वर्ष 2013-14 के दौरान, निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार प्रस्ताव प्रबंधन को प्रस्तुत किये गये है :

क) ईसीएल में डाक/प्रेषण पद्धति को और सरल तथा कारगर बनाने के लिए अप्रैल, 2013 के दौरान, एक व्यापक पद्धति सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत किया गया।

ख) डस्ट-बॉण्ड/लॉनीजर तथा फायर रीतार्डेंट सीलण्ट जैसे संरक्षात्मक मदों के आवेदन एवं उपलब्धता के संबंध में मई, 2013 में एक पद्धति सुधारात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ग) अगस्त, 2013 के दौरान, कोयला सूचिका (**Coal Card**) के रखरखाव के संबंध में एक अन्य पद्धति सुधारात्मक उपाय की शुरुआत की गई जिससे घरेलू कोयले की उठाईगिरी को रोका जा सके।

घ) विस्फोटकों के उचित इस्तेमाल तथा बारूदघरों के रखरखाव के लिए नवंबर, 2013 के दौरान, एक व्यापक पद्धति सुधार योजना की शुरुआत की गई।

14.3 दंडात्मक सतर्कता :

जानबूझकर कपटपूर्ण इरादे से की गयी अनियमितताओं से सख्ती से निबटा गया तथा संबंधित आचरण नियमावली के अनुसार अनुकरणीय दंडात्मक उपाय किए गए। 03 मामलों में बर्खास्तगी के साथ-साथ 09 लोगों को सज़ा दी गयी।

14.4 उत्तोलन तकनीक :

संस्था की पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता में सुधार के लिए सतर्कता विभाग द्वारा उत्तोलन तकनीक के क्षेत्र में कुछ कदम उठाए गए। लगभग 1287 करोड़ रूपयों की राशि के साथ कुल 410 टेंडर का प्रवर्तन करते हुए इस वर्ष ई-टेंडरींग का पूरी तरह संचालन किया गया। वर्तमान वर्ष में टेंडर प्रक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला औसत समय 104.86 दिन से घटकर 52.54 दिन रह गया। यह न सिर्फ अपने आप में व्यापक बचाव को दर्शाता है बल्कि कंपनी की इज़्ज़त तथा इसके सद्भाव में बढ़ावा हुआ है। डिस्काउंट-बिडिंग की प्रस्तुति से सभी बिड्स में विचारणीय कोस्ट-कटिंग में मदद मिली है। ई-भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया जिससे मानविक हस्तक्षेप हस्तक्षेप को दूर करने में मदद मिली है एवं इससे भ्रष्ट गतिविधियों में कमी आई है। ई-शासकीय पहल ने न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी तथा लोकप्रिय बनाया बल्कि इससे बहुत हद तक कागज़ी एवं नीरस कार्य में कमी आई। सतर्कता विभाग द्वारा लॉन्च किए गए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन का सभी ने स्वागत किया क्योंकि इसकी सहाता से अपने विचारों/शिकायतों/समाधान को प्रकाश में लाना आसान हो गया।

14.5 एकीकरण करार कार्यक्रम का कार्यान्वयन :

ईसीएल में एकीकरण करार विधिवत कार्यान्वित किया गया। आरंभिक सीमा 2 करोड़ रूपये तय किए गए। संबंधित संविदाओं में एकीकरण करार का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान दो स्वतंत्र वाह्य मॉनीटर नियुक्त किए गए।

14.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार 28 अक्तूबर, 2013 से 02 नवम्बर, 2013 तक ईसीएल ने "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया। अपनी गतिविधियों के सभी आयामों पर ईमानदारी एवं पारदर्शिता लाने के लिए तथा जीवन के सभी आयामों से भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु उदारतापूर्वक कार्य करने के लिए 28.10.2013 को ईसीएल की सभी स्थापनाओं में शपथ ली गयी। संगोष्ठी, कार्यशाला, स्टेकधारकों के साथ बैठक आदि जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन मुख्यालय के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों एवं इकाइयों में किया गया ताकि स्टेकधारकों के बीच एकता के संदेश का प्रचार किया जा सके। जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में 480 विद्यार्थियों की विशाल प्रतिभागिता रही। ईसीएल की सतर्कता पत्रिका सचेतना का अगला अंक भी प्रकाशित हुआ है। इस अवसर पर सतर्कता विभाग द्वारा एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया।

15.0 कर्मियों का विवरण :

कंपनी अधिनियम 1956 के साथ कंपनी (कर्मियों का विवरण) नियम 1975, यथा संशोधित, के भाग 217(2ए) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक कोई भी कर्मियों ने प्राप्त नहीं किया हैं।

16.0 राजभाषा कार्यान्वयन :

ईसीएल मुख्यालय तथा इसके 11 क्षेत्र ग क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं जहाँ हमारे 86% कर्मचारी पदस्थापित हैं। केवल 03 क्षेत्र क क्षेत्र (झारखंड) में स्थित हैं। आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत उठाए गए कदमों पर आधारित हमारी निम्नलिखित विशेष उपलब्धियाँ रही हैं :

1. ईसीएल की निजी व्यवस्था से इसके कुनुस्तोड़िया क्षेत्रीय कार्यालय में भी हिंदी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ 21.06.2013 को किया गया। इस केंद्र से नवंबर, 2013 में आयोजित हिंदी प्रवीण परीक्षा में कुल 27 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया एवं सभी सफल घोषित किए गए। उक्त केंद्र में वर्तमान सत्र में कुल 40 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं।

2. हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के लिए विभागीय व्यवस्था से हिंदी शिक्षण योजना के प्रवीण पाठ्यक्रम की कक्षायें ईसीएल मुख्यालय में लगातार चलायी जा रही हैं। समीक्षाधीन वित्त-वर्ष, 2013-14 में मई - 2013 में आयोजित हिंदी प्रवीण परीक्षा में मुख्यालय से कुल 12 एवं नवंबर - 2013 में कुल 09 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। दोनों सत्रों के परिणाम शत-प्रतिशत रहे।

3. गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 23 अगस्त, 2013 को अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विभिन्न प्रान्तों से हिन्दी के गणमान्य कवि शामिल हुए।

4. सभी फाइलों के कवर पर उनके विषय हिंदी में लिखने का नियम शत प्रतिशत लागू किया गया।

5. 01 सितम्बर, 2013 से 14 सितम्बर, 2013 के दौरान राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत तीन प्रकार-- हिंदी में निबंध, कार्यालयीन पत्र एवं टिप्पणी (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) लेखन की प्रतियोगिताएँ हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी कर्मियों के लिए अलग-अलग आयोजित की गईं जिसमें भाग लेने वाले कुल 55 प्रतिभागियों को पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

6. 01 अक्तूबर, 2013 को आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य श्री राघवेन्द्र नाथ द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर एक प्रश्न-मंच का आयोजन किया गया। प्रश्नों के सही उत्तर देने वालों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

7. 2013-14 के दौरान, चार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 28.05.2013 को कंपनी के मुख्य महाप्रबंधकों, महाप्रबंधकों एवं विभागीय प्रधानों के लिए उच्च स्तरीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोलकाता के उप-निदेशक (कार्यान्वयन) श्री बी. एन. पाण्डेय ने संबोधित किया।

8. ई.सी.एल. कर्मियों की सेवानिवृति पर प्रबंधन की ओर से उनके नाम, पदनाम, सेवा अवधि इत्यादि के विवरण सहित उन्हें स्मृति-चिह्न के रूप में दिया जाने वाला प्रमाणपत्र हिंदी में बनवाकर दिया जाता है।

9. प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को यूनीकोड पद्धति से हिंदी में टंकण का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में करने के लिए सक्षम हो सकें तथा हिंदी पत्राचार को बढ़ावा मिल सके।

10. सभी विभागों के उपस्थिति रजिस्टर में कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखना अनिवार्य किया गया। अधिकांश कर्मी अपना हस्ताक्षर हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा में करते हैं।

11. आलोच्य अवधि में वर्ष 2012-13 की तुलना में हिंदी पत्राचार में क क्षेत्र में 13%, ख क्षेत्र में 12% एवं ग क्षेत्र में 15% की वृद्धि दर्ज की गई। आलोच्य अवधि में हमने मुख्यालय में क क्षेत्र के साथ-साथ ख एवं ग क्षेत्र में भी हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य की प्राप्ति की।

12. वर्ष 2013-14 के दौरान मुख्यालय के रवीन्द्र हिन्दी पुस्तकालय के लिए रु.10,000/- की कुल 68 पुस्तकें खरीदी गईं।

13. सार्वजनिक संस्थानों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट, प्रशंसनीय एवं प्रेरक योगदान के लिए 18वें अखिल भारतीय राजभाषा विकास एवं सम्मान समारोह में 21 मार्च, 2014 को गाँधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास द्वारा **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया को राजभाषा उत्कृष्टता सम्मान से अलंकृत किया गया।**

14. उपरोक्त समारोह में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया में राजभाषा हिन्दी के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए **ईसीएल के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री राघव प्रसाद पाण्डेय को राजभाषा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया।**

15. आलोच्य अवधि के दौरान, ईसीएल मुख्यालय से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक गृह पत्रिका ईसीएल दर्पण के 04 अंक प्रकाशित हुए।

16. आलोच्य अवधि में कम्पनी स्तर पर रंगीन ग्लेज्ड पेपर पर हिंदी में एक वॉल पोस्टर ईसीएल समाचार का प्रकाशन आरंभ किया गया। इसमें ईसीएल के सचित्र समाचार, कर्मियों की उपलब्धियाँ आदि फोटो सहित प्रकाशित की जाती हैं।

17. इसके अतिरिक्त सांकतोड़िया अस्पताल से चेतना, सतर्कता विभाग से सचेतना तथा विप्स (□□□□) की ईसीएल शाखा की ओर से जागृति शीर्षक से वार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया जिसमें हिंदी के आलेख, लेख एवं अन्य सामग्री प्रकाशित की गई।

17.0 बीआईएफआर एवं बीआरपीएसई स्थिति :

31 मार्च, 1997 को संचित घाटा इसके शुद्ध मूल्य से 251.20 करोड़ से बढ़ गया अतः कंपनी अक्टूबर 1997 में सीका की धारा 15(1) के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में भेज दिया गया। 31 मार्च 1998 को सीआईएल द्वारा वित्तीय पुनर्गठन के तहत 1179.45 करोड़ के अनुरक्षित ऋण को इक्विटी अंश पूँजी में परिवर्तित किए जाने के कारण कंपनी का शुद्ध मूल्य उस तिथि को सकारात्मक हो गया एवं कंपनी बीआईएफआर से बाहर निकल गया। चूंकि कंपनी लगातार वर्ष दर वर्ष घाटे में रही अतः कंपनी का शुद्ध मूल्य 31 मार्च

1999 को फिर नकारात्मक हो गई एवं पुनः कंपनी नवम्बर 1999 में बीआईएफआर में चली गई। कंपनी का मामला संख्य 501/2000 के तहत पंजीकृत किया गया।

बीआईएफआर ने नवम्बर, 2004 में ईसीएल की सुधार योजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी। योजना के अनुसार, कंपनी का शुद्ध मूल्य कोल इंडिया लिमिटेड की छूट के साथ 2008-09 तक सकारात्मक होने की उम्मीद की गई। दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 को आर्थिक मामले पर केबिनट समिति ने बीआरपीएसई की संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। संशोधित योजना के अनुसार कंपनी का शूद्ध मूल्य 2009-10 तक सकारात्मक होने की आशा की गई।

बीआईएफआर की सलाह पर 02.09.2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के रिकॉर्ड के सारंश के अनुसार डीएमआरपी सितम्बर 2011 में प्रस्तुत किया गया। ईसीएल की संशोधित डीएमआरपी-सितम्बर 2011 के अनुसार कंपनी का शुद्ध मूल्य 2015-16 में सकारात्मक हो जाएगा।

19.09.2013 को आयोजित बैठक में बीआईएफ़आर बेंच ने कंपनी को मजदूर संगठनों के समक्ष प्रगति रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने तथा बीआईएफ़आर एवं एमए (एसबीआई) को भी प्रगति रिपोर्ट निरंतर भेजते रहने का निर्देश दिया। कंपनी का शुद्ध मूल्य जब एक बार सकारात्मक हो जाए तब डिस्चार्ज हेतु समुचित आवेदन को नत्थी करने का भी निर्देश कंपनी को दिया गया।

रिवाइवल प्लान के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा वित्त-वर्ष 2013-14 के अंत तक कोल इंडिया लिमिटेड से छूट के साथ कंपनी द्वारा सकारात्मक शुद्ध मूल्य रिपोर्ट करने की उम्मीद की जा रही है।

18.0 कंप्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी से लैश सेवाएँ :

18.1 ईसीएल में ई-निविदा समाधान का रॉल आउट :

क) ईसीएल की ज़रूरत के अनुसार मेसर्स नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के सहयोग से ईसीएल ई-टेंडरिंग पोर्टल https://ecltenders.gov.in विकसित किया गया जिसका उदघाटन 05.02.2013 को किया गया।

ख) डिस्काउंट बिड टेंडर (14.11.2013 को प्रस्तुत) सहित वर्तमान में कार्य एवं सेवाओं को ईसीएल ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अंतिम रूप दिया गया है।

ग) 31.03.2014 तक 1287.00 करोड़ रूपये की राशि के कुल 410 टेंडर ईसीएल ई-टेंडरिंग पोर्टल पर प्रकाशित किए गए जिनमें से कुल 139 टेंडरों को अंतिम रूप दिया गया एवं शेष टेंडर अंतिम रूप दिये जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

घ) राजमहल क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ई-टेंडरिंग पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए जहाँ 510 भावी बोली लगाने वालों ने भाग लिया।

ङ) ईसीएल के समस्त क्षेत्रों के लिए ई-टेंडरिंग पर जागरूकता-सह-हैन्ड्स कार्यक्रम संचालित किया गया जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के 100 अधिकारियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय स्तर पर ई-टेंडरिंग के कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्रों के साथ द्रुत संप्रेषण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया गया।

च) विभिन्न क्षेत्रों एवं कार्यशालाओं के 246 अधिकारियों के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) की व्यवस्था की गई।

छ) नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी), चेन्नई के सहयोग से कंपनी के बैंकों के साथ जगह-जगह पर एकीकरण के लिए आवेदन शुल्क एवं ईएमडी के ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ-साथ इसकी वापसी हेतु कार्य प्रणाली को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके अति शीघ्र फैलाव की उम्मीद की जा रही है।

18.2 विशेष उपलब्धियाँ :

क) कार्य एवं सेवाएँ टेंडर के लिए राजमहल एवं एस॰ पी॰ माइन्स क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों ने ऑनलाइन ई-टेंडरिंग आरंभ कर दी है।

ख) ईसीएल में 05.02.2013 को ई-टेंडरिंग के लॉंच होने के बाद टेंडर को पूरा करने की औसत अवधि 2013 के 105 दिनों की तुलना में 2014 में 53 दिन हो गया है। केंदा एवं पांडवेश्वर क्षेत्र के दो टेंडरों को 23 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया गया जिसमें 10 दिन प्रकाशन उद्देश्य के लिए चिहनित किया गया है।

ग) टेंडर कागजात के प्रकाशन एवं छपाई कार्य की लागत निरंतर घटी है; साथ ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन आकार भी घटा है।

घ) पारदर्शी तरीके से टेंडरों को अंतिम रूप दिये जाने में अधिक प्रतियोगिता पैदा हुई है एवं इससे उचित राशि की बचत हुई है।

ङ) ईसीएल के किसी एक क्षेत्र में जीपीएस पर आधारित कोयला ट्रक गतिविधि की मॉनीटरिंग शुरू की गई।

19.0 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार :

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ तालमेल रखने के लिए 2013-14 में निम्नलिखित प्राप्त किया गया है।

19.1 सतह संचार :

क. भूमिगत कोलियरी के साथ कुशल सतह संचार हेतु 64 लाइन क्षमता वाले ईपीएबीएक्स का संचालन मुगमा (08), कुनुस्तोड़िया (01) एवं झांझरा (01) के भूमिगत पिट कार्यलायों में किया गया है।

ख. सतग्राम क्षेत्र के लिए 150 लाइन क्षमता वाली 01 ईपीएबीएक्स का संचालन किया गया है।

ग. ईसीएल मुख्यालय, क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्रों एवं ईसीएल विक्रय कार्यालय, कोलकाता के साथ संयोजता स्थापित करने के लिए 16 में से 14 स्थानों पर बीएसएनएल द्वारा संयोजता प्रदान कर ड़िया गया है।

19.2 भूमिगत संचार :

भूमिगत कोलियरियों में इस्तेमाल के लिए 82 साउंड पावर्ड टेलीफोन सेट उपलब्ध करवाए गए।

20.0 भूमि अधिग्रहण एवं भू-सूचना की स्थिति :

20.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

वर्ष 2013-14 के लिए मोड वार, परियोजना वार भूमि अधिग्रहण/कब्जा की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

अधिग्रहण की विधि	अधिगृहित (हेक्टेअर में)	कब्जा (हेक्टेअर में)
काश्तकारी भूमि की सीधी खरीद	125.52	125.52
भूमि अधिग्रहण अधिनियम	0.00	0.00
सीबीए अधिनियम	233.56	255.52
अधिसूचना के भाग 9 मुद्दा	359.08	380.74

भूमि अधिग्रहण मामलों की स्थिति, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम एवं सीबीए अधिनियम के तहत कब्जा की गई है, का विवरण निम्नलिखित है :

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत :

क्रम सं॰	परियोजना/क्षेत्र का नाम	स्थिति
1	रानीडीह, राजमहल	राज्य सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देश के अनुसार 21.04.2013 को जिला कलक्टर, गोड्डा के समक्ष आवेदन पुन: प्रस्तुत किया गया।
2	एस॰ पी॰ माइन्स	एस॰ पी॰ माइन्स के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 323 हेक्टर ज़मीन के अधिग्रहण के लिए ईसीएल ने 1994 में आवेदन किया। 55.20 करोड़ रूपये राज्य सरकार को जमा करवाया गया। अनुभाग 11 की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य सरकार द्वारा सभी गाँवों को क्षतिपूर्ति दे दी गई है, केवल उन मामलों को छोडकर जहाँ पारिवारिक विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन उन ज़मीनों पर कब्जा करने की अनुमति अभी भी राज्य सरकार से प्रपट नहीं हुई है। झारखंड सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि के स्थानांतरण के लिए ईसीएल को एक 'परिवहन संधि' पर हस्ताक्षर करने पर ज़ोर दे रहा है। इस मामले में 06.01.2014 को उच्च न्यायालय, राँची में एक लिखित याचिका दायर की गई जो अभी लंबित है।

3	कालीपहाड़ी, सारपी, संग्रामगढ़, नारायणकुड़ी ओसी, बनबहाल ओसीपी, गौराण्डी डी ब्लॉक	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत भूमि अधिग्रहण के इन मामलों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
4	सोनपुर बजारी ओसीपी 20.08 हेक्टर	भूमि अधिग्रहण कलक्टर, बर्दवान को 27.07.2011 को आवेदन दिया गया। राज्य सरकार द्वारा माँगे जाने पर कंपनी ने 10.01.2012 को अनुमानित राशि का 50% अर्थात 0.55 करोड़ रूपये जमा किए। यह फाइल पश्चिम बंगाल सरकार के एल एंड एलआर विभाग में लंबित है। भूमि अधिग्रहण (ए एंड डी) अधिनियम, 1894 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब के कारण इकाई ने जिला प्राधिकारी, बर्दवान के समक्ष भूमि अधिग्रहण मामला ड्रॉप करने तथा इस संबंध में जमा की गई राशि की वापसी के लिए आवेदन जमा किया है।
5	मोहनपुर ओसी 16.06 हेक्टर	भूमि अधिग्रहण कलक्टर, बर्दवान को 27.07.2010 को आवेदन किया गया। ईसीएल ने राज्य सरकार के समक्ष फरवरी, 2013 तक 1.93 करोड़ रूपये पूर्ण एवं अंतिम बिल के रूप में जमा किया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुभाग 4 के तहत 07.11.2012 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी तथा 20.11.2012 को शुद्धि पत्र जारी किया गया एवं यह फाइल भूमि अधिग्रहण कलक्टर, बर्दवान के समक्ष लंबित है। भूमि अधिग्रहण (ए एंड डी) अधिनियम, 1894 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब के कारण इकाई ने 01.08.2013 को जिला प्राधिकारी, बर्दवान के समक्ष भूमि अधिग्रहण मामला ड्रॉप करने तथा इस संबंध में जमा की गई राशि की वापसी के लिए आवेदन जमा किया है।
6	नकराकोंडा ओसीपी विस्तार 22.67 हेक्टर	18.05.2011 को आवेदन जमा किया गया। राज्य सरकार द्वारा माँगे जाने पर कंपनी ने 17.02.2012 को अनुमानित राशि का 50% अर्थात 0.51 करोड़ रूपये जमा किए। यह फाइल पश्चिम बंगाल सरकार के एल एंड एलआर विभाग के संयुक्त सचिव के समक्ष लंबित है। भूमि अधिग्रहण (ए एंड डी) अधिनियम, 1894 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब के कारण इकाई ने जिला प्राधिकारी, बर्दवान के समक्ष भूमि अधिग्रहण मामला ड्रॉप करने तथा इस संबंध में जमा की गई राशि की वापसी के लिए आवेदन जमा किया है।

सीबीए अधिनियम के तहत :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	ललमटिया फेज-□□□, राजमहल	अनुभाग 7 (□) के तहत 02.04.2011 को अधिसूचना जारी की गयी। अनुभाग 9 के तहत 10.04.2012 को अधिसूचना जारी की गयी। अनुभाग 11 के तहत अधिसूचना के लिए आवेदन 03.07.2012 को कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली भेजा गया। अधिसूचना 11 के तहत अधिसूचना प्रकाशन के लिए अनुस्मारक कोयला मंत्रालय को 25 सितंबर, 2013, 09 जनवरी, 2014 एवं 14 फरवरी, 2014 को भेजा गया।
2	सर्बलोंग फेज-□□, राजमहल	अनुभाग 4 (□) के तहत मसौदा अधिसूचना 22.06.2011 को कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। अनुभाग 4 के तहत अधिसूचना 31.07.2012 को पूरी हो गयी। अनुभाग 7 (□) के तहत अधिसूचना के लिए आवेदन 08.08.2013 को दिया गया। अनुभाग 7 (□) के तहत अधिसूचना के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा चाहे गये 1बी प्रमाणपत्र में संशोधन 21.10.2013 को प्रस्तुत किया गया।
3	झांझरा	अनुभाग 9 के तहत अधिसूचना 22.02.2013 को जारी हुई। 23.03.2013 को मसौदा अधिसूचना कोयला मंत्रालय को भेजी गयी। 15.06.2013 को अनुभाग 11 के तहत अधिसूचना भारत के गैजेट में प्रकाशित हुई (एस. ओ. 1127). अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो गयी है।

20.2 पुनर्वास की स्थिति :

वर्ष 2013-14 के दौरान, 82 घर हटाये गये जिनमें से 56 को प्लॉट आवंटित किए गये तथा 26 को आर्थिक क्षतिपूर्ति दी गयी।

20.3 रेत की खनन पट्टे की स्थिति :

01.04.2013 से 30.09.2013 तक तथा 01.10.2013 से 31.03.2014 तक के लिए नौभरण के उद्देश्य हेतु रेत के निकासी लिए अस्थायी कार्य परमिट संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल, सी एण्ड आई विभाग, कोलकाता से क्रमशः 05.04.2013 एवं 03.10.2013 को प्राप्त किया गया हैं।

21.0 सुरक्षा प्रबंधन :

सुरक्षा विभाग का लक्ष्य कंपनी की सामग्री एवं कर्मियों की रक्षा करना है। कंपनी के पास तीन प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। .

ईसीएल सुरक्षा – 01.04.2013 को 1688

संविदात्मक सुरक्षा – 2229 कर्मी

सीआईएसएफ – 950 कर्मी (लगभग)

ईसीएल सुरक्षा :

ईसीएल सुरक्षा का मुख्य कर्तव्य कंपनी की संपत्ति जैस- भंडार, कार्यालय, विस्फोटक मैगजीन घर, डीपो, अधिकारी बंगला/ कॉलोनी एवं अति विशिष्ट ड्यूटी, लोडेड रेल रेकों, ट्रीपिंग ट्रक/डम्पर का कोल डीपों/साइडिंग से रेलने वजन घरों तक सुरक्षा करना जब तक वजन कार्य पूरा नहीं हो जाता। वर्ष भर सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा छापा मारने का कार्य भी किया जाता है। ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों को ईसीएल क्षेत्र में हड़ताल/घेराव/प्रदर्शन/भूख हड़ताल एवं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को भंग करने की समस्या से निपटने के लिए भी लगाया जाता है।

संविदात्मक सुरक्षा :

डीजीआर प्रयोजित एजेंसियों के द्वारा संविदा पर सुरक्षा कर्मियों को सामान्यतः बाह्य स्रोत पैच ईसीएल की कुछ कोयलरियों तथा रेलवे रेकों की सुरक्षा पर लगाया जाता है, जब विभागीय सुरक्षा की भारी कमी होती है।

सीआईएसएफ:

सीआईएसएफ को राजमहल, सोनपुर बजारी एवं एसपी माइन्स में स्थिर ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। इसके अलावा मुगमा क्षेत्र, सलानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोड़िया एवं पांडवेश्वर कालीदासपुर तथा सतग्राम क्षेत्रों में भी इनके कैम्प हैं। ये लोग मोबाईल ड्यूटी पर रखे गए हैं तथा अवैध खनन, कोयले की चोरी तथा अवैध कोयला डीपों पर छापा मारते हैं। कंपनी कोलियरी/क्षेत्रों में हड़ताल/घेराव के दौरान भी सीआईएसएफ की मदद लेते हैं।

सुरक्षा की आधारभूत समस्या -

क) दिन-प्रतिदिन के सुरक्षा कार्यों को करने के लिए जनशक्ति की कमी।

ख) परिवहन एवं संचार प्रणाली की कमी।

ग) सुरक्षा कर्मियों के केन्द्रीकृत आवास की आवश्यकता।

ईसीएल में सुरक्षा-व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदम :

क. 449 सीआईएसएफ कर्मियों की माँग को सीआईएसएफ मुख्यालय को भेजा जा चुका है। ये कर्मीगण विशेष रूप से ईसीएल के विस्फोटक मैगजिन के लिए हैं।

ख. 215 सुरक्षा गार्डों का नव नियोजन।

ग. 106 सुरक्षा सब-इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

घ. विस्फोटक मैगजीन, केंद्रीय भंडार एवं रेलवे साईडिंग में सीसीटीवी एवं अन्य तकनीकी गैजेटरी की स्थापना हेतु एजेंसियों से संपर्क किया गया।

ङ. ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों को सीआईएसएफ प्रशिक्षकों द्वारा हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया जो ईसीएल द्वारा आयोजित शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र धारक के रूप में उनके नाम के शामिल किए जाने के बाद विस्फोटक मैगजीन की सुरक्षा लिए तैनात किये जाएंगे।

च. अन्य श्रेणी के कर्मियों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया जो प्रशिक्षण के उपरांत दोनों श्रेणी - महिला एवं पुरूष में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात किये जाएंगे।

छ. स्थानीय पुलिस स्टेशनों से जब्त कोयले इकट्ठा करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है। ईसीएल ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों से ज़ब्त कोयला प्राप्त किया है।

ईसीएल में अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदम :

क) खुफिया संग्रह

ख) विभागीय पे लोडर/डोजर एवं कभी-कभी संविदा पर लेकर अवैध खनन स्थलों तथा धसान प्रभावित स्थलों की डोजिंग/सीलिंग इत्यादि।

ग) सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा, पुलिस द्वारा औचक जाँच की जाती है तथा अवैध कोयला, कोल लोडेड ट्रक जब्त करके असामाजिक तत्वों को पुलिस के हवाले कर रहे हैं।

घ) केन्द्रीय /राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक की जाती हैं। डोजड अवैध खनन स्थलों के फिर से खुलने से रोकने के लिए जिला प्राधिकारी एवं अनुमंडलीय प्राधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशनों को चौकसी जाँच बढ़ाने की सलाह दी है।

ङ) प्रभावित स्थलों की क्षेत्रीय टीम जिसमें मुख्य महाप्रबंधमक, क्षेत्रीय सर्वे अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, सीआईएसएफ द्वारा नियमित जाँच की जाती है। तदनुसार कमांडेंट सीआईएसएफ के साथ नियमित बैठक की जाती हैं।

च) अवैध खनन की स्थिति की समीक्षा हेतु आसनसोल अनुमंडल के लिए सुरक्षा समन्वय समिति का गठन करने का संकल्प लिया गया है।

कोयले की चोरी की जाँच/ रोक के लिए उठाए गए कदम :

क. कोयले की चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएप कर्मी/निजी सुरक्षा कर्मी के साथ ईसीएल सुरक्षा कर्मियों द्वारा आकस्मिक जाँच/छापा किये गए। जाँच/छापा के दौरान, वे कोयला की जब्ती, शरारती तत्वों की गिरफ्तारी तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करायी गई।

ख. साईडिंग से रेलवे धर्मकाँटा तक कोयला से भरे रेक का अनुरक्षण सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जाता है।

ग. चुराई गई /अवैध कोयला खनन के साथ भरे हुए वाहनों का पता लगाने के लिए कोयला बेल्ट में 8 सामरिक बिंदुओं की पहचान की जाती है।

घ. 01 सितम्बर 2011 से आगे आसनसोल-दुर्गापुर में कमीशन दर लागू करने के बाद कोयला चोरी की गतिविधियों को रोकने में सुधार आया है। सीआईएसएप एवं ईसीएल सुरक्षाकर्मियों के साथ कमीशन रेट अधिकारियों ने विभिन्न कदम उठाए है जिसके परिणामस्वरूप ईसीएल के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कोयला चोरी की गतिविधियाँ कम हुई है।

क) ईसीएल सुरक्षा कर्मी, सीआईएसएफ एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध कोयला तस्करी एवं अवैध कोयला खनन से जब्ती का विवरण :

वर्ष	राज्य	छापों की संख्या	जब्त कोयला (टन)	जब्त वाहन	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	एफआईआर दायर किया गया
अवैध तस्करी से कोयला जब्ती						
2013-14	पश्चिम बंगाल	375	1801	02	02	05
	झारखण्ड	313	2068	04	--	03
	कुल	688	3869	06	02	08
2012-13	कुल	619	4048	11	26	21
	अंतर	69	-179	-05	-24	-13
ईसीएल सुरक्षा कर्मी, सीआईएसएफ तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयला की जब्ती						
2013-14	पश्चिम बंगाल	98	04	--	06	03
	झारखण्ड	29	--	--	--	--
	कुल	127	04	--	06	03
2012-13	कुल	86	--	--	--	--
	अंतर	41	04	--	06	03

ख) डोजिंग/सीलिंग/अवैध खनन स्थलों की फीलिंग के दौरान ईसीएल के लीज होल्ड एवं लीज होल्ड के बाहर डोजिंग स्थल पर ईसीएल सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित डोजिंग/सीलिंग का कार्य अवैध खनन को रोकने के लिए किया गया।

वर्ष	राज्य	डोज्ड साइट	उपयोग की गई मात्रा (लाख घन)	खपित (लगभाग) (` लाख में)	स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजे गई एफआईआर/ सूचना
2013-14	पश्चिम बंगाल	812	1.31	26.64	83
	झारखण्ड	55	34.06	152.78	38
	कुल	867	35.37	179.42	121
2012-13	कुल	1343	5.1167	198.26	160
	अंतर	-476	30.2533	-18.84	-39

इस वर्ष विभिन्न प्रकार की बैठकें जैसे- केंद्रीय/राज्य/जिला/अनुमंडलीय/सीआईएल/कंपनी/कोलियरी स्तर पर बैठक अवैध खनन को रोकने, पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड में कोयले की चोरी रोकने के लिए आयोजित हुई। आसनसोल-दुर्गापुर कमिशनरेट की स्थापना सितम्बर 2011 में होने के बाद ईसीएल प्रबंधन एवं जिला अधिकारी ने कठोर कदम उठाए, ईसीएल अवैध खनन एवं कोयला चोरी में व्यापक कमी हुई। पुलिस के साथ नजदीकी संपर्क के कारण डोजिंग किए गए अवैध खनन स्थलों पुनः नहीं खोला जा सका। कोलियरी/इकाइयों में अन्य सामग्रियों की चोरी में भारी कमी हुई।

ग) अन्य सामग्रियों की चोरी/वसूली

वर्ष	2013-14	2012-13	अंतर (वृद्धि/कमी)
घटनाओं की संख्या	80	175	-95
एफआईआर/सूचना की संख्या	80	170	-90
चोरी की गई संपत्ति (` में)	2799654	7519034	-4719380
वसूली की गई संपत्ति (` में)	--	206450	-206450
गिरफ्तार व्यक्ति	08	03	05

22.0 बाह्य स्रोत खुली खदान पैचों का कार्य-निष्पादन :

22.1 बाह्य स्रोत खुली खदान पैच :

2013-14 में, कंपनी 88.95 लाख टन कोयला उत्पादन किया एवं 532.96 लाख घनमीटर 22 बाह्य स्रोत खुली खदान पैच से क्रमशः 88.50 लाख टन कोयला का उत्पादन एवं 536.86 लाख घनमीटर संस्तर हटाव किया गया। 2012-13 में, 19 बाह्य श्रोत ओसी पैचों से कोयला उत्पादन 83.96 लाख टन एवं अधिभार हटान 460.24 लाख घनमीटर किया गया था।

22.2 भाड़े के एचईएमएम द्वारा दिए गए ओसी पैच :

क्रम	पैच/क्षेत्र का नाम	परिमाण		एजेंसी का नाम /एलओए की संख्या	राशि (रू॰ में)
		कोयला (लाख टन)	अधिभार हटान (लाख टन)		
1	चापापुर-□□/मुगमा क्षेत्र	**8.63**	**23.52**	मेसर्स बीटीसी-बीडीएस-एसपीएस (जेवी), एलओए सं॰- 123, दिनांक-14.08.2013	**27,14,36,330**

2	बहुला/केंदा क्षेत्र	**3.00**	**17.00**	मेसर्स यूसीसी-पीपीपीएल (जेवी), पत्र संदर्भ सं॰ 391, दिनांक-12.06.2013	**25,25,03,780**
3	चित्रा ओसीपी/एस पी माइन्स	**3.50**	**9.98**	मेसर्स एएमपीएल-एसपीएस-बीडीएस(जेवी), एलओए सं॰ – 390, दिनांक – 12.06.2013	**37,52,38,500**
4	कुमारडीह बी/बंकोला क्षेत्र	**4.03**	**13.62**	मेसर्स शर्मा ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एलओए सं॰ – 367, दिनांक – 03.06.2013	**16,17,40,540**
5	माधवपुर एक्स्टेंसन/काजोड़ा क्षेत्र	**0.544**	**1.80**	मेसर्स पीपीपी-एसजीसी(जेवी), पत्र संदर्भ सं॰ 392, दिनांक-12.06.2013	**2,00,44,000**
6	पटमोहना ओसीपी/सोदपुर क्षेत्र	**17.00**	**21.00**	मेसर्स एआरईटीपीएल-सीसी(जेवी), एलओए सं॰ – 664, दिनांक-04.10.2013	**1,69,60,720**
7	माधबपुर फेज-[illegible]/काजोड़ा क्षेत्र	**29.00**	**76.50**	मेसर्स सीएमएटीपीएल-केआरएल(जेवी), एलओए सं॰ – 809, दिनांक-01.01.2014	**65,58,05,000**

22.3 ग्लोबल टेंडर :

क्रम सं॰	**कार्य/क्षेत्र का नाम**	**समझौता/एलओए/एजेंसी का नाम**	**पूर्णावधि**
1.	झांझरा सीएम-[illegible] का विस्तार	बोर्ड स्वीकृत	04 साल

22.4 परिवहन अनुभाग : कार्य दिया गया

क्रम सं॰	**कार्य/क्षेत्र का नाम**	**समझौता/एलओए/एजेंसी का नाम**	**पूर्णावधि**
1.	बनजेमारी रेलवे साइडिंग में कोयले की क्रशिंग	एलओए सं॰ – 800, दिनांक – 03.03.2014, रू॰ 1674.75 लाख, मेसर्स बीपीपीएल-यूसीसी (जेवी)	05 साल

22.5 परिवहन कार्य : रियायती बोली :

परिवहन कार्य का आकलित मूल्य 1.5 करोड़ (कोयला) तथा 2.00 करोड़ (बालू) से अधिक मुख्यालय द्वारा निविदाकरण के मायम से ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निश्चित कर लिया गया है।

23.0 कंपनी अभिशासन :

कंपनी अभिशासन वह प्रक्रिया है जिसके तहत शेयरधारकों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के मुलाकात से मिला जाता है। यह एक प्रतिबद्धता है जिसके तहत शेयरधारकों की मौलिक विश्वास को बढ़ाया जाता है, कार्य में पारदर्शिता, संगठन के सभी घटकों के बीच अपनी विश्वास मूल्यों को बढ़ाया जाता है। यह एक नियामक द्वारा लादा गया अनुशासन नहीं है। बल्कि यह एक संस्कृति है जिसके द्वारा शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा, बोर्ड, प्रबंधन एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है। जिसमें एक रचनात्मक, सकारात्मक सोच, गतिविधियाँ शामिल है जो विभिन्न अंशधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देता है।

ईसीएल सभी क्षेत्रों के संचालन, सभी अंशधारकों की बैठक, शेयरधारकों के मूल्यों बढ़ावा देने, सभी अंशधारकों को समय पर सभी सामग्रियों की सूचना समय पर देने में पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही पूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोखिम कम करने एवं भूमि के कानून के अनुपालन, रणनीति कार्यान्वयन में कंपनी को मार्गदर्शक प्रदान करने के लिए कंपनी के पास एक ठोस पद्धति है।

हमारी कंपनी में कंपनी अभिशासन की धारणा यह है कि दक्षता एवं विकास के सुधार में कंपनी अभिशासन की अहम भूमिका है। इसके साथ ही निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक है। यह धारणा निम्नलिखित है :

"एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी बेहतर कॉर्पोरेट पद्धति, अंतःकरण पर आधारित, सादगी, निष्पक्ष, व्यवसायिकता तथा विभिन्न अंशधारकों में विश्वास उत्पन्न करने की जवाबदेही एवं दीर्घावधि सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

आपकी कंपनी के कंपनी अधिशासन पर एक प्रतिवेदन अनुलग्नक-VI में रखा गया है तथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कंपनी अभिशासन के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्रमाणीकरण भी अनुलग्नक-VII में दिया गया है।

24.0 अभिस्वीकृति :

आपके निदेशकगण भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखण्ड सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड को पूरे वर्ष मूल्यवान निर्देशन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। वे कंपनी के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने पूरे मन से कंपनी के हित में कार्य किया। वे सभी मजदूर संगठनों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिन-प्रतिदिन प्रबंधन को अपना सहयोग प्रदान किया है। वे पूरी तरह आश्वस्त है कि कंपनी के सभी स्तर के कर्मीगण आगामी वर्षों में कंपनी के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते रहेंगे ताकि कंपनी अपनी बीमार अवस्था से खुद को स्वास्थ्य लाभ कर सके एवं बीआईएफआर से मुक्ति पाकर लाभ कमा सके।

आपके निदेशकगण वैधानिक लेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षक तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षकों , बीआईएफआर, बीआईपीएसई, एसबीआई, कंपनी रजिस्ट्रार पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग और निर्देश के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण उन उपभोक्ताओं को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने कंपनी को संरक्षण प्रदान किया।

इस प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

i) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 204(1) के अनुसार कंपनी सचिव द्वारा दिये गए फॉर्म सं॰ – एमआर-3 में सचिवालयीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुलग्नक-**VIII**)।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 92(3) के अनुसार 31.03.2014 को समाप्त वित्त-वर्ष के अनुसार फॉर्म सं॰ – एमजीटी-9 में वार्षिक प्रतिवेदन का निष्कर्ष (अनुलग्नक-□□)।

iv) विदेशी मुद्रा में आय एवं खर्च (अनुलग्नक – □)

v) कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण (अनुलग्नक – □□)

vi) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (3) एवं 227 (2) के तहत निदेशक के प्रतिवेदन का अनुशेष जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवदेन एवं प्रबंधन का उत्तर शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा के लिए

(राकेश सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सांकतोड़िया,
दिनांक – 07 जून, 2014

3.4.1 31.03.2014 तक चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजना का विवरण :

क्रम	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (रू. लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित / अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (रू. लाख में)	विवरण
1	भूमिगत खदानों के लिए बेतार नेटवर्क का व्यवहार करते हुए रूफ फॉल संबंधी भविष्यवाणी पद्धति का विकास परियोजना परियोजना कोड: CIL/R&D/1/27/08 कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईटी, खड़गपुर, एवं ईसीएल	216.98	मई, 2008	फरवरी, 2011	215.00	25.06.2013 को कोल इंडिया लिमिटेड में आयोजिति 20वीं शीर्षस्थ समिति बैठक में परियोजना समाप्ति रिपोर्ट पर चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने आईआईटी, खड़गपुर को एक ताजा प्रस्ताव (फेज-□□) बनाने एवं प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। आईआईटी, खड़गपुर से फेज-□□ प्रस्ताव आना बाकी है।
2	भूमिगत फंस खान स्थान प्रणाली परियोजना कोड- CIL/R&D/1/35/10 कार्यान्वयन एजेंसी: टीसीएस, सीएमसी एवं सीएमपीडीआईएल (एमई), राँची	489.70	15 जनवरी, 2010	मार्च, 2014 जून, 2013 दिसम्बर. 2012 जून, 2012 दिसम्बर, 2011 जून, 2011	447.98	सभी अनिवार्य जाँच गतिविधियाँ पूरी हो गयी हैं। ईआरटीएल, कोलकाता में पोर्टेबल माइन कम्यूनीकेटर डिवाइस की आईएस जाँच पूरी हो गयी है एवं प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। झांझरा भूमिगत खान में टू-वे वॉइस संप्रेषण के लिए कुट्टा ड्रम 100पी पोर्टेबल एमएफ़ रेडियो की जमीनी जाँच की गयी।
3.	विस्फोट प्रेरित गतिशील भरण के अंतर्गत डेवेलपमेंट एवं डिपिल्लरिंग पैनलों में बोल्ट व्यवहार की जाँच परियोजना कोड: CIL/R&D/1/42/10 कार्यान्वयन एजेंसी: सीएमपीडीआईएल, राँची आईआईटी, खड़गपुर एवं आरडीसीआईएस (सेल), राँची	491.08	15 दिसंबर, 2010	14 दिसंबर, 2013	273.83	परियोजना पूर्ण हो गयी एवं पूर्णता परतिवेदन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है।

क्रम	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (रू. लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित / अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (रू. लाख में)	विवरण
4.	कुशल उर्जा प्रबंधन हेतु प्रायोगिक अध्ययन तथा कार्य योजना पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना कोड: CIL/R&D/1/55/13 कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईएसडब्ल्यूबीएम, कोलकाता एवं डीएफआईसी मनेजमेंट कंसल्टेंट प्रा. लि., कोलकाता	66.19	मार्च, 2013	मई, 2014	53.70	परियोजना समूह ने कुछ खानों से आँकड़े संग्रह किया है। आँकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। आँकड़ों का विश्लेषण, कंप्यूटरीकृत मोनीटरिंग का विकास एवं ऊर्जा दक्षता मूल प्रदर्शन सूचक की यंत्रीकृत रिपोर्टिंग अंतिम चरण में है। यह पद्धति ऊर्जा संरक्षण (डीजल तथा बिजली दोनों) तथा प्रयोगरत प्रत्येक प्रक्रिया/उपस्कर के साथ संबंधित मूल प्रदर्शन सूचक के संबंध में समस्त आवश्यक विवरण देने में सहायक होगी।
5.	भूमिगत खनन मशीनों के ट्रेलिंग केबलों के लिए रबर कम्पाउन्ड एवं मरम्मत तकनीक का विकास परियोजना कोड: CIL/R&D/1/54/2013 कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईटी, खड़गपुर	187.84	मार्च, 2013	फरवरी, 2015	134.00	उपस्करों की उपलब्धता का कार्य प्रगति पर है। आईआईटी, खड़गपुर द्वारा विकसित रबर कम्पाउन्ड के साथ 25 वर्ग मिलीमीटर परिधि एवं 70 मीटर लंबाई वाले एक ट्रेलिंग केबल की आंशिक मरम्मत की गयी। आईआईटी, खड़गपुर में मरम्मत के लिए ईसीएल की विभिन्न कोलियारियों से ऐसे ड्रिल मशीनों का संग्रह किया गया जिंका पुरजोर इस्तेमाल हो चुका है एवं जो खराब हो चुकी हैं।

3.4.2 31 मार्च, 2014 तक चालू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विवरण :

क्रम	परियोजना का नाम (कोड के साथ)	वित्तीय परिव्यय (रू. लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित / अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (रू. लाख में)	विवरण
1	पुनःवर्धन कोयला खदान बंजर-भूमि में कार्बन अधिग्रहण- (ईई/ 40) कार्यान्वयन एजेंसी: सीआईएमएफआर	64.76	फरवरी, 2009	जनवरी, 2012	30.00	परियोजना पूर्ण हुई।
2	भूमिगत कोयला खदानों के लिए टेलि-रोबॉटिक एवं दूरस्थ संचालन तकनीक का विकास-एमटी(ईओआई)/162 कार्यान्वयन एजेंसी: सीएमईआरआई, दुर्गापुर; सीआईएमएफआर, धनबाद एवं सीएमपीडीआईएल, राँची	440.12 सीएमईआरआई हेतु - 251.57 सीआईएमएफआर हेतु - 125.55 सीएमपीडीआईएल हेतु - 63.00	सितम्बर, 2012	अगस्त, 2015	170 सीएमईआरआई -95.0 सीआईएमएफ आर - 75.0	सीआईएमएफ़आर, धनबाद भू-तकनीकी संवेदक के विकास से संबंधित कार्य प्रगति पर है। सीएमईआरआई, दुर्गापुर में रोबोट का 3डी प्रारूप विकसित किया गया एवं अनिवार्य संवेदकों का भी विकास किया जा रहा है।
3	विस्फोट प्रारूपण एवं विखंडन नियंत्रण – उत्पादकता की चाभी – मि॰ट॰/164 कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी : सीआईएमएफ़आर, धनबाद	303.86	जनवरी, 2013	दिसंबर, 2015	200.00	निगाही परियोजना, एनसीएल तथा सोनपुर बजारी परियोजना, ईसीएल में जमीनी जाँच की गयी। चट्टान विखंडन पर प्रत्येक विस्फोट के लिए विस्फोट प्रारूपण आयामों का प्रभाव तथा प्रत्येक विस्फोट के लिए वितरण प्रणाली का अध्ययन किया गया। डबल्यूआईपीएफ़आरएजी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विखंडित आकार का विश्लेषण किया गया। उपस्कर की उपलब्धता प्रक्रियाधीन है।

अनुलग्नक – III

3.14. परियोजना मोनीटरिंग एवं ऑनगोइंग परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	पूँजी (रू. करोड़ में)	स्वीकृति की तारीख	कार्यान्वयन की स्थिति
1	खोट्टाडीह ओसी एयूजी	1.50	19.26	नवम्बर 11	सरकारी भूमि (56.34 हेक्टर) का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। 2013-14 में 1.7 मिलियन टन उत्पादन किया गया।
2	सारपी एयूजी भूमिगत	0,30+0.46=0.76	147.86 (120.35 अतिरिक्त)	जून 08	2013-14 में 0.69 मिलियन टन उत्पादन किया गया।भूमि अधिग्रहण का र्या प्रक्रियाधीन है। बीएचपी के निर्माण का क्रार्य भी प्रक्रियाधीन है।
3	बंकोला आर-6 सीम (भूमिगत)	0.24	19.14	मार्च 03	निचली सीमों में प्रवेश के लिए वर्तमान स्तंभों को चौड़ा एवं गहरा करने से संबंधित परियोजना। इससे एलएचडी के परिनियोजन की संभावना है। तकनीक के अद्यतन के साथ-साथ यूबीई के लिए सीएमपीडीआईएल, क्षेत्रीय संस्थान-ष को कहा गया है।
4	कुमारडीह बी भूमिगत	0.42	79.23	जून 06	ईसीएल, बोर्ड ने पीआर की वापसी के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। 0.51 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले सीएम की प्रस्तुति हेतु अद्यतन पीआर को कोस्ट प्लस आधार पर उपस्कर भाड़े पर लेने के विकल्प (मूल्य- 100.74 करोड़) के साथ स्वीकृति मिली। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अंतिम स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा है।
5	खांदरा एनकेजी भूमिगत	0.285	18.85	जुलाई 03	स्तंभों के विस्तार एवं गहराई का कार्य पूरा हो गया। कार्य की रुपांतरित पद्धति का अध्ययन किया जा रहा है।
6	परासिया डोवराना भूमिगत	0.16 (इंक.)	11.89	फरवरी 04	निचली सीमों में प्रवेश के लिए परियोजना प्रतिवेदन में वर्तमान स्तंभों के विस्तार एवं गहराई का कार्य शामिल है। सीएमपीडीआईएल,क्षेत्र-I, से पीआर के संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है।
7	सिदुली भूमिगत	0.30	54.99	दिसम्बर 06	निचली सीमों में प्रवेश के लिए परियोजना रिपोर्ट में स्तंभों का डूबना शामिल है। 0.51 मिलियन टन प्रति वर्ष के लिए रू. 447.84 करोड़ की अनुमानित पूँजी के साथ सीएमपीडीआईएल द्वारा रीकास्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।
8	नव काजोरा माधबपुर ब्लॉक	0.30	56.14	दिसम्बर 06	ऊपरी सीम आर-[illegible] (टी) के परिनिर्धारण के लिए वैचारिक प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। तकनीक के विकास के साथ पीआर के संशोधन एवं पुनर्गणना के लिए सीएमपीडीआईएल, क्षेत्रीय संस्थान-[illegible] से अनुरोध किया गया।
9	झांझरा पीएसएलडब्ल्यू (आर-6)	1.70	287.17	नवम्बर 06	पीएसएलडब्ल्यू की आपूर्ति के लिए मेसर्स सीओडीसीओ, चीन के साथ 08.01.2013 को करार हुआ। मेसर्स सीओडीसीओ द्वारा निर्मित बिजली समर्थित प्रोटोटाइप की जाँच ईसीएल के अधिकारियों के साथ डीजीएमएस द्वारा की गयी।

10	बेलबाद भूमिगत	0.36 incr.	69.11	फरवरी 09	निचली सीमों में प्रवेश के लिए परियोजना प्रतिवेदन में वर्तमान स्तंभों (2) के विस्तार एवं गहराई का कार्य शामिल है। इससे एसडीएल एवं एलएचडी के परिनियोजन की संभावना है। तकनीक के विकास के साथ पीआर के संशोधन एवं पुनर्गणना के लिए सीएमपीडीआईएल, क्षेत्रीय संस्थान-[illegible] से अनुरोध किया गया।
11	राजमहल विस्तार	17.00	153.82	सितम्बर 09	भूमि का अधिग्रहण/स्वामित्व तथा आर व आर गतिविधियां चल रही हैं। 2013-14 के दौरान 14.32 मिलियन टन उत्पादन किया गया।
12	मोहनपुर विस्तार खुली खान	1.00	14.23	जून 08	भूमि अधिग्रहण एवं ग्रामीणों के पुनर्वास का कार्य प्रक्रियाधीन है।
13	नारायणकुडी भूमिगत	0.54	149.06	फरवरी 09	12.02.2014 को अंतिम ईएमपी एमओईएफ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इंकलाइन के जोड़े के ड्रिवेज सहित परियोजना प्राधिकारी को परियोजना रिपोर्ट के रीकास्ट के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया।
14	झांझरा में द्वितीय सेट कंटीन्यूअस माइनर	0.51	147.25	मई 11	मार्च, 2014 में परियोजना साइट पट सीएम पैकेज प्राप्त हुआ। उपस्कर का संग्रह तथा जाँच–कार्य प्रगति पर है।
15	सोनपुर बजारी कम्बाइन्ड खुली खान	8.00	1055.05	अगस्त 12	जनवरी, 2014 में तुमनीनाला का विपथन। गाँवों के पुनर्वास का कार्य प्रगति पर है। मेसर्स आरआईटीईएस द्वारा नये रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु टेंडर जारी किया गया। 2013-14 के दौरान 6.40 मिलियन टन उत्पादन हुआ। एनएच-60 के विपथन के लिए एनएचएआई को पूँजी सहित भूमि की हैंडलिंग हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
16	खोट्टाडीह सी एम	0.6 (इंक्री.)	127.17	मई 11	ग्लोबल टेंडर कागजात की तैयारी चल रही है।
17	चित्रा पूर्व खुली खान	2य50	112.69	अगस्त 07	323 हेक्टर भूमि (जे बी भूमि) के अधिग्रहण के लिए आवेदन किया गया। राज्य प्राधिकरण डीड ऑफ कोन्वेएंस को कार्यान्वित करने पर ज़ोर दे रहा है जिसके विरुद्ध दिसंबर, 2013 में उच्च न्यायालय, झारखंड में एक लिखित याचिका दायर की गयी। 124.28 हेक्टर जंगली भूमि हेतु द्वितीय चरण की सफाई का कार्य झारखंड राज्य सरकार के समक्ष लंबित है।

प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 2013-14

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन :

विद्युत उत्पादन क्षमता के आधार पर अनुमानित जीडीपी के साथ भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन, संघ राज्य तथा चीन के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था विश्व में तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। भारतवर्ष में कोयला एक प्रमुख ईंधन है तथा भारतवर्ष में ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 52% इससे मिलता है और भविष्य में भी ऊर्जा की आपूर्ति का यह महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा।

वैश्विक कोयला उद्योग व संसाधन :

अगले 109 वर्षों के वैश्विक कोयला उत्पादन को पूरा करने के लिए 2012 में वैश्विक कोयला रिज़र्व पर्याप्त था (स्रोत : बी पी आँकड़े 2013). यद्यपि कोल डिपोजिट्स विश्व में सभी ओर फैला हुआ है, विश्व का रीकवरेवल रिज़र्व मुख्यतः पाँच क्षेत्रों – संयुक्त राज्य (28.50%), रूस (18.2%), चीन (13.3%), ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड (9%), भारत (7%) तथा जर्मनी (4.7%) में स्थित है (स्रोत : ऊर्जा संसाधन 2010, विश्व ऊर्जा परिषद).

वैश्विक कोयला उत्पादन व खपत :

संघ राज्य, भारत और आस्ट्रेलिया के पश्चात चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। कोयले की खपत के लिए एशिया सबसे बड़ा बाजार है और वर्तमान में विश्व में कोयले की खपत का 69.9% कोयले का उत्पादन करता है जिसका अधिकतर खपत चीन और भारत के द्वारा किया जाता है।

भारतीय कोयला व्यवसाय और रिज़र्व :

अप्रैल, 2013 के भारतीय जैविक स्त्रोत के अनुसार कोयले का उत्पादन 298.94 विलियन टन था। (स्त्रोत :- जीएसआई,भारत सरकार) । भारतवर्ष में कोयले की आसानी से उपलब्धता और कम कीमत के कारण विद्युत का उत्पादन करने वाले संयंत्रों में प्राथमिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत है और इससे भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 52% ऊर्जा उत्पन्न होती है (स्त्रोत बीपी आंकड़े) ।

भारतवर्ष में कोयला उत्पादन व खपत :

जून, 2013 के विश्व ऊर्जा समीक्षा के बीपी आंकड़े के अनुसार कोयला उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारतवर्ष तीसरा सबसे बड़ा देश है। 2012 में भारतवर्ष में कोयले का उत्पादन 605.8 मिलियन टन था (स्त्रोत: विश्व ऊर्जा समीक्षा जून, 2013 के बीपी आंकड़े)। इसके अतिरिक्त, कोयले की खपत के क्षेत्र में विश्व में भारतवर्ष तीसरा सबसे बड़ा देश है। उत्पादित कोयले का एकमुश्त हिस्से का उपयोग देश में विद्युत का उत्पादन करने के लिए विद्युत उपक्रम के द्वारा किया जाता है। इसके साथ-साथ, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, ईंट निर्माण, कपड़ा एवं रसायन जैसे अन्य उद्योगों में भी कोयले का उपयोग किया जाता है।

परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सामान्य परिचय :

कोल इंडिया के एक सहायक के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की शुरूआत 01 नवंबर,1975 को हुई थी जिसके अन्तर्गत कोयला खनन प्राधिकरण लिमिटेड के पूर्वी संविभाग के साथ 414 खदानों को शामिल किया गया था तथा उसी दिन से कंपनी ने अपना व्यावसायिक परिचालन की शुरूआत कर दिया। इसका परिचालन पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्य में होता है। ईसीएल भारत में सर्वोत्तम गुणात्मकता वाला कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है। वर्तमान में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कुल 105 खदान परिचालन में हैं जिनमें से 84 भूमिगत खदान, 20 खुली खदान तथा 01 मिश्रित खदान है।

मजबूती और कमजोरी :

प्रतिस्पर्धात्मक बल :

क. रानीगंज कोयलांचल में 01/04/2013 तक 20% से कम ऐश कंटेन्ट सहित प्रीमियम श्रेणी के 1200 मीटर की गहराई तक 26.59 बिलीयन टन के रिज़र्व है। एमओईएफ़ अनुबंध की संतुष्टि के लिए इस कोयले का मिश्रण अन्य अनुषंगी कंपनियों से मिले उच्च राख़ वाले कोयले के साथ किया जा सकता है।

ख. झारखंड राज्य में 01/04/2012 (जीएसआई के अनुसार) तक 600 मीटर नीचे से लगभग 18.56 विलियन टन निम्न श्रेणी के कोयले का उत्पादन आरक्षित था जिसमें कि खुले खदान बनाकर आसानी से कोयला निकालने का स्कोप है।

ग. कोयले की मांग आपूर्ति से अधिक है।

घ. कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं।

कमजोरी :

क. रानीगंज में कोयले की खदान की शुरूआत लगभग 150 वर्ष पहले हुई थी। अभी भी कंपनी छोटे खदानों के पुराने लिगेसी , पुराने पवन चक्की, जो कि अपनी क्षमता से 50% तक ही काम करती है, के साथ चल रही है।

ख. जैविक खदान की परिस्थिति काफी कठिन है।

ग. जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण भूमि की कमी है।

घ. कोयला क्षेत्र के आसपास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है जो कि खुले खदान को प्रभावित करती हैं।

ङ. बड़ी पम्पिंग व रेत का क्षेत्र।

च. निचली सीमों में व्यापक उत्पादन तकनीक को प्रस्तुत करने में ऊपरी वाटर-लॉग्ड सीम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

अवसर और चुनौतियां :

अवसर :

क. अंतराष्ट्रीय स्तर पर गैर-कोकिंग कोयले की कीमत बढ़ना ।

ख. ई-मार्केटिंग के माध्यम से कोयले का मूल्य बढ़ना ।

ग. अवैध खनन को रोकने के लिए छोटे ओसी पैचों में कार्यरत संसाधन।

घ. केन्द्रीय व्यापार संगठन से उत्पादन व उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सहयोग प्राप्त होना।

ङ. समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से मिलने वाले सहयोग में वृद्धि।

चुनौतियां :

क. गांववालों से जमीन अधीग्रहण का विरोध ।
ख. अव्यवहार्य भूमिगत खदानों को बंद करने का विरोध।
ग. व्यापक उत्पादन तकनीक तथा ओसी के विस्तार के लिए भूमि की पहचान ।
घ. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 25% उपकर प्रभार लगाने के कारण ईसीएल के कोयले की बेहतर ई-मार्केटिंग में मुश्किल।

व्यवसाय रणनीति :-

क. उत्पादन को निरंतर बढ़ाते रहना , उत्पादन क्षमता और भारतवर्ष में कोयले की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करना।
ख. उच्च श्रेणी को कोयले और ई-एक्यूशन कोयले की विक्रय को सुधारने का प्रयास करना।
ग. परिचालन क्षमता को सुधार कर और नियंत्रित करके लाभ को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित करना।
घ. विस्तृत अन्वेषण के बाद आरक्षित क्षेत्र को बढ़ाने को जारी रखना।
ङ. पर्यावरणपरक और समाजपरक परिचालन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।

उत्पादन :

विवरण	2013-14	2012-13
ओसीपी-कोयला(एमटी)	29.175	27.052
भूमिगत कोयला(एमटी)	6.871	6.849
कुल	36.046	33.901
वृद्धि %	6.33	10.94
ओबीआर-(एमसीयूएम)	85.76	76.448
वृद्धि %	12.18	26.77

विभागवार या उत्पादनवार कार्यनिष्पादन :

विवरण	2013-14	%	2012-13	%	वृद्धि (%)
एफएसए के अन्तर्गत बाहर से वितरण	30.368	83.76	27.300	76.16	11.22
ई-एक्यूसन	3.904	10.77	4.209	11.74	-7.24
एमओयू के अन्तर्गत भेजना	1.626	4.48	4.010	11.09	-59.45
अन्य	0.080	0.22	0.024	0.07	233.33
स्वयं खपत	0.277	0.77	0.301	0.84	-8.31
कुल ऑफ़ टेक	36.255	100.00	35.844	100.00	1.13

हमारे ग्राहक :

ईसीएल में उत्पादित अधिकांश कोयले को जल विद्युत संयत्रों को आपूर्ति की जाती है।इसके साथ विभिन्न उद्योगो जैसे कि स्टील, सिमेंट , स्पोंज आयरन , सुरक्षा व अन्य विभिन्न उद्योगों में भी कोयले की आपूर्ति की जाती है।

परिवहन, आधारभूत संरचना और लॉगिस्टिक :

खदान से निकाले गए कोयले को वितरण स्थान तक टिपिंग ट्रक और मालवाहक वेल्ट के माध्यम से पहुँचाया जाता है। ग्राहकगण तक कोयले का वितरण रेलमार्ग, सड़कमार्ग तथा रेल एमजीआर पद्धति के माध्यम से पहुँचाया जाता है।

समस्त वितरण ईसीएल के पास उपलब्ध अपने मालवाहक या रेलवे के मालवाहक के द्वारा किया जा सकता है। ग्राहक रेलमार्ग या सड़कमार्ग में से किसी एक परिवहन के मार्ग का चयन कर सकते हैं। खदान से वितरण स्थान यदि तीन किलोमीटर की दूरी पर हो तो खदान से निर्दिष्ट वितरण स्थान तक कोयले के परिवहन में आने वाले खर्च का वहन ईसीएल के द्वारा किया जाएगा। यदि वितरण स्थान हमारे खदान से तीन किलोमीटर से अधिक तथा 20 किलोमीटर तक की दूरी पर हो तो कोयले के परिवहन में आने वाले खर्च का वहन, समय-समय सीआईएल द्वारा निर्धारित दर के आधार पर, ग्राहक को ही करना पड़ेगा।

हमारे खदानों से कच्चे कोयले का वितरण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों की सारणी निम्नानुसार है :

प्रेषण का माध्यम	2013-14	2012-13
रेलमार्ग	24.598	24.158
सड़कमार्ग	1.936	2.117
मैरी-गो-राउंड (एमजीआर)	9.444	9.267
कुल	35.978	35.542

कोयले का मूल्य :

वर्तमान समय में कूकिंग के लिए प्रयोग न किए जाने वाले कोयले का मूल्य उसके सकल कैलोफिक मूल्य पर निर्भर करता है और कूकिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोयला और वैशरी श्रेणी के कोयले का मूल्य निर्धारण अस स्तर पर किया जाता है। सह-कूकिंग कोल का मूल्य निर्धारण अस और नमी के स्तर पर निर्भर करता है। कोयले के मूल्य का संशोधन आवक लागत, इनफिलेशन और आयात कोयले को रखवाने के खर्च के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्राहक के लिए तय किए गए मूल्य में मूल और अन्य खर्चों (उपकर, रॉयल्टीज, सीमा शुल्क, विक्रय कर और अन्य) को शामिल करके किया जाता है। ईसीएल और उससे जुड़े ग्राहकों के बीच हुए दीर्घावधि ईंधन वितरण समझौते(एफएसएएस) के अन्तर्गत लगभग 90% कोयले का वितरण विक्रय किया जाता है। इसके अतिरिक्त ई – नीलामी योजना के अन्तर्गत भी कोयले का विक्रय किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड के सुझाव पर 1 जनवरी, 2012 से हम जीसीबी आधारित कोयला मूल्यांकन यांत्रिकी का उपयोग कर रहे हैं।

वितरण व बाजार नीति :

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ग्राहकों, दीर्घावधि व अल्पावधि दोनों, से प्राप्त कोयले की माँग को पूरा करने के लिए 18 अक्तूवर 2007 में एनसीडीपी जारी की गई है।

ई-नीलामी योजना :

एनसीडीपी के अन्तर्गत संस्थागत तंत्र में उपलब्ध कोयले के माध्यम से जो ग्राहक अपने कोयले की आवश्यकता को पूरा नही कर पाता है , ऐसे ग्राहकों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोयला के ई-एक्यूसन योजना की शुरूआत की गई है। एमओसी के द्वारा समय-समय पर ई-एक्यूसन के अन्तर्गत ऑफर किए गए कोयले के परिमाण की समीक्षा की जा सकती सकती है। वर्तमान समय में ई-एक्यूसन योजना के अन्तर्गत लगभग 10% कच्चे कोयले का उत्पादन किया जा सकता है। ग्राहकों तथा साथ ही साथ कोयले के विशेष बाजार मूल्य के निर्धारण और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है।

ईंधन आपूति समझौता :

एनसीडीपी के शर्त के आधार पर, कोयला कंपनी विधिक एफएसए में प्रवेश किया है जो कि ग्राहकों या राज्य सरकार के द्वारा नामित एजेंसियों से जुड़कर ग्राहकों को उचित वितरण व्यवस्था करती है। हमारी एफएसए को वृहद रूप से निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है :-

1. विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्रों जिसमें कि राज्य विद्युत उपयोग, निजी विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (पीपीएस) और स्वतंत्र विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (आईपीपीएस) के साथ एफएसए।
2. गैर विधिक उद्योगों में (कैप्टिव विद्युत संयत्र को शामिल करके) ग्राहक के साथ एफएसए।
3. राज्य के नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

अनुसंधान व विकास :

अनुसंधान व विकास के लिए ईसीएल को सीएमपीडीआईएल के साथ जुड़ने की आवश्यकता हुई। , जो कि सीआईएल का एक प्रमुख सहयोगी है। अनुसंधान कार्य को करने के लिए सीएमपीडीआईएल एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, फंड वितरित करती है तथा साथ ही साथ हमारे अनुसंधान और विकास कार्यों की निगरानी भी करती है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के समझौते का ज्ञापन :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भौतिक व वित्तीय कार्यनिष्पादन करने के लिए ईसीएल विभिन्न आयामों को सेट करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के साथ एमओयू करती है। कार्यनिष्पादन को श्रेणी 1 से 5 तक के ग्रेड में बाँटा जा है, जिसके अन्तर्गत सर्वोत्तम के लिए ग्रेड 1 तथा निम्नतम के लिए ग्रेड 5 दिया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिए ईसीएल को “सर्वोत्तम” ग्रेडिंग प्राप्त हुई है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता :

व्यवसाय के सक्षम विकास तथा साथ ही साथ विभिन्न नियमों और विनियामकों के दैनंदिन अनुपालन में ईसीएल के आंतरिक नियंत्रण की पद्धति बहुत अच्छी है। सुचारु रूप से इसके संचालन के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की नियम पुस्तिकाएँ (पर्चेज़, फ़ाइनेंस, सिविल कौंट्रैक्ट मैनेजमेंट) प्रस्तुत की गई हैं जिनमें उन सभी दिशानिर्देशों एवं विस्तृत प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख है जिनकी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही, पद्धति में किसी प्रकार की चूक को दूर करने के लिए इन दिशानिर्देशों/पुस्तिकाओं में विभिन्न स्तरों पर आवश्यक जाँच तथा तुलन का भी उल्लेख है।

कोलियरी/यूनिट स्तर पर डेलीगेशन ऑफ पावर बिलकुल व्यापक/विषद है जो सुनिश्चित करता है कि वस्तुस्थिति एवं महत्व पर निर्भर डेलीगेशन ऑफ पावर के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर ठीक ढंग से निर्णय लिए जा सकें। इस प्रकार, यहाँ निर्णय लेने की एक सहज प्रक्रिया है जो सभी मामलों में समय से निर्णय लेना सुनिश्चित करता है। कंपनी में एक विस्तृत मासिक रिपोर्टिंग पद्धति है जो सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन को प्रकाश में लाने एवं यदि कहीं व्यतिक्रम हो तो यथाशीघ्र ध्यान देने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का कार्य करती है।

यह सुनिश्चित करने के दौरान कि सभी जाँच एवं तुलन यथास्थान हैं तथा सभी आंतरिक नियंत्रण पद्धतियाँ काम कर रही हैं। होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तय किये गये कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कंपनी के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के समन्वय से चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट्स के अनुभवी फ़र्मों द्वारा साल भर निरंतर आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी।

आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों के अनुपालन पर कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति विशेष ध्यान रखती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों के महत्वपूर्ण पर्यवेक्षणों की समीक्षा के लिए त्रैमासिक आधार पर कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जो अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करती है।

खास मुद्दों पर, प्रबंधन के निर्देशन में, कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विशेष लेखापरीक्षा/जाँच की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की विशेष लेखापरीक्षा/जाँच के संचालन के दौरान, कंपनी में कार्यरत आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की गहन जाँच की जाती है और यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्टिंग की जाती है।

इस प्रकार, यह महसूस किया गया कि कंपनी के आकार एवं इसके कार्य-निष्पादन की प्रकृति के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति समुचित है।

कॉस्ट ऑडिट :

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुभाग 233बी तथा कंपनी नियमावली, 2011 (कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट) के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए कॉस्ट ऑडिट अनिवार्य किया गया। वित्त-वर्ष 2012-13 हेतु, 27 सितंबर, 2013 को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म-I-XBRL में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

परिचालन कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा :

परिचालन के परिणाम :

(रूपए – करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13	वृद्धि (%)
कुल विक्रय	11959.75	12162.59	-1.67
उगाही में कमी	3071.96	2970.68	3.41
शुद्ध विक्रय	887.79	9191.91	-3.31
अन्य आय	712.91	548.56	29.96
कुल आय	9600.70	9740.47	-1.43

कोयले के विक्रय से आय :

कोयले के विक्रय से होने वाली आय मुख्यत: कोयले के मूल्य, उत्पादन तथा वितरण पर निर्भर करता है। विक्रय के अंतर्गत (i) रॉयल्टी, कोयले पर उपकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नौभरण उत्पाद शुल्क समेत विविध वैधानिक लेविश तथा (ii) विक्रय कर शामिल है।

व्यय :

मुख्य शीर्षों का विवरण :

(रूपए – करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13	वृद्धि	
			विशुद्ध	प्रतिशत
स्टॉक में (अभिवृद्धि)/कमी	5.64	168.92	-163.28	-96.66
भंडार एवं पुर्जे	735.36	649.95	85.41	13.14
वेतन एवं पारिश्रमिक	5495.74	5329.99	165.75	3.11
बिजली एवं ईंधन	463.77	433.97	29.82	6.87
सामाजिक ओवरहेड	92.98	117.12	-24.14	-20.61
संविदा व्यय/मरम्मत	742.15	672.36	69.79	10.38
अन्य व्यय	265.34	261.29	4.05	1.55
ब्याज एवं वित्तीय चार्ज	0.98	8.48	-7.50	-88.44
ओबीआर समायोजन	210.00	-324.59	534.59	164.70
अवमूल्यन/हानि	213.50	203.20	10.30	5.07
प्रावधान	-131.57	260.92	-392.49	-150.43
कर के पहले लाभ	1299.28	1897.18	-597.90	-31.52
कर के बाद लाभ	872.23	1655.54	-783.31	-47.31

नकद-प्रवाह :

(रूपए – करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
ओपनिंग कैश एवं कैश समानांतरण	439.15	603.15
क्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त शुद्ध कैश	2168.30	710.79
निवेशात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त शुद्ध कैश	-1364.21	-876.30
वित्तीय क्रियाकलापों में इस्तेमाल शुद्ध कैश	-55.17	1.51
कैश एवं कैश समानांतरण में अंतर	748.92	-164.00
समापन कैश एवं कैश समानांतरण	1188.07	439.15

1.476% के लक्ष्य की जगह उत्पादन की लागत में वास्तविक बदलाव (2012-13 की सीपीटी के प्रतिशत के अनुसार) (-)12.33% है। फरवरी, 2014 के लक्ष्य की जगह दिसंबर, 2013 तक विभिन्न अग्रिमों के बकाया शेष, जमा राशि तथा दायित्व की पुष्टि की गयी।

मानव संसाधन विकास :

जनशक्ति :

श्रेणी	जनशक्ति		वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
	31.03.2014	31.03.2013	
अधिशासी	2518	2587	-69
पर्यवेक्षक	5633	5870	-237
मंत्रालयी/लिपिकीय	3466	3954	-488
उच्चतम दक्ष/दक्ष	23636	23944	-308
अर्ध-दक्ष/दक्षताविहीन	35453	37092	-1639
प्रशिक्षु	1120	829	291
कुल	71286	74276	-2450

जनशक्ति में अंतर के कारण :

विवरण	अधिशासी	गैर-अधिशासी	कुल
वृद्धि			
नव-नियुक्ति	97	173	270
चिकित्सा की दृष्टि से अनफ़िट मामलों में नियुक्ति	0	10	10
मृत्यु मामलों में नियुक्ति	0	776	776
पुन:-पदभार-ग्रहण	0	119	119
दूसरी कंपनियों से स्थानांतरण	143	9	152
भूमि के बदले नियुक्ति	0	523	523
गैर-अधिशासी ग्रेड से अधिशासी ग्रेड में पदोन्नति	7	0	7
अधिशासी ग्रेड से गैर-अधिशासी ग्रेड में वापसी	0	73	73
कुल वृद्धि (क)	**247**	**1683**	**1930**
ह्रास			
सेवानिवृत्ति	151	3254	3405
मेडिकल अनफ़िट	0	25	25

मृत्यु	7	686	693
त्यागपत्र	13	7	20
निलंबन	0	21	21
अन्य कंपनियों में स्थानांतरण	71	36	107
जीएच/ईवीआरएस के अंतर्गत वीआर	1	28	29
गैर-अधिशासी ग्रेड से अधिशासी ग्रेड में पदोन्नति	0	7	7
अधिशासी ग्रेड से गैर-अधिशासी ग्रेड में वापसी	73	0	73
कुल ह्रास (ख)	**316**	**4064**	**4380**
अंतर (क-ख)	**-69**	**-2381**	**-2450**

औद्योगिक संबंध :

प्रबंधन की सहभागिता शैली सौहार्दपूर्ण ढंग से गहन विचार-विमर्श द्वारा विवादों/शिकायतों के निपटारण की सुविधा प्रदान करता है। परिणामस्वरूप 2013-14 के दौरान कंपनी में आद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बना रहा। औद्योगिक संबंध तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी सांख्यिकी निम्नलिखित है -

क्रम सं०	विषय	2013-14	2012-13
1	हड़तालों की संख्या	1	1
2	नष्ट श्रम दिन (लाख में)	0.02	0.28
3	उत्पादन हानि (लाख टन में)	0.36	0.17

कानून एवं आदेश :

विषय	2013-14	2012-13
कानून एवं आदेश (उल्लंघन)	54	119
उत्पादन हानि (लाख टन में)	1.08	0.097

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी :

ईसीएल के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अपनी कंपनी के प्रत्येक आयाम में पूर्ण रूप से कार्यरत है। कॉर्पोरेट के साथ-साथ परियोजना/ईकाइयों स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) कार्यरत है। जेसीसी की बैठक निरंतर होती रहती है जहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, लागत, कल्याण इत्यादि पर विचार-विमर्श किया जाता है अन्य समिति/बोर्ड जैसे सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड, स्वास्थ्य सलाहकार मंडल, गृह आवंटन समिति, कैंटिन समिति इत्यादि भी अपनी कंपनी में कार्यरत है। इस तरह के समितियों में श्रमिक संघ की सक्रिय भागीदारी है।

बैठकें	2013-14	2012-13
मुख्यालय स्तर पर संपन्न जेसीसी बैठकों की संख्या	04	03
मुख्यालय स्तर पर संपन्न संरचनात्मक बैठकों की संख्या	20	21

एनसीडब्ल्यूए एवं एलएलएस के अंतर्गत दिया गया रोजगार :

....के तहत रोजगार दिया गया	2013-14	2012-13
एनसीडब्ल्यूए	590	738
लैंड लूजर योजना	488	126
प्रत्यक्ष नियोजन	158	-

भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति(अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़ी वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण :

ईसीएल में अनुसूचित जाति(अ.जा.), अनुसूचित जनजाति(अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़ी वर्ग की भर्ती के मामले में राष्ट्रपति के निदेशों को क्रियान्वित किया गया है। कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है -

दिनांक को	कुल जनशक्ति	अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थी		अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थी	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
31.03.2014	71826	19774	27.53	9475	13.19
31.03.2013	74276	15319	20.62	7893	10.62

2012-13 के दौरान जहाँ अनुसूचित जाति के 332 एवं अनुसूचित जनजाति के 153 कर्मचारी पदोन्नत हुए; वहीं 2013-14 के दौरान पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 401 एवं 187 रही। 31.03.2014 तक कंपनी में अन्य पिछड़ा वर्ग के 18657 कर्मचारी कार्यरत हैं।

एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम	कार्यानिष्पादन संकेतक	माप इकाई	वर्ष का लक्ष्य	उपलब्धि
1	जनशक्ति पुनर्गठन स्वैच्छिक सेवानिवृति पुन: नियुक्ति	संख्या %	20 40%	23 48.67%
2	कुल कर्मचारियों का संनिघर्षण प्रतिशत	%	0.01	0.028
3	जॉब-रोटेशन पद्धति, इनाम पद्धति, अग्रिम प्रबंधन कार्यक्रम, बढ़ते अवसर आदि के लिए विभिन्न प्रतिभाओं के प्रबंधन की व्यवस्था का	संख्या	5	5

	कार्यान्वयन			
4	प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष जारी किए गए सुझाव		0.005	0.008
5	राष्ट्रीय पुरस्कार (पीएम श्रम पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार) हेतु जमा नामांकन/प्रविष्टियाँ	राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु जमा नामांकनों/प्रविष्टियों की संख्या	5	4
6	शिकायत निवारण पद्धति को लागू करना – वर्ष के दौरान प्राप्त - निवारण की गई समस्याओं का प्रतिशत	% बंदोबस्त	80%	90.65%
7	जहाँ कार्य तनावपूर्ण है वहाँ तनाव कम करने के लिए पेंशन, मेडीकेयर, योगा कक्षाओं का आयोजन तथा जिम जैसी सुविधाओं की स्थापना	कार्यक्रमों की संख्या/योजना के कार्यान्वयन की तारीख	5	33
8	सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारूपण एवं कार्यान्वयन	हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
9	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई संरचनात्मक बैठकों की संख्या	कॉर्पोरेट स्तर पर बैठकों की संख्या	20	24
10	बाहरी एजेंसियों (एम्प्लोयर ऑफ चॉइस, बेस्ट एम्प्लोयर, बेस्ट प्लेस टू वर्क आदि) द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में भागीदारी	एक्सीलेंस पुरस्कार के लिए बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित सर्वे में भागीदारी	फरवरी – 2014	05 फरवरी, 2014 को प्रक्रिया पूरी हुई।
11	एचआर के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ	ईआईएस का स्वचलन	फरवरी – 2014	एनईआईएस पद्धति को प्रत्येक महीने अद्यतन किया जाता है।
12	कार्यनिष्पादन प्रबंधन पद्धति के साथ अधिशासी के विकास-योजना	हाँ/नहीं		हाँ
13	पीएमएस से जुड़े पीआरपी का कार्यान्वयन	हाँ/नहीं		हाँ

उत्पादन क्षमता :

पिछले वर्ष के प्रति व्यक्ति 1.944 टन की तुलना में वर्ष 2013-14 में 2.12 टन का सुधार आया है।

श्रमिक संघ :

अधिकांश अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी विभिन्न संगठनों, जैसे आईएनटीयूसी, आईटीयूसी,एचएमएस,बीएमएस,यूटीयूसी,सीआईटीयू , के सदस्य होटल हैं। जेबीसीसीआई के द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय कोल मजदूरी समझौता के द्वारा अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी के वेतन संशोधन व सेवा के अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। दिनांक 31/12/2011 को एनसीडब्लूए-IX के लिए जेबीसीसीआई ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है और दिनांक 01/07/2011 से 5 वर्षों के लिए कार्यपालकों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने के लिए एनसीडब्लूए-IX प्रभावी हो गया है। हमारे कार्यपालक श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, पर्क्स और भत्तों का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 1 जनवरी 2007 से कार्यपालकगण के वर्तमान वेतन में सुधार किया गया है।

प्रशिक्षण :

हमारा उद्धेश्य हमारे सभी कर्मचारी को लगातार प्रशिक्षण देना है। कोल इंडिया के द्वारा 1994 में स्थापित इंडयन इन्स्टीटूयट ऑफ़ कोल मैनेजमेंट अग्रिम प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता के विकास, सामान्य प्रबंधन, अग्रिम रख-रखाव के तरीके, प्रबंधन विकास, प्रशिक्षण और कोचिंग, कैरियर विकास और सम्प्रेषण कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। इसके अतिरिक्त, हमारी कंपनी ने वाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिशासियों की व्यवस्था की है तथा हमारे कर्मचारियों (निदेशकों, वरिष्ठ अधिशासियों एवं गैर-अधिशासी कर्मचारियों सहित) को भारत के बाहर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए भेजा। आईआईसीएम के अलावा, ईसीएल में भी अच्छे एचआरडी केन्द्र,बीटीसी हैं , जो कि हमारे कर्मचारियों और अधिशासियों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नव-नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए समय-समय पर प्रवेश प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

2013-14 में कंपनी ने 4067 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जबकि वर्ष 2012-13 में यह संख्या 3790 थी। विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1. कार्य – योजना :

वर्ष	पाठयक्रम का नाम		प्रतिभागियों की संख्या							
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य				वास्तविक			
			कार्यपालक	अधीक्षक	कर्मचारी	कुल	कार्यपालक	अधीक्षक	कर्मचारी	कुल
2013-14	132	142	280	500	1030	1810	508	532	1324	2364
2012-13	124	136	280	500	1025	1805	388	478	1350	2216

2. 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान दिए गए विविध प्रशिक्षण का विवरण :

क्रम	प्रशिक्षण की प्रकृति	2013-14				2012-13			
		अधिकारी	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल	अधिकारी	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल
1	**सामान्य/कंपनी में प्रशिक्षण :**								
1.i	सहमति ज्ञापन	508	532	1324	2364	388	478	1350	2216
1.ii	गैर सहमति ज्ञापन	323	70	162	555	383	40	118	541
2	**बाह्य प्रशिक्षण (भारत में) :**								
2.i	**आईआईसीएस :**								
2.i.a	एक सप्ताह या अधिक	467	0	0	467	373	0	0	373
2.i.b	सेमिनार/अल्पकालीन पाठ्यक्रम	27	0	0	27	15	3	0	18
2.ii	**बाह्य कंपनी प्रशिक्षण (आईआईसीएस के अलावा) :**								
2.ii.a	अल्पकालीन	24	1	0	25	27	0	0	27
2.ii.b	दीर्घकालीन	0	0	160	160	0	0	160	160
2.ii.c	एक सप्ताह या अधिक	123	7	1	131	87	27	37	151
2.ii.d	सर्वेक्षण में 6 हफ्तों की सघन पाठ्यक्रम (आईएसएम में)	6	0	0	6	4	0	0	4
3	**प्रशिक्षुगण :**								
	पीडीपीटी	0	56	0	56	0	98	0	98
4	**कंपनी के अलावा सेमिनार/कार्यशाला**	250	16	2	268	170	23	7	200
5	**बाह्य (विदेशों में)**	17	0	0	17	2	0	0	2
कुल		**1745**	**682**	**1649**	**4076**	**1449**	**669**	**1672**	**3790**

मानव संसाधन विभाग ने एमजीएमआई, कोलकाता द्वारा माइनिग सरदार परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु 30 अभ्यर्थियों के लिए 07 सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की।

3. एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम	प्रदर्शन संकेतक	माप की ईकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1	परियोजना प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	50	62
2	पर्यावरण, वन प्रबंधन एवं भूमि अधिग्रहण में औपचारिक प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	4	14
3	संविदा प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	4	8
4	जोखिम प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	4	40
5	प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण योजना एवं प्रशिक्षण की वास्तविकी का प्रतिशत	%	15	35.58
6	कैरियर योजना एवं विकास के तंत्र के जरिए नेतृत्व का विकास करना	%	20	22
7	कर्मी लागत की % के लिए प्रशिक्षण बजट	कर्मी लागत की %	0.0076	0.05
8	कर्मचारियों को बहु-दक्षता/दक्षता उन्नयन हेतु प्रशिक्षण योजना की परिपूर्णता %	%	2	2.59
9	नवीन/उन्नत तकनीक में प्रशिक्षण हस्तक्षेप – नवीन तकनीक में प्रशिक्षण योजना की परिपूर्णता %	%	1	1.15
10	सलाहदाता विकास कार्यक्रम की उपस्थित- मेंटर्स एवं मेंटी की संख्या	हाँ (%)	80%	86.71%
11	वर्ष में शुरू परियोजना के कुछ गुणवत्ता सर्कल की तुलना में सम्पन्न परियोजना के गुणवत्ता सर्कल का %	5 गुणवत्ता सर्कल का गठन	100%	600%

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षणः

कंपनी द्वारा कोयला खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर लगातार नजर रखी जाता है एवं पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के नियमों एवं धाराओं के अनुसार वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, भू-अवनति, जंगलों की कटाई आदि पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर उचित उपाय किये जाते हैं।

वनरोपण गतिविधि :

ईसीएल में प्रत्येक वर्ष वनरोपण – वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। 2770.50 हेक्टर भूमि में राज्य वैन विभाग के सहयोग से ईसीएल कमान क्षेत्र में 6.9248 मिलियन पौधे लगाये गये। वर्ष 2013-14 के दौरान, 33,000 पौधे लगाने के एमओयू लक्ष्य की जगह 18 हेक्टर भूमि में 45,000 पौधे लगाये गये। इसके साथ-साथ, कार्यालय कॉम्प्लेक्सों, कॉलोनियों तथा आवासीय क्षेत्रों में लगाने हेतु 30,000 फलदार पौधे कर्मचारियों एवं स्थानीय ग्रामीणों के बीच बाँटे गये।

पर्यावरण प्रबंधन योजना मॉनीटरिंग -

एम॰ ओ॰ ई॰ एफ॰ द्वारा स्वीकृत ई॰ एम॰ पी॰ एवं ई॰ सी॰ की मॉनीटरिंग लगातार जारी है। स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में मार्च, 2013 एवं सितंबर, 2013 की समाप्ति पर छह-मासिक अनुपालन रिपोर्ट एमओईएफ़ के समक्ष प्रस्तुत किये गये। ईएमपी के अनुसार प्रशामन उपाय ईसीएल द्वारा किये जाते रहे।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सांविधिक अनुपालन -

(क) प्रत्येक कोयला खदान में पानी छोड़ने एवं वायु-उत्सर्जन हेतु सहमति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ले ली गयी है एवं उसका पुनर्नवीकरण भी लगातार किया जाता रहा है। जल प्रदूषण धारा-1974, वायु प्रदूषण धारा 1981 तथा पर्यावरण सुरक्षा धारा 1986 के नियमों एवं सांविधिक प्रावधान का पालन किया जाता है।

(ख) जल उपकर धारा, 1977 के अनुसार सभी खदानों द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ उपभोग किये गये जल पर जरुरी जल उपकर एवं एस॰ पी॰ सी॰ वी॰ द्वारा माँग-टिप्पणी जमा की गयी।

(ग) परियोजनाओं के संबंध में एमओईएफ़ से प्राप्त पर्यावरण समाशोधन वार्षिक पर्यावरण विवरण फॉर्म – V में (पर्यावरण सुरक्षा धारा, 1986 का नियम 14) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

वायु प्रदुषण नियंत्रण सुविधा की स्थिति :

धूल नियंत्रण उपाय न करने से छेदन, विस्फोट और कोयला परिवहन वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। खनन-उपकरणों की डिजाइन इस प्रकार है कि ये कम धूल उत्पन्न करते हैं तथा उत्पादन-बिंदु पर यह शमन करते हैं। कोयले के छेदन एवं काटने का काम शुरु करने के पहले पानी का छिड़काव किया जाता है। साथ ही विस्फोटकों के अधिकतम परिमाण के साथ वैज्ञानिक ढंग से एवं अभिकल्पित तरीके से विस्फोट किया गया ताकि कम धूल उत्पन्न हो, अच्छी तरह विखंडन हो, भूमि कंपन कम हो तथा धुआँ भी कम हो। कोयला परिवहन करने के पहले छिड़काव किया जाता है। कोयला परिवहन का स्थानांतरण बिंदु स्थिर जल छिड़काव के साथ जुड़ा है। सभी ओसीपी के पास मोबाइल जल छिड़काव की उचित व्यवस्था है, जो सड़कों को गीला रखती है ताकि धूल कम उड़े।

वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण की मॉनीटरिंग व्यवस्था की स्थिति :

ईसीएल के वायु, जल एवं ध्वनि स्तर के आँकड़े को मॉनीटर करने वाली वर्तमान पर्यावरण लैबोरेटरी सीएमपीडीआईएल, आर आई-1, आसनसोल का विस्तार किया गया एवं नवीनतम अभिकल्पित वायु मॉनीटरिंग उपकरण पी एम 2.5 को सक्रिय कर उसे आधुनिक किया गया। यह कार्य ईसीएल द्वारा वित्तीय आश्वासन मिलने पर सीएमपीडीआईएल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ईसीएल के 42 खानों की मॉनीटरिंग में रू॰ 451.24 लाख का वार्षिक खर्च होना है।

जन प्रबंधन :

खदान के जल को स्थित टैंकों से होकर पार किया जाता है ताकि निलंबित एवं अन्य ठोस वस्तुओं को हटाया जा सके। .यह जल औद्योगिक तथा अन्य उद्देश्यों हेतु फिर से इस्तेमाल हो जाता है। रानीगंज एवं मुगमा कोयलांचल में जल से भरे परित्यक्त पिट्स का प्रयोग जल संसाधन के रूप में किया जाता है। यह रिचार्जर के रुप में भी काम करता है तथा जल टेबल को व्यवस्थित रखता है। जल का उपयोग मुख्यतः कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ पहुँचाता है, जिसे नीचे दर्शाया जा रहा है –

(क) **पेय जल :** अधिक से अधिक कॉलोनियों के खान जल को व्यवस्थित टैंक तथा फिल्टर प्लांट में फिल्टर किया जाता है। इसके बाद फिल्टर हुए जल को कॉलोनियों एवं आसपास के जरूरतमंद गाँवों में वितरित किया जाता है। कई पुराने ओसीपी में भरा पानी कर्मचारियों एवं आसपास के गाँवों में रहने वाले स्थानीय लोगों की जरुरतों को पूरा करने में इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पश्चिम बाराबानी के परित्यक्त ईटापाड़ा ओसीपी के जल का प्रयोग 15,000 की आबादी को जलापूर्ति करने में किया जा रहा है। इसी तरह, झारखण्ड सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मुगमा क्षेत्र के दो परित्यक्त ओपनकास्ट क्वेरीज राजपुरा एवं हरियाजाम से जल लिया जाता है तथा निरसा ब्लॉक के स्थानीय लोगों में जलापूर्ति की जाती है। इसी उद्देश्य से वे प्रतिदिन एक लाख गैलन पानी प्रत्येक खुली खान से निकालते हैं।

(ख) **लघु सिंचाई कार्यक्रम :** ईसीएल के लीज़ पर लिये गये राजमहल जैसे क्षेत्रों में ग्रामीणों की माँग पर सिंचाई के लिए खदान का पानी व्यवस्थित टैंक द्वारा दिया जाता है। आसपास के गाँवों में लघु सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पांडवेश्वर क्षेत्र के ओल्ड पुरुषोत्तमपुर ओसीपी, काजोड़ा क्षेत्र के ओल्ड रियल जामबाद ओसीपी, सलानपुर क्षेत्र के ओल्ड अलकुशा गोपालपुर ओसीपी, ओल्ड डाबर ओसीपी एवं ओल्ड डालमिया ओसीपी जैसे ओसीपी का उपयोग कर रही है।

(ग) **मत्स्य पालन :** पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर, पश्चिम बंगाल की सहभागिता के साथ सलानपुर क्षेत्र में पाँच एवं श्रीपुर क्षेत्र में एक परित्यक्त ओसीपी में मछली-मत्स्य पालन के उद्देश्य से आवंटित किया गया ताकि स्थानीय मछुआरों की आजीविका चल सके।

(घ) **वर्षा जल संग्रहण :** भूमि जल के पुनः भरण तथा जल के प्राकृतिक स्रोत की बर्बादी रोकने हेतु वर्षा जल संग्रहण करने के लिए ईसीएल द्वारा व्यापक पैमाने पर पहल की गयी। क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण की कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य ज़ोर-शोर से चल रहा है।

(ङ) **भूमि जल सारणी :** ईसीएल के सभी खदानों में भूमि जल स्तर की मॉनीटरिंग सीएमपीडीआईएल, आरआई-□, आसनसोल द्वारा की जा रही है एवं भूमि जल को परिपूर्ण करने तथा इसके स्तर को बनाये रखने हेतु इसके प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं।

भूमि सुधार :

(क) ओपनकास्ट खदानों में खदानों का पुनः भरण : खनन पद्धति के अभिन्न अंग के रुप में खनन क्रिया के लिए जरुरी न्यूनतम क्रियात्मक खनन क्षेत्र को छोड़कर ओपनकास्ट खदानों में डी-कोल्ड क्षेत्र का उत्खनन एवं पुनः भरण किया गया।

(ख) राख द्वारा भरण एवं पुनः प्रतिष्ठापन : पास के डी॰ वी॰ सी॰ के थर्मल पावर पलांट से मंगाई राख से काजोड़ा तथा कुनुस्तोड़िया के कुछ पुराने परित्यक्त पिटों की करीब 50 हेक्टर भूमि का भरण किया गया। परसाकोला वेस्ट में 10 हेक्टर ऐस-फिल्ड क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य डीएफ़ओ, दुर्गापुर द्वारा आगे बढ़ाया गया।

(ग) सैटेलाइट निगरानी द्वारा भूमि सुधार अध्ययन :

2008 से सीएमपीडीआईएल द्वारा सुदूर सैटेलाइट निगरानी की सहायता से राजमहल (17.0 एमटीवाइ) ओसीपी तथा सोनपुर बाजारी (8.0 एमटीवाइ) ओसीपी में भूमि पुनः प्रतिष्ठापन – भूमि सुधार का कार्य किया गया। इसका उद्देश्य परियोजना के लीजहोल्ड क्षेत्र में पुनः भरण, वनरोपण, क्रियात्मक खनन क्षेत्र, जल संपदा एवं बंजर भूमि तथा खेती की भूमि का वितरण और जंगलों का उद्धार है। सैटेलाइट निगरानी के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 5 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम की परियोजना क्षमता वाले जामबाद तथा खोट्टाडीह ओसीपी को 2012-13 में शामिल किया गया। 2013-14 के दौरान, तीन नये ओसीपी नामतः मोहनपुर, चित्रा तथा वेस्ट केंदा को सैटेलाइट निगरानी के लिए शामिल किया गया।

सोनपुर बाजारी ओसीपी एवं राजमहल ओसीपी का आईएसओ प्रमाणपत्रण :

2013-14 के दौरान, ईसीएल ने अपने दो बड़े ओपनकास्ट खदानों नामतः राजमहल परियोजना तथा सोनपुर बजारी परियोजना हेतु तीन साल के लिए पहली बार प्रमाणपत्रण आईएसओ 9001,14001 तथा ओएचएसएएस 18001 प्राप्त किया।

खान समाप्ति योजना :

ईसीएल के लगभग सभी खानों की खान बंदी योजना को ईसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिली है।
कोयलांचल के पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए प्रगतिशील खान बंदी गतिविधियों की शुरूआत की गयी। एमसीपी की स्थिति निम्नानुसार है :

1	बंद/परित्यक्त खदान सहित सभी ईसीएल खदानों को कवर करने हेतु आवश्यक एमसीपी की संख्या (क्लबिंग के बाद)	89
2	सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार एमसीपी की संख्या	88
3	ईसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत एमसीपी की संख्या	88
4	खान बंदी पर कुल लागत	रू. 2699.34 करोड़
5	88 बच्चों के खातों के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संचालित एस्क्रो खाते में खान बंदी पर कुल वार्षिक लागत (2013-14)	रू. 71.34 करोड़
6	चूँकि खदान की पुनर्योजना बन रही है; अतः पांडवेश्वर क्षेत्र की केंदरा कोलियरी की एमसीपी	एक एमसीपी बाकी

गुच्छ खदानों तथा नये/विस्तृत परियोजनाओं का पर्यावरण समाशोधन :

पर्यावरण समाशोधन प्राप्त करने में 2013-14 हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है :

गुच्छ संख्या	खदानों की संख्या	एमटीपीए में शीर्ष क्षमता	31.03.2014 को स्थिति
1	11	3.30	ईआईए/ईएमपी तैयार हुआ, पीएच सफलतापूर्वक किया गया। तकनीकी उप-समिति द्वारा अंतिम ईएमपी जाँच की गयी एवं एमओईएफ़ के समक्ष
2	3	0.45	
6	9	2.25	
9	15	8.00	

			प्रस्तुत किया गया। पर्यावरण समाशोधन आना शेष है।
3	3	3.97	ईआईए/ईएमपी तैयार हुआ। लोक सुनवाई सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।
5	2	0.63	
7	4	0.74	
12	19	31.83	
4	3	7.71	आंकड़ा तैयार करने का कार्य पूरा किया गया। मसौदा ईआईए/ईएमपी तैयार हुआ।
8	7	2.75	आंकड़ा तैयार करने का कार्य पूरा किया गया। मसौदा ईआईए/ईएमपी तैयार हुआ तथा एसपीसीबी को प्रस्तुत किया गया। लोक सुनवाई की प्रतीक्षा है।
10	19	7.70	
11	11	10.90	

शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम :

क) **विश्व पर्यावरण दिवस का अनुपालन :** 05 जून, 2013 को पूरे ईसीएल में विश्व पर्यावरण दिवस का अनुपालन किया गया। इस दौरान, पर्यावरण ध्वजारोहण, शपथ ग्रहण एवं पौधारोपण किये गये। साथ ही, 06 एवं 08 जून, 2013 को अंतः-कोलियरी/परियोजना/क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी इकाइयों एवं क्षेत्रों के निरीक्षण तथा पर्यावरण उपायों/गतिविधियों पर उनके वार्षिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए विभिन्न निरीक्षण टीमों का गठन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कर्मचारियों के बीच विविध पुरस्कारों का वितरण किया गया।

ख) **किशोर परिवेश मेला एवं अन्य प्रदर्शनियों में भागीदारी :** मानव संसाधन विकास केंद्रों में संचालित घरेलू प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ ईसीएल ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 24.12.2013 से 26.12.2013 तक कोलकाता में आयोजित किशोर परिवेश मेला जैसे उन विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया जिंका उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाना है। साथ ही, किशोर परिवेश मेले में बच्चों एवं आम लोगों की जागरूकता के लिए ईसीएल ने एक प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाया जहाँ पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ईसीएल द्वारा किये गये विभिन्न उपायों को प्रदर्शित किया गया। उस प्रदर्शनी की सभी ने सराहना की। इसके अतिरिक्त, बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आसनसोल में आयोजित प्रदर्शनी में भी ईसीएल ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

वनों के समाशोधन की स्थिति :

परियोजना	क्षेत्र (हेक्टर)	स्थिति
चुपरभीटा ओसीपी (4.0 एमटीवाई)	245.78	दिनांक 30.03.2011 को लिखित पत्र के माध्यम से एमओईएफ़ ने आरओ, भुवनेश्वर को स्थल जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को खा है। स्थल जाँच के लिए एमओईएफ़, भुवनेश्वर कार्यालय ने डीजीपीएस नक्शे

		की माँग की है। डीजीपीएस नक्शा वन संरक्षक को अग्रेषित किया गया है।
हुर्रा 'सी' (3.0 एमटीवाई)	527.043 (पहले फेज में 260.00)	पहले फेज में 260 हेक्टर भूमि विपथन के लिए एमओईएफ़ ने 24 शर्तों के साथ 09.09.2011 को स्टेज-I समाशोधन की स्वीकृति दी है। स्टेज-II समाशोधन की सभी शर्तें तैयार कर ली गयी हैं एवं उसे 17.06.2013 को डीएफ़ओ, गोड्डा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अनुपालन रिपोर्ट डीएफ़ओ, गोड्डा द्वारा 18.02.2014 को वन संरक्षक, दुमका को अग्रेषित किया गया है।
चित्रा ईस्ट ओसीपी (2.5 एमटीवाई)	124.28	21.04.2010 को एमओईएफ़ द्वारा 124.28 हेक्टर भूमि के स्टेज-I के समाशोधन की स्वीकृति दी गयी। स्टेज-II के समाशोधन के लिए झारखंड सरकार द्वारा 15.09.2011 को एमओईएफ़ के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया।
सिमलॉन्ग विस्तार ओसीपी (2.0 एमटीवाई)	83.02	83.02 हेक्टर जंगली भूनी के विपथन के लिए आवेदन 04.11.2013 को डीएफ़ओ, पाकुड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 29.11.2013 को डीएफ़ओ, पाकुड़ ने पेड़ों की गणना तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण का सुझाव दिया जो प्रक्रियाधीन है।
झांझरा यूजीपी (3.5 एमटीवाई)	90.30 नवीकरण	पश्चिम बंगाल सरकार ने 90.30 हेक्टर भूमि के वन

		लीज़ के नवीकरण के लिए 28.04.2012 को एमओईएफ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। एमओईएफ़ ने अतिरिक्त जानकारी की माँग की है। जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान द्वारा एफ़आरए के अंतर्गत जारी होने वाले प्रमाणपत्र के लिए अनुपालन लंबित है। अन्य सभी बिंदुओं का अनुपालन किया गया एवं अग्रिम प्रति एमओईएफ़ को प्रस्तुत की गयी।
झांझरा यूजीपी (3.5 एमटीवाई)	78.00	28.09.2012 को डीएफ़ओ, दुर्गापुर के समक्ष 78 हेक्टर नई भूमि के स्टेज-▯ समाशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। 05.03.2014 को इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।
सोनपुर बजारी (8.0 एमटीवाई)	32.65	राज्य सरकार द्वारा 30.10.2013 को 32.65 हेक्टर भूमि के स्टेज-▯ समाशोधन के लिए आवेदन एमओईएफ़, दिल्ली को भेजा गया। एमओईएफ़ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अतिरिक्त जानकारी/कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सभी कागजात (एफ़आरए-2006 को छोडकर) अपर पीसीसीएफ़ को प्रस्तुत किया गया है। एफ़आरए 2006 के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट,

		बर्दवान के समक्ष आवेदन दिया गया है।

एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं॰	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष का लक्ष्य	उपलब्धि
1	5 हेक्टर रीक्लेम्ड भूमि की पहचान तथा एकीकृत खेती का कार्य किसी बाहरी एजेंसी को दिया जाना	माह	फरवरी, 2014	पूरा हुआ। सोनपुर बजारी परियोजना में 5 हेक्टर रीक्लेम्ड भूमि में एकीकृत खेती हेतु पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग को 31.01.2014 को एलओआई जारी किया गया।
2	कंटीन्यूअस एयर मॉनीटरिंग स्टेशनों की स्थापना	संख्या	1	पूरा नहीं हुआ
3	अतिथि गृह तथा अस्पताल में सोलर पैनलों की स्थापना	संख्या	1	सोनपुर बजारी क्षेत्र में 09 सौर बत्तियाँ लगाई गईं।
4	वर्षा जल संग्रहण परियोजनाएँ	संख्या	2	1) सलानपुर क्षेत्रीय कार्यालय एवं 2) सोनपुर बजारी परियोजना में वर्षा जल संग्रहण का कार्य पूरा हुआ। सतग्राम क्षेत्र की कोपेक्स कॉलोनी में आरडबल्यूएच परियोजना का निर्माण हुआ। कार्य की समाप्ति होने वाली है।
5	उपभोक्ताओं, वेंडरों तथा ग्रामीणों सहित मुख्य स्टेकधारकों के साथ हुई बैठकों/परामर्शों की संख्या	संख्या	4	5
6	सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण संबंधी सततता में कंपनी के कार्यनिष्पादन के संबंध में मुख्य स्टेकधारकों से वेब आधारित प्रतिपुष्टि पद्धति की स्थापना	हाँ/नहीं		हाँ

अनुलग्नक – V

सीएसआर गतिविधियाँ – 2013-14

कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय :

कार्यालय ज्ञापन संख्या – सीआईएल : सीएसआर : 247 ए, दिनांक – 19.12.2012 द्वारा संप्रेषित सीआईएल सीएसआर नीति को ही ईसीएल में स्वीकार किया गया है एवं उसका कार्यान्वयन किया गया। सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों को भी अपनाया गया। यह सामाजिक प्रक्रिया के साथ व्यापार बढ़ाने पर ज़ोर देती है; खास तौर पर 25 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहकर। यह सुनिश्चित करता है कि समाज का गरीब एवं पिछड़े हिस्से को सतत विकास के पर्याप्त अवसर मिलते रहें। ईसीएल में निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्देश दिया गया।

1. पेय जल की सुविधा
2. शिक्षा
3. सौर प्रकाश पद्धति
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5. स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य
6. सामुदायिक केंद्रों, रात्रि विश्राम स्थलों, वृद्धाश्रमों के निर्माण/मरम्मत, सड़कों, रास्तों एवं पुलों के निर्माण जैसे आधारभूत विकासात्मक कार्य
7. खेलों की उन्नति
8. दक्षता विकास केंद्रों की स्थापना
9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्त श्रेणियों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
10. सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों को पूरा करना

सीएसआर समिति का गठन :

कंपनी के सीएसआर एवं सतत विकास के मामले के परिचालन के क्रम में द्विस्तरीय संरचना गठित की गयी, जिसमें अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली एक बोर्ड स्तर की समिति एवं महाप्रबंधक (कल्याण एवं सीएसआर) की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तर से नीचे की समिति शामिल है। इसका गठन डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 01.04.2013 को ईसीएल की सीएसआर तथा सतत विकास की योजना, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु किया गया।

उपरोक्त के अलावा, सीएसआर गतिविधियों के समन्वय के लिए ईसीएल मुख्यालय में एक सीएसआर समिति का गठन किया गया जैसा कि सीआईएल सीएसआर नीति में उल्लेख किया गया है।

क्षेत्रीय स्तर पर, सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बहु-अनुशासनात्मक अधिशासियों की एक सीएसआर समिति का भी गठन किया गया।

पिछले तीन वित्त-वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

पिछले तीन वित्त-वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ रू. 908.08 करोड़ है। विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

विवरण	राशि (रू. करोड़ में)
वित्त-वर्ष 2012-13 में टैक्स देने के उपरांत लाभ	1655.54
वित्त-वर्ष 2011-12 में टैक्स देने के उपरांत लाभ	962.13
वित्त-वर्ष 2010-11 में टैक्स देने के उपरांत लाभ	106.57
तीन वित्त-वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	908.08

निर्देशित सीएसआर व्यय :

ईसीएल द्वारा निधि निर्धारण कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति पर आधारित है जो प्राप्त आय का 5% अथवा पिछले वर्ष हुए कोयला उत्पादन के रू. 5/- प्रति टन के हिसाब से तय होता है। 2012-13 में उत्पादन 33.901 मिलियन टन था। अत: रू. 5/- प्रति टन के हिसाब से सीएसआर राशि का निर्धारण रू. 16.95 करोड़ हुआ। पिछले वर्ष कुल रू. 12.40 करोड़ खर्च हुए एवं इस प्रकार बजट की कुल राशि रू. 29.35 करोड़ हो गयी।

वित्त-वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गयी राशि का विवरण :

क) वित्त-वर्ष 2013-14 के लिए कुल बजट रू. 29.35 करोड़

ख) खर्च नहीं की गयी राशि – रू. 16.81 करोड़

ग) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गयी वास्तविक राशि - रू. 12.54 करोड़। सीएसआर गतिविधियों का विवरण **अनुलग्नक – ए** के रूप में संलग्न किया गया है।

सीएसआर बजट में स्वीकृत राशि के खर्च न होने का कारण :

सीएसआर से संबंधित डीपीई का संशोधित दिशानिर्देश 01.04.2013 से लागू हो गया। इसकी प्रक्रिया में पूर्ति तथा सभी स्टेकधारकों को समझने में काफी समय लग रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति के अनुसार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्शेस (TISS), मुंबई द्वारा उक्त प्रस्ताव की जाँच एवं उसके सत्यापन में काफी समय लग गया। साथ ही, इसमें अधिकतर कार्य आधारभूत संरचना से संबंधित हैं जिसमें ईसीएल की टेंडर प्रक्रिया के अनुसार उचित दरों वाली एजेंसी के चयन के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, मॉनीटरिंग एवं लेखा-परीक्षण का कार्य भी सीखने की प्रक्रिया में है। मुख्यालय तथा क्षेत्रों की सीएसआर समिति द्वारा सीएसआर व्यय के स्कोप बढ़ाने तथा इसमें लाग्ने वाले समय को कम करने के लिए संसाधनों का उचित प्रयोग किया जा रहा है।

एततद्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में ईसीएल में सीएसआर नीति का क्रियान्वयन तथा उसकी मॉनीटरिंग 01.04.2013 से की जा रही है।

(राकेश सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
अध्यक्ष – सीएसआर एवं सतत विकास समिति

स्थान – सांकतोड़िया
दिनांक – 07 जून, 2014

अनुलग्नक – ए

वित्त-वर्ष 2013-14 हेतु सीएसआर गतिविधि

क्रम	सीएसआर गतिविधि	सेक्टर	लागत राशि (बजट) (रू. लाख में)	व्यय की गयी राशि (रू. लाख में)	31.03.2014 तक संचित व्यय	प्रत्यक्ष रूप से या कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से खर्च की गयी राशि
1	भारा उच्च विद्यालय की मरम्मत	आधारभूत संरचना	1.69	0,46	0.46	कार्यकारी एजेंसी
2	भारा उच्च विद्यालय में शौचालय का निर्माण	आधारभूत संरचना	1.1	0.50	0.50	कार्यकारी एजेंसी
3	कालीदासपुर परियोजना में शौचघर का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.78	0.05	0.05	कार्यकारी एजेंसी
4	जे. के. नगर के माजी पाड़ा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण-कार्य	आधारभूत संरचना	1.00	0.99	0.99	कार्यकारी एजेंसी
5	जे. के. नगर के दासंगलपाड़ा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण-कार्य	आधारभूत संरचना	1.20	1.16	1.16	कार्यकारी एजेंसी
6	निमचा कोलियरी के देवीस्थान में सामुदायिक केंद्र की मरम्मत	आधारभूत संरचना	0.40	0.37	0.37	कार्यकारी एजेंसी
7	सतग्राम क्षेत्र में दरबार क्लब स्टेज में शेष कार्य	आधारभूत संरचना	2.30	2.26	2.26	कार्यकारी एजेंसी
8	निमचा ग्राम में सामुदायिक केंद्र का शेष कार्य	आधारभूत संरचना	1.25	1.25	1.25	कार्यकारी एजेंसी
9	मेन लाइन से मंगठोल गाँव तक 80 मिलीमीटर परिधि के पीवीसी पाइपलाइन का शेष कार्य	जलापूर्ति	0.55	0.56	0.56	कार्यकारी एजेंसी
10	निमचा 4 नंबर पिट कोलियरी के निकट की दीवार की मरम्मत	आधारभूत संरचना	0.57	0.57	0.57	कार्यकारी एजेंसी
11	चिकित्सा गतिविधियाँ – सतग्राम क्षेत्र	चिकित्सा	1.25	0.60	0.60	प्रत्यक्ष

12	भारा उच्च विद्यालय की मरम्मत	आधारभूत संरचना	1.69	0.46	0.46	कार्यकारी एजेंसी
13	सेक्शन-□□ के निकट ओएचटी के दक्षिण की ओर नदी में दो स्नान घाट	आधारभूत संरचना	4.00	3.80	3.80	कार्यकारी एजेंसी
14	लाउदोहा रोड शिव मंदिर से भारतीय स्टेट बैंक से सटे श्मशान घाट तक	आधारभूत संरचना	3.00	2.94	2.94	कार्यकारी एजेंसी
15	रंगामाटी में सामुदायिक भवन हेतु मंच	आधारभूत संरचना	1.00	1.06	1.06	कार्यकारी एजेंसी
16	हाज़रा पाड़ा से शिव मंदिर तक सड़क निर्माण तथा कुचिडिही में सड़क के साथ-साथ नालियों की मरम्मत	आधारभूत संरचना	3.00	3.73	3.73	कार्यकारी एजेंसी
17	बालिजुरी गाँव में मुख्य सड़क को बाग्दी पाड़ा सम्बद्ध सड़क से जोड़ना	आधारभूत संरचना	3.00	3.00	3.00	कार्यकारी एजेंसी
18	कुचिडिही गाँव में पानी की टंकी	जलापूर्ति	2.00	1.54	1.54	कार्यकारी एजेंसी
19	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	शिक्षा	1.00	1.00	1.00	कार्यकारी एजेंसी
20	खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि	खेल	1.00	1.00	1.00	कार्यकारी एजेंसी
21	झांझरा गाँव के श्मशान घाट पार शेड	आधारभूत संरचना	1.00	1.00	1.00	कार्यकारी एजेंसी
22	झांझरा कॉलोनी, सेक्टर-□□ में बस स्टैंड	आधारभूत संरचना	1.00	0.66	0.66	कार्यकारी एजेंसी
23	लाउदोहा उच्च विद्यालय में चहारदीवारी	आधारभूत संरचना	2.00	1.56	1.56	कार्यकारी एजेंसी
24	सिरसा में फुटबॉल मैदान के लिए मंच	आधारभूत संरचना	1.00	1.37	1.37	कार्यकारी एजेंसी
25	सीएसआर योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर	चिकित्सा	1.25	1.25	1.25	कार्यकारी एजेंसी
26	तिलबोनी ग्राम सड़क के मेला मैदान में आटचाला (□□□□□□□□) का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.63	0.63	0.63	कार्यकारी एजेंसी

27	नबघनपुर में कार्यक्रम हेतु मंच	आधारभूत संरचना	0.46	0.46	0.46	कार्यकारी एजेंसी
28	बांसड़ा कोलियरी में फुटबॉल मैदान के निकट एक कमरे का निर्माण	जलापूर्ति	1.05	1.04	1.04	कार्यकारी एजेंसी
29	बाबुडांगा (माजी पाड़ा) में सामुदायिक शौचालय एवं जल संरक्षण टैंक का निर्माण	आधारभूत संरचना	1.57	1.56	1.56	कार्यकारी एजेंसी
30	जनबाजार श्मशान घाट में एक ट्यूबवेल के साथ-साथ चहारदीवारी सहित एक कमरे का निर्माण	आधारभूत संरचना	3.03	2.96	2.96	कार्यकारी एजेंसी
31	एगरा बाउरी पाड़ा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	आधारभूत संरचना	2.52	2.41	2.41	कार्यकारी एजेंसी
32	सियारसोल राजबाड़ी के बाबू पाड़ा शिव-काली मंदिर में नींव सहित शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	1.10	1.08	1.08	कार्यकारी एजेंसी
33	नॉर्थ सियारसोल सड़क जंक्शन से काटागोड़िया ग्राम तक कब्रस्तान होते हुए कंक्रीट चबूतरे का निर्माण	आधारभूत संरचना	10.03	8.70	8.70	कार्यकारी एजेंसी
34	कुनुस्तोड़िया कोलियरी के शिव मंदिर के निकट के सामुदायिक केंद्र का पुनरोद्धार	आधारभूत संरचना	1.01	0.80	0.80	कार्यकारी एजेंसी
35	बेलबाद कोलियरी के सामुदायिक केंद्र में मरम्मत-कार्य के साथ-साथ ग्रिल गेट का स्थापन	आधारभूत संरचना	0.34	0.34	0.34	कार्यकारी एजेंसी
36	कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के दायरे में सामुदायिक केंद्र की रंगाई तथा मरम्मत	आधारभूत संरचना	0.18	0.18	0.18	कार्यकारी एजेंसी
37	नॉर्थ सियारसोल कोलियरी में 06 सामुदायिक केंद्रों की रंगाई, मरम्मत तथा रखरखाव	आधारभूत संरचना	0.33	0.32	0.32	कार्यकारी एजेंसी

38	तपसी/बेलबाद ओसीपी के अंतर्गत भूत बंगला में सामुदायिक स्थल की मरम्मत	आधारभूत संरचना	0.14	0.14	0.14	कार्यकारी एजेंसी
39	सीएसआर कार्य के अंतर्गत बिजयनगर में बस स्टैंड शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.98	0.98	0.98	कार्यकारी एजेंसी
40	बेलबाद/तपसी को जीआई टार से घेरना	आधारभूत संरचना	1.30	1.30	1.30	कार्यकारी एजेंसी
41	अमृतनगर कोलियरी में 02 सामुदायिक केंद्रों की रंगाई, मरम्मत तथा रखरखाव	आधारभूत संरचना	0.64	0.63	0.63	कार्यकारी एजेंसी
42	नॉर्थ सियारसोल कोलियरी में विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत	आधारभूत संरचना	0.15	0.14	0.14	कार्यकारी एजेंसी
43	महाबीर में ओसीपी कॉलोनी के निकट सीजीआई शीट द्वारा चाला का निर्माण	आधारभूत संरचना	1.06	1.05	1.05	कार्यकारी एजेंसी
44	महाबीर के काली मंदिर के निकट के सात सामुदायिक भवनों की मरम्मत, रंगाई आदि	आधारभूत संरचना	0.28	0.28	0.28	कार्यकारी एजेंसी
45	बांसड़ा कोलियरी में सामुदायिक कक्ष, मंच तथा प्लेटफॉर्म की मरम्मत	आधारभूत संरचना	0.30	0.29	0.29	कार्यकारी एजेंसी
46	नॉर्थ सियारसोल कोलियरी के विभिन्न स्थानों में 03 सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत	आधारभूत संरचना	0.17	0.17	0.17	कार्यकारी एजेंसी
47	बांसड़ा कोलियरी में सामुदायिक केंद्र के निकट बाउंड्री कार्य की मरम्मत हेतु रंगाई, पुताई, सफाई आदि	आधारभूत संरचना	0.20	0.20	0.20	कार्यकारी एजेंसी
48	पड़सीया ओसीपी में सामुदायिक भवन के	आधारभूत संरचना	0.37	0.37	0.37	कार्यकारी एजेंसी

	रखरखाव के साथ-साथ कुछ मिश्रित कार्य					
49	एजेंट के कार्यालय के निकट सामुदायिक भवन एवं अन्य केंद्रों का रखरखाव	आधारभूत संरचना	0.32	0.32	0.32	कार्यकारी एजेंसी
50	विभिन्न सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत	आधारभूत संरचना	0.34	0.34	0.34	कार्यकारी एजेंसी
51	मुकुंदपुर में पेय जल की व्यवस्था के उद्देश्य से 02 कुओं का निर्माण	जलापूर्ति	1.782	1.75	1.75	कार्यकारी एजेंसी
52	मधुसूदनपुर गाँव में कुंवे का निर्माण	जलापूर्ति	0.891	0.89	0.89	कार्यकारी एजेंसी
53	माधवपुर हनुमान मंदिर के बाउरी पाड़ा में कुंवे का निर्माण	जलापूर्ति	0.891	0.85	0.85	कार्यकारी एजेंसी
54	दक्षिणखंड माजी पाड़ा में कुंवे की खुदाई	जलापूर्ति	0.891	0.87	0.87	कार्यकारी एजेंसी
55	बक्तारनगर गाँव में बस स्टैंड शेड	आधारभूत संरचना	0.928	0.91	0.91	कार्यकारी एजेंसी
56	बक्तारनगर में स्कूल के भवन (एक कमरे) का निर्माण	आधारभूत संरचना	1.518	1.45	1.45	कार्यकारी एजेंसी
57	परसाकोला गाँव में सामुदायिक भवन का निर्माण	आधारभूत संरचना	2.274	2.23	2.23	कार्यकारी एजेंसी
58	काजोड़ा ग्राम के प्रगतिशील सांस्कृतिक संघ तथा प्रगतिशील पाठागार के लिए सांस्कृतिक भवन में शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	5.56	5.21	5.21	कार्यकारी एजेंसी
59	धमारीबांद में श्मशान घाट का निर्माण	आधारभूत संरचना	2.28	2.26	2.26	कार्यकारी एजेंसी
60	परसाकोला गाँव में श्मशान घाट के लिए शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	1.651	2.20	2.20	कार्यकारी एजेंसी
61	बेनियाडीह में श्मशान घाट के लिए शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	2.229	2.23	2.23	कार्यकारी एजेंसी

62	रीयल काजोड़ा में बस स्टैंड का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.75	0.73	0.73	कार्यकारी एजेंसी
63	काजोड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जलापूर्ति	जलापूर्ति	2.94	2.94	2.94	कार्यकारी एजेंसी
64	काजोड़ा उच्च विद्यालय में तार का बाड़ा बनाना	आधारभूत संरचना	0.82	0.82	0.82	कार्यकारी एजेंसी
65	प्रगतिशील सांस्कृतिक संघ हेतु एम्बुलेंस रखने के लिए गैरेज का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.87	0.87	0.87	कार्यकारी एजेंसी
66	बक्तारनगर उच्च विद्यालय में प्रयोगशाला का निर्माण	आधारभूत संरचना	2.14	2.14	2.14	कार्यकारी एजेंसी
67	कुमारडीही गाँव के दिही पार्क में मंच तथा ग्रीन रूम का निर्माण	आधारभूत संरचना	5.00	4.99	4.99	कार्यकारी एजेंसी
68	बंकोला कोलियरी के नबग्राम के शिव पाड़ा में कंक्रीट सड़क का निर्माण	आधारभूत संरचना	3.00	3.00	3.00	कार्यकारी एजेंसी
69	खांद्रा ग्राम के नीलकंठ मंदिर में सौर बत्तियाँ	सौर बत्तियाँ	1.62	1.62	1.62	कार्यकारी एजेंसी
70	उखड़ा ग्राम एवं उखड़ा बाज़ार में सौर बत्तियाँ	सौर बत्तियाँ	2.61	2.61	2.61	कार्यकारी एजेंसी
71	कुमारडीही तथा सिपुर गाँव में स्थायी जलापूर्ति पाइपलाइन	जलापूर्ति	10.00	9.23	9.23	कार्यकारी एजेंसी
72	महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावकारी परियोजना – स्वाभिमान	महिला सशक्तिकरण	5.44	7.23	7.23	कार्यकारी एजेंसी
73	चिकित्सा गतिविधियाँ – बंकोला	चिकित्सा	1.25	0.534	0.534	प्रत्यक्ष
74	एसआरसी क्लब में इलेक्ट्रिक वाइरिंग	अन्य	0.498	0.498	0.498	कार्यकारी एजेंसी
75	सीएसआर योजना के तहत विप्स द्वारा महिलाओं के वोकेशनल प्रशिक्षण हेतु एसआरसी की मरम्मत, रखरखाव	अन्य	0.323	0.323	0.323	कार्यकारी एजेंसी

76	सामुदायिक विकास	आधारभूत संरचना	0.52	0.52	0.52	कार्यकारी एजेंसी
77	रसिक डांगा में सामुदायिक शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.799	0.799	0.799	कार्यकारी एजेंसी
78	निमसा स्कूल में दो ट्यूबवेल्स लगाना तथा तीन ट्यूबवेल्स की मरम्मत	जलापूर्ति	2.95	2.95	2.95	कार्यकारी एजेंसी
79	माधाईपुर गाँव में सामुदायिक शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.79	0.796	0.796	कार्यकारी एजेंसी
80	गोगला आंचलिक हिंदी स्कूल की मरम्मत/रखरखाव	आधारभूत संरचना	0.80	0.798	0.798	कार्यकारी एजेंसी
81	हाडेरडांगा ग्राम में सामुदायिक शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.80	0.798	0.798	कार्यकारी एजेंसी
82	डीबी रोड से माधाईपुर गाँव तक वर्तमान कच्ची सड़क की जगह पक्की सड़क का निर्माण	आधारभूत संरचना	9.97	9.96	9.96	कार्यकारी एजेंसी
83	डीबी रोड पर डालूरबांद तथा रामनगर के बीच आरसीसी कल्वर्ट का निर्माण	आधारभूत संरचना	5.00	5.00	5.00	कार्यकारी एजेंसी
84	निमसा गाँव से उच्च विद्यालय तक की सड़क की मरम्मत	आधारभूत संरचना	3.00	2.997	2.997	कार्यकारी एजेंसी
85	छत्रीस्गंडा में अजय नदी से पेय जल की आपूर्ति (फेज-□□)	जलापूर्ति	10.00	9.897	9.897	कार्यकारी एजेंसी
86	खोट्टाडीह गाँव में पुस्तकालय का निर्माण	आधारभूत संरचना	2.98	2.98	2.98	कार्यकारी एजेंसी
87	चिकित्सा गतिविधि – पांडवेश्वर	चिकित्सा	1.25	0.855	0.855	कार्यकारी एजेंसी
88	सामडी गाँव में बाबुर बाँध तालाब की गहराई बढ़ाना	आधारभूत संरचना	4.14	4.14	4.14	कार्यकारी एजेंसी
89	पर्वतपुर, बोकोण्डा ग्राम में समस्त वैद्युतिक संचालन एवं केसिंग सहित बोरिंग के साथ सब्मर्सिबल पंप, मोटर,	जलापूर्ति	4.89	4.89	4.89	कार्यकारी एजेंसी

	पाइप आदि प्रदान करना					
90	सलानपुर क्षेत्र के निकटवर्ती विभिन्न गाँवों में 10 चापानल लगवाना	जलापूर्ति	0.53	0.53	0.53	कार्यकारी एजेंसी
91	चिकित्सा गतिविधि – केंदा	चिकित्सा	1.25	0.57	0.57	प्रत्यक्ष
92	चिकित्सा गतिविधि – सोदपुर	चिकित्सा	1.25	1.24	1.24	प्रत्यक्ष
93	बलिया मोड़ से क्षेत्रीय कार्यालय तक सड़क की अंतिम रंगाई	आधारभूत संरचना	30.00	21.02	21.02	कार्यकारी एजेंसी
94	देवघर में एटीडीसी प्रशिक्षण शिविर का तीसरा बैच	दक्षता विकास	4.48	4.48	4.48	कार्यकारी एजेंसी
95	देवघर में एटीडीसी प्रशिक्षण शिविर का चौथा बैच	दक्षता विकास	4.48	3.49	3.49	कार्यकारी एजेंसी
96	देवघर में एटीडीसी प्रशिक्षण शिविर का पाँचवाँ बैच	दक्षता विकास	4.48	4.48	4.48	कार्यकारी एजेंसी
97	देवघर में एटीडीसी प्रशिक्षण शिविर का छठा बैच	दक्षता विकास	4.48	4.00	4.00	कार्यकारी एजेंसी
98	देवघर में एटीडीसी प्रशिक्षण शिविर का सातवाँ बैच	दक्षता विकास	4.48	4.48	4.29	कार्यकारी एजेंसी
99	सिद्धू कानू स्कूल, ललमटिया में सीढ़ियों सहित दो कक्षाओं का निर्माण	आधारभूत संरचना	15.00	13.46	13.46	कार्यकारी एजेंसी
100	नीमा स्कूल मुस्लिम टोला में बोर होल बिंदु पाइपलाइन बिछाने का कार्य	जलापूर्ति	8.00	8.39	8.39	कार्यकारी एजेंसी
101	नीमा स्कूल संथाली टोला में पाइपलाइन बिछाने का कार्य	जलापूर्ति	8.00	7.22	7.22	कार्यकारी एजेंसी
102	हिजुकिता महतो टोला में बोर होल बिंदु पाइपलाइन बिछाने का कार्य	जलापूर्ति	8.00	7.92	7.92	कार्यकारी एजेंसी
103	लोहानदीहा बस्ती में बोर वेल की ड्रिलिंग तथा स्थापन	जलापूर्ति	17.00	16.92	16.92	कार्यकारी एजेंसी
104	बासडीहा में बोर वेल की ड्रिलिंग तथा स्थापन	जलापूर्ति	8.50	8.43	8,43	कार्यकारी एजेंसी
105	ललघुटुआ में बोर वेल की	जलापूर्ति	8.50	8.37	8.37	कार्यकारी

	खुदाई तथा स्थापन					एजेंसी
106	भादो टोला में बोर वेल की ड्रिलिंग तथा स्थापन	जलापूर्ति	8.50	8.45	8.45	कार्यकारी एजेंसी
107	नीमकल आदिवासी टोला में बोर वेल की ड्रिलिंग तथा स्थापन	जलापूर्ति	8.50	8.42	8.42	कार्यकारी एजेंसी
108	जताकोठी में बोर वेल की ड्रिलिंग तथा स्थापन	जलापूर्ति	8.50	7.31	7.31	कार्यकारी एजेंसी
109	नयाभोराई में बोर वेल की ड्रिलिंग तथा स्थापन	जलापूर्ति	8.50	8.46	8.46	कार्यकारी एजेंसी
110	छोटा सिमरा में बोर वेल की ड्रिलिंग तथा स्थापन	जलापूर्ति	8.50	7.98	7.98	कार्यकारी एजेंसी
111	पीरपैती में गहरे ट्यूबवेल की ड्रिलिंग तथा स्थापन	जलापूर्ति	8.50	8.17	8.17	कार्यकारी एजेंसी
112	नया टोला नीमकल गाँव में पीसीसी सड़क का निर्माण	आधारभूत संरचना	8.0	7.48	7.48	कार्यकारी एजेंसी
113	बसुवा चौक में हनुमान मंदिर के निकट 200 फीट लंबी नाली का निर्माण	आधारभूत संरचना	4.00	3.99	3.99	कार्यकारी एजेंसी
114	एंबुलेंस	चिकित्सा	0.54	0.53	0.53	प्रत्यक्ष
115	नेत्र शिविर (स्वास्थ्य जाँच)	चिकित्सा	3.09	3.09	3.09	प्रत्यक्ष
116	गर्ल्स स्कूल, केंदुआ में शौचालय का निर्माण	आधारभूत संरचना	3.5	1.45	1.45	कार्यकारी एजेंसी
117	हिजुकिता गाँव में जलापूर्ति पाइपलाइन का जीर्णोद्धार	जलापूर्ति	5.0	4.97	4.97	कार्यकारी एजेंसी
118	सिमलॉन्ग कोलियरी में 03 कुंवे की सफाई तथा मरम्मत	जलापूर्ति	1.25	0.92	0.92	कार्यकारी एजेंसी
119	गर्ल्स मदरसा केंदुआ में मैदान को समतल करना तथा सड़क का निर्माण	आधारभूत संरचना	3.95	3.90	3.90	कार्यकारी एजेंसी
120	महागामा में बसुआ चौक में 02 यूरिनल सहित बस शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	7.0	4.41	4.41	कार्यकारी एजेंसी
121	घटियारी केंदुआ पंचायत में तलब का उत्खनन	जलापूर्ति	8.0	7.95	7.95	कार्यकारी एजेंसी

122	बजरंगबली मंदिर के निकट तेतरिया गाँव में पाइपलाइन सहित गहरा बोरवेल	जलापूर्ति	8.5	3.97	3.97	कार्यकारी एजेंसी
123	विभिन्न गांवों में 60 चापानलों की स्थापना	जलापूर्ति	45.00	45.00	45.00	कार्यकारी एजेंसी
124	तेलगामा गाँव में पीसीसी सड़क का निर्माण	आधारभूत संरचना	26.91	26.80	26.80	कार्यकारी एजेंसी
125	10 विभिन्न गांवों में 15 सामुदायिक शौचालय	आधारभूत संरचना	50.00	43.20	43.20	कार्यकारी एजेंसी
126	हीजुकिता गाँव म्विन बोरवेल की ड्रिलिंग तथा स्थापना	जलापूर्ति	4.96	1.17	1.17	कार्यकारी एजेंसी
127	बासडीहा में भादो टोला तथा 1 नंबर में दो बोरवेल की ड्रिलिंग तथा स्थापना	जलापूर्ति	25.23	6.27	6.27	कार्यकारी एजेंसी
128	बागजोड़ी, चित्रकोठी तथा ललमटिया में एक-एक बोरवेल की ड्रिलिंग तथा स्थापना	जलापूर्ति	25.23	15.94	15.94	कार्यकारी एजेंसी
129	डकाइता में लोहार टोला तथा 1 नंबर में 02 बोरवेल की ड्रिलिंग तथा स्थापना	जलापूर्ति	25.23	14.49	14.49	कार्यकारी एजेंसी
130	लोहांडिया मैं 03 बोरवेल की ड्रिलिंग तथा स्थापना	जलापूर्ति	25.23	10.42	10.42	कार्यकारी एजेंसी
131	सिमलॉन्ग कोलियरी के जापानी गाँव में एक नये कुंवे का उत्खनन	जलापूर्ति	2.75	2.54	2.54	कार्यकारी एजेंसी
132	जताकोटी दियाजोड़ी (महागामा) में 15 नये कुंवे की मरम्मत	जलापूर्ति	3.50	3.50	3.50	कार्यकारी एजेंसी
133	ललमटिया मिशन एरिया में 02 बोरवेल की ड्रिलिंग तथा स्थापना	जलापूर्ति	16.82	3.69	3.69	कार्यकारी एजेंसी
134	नयाभोराई में 02 बोरवेल की ड्रिलिंग तथा स्थापना	जलापूर्ति	17.00	10.51	10.51	कार्यकारी एजेंसी
135	एस पी माइंस क्षेत्र के अंतर्गत हटिया एवं बाउरी	आधारभूत संरचना	6.00	5.99	5.99	कार्यकारी एजेंसी

	पाड़ा के आसपास नाली तथा 04 कल्वर्ट का निर्माण					
136	बारमारिया तक पहुँचने वाली वर्तमान सड़क को मजबूत करना	आधारभूत संरचना	7.25	7.22	7.22	कार्यकारी एजेंसी
137	चित्रा ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुख्य सड़क से पीसीसी सड़क का निर्माण	आधारभूत संरचना	5.50	5.50	5.50	कार्यकारी एजेंसी
138	जमुआ पंचायत के अंतर्गत छट दंगल में पेटारी गड़िया तालाब की गहराई	जलापूर्ति	8.93	8.90	8.90	कार्यकारी एजेंसी
139	मोरहाबाड़ी में आंगनबाड़ी सेंटर से मुख्य सड़क तक 150 मीटर सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण	आधारभूत संरचना	2.73	2.70	2.70	कार्यकारी एजेंसी
140	मोरहाबाड़ी गाँव में मुख्य सड़क से यादव टोला तक 345 मीटर पीसीसी सड़क का निर्माण	आधारभूत संरचना	6.29	6.25	6.25	कार्यकारी एजेंसी
141	चित्रा गाँव के हाटतल्ला में फिल्टर संप के चारों ओर ईंट की दीवार का निर्माण	आधारभूत संरचना	1.43	1.43	1.43	कार्यकारी एजेंसी
142	शाहजोड़ी गाँव के आदिवासी टोला में पीसीसी सड़क	आधारभूत संरचना	7.29	7.29	7.29	कार्यकारी एजेंसी
143	सीएसआर 2013-14 के अंतर्गत ग्रामीणों को दवाओं की आपूर्ति	चिकित्सा	1.98	1.98	1.98	कार्यकारी एजेंसी
144	सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत मिश्रित व्यय	अन्य	0.40	0.40	0.40	कार्यकारी एजेंसी
145	सोनपुर गाँव में 02 वाटर रिजरवों का निर्माण	जलापूर्ति	2.46	0.94	0.94	कार्यकारी एजेंसी
146	सोनपुर गाँव में कुंवे के चबूतरे का निर्माण	जलापूर्ति	0.31	0.29	0.29	कार्यकारी एजेंसी
147	बासकडांगा में एक सामुदायिक भवन का निर्माण	आधारभूत संरचना	5.70	1.25	1.25	कार्यकारी एजेंसी

148	आर एन कॉलोनी के निकट बामनबांध का पुनरुद्धार	आधारभूत संरचना	0.73	0.72	0.72	कार्यकारी एजेंसी
149	डोबराना में सामुदायिक भवन का निर्माण	आधारभूत संरचना	4.33	0.90	0.90	कार्यकारी एजेंसी
150	गायघाटा में पुस्तकालय कक्ष सह प्रार्थना कक्ष का निर्माण	आधारभूत संरचना	2.06	1.17	1.17	कार्यकारी एजेंसी
151	बहुला हेल्थ यूनिट के लायन्स क्लब में ऑपरेशन थियेटर का निर्माण	आधारभूत संरचना	3.92	3.30	3.30	कार्यकारी एजेंसी
152	चिकित्सा गतिविधि – सोनपुर बजारी	चिकित्सा	1.25	1.02	1.02	कार्यकारी एजेंसी
153	मोबाइल मेडिकल वैन	चिकित्सा	2.71	2.53	2.53	कार्यकारी एजेंसी
154	सोनपुर बजारी के निकटवर्ती गाँवों में रहने वाले पुरुषों एवं महिलाओं को अपनी क्षमताओं के विकास/सामुदायिक सशक्तिकरण/निरंतरता के विकास हेतु प्रेरणा देना	प्रशिक्षण	0.40	1.20	1.20	कार्यकारी एजेंसी
155	चिकित्सा शिविर – मुगमा	चिकित्सा	1.25	0.44	0.44	प्रत्यक्ष
156	बैजना कोलियरी के अंतर्गत 2 नंबर पिट फिल्टरेशन प्लांट से टोपातांड गाँव तक जीआई पाइपलाइन बिछाना	जलापूर्ति	10.00	9.95	9.95	कार्यकारी एजेंसी
157	चापापुर कोलियरी के निकट रामकनाली गाँव में जलापूर्ति के लिए जीआई पाइपलाइन बिछाना तथा फिक्स करना	जलापूर्ति	7.29	6.41	6.41	कार्यकारी एजेंसी
158	मोबाइल एंबुलेंस -	चिकित्सा	1.829	1.829	1.829	प्रत्यक्ष
159	कोल इंडिया स्थापना सप्ताह	चिकित्सा	0.135	0.135	0.135	प्रत्यक्ष
160	विश्व एड्स दिवस	चिकित्सा	0.20	0.20	0.20	प्रत्यक्ष
161	हाइड्रोसिल शिविर	चिकित्सा	0.064	0.064	0.064	प्रत्यक्ष
162	हार्निया शिविर	चिकित्सा	0.087	0.087	0.087	प्रत्यक्ष
163	सुपर-स्पेशलिटी क्लीनिक	चिकित्सा	0.195	0.195	0.195	प्रत्यक्ष
164	महिला कॉलेज, गोड्डा में	आधारभूत	295.08	147.584	147.584	कार्यकारी

	अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	संरचना				एजेंसी
165	देवघर कॉलेज, देवघर में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण तथा अन्य विकासात्मक कार्य	आधारभूत संरचना	295.08	192.584	192.584	कार्यकारी एजेंसी
166	ललमटिया, राजमहल क्षेत्र में आईटीआई के लिए प्रशासनिक तथा कर्मशाला भवन का निर्माण	आधारभूत संरचना	462.84	231.42	231.42	कार्यकारी एजेंसी
167	टीआईएसएस समूह हेतु व्यय का आधारभूत सर्वेक्षण	मिश्रित	0.24	0.24	0.24	कार्यकारी एजेंसी
168	सीएसआर कार्य के लिए टीआईएसएस समूह को भुगतान	मिश्रित	4.058	3.12	3.12	कार्यकारी एजेंसी
169	□□□□□□ की प्रस्तुति के लिए श्री ए एम पाटंकर, पूर्व अध्यक्ष, टीटीसीडी, बीएआरसी, मुंबई के आगमन में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति	मिश्रित	0.028	0.028	0.028	कार्यकारी एजेंसी
170	श्री ए एम पाटंकर, पूर्व अध्यक्ष, टीटीसीडी, बीएआरसी, मुंबई के यात्रा किराये की प्रतिपूर्ति	मिश्रित	0.24	0.24	0.24	कार्यकारी एजेंसी
171	□□□□□□ तकनीकी पैक की चयनित तकनीकों का कार्यान्वयन	प्रशिक्षण	0.98	0.98	0.98	प्रत्यक्ष
172	ईसीएल की सीएसआर गतिविधियों के संबंध में विज्ञापन	मिश्रित	0.081	0.081	0.081	कार्यकारी एजेंसी
173	कुल्टी नगरपालिका के 10 गांवों में 60 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाना	सौर बत्तियाँ	9.92	4.46	4.46	कार्यकारी एजेंसी
174	विवेकानंद स्पोर्ट्स एकाडेमी द्वारा कोचिंग शिविर के बाद	खेल	15.245	4.762	4.762	कार्यकारी एजेंसी

	ग्राम फुटबॉल टूर्नामेंट, सुपर कप					
175	पारबेलिया में रामकृष्ण आश्रम विद्यापीठ की कक्षाओं का निर्माण	आधारभूत संरचना	5.49	8.245	8.245	कार्यकारी एजेंसी
176	ईसीएल में सीएसआर हेतु अंतर्जाल आधारित प्रतिपुष्टि पद्धति की स्थापना	मिश्रित	14.906	14.906	14.906	कार्यकारी एजेंसी
177	सीएसआर डॉक्यूमेंट हेतु	मिश्रित	0.015	0.015	0.015	
178	विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान	मिश्रित	2.10	2.10	2.10	प्रत्यक्ष
179	डिफ्यूजन एडवरटाइज़िंग एवं पब्लिसिटी	मिश्रित	0.132	0.132	0.132	प्रत्यक्ष
180	सीएसआर विज़न मैगजीन	मिश्रित	0.04	0.04	0.04	प्रत्यक्ष
181	बाउरी पाड़ा, उखड़ा गाँव में शेड का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.86	1.11	1.11	कार्यकारी एजेंसी
182	बाउरी पाड़ा में सीमेंट के मजबूत चबूतरे का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.45	0.578	0.578	कार्यकारी एजेंसी
183	खान्द्रा उच्च विद्यालय में साइकिल स्टैंड का निर्माण	आधारभूत संरचना	0.69	0.471	0.471	कार्यकारी एजेंसी

कंपनी अधिशासन पर रिपोर्ट :

(1) विचारधारा/दर्शन :

कंपनी अधिशासन को ऐसी पद्धतियों, प्रक्रियाओं तथा सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने सभी स्टेकधारकों के हित में कार्य करती है। ईसीएल को यह दृढ़ विश्वास है कि कंपनी अधिशासन एक संस्कृति है जिसके अंतर्गत एक संस्था विकसित एवं पल्लवित होती है। इस दौरान कंपनी अपने मूल्यों तथा उन उपायों का इस्तेमाल करती है जिसके द्वारा यह लोकहित तथा अपने स्टेकधारकों की आशाओं को पूरा करती है। ईसीएल में, यह नियमों एवं नैतिक मानकों के अनुपालन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार निवेश है जो न केवल हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे व्यापार को बनाए रखने के लिए भी बेहद आवश्यक है।

पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा अच्छे कंपनी अधिशासन के मुख्य घटक हैं। एक अच्छे कंपनी अधिशासन नागरिक की तरह आपकी कंपनी अधिशासन के उच्चतम मानकों के अनुपालन में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिकों को उचित सूचना मुहैया करवाती है।

(2) निदेशक मंडल :

(क) बोर्ड का गठन :

हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी हैं क्योंकि कोल इंडिया के पास संपूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी मौजूद है। संघ के अनुच्छेदों के मुताबिक निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के तहत हमारे बोर्ड में तीन से कम एवं 15 से ज्यादा संख्या में निदेशक नहीं रहेंगे। ये निदेशकगण पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक या अंशकालिक हो सकते है। निदेशकों को अंशधारी रहना जरूरी नहीं है।

31 मार्च 2014 को बोर्ड में 12 निदेशकगण हैं, जिसमें से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत 5 पूर्णकालिक निदेशक हैं।

कोयला मंत्रालय के निदेशक एक सरकारी नामित थे जो कोयला मंत्रालय का (01.06.2012 से) प्रतिनिधित्व करते थे। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) को (03.12.2012 से) ईसीएल बोर्ड में नामित किया गया। बीआईएफआर ने 24.12.2010 से ईसीएल बोर्ड में एक विशेष निदेशक को नियुक्ति की है।

सरकार द्वारा ईसीएल बोर्ड में 4 अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को नामित किया गया।

बोर्ड के निदेशकों के पास व्यापक अनुभव एवं दक्षता मौजूद है।

निदेशकगण :

2013-14 के दौरान, श्री राकेश सिन्हा कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे। 2013-14 के दौरान श्री ए. चटर्जी, श्री वी. पेद्दन्ना, श्री के. के. गौतम, श्री सुब्रत चौधरी, श्री एस. के. मोहंती, श्री एस.एम लोढ़ा, श्री एस.एम. शर्मा, श्री एस. के. श्रीवास्तव (31.10.2013 तक), श्री एस. चक्रवर्ती, श्री सी. के. डे, श्री रमेश चंद्र एवं श्री के. एस. पात्रो (01.11.2013 से) कंपनी बोर्ड के अन्य निदेशक थे।
निदेशकगणों का संक्षिप्त जीवनवृत्त अनुलग्नक – बी में संलग्न है।

सेवा करार :

सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। सभी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की अवधि एवं शर्तों का निर्णय कंपनी के संस्था के अनुच्छेदों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बीआईएफआर ने ईसीएल बोर्ड में एक विशेष निदेशक की नियुक्ति की है तथा उनकी सेवा शर्ते बीआईएफआर द्वारा तय होता है। गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की सेवा शर्ते कोयला मंत्रालय द्वारा तय की जाती है।

(ख) बोर्ड की बैठक :

निदेशक मंडल की बैठकें निदेशकों की सुविधा के लिए सामान्यतः सांकतोड़िया/कोलकाता में होती है। निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठक के लिए कंपनी के पास स्पष्ट प्रक्रिया मौजूद है ताकि सुविधा एवं कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो।

31 मार्च 2014 तक समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की 08 बैठक हुई जबकि न्यूनतम आवश्यकता 4 बैठकें थीं। बोर्ड बैठकों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	निदेशक मंडल							
	कार्यकारी		अंशकालिक सरकारी		अंशकालिक गैर सरकारी		कुल	
	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति
19.05.2013	5	5	2	2	5	5	12	12
06.06.2013	5	5	2	2	5	3	12	10
26.07.2013	5	5	2	2	5	4	12	11
24.09.2013	5	5	2	1	5	4	12	10
29.10.2013	5	5	2	2	5	5	12	12
20.12.2013	5	5	2	1	5	3	12	09
29.01.2014	5	5	2	2	5	4	12	11
10.03.2014	5	4	2	2	5	2	12	08

प्रत्येक निदेशकों द्वारा भाग लिए गए बोर्ड बैठकों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम	निदेशक	बोर्ड बैठक		डायरेक्टरशिप की संख्या
		अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	उपस्थिति	
	कार्यकारी निदेशक :			
1	श्री राकेश सिन्हा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	8	8	शून्य
2	श्री एस. के. श्रीवास्तव निदेशक (कार्मिक) (31.10.2013 तक)	5	5	शून्य
3	श्री एस. चक्रवर्ती निदेशक (तकनीकी) संचालन	8	8	शून्य
4	श्री सी. के. डे निदेशक (वित्त)	8	8	शून्य
5	श्री रमेश चंद्र निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	8	8	शून्य
6	श्री के॰ एस॰ पात्र निदेशक (कार्मिक) (01.11.2013 से)	3	2	शून्य
	अंशकालिक सरकारी निदेशक :			
7	श्री वी. पेद्दन्ना निदेशक, कोयला मंत्रालय	8	7	
8	श्री ए. चटर्जी निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड	8	7	02
	बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक :			
9	श्री के. के. गौतम	8	7	शून्य
	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :			
10	श्री सुब्रत चौधरी	8	5	शून्य
11	श्री एस. के. मोहंती	8	8	शून्य
12	श्री एस. एम. लोढ़ा	8	2	06
13	श्री एस. एम. शर्मा	8	8	शून्य

(ग) निदेशक का पारिश्रमिक :

(i) कार्यकारी निदेशक :

नाम	पदनाम	2013-14 के लिए पारिश्रमिक (राशि रू॰ में)		
		पारिश्रमकि पैकेज के सभी तत्व (वेतन, पेंशन, पीएफ, ग्रेच्यूटी इत्यादि)	अन्य लाभ	कुल
श्री राकेश सिन्हा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	2845532	-	2845532
श्री एस. के. श्रीवास्तव	निदेशक (कार्मिक) (31.10.2013 तक)	1538385	698063	2236448
श्री एस. चक्रवर्ती	निदेशक (तकनीकी) संचालन	2295590	18640	2314230
श्री सी. के. डे	निदेशक (वित्त) (01.02.2013 से)	2489604	-	2489604
श्री रमेश चन्द्र	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना	2556832	310384	2867216
श्री के॰ एस॰ पात्र	निदेशक (कार्मिक) (01.11.2013 से)	1026659	-	1026659

(ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण -

अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

(iii) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण :

सीटिंग शुल्क को छोड़कर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। बोर्ड/समिति की बैठक में सीटिंग शुल्क का विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	निदेशकों के नाम	कुल सीटिंग शुल्क (भुगतान की गई) (रू॰)
1	श्री के. के. गौतम	230000
2	श्री सुब्रत चौधरी	200000
3	श्री एस. के. मोहंती	210000
4	श्री एस. एम. लोढ़ा	90000
5	श्री एस. एम. शर्मा	220000
	कुल	**950000**

3. बोर्ड समिति :

[क] लेखा परीक्षा समिति :

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की संरचना, कार्यविधि, शक्तियाँ एवं भूमिका/कार्यों को कंपनी अधिनियम का पालन करना होता है।

लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र :

लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :-

1. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन करना एवं इसके वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के नियतन को बोर्ड के पास सिफारिश करना।
3. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के शुल्क के निर्धारण हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।
4. स्वीकृति हेतु बोर्ड के पास जमा करने, पहले लागू नियमों के साथ अनुपालन के वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा एवं सुनिश्चित करना कि :

क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के खंड (2एए) की शर्तों में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण में शामिल होने वाले मामले ;

ख) लेखांकन नीतियों एवं पद्धति में कोई बदलाव, यदि हो ;

ग) प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने पर आधारित आकलन जो बड़े लेखांकन प्रविष्टियों में शामिल है ;

घ) लेखा परीक्षा तथ्यों से प्राप्त वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन ;

ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित वैधानिक जरूरत के साथ अनुपालन ;

च) किसी पार्टी लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण ;

छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में योग्यता ।

ज) वित्तीय दशा का विश्लेषण तथा प्रबंधन चर्चा एवं संचालन का परिणाम।

5. स्वीकृति हेतु बोर्ड में जमा करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा।
6. प्रबंधन के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा।
7. आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य का पर्याप्तता की समीक्षा यदि कोई हो जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की रचना, स्टाफिंग एवं स्टाफ की वरिष्ठता, आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग, कवरेज एवं बारंबारता तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/ निष्कासन से संबंधित सूचना।
8. किसी महत्वपूर्ण तथ्य का आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।

9. आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा उन मामलों का आंतरिक अनुसंधान जहाँ किसी धोखाधरी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के फेल होने के तथ्य की समीक्षा तथा बोर्ड को रिपोर्ट करना।

10. लेखा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व, लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं स्कॉप साथ ही लेखा परीक्षा पश्चात चर्चा के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श।

11. जमाकर्ताओं, डिवेंचर होल्डरों, अंशधारियों (घोषित डिविडेंट भुगतान नहीं होने पर) एवं ऋणदाताओं के भुगतान के व्यापक गड़बड़ी के कारणों को देखना।

12. व्हीसल व्लोवर मेकानिज्म के कार्य करने के ढंग की समीक्षा करना।

13. सी एण्ड ए जी लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

14. अपेक्षित सूचना के निर्धारण या गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध समेत लेखा कार्य के दौरान कोई असुविधा, संघर्ष।

15. संसदीय लोक उद्यम समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

संयोजन :

लेखा परीक्षा समिति में 1 (एक) अंशकालिक सरकारी निदेशक नामतः श्री वी पेदन्ना, 04 (चार) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नामतः सर्वश्री एस॰ चौधरी, एस. के. मोहंती, एस. एम. लोढ़ा एवं एस. एम. शर्मा, 01 (एक) कार्यकारी निदेशक नामतः श्री एस. चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकी) संचालन शामिल हैं। 24.09.2013 को लेखा समिति का पुनर्गठन हुआ तथा मौजूदा सदस्यों के अलावा श्री ए॰ चटर्जी, निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड समिति के सदस्य बने।

निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (वित्त)/विभागीय प्रधान(आईए) लेखा परीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य है तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 10 (दस) बैठकें हुईं। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निम्नलिखित है :

दिनांक	सदस्य							
	कार्यकारी		अंशकालिक सरकारी		अंशकालिक गैर-सरकारी		कुल	
	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति
08.04.2013	1	1	1	0	5	4	7	5
19.05.2013	1	1	1	1	5	5	7	7
06.06.2013	1	1	1	1	5	3	7	5
08.07.2013	1	1	1	1	5	5	7	7
26.07.2013	1	1	1	1	5	4	7	6
31.08.2013	1	1	1	0	5	5	7	6
23.09.2013	1	1	1	0	5	3	7	4
28.10.2013	1	1	2	2	5	5	8	8
28.01.2014	1	1	2	2	5	3	8	6
09.03.2014	1	1	2	2	5	2	8	5

लेखा परीक्षा समिति की उपस्थिति :

प्रत्येक सदस्यों द्वारा भाग लिए गए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम	सदस्य	सदस्यों के अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	श्री एस. एम. शर्मा	10	10
2.	श्री वी. पेद्दन्ना	10	7
3.	श्री ए॰ चटर्जी (24.09.2013 से)	03	3
4.	श्री के. के. गौतम	10	9
5.	श्री एस॰ के॰ मोहंती	10	9
6.	श्री एस॰ एम॰ लोढ़ा	10	5
7.	श्री एस॰ चौधरी	10	6
8.	श्री एस॰ चक्रवर्ती	10	10

[ख] परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन एवं स्वीकृति हेतु समिति

बोर्ड की 246 वीं बैठक में परियोनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति हेतु समिति का गठन हुआ। वर्ष 2013-14 के दौरान परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति के लिए 19.05.2013, 26.07.2013, 31.08.2013, 24.09.2013, 28.01.2014 तथा 08.03.2014 को समिति की 06 (छह) बैठकें हुई। समिति के अध्यक्ष श्री राकेश सिन्हा (19.05.2013 तक) एवं श्री एस॰ चौधरी (20.05.2013 से) रहे। बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	श्री राकेश सिन्हा (19.05.2013 तक)	1	1
2	श्री सुब्रत चौधरी	6	6
3	श्री वी. पेद्दन्ना	6	3
4	श्री के. के. गौतम	6	5
5	श्री एस. एम. लोढ़ा	6	2
6	श्री एस. चक्रवर्ती	6	6
7	श्री सी॰ के॰ दे	6	5
8	श्री रमेश चंद्र	5	5

[ग] सीएसआर तथा सतत विकास पर समिति

29 दिसम्बर 2011 को हुई 249 वीं बैठक में ईसीएल बोर्ड द्वारा सतत विकास पर एक समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष श्री सुब्रत चौधरी है। 19.05.2013 को सम्पन्न ईसीएल की 261वीं बोर्ड बैठक में इस समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा इसका नाम सीएसआर तथा सतत विकास पर समिति रखा गया है।आगे चलकर, 20.12.2013 को सम्पन्न ईसीएल की 266वीं बोर्ड बैठक में इस समिति का एक बार फिर पुनर्गठन हुआ। समिति के अध्यक्ष श्री सुब्रत चौधरी (19.05.2013 तक) तथा श्री राकेश सिन्हा (19.05.2013 से) रहे। वर्ष 2013-14 के दौरान, सीएसआर एवं सतत विकास पर समिति की चार (04) बैठकें 27.06.2013, 23.09.2013, 29.10.2013 तथा 29.01.2014 को हुईं। बैठक के सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	श्री राकेश सिन्हा (19.05.2013 तक)	4	4
2	श्री वी. पेद्दन्ना (19.05.2013 से)	4	2
3	श्री के. के. गौतम	4	2
4	श्री सुब्रत चौधरी	4	3
5	श्री एस॰ के॰ मोहंती (19.05.2013 से)	4	4
6	श्री एस॰ एम॰ शर्मा	4	4
7	श्री एस॰ के॰ श्रीवास्तव (31.10.2013 तक)	3	3
8	श्री एस॰ चक्रवर्ती (19.05.2013 से)	4	4
9	श्री रमेश चंद्र (19.05.2013 से)	4	4
10	श्री के॰ एस॰ पात्र (20.12.2013 से)	1	1

[घ] पारिश्रमिक समिति

बोर्ड की 250 वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन हुआ। इस समिति में श्री एस. के. मोहंती, श्री एस. एम. लोढ़ा, श्री के. के. गौतम तथा श्री एस. के. श्रीवास्तव (31.10.2013 तक), शामिल हैं। कंपनी सचिव समति के सचिव है।

समिति के कार्यक्षेत्र : समय-समय पर बोर्ड द्वारा रेफर किए गए मुद्दे का समिति निपटारण करेगी।

वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई है।

[च] अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियों पर समिति

29 दिसम्बर 2011 को सम्पन्न बोर्ड की 249 वीं बैठक में अनुसंधान एवं विकास कर्यों पर एक समिति गठित की गई। समिति में श्री सुब्रत चौधरी, श्री एस. एम. शर्मा, श्री के. के. गौतम तथा श्री एस. के. श्रीवास्तव (31.10.2013 तक) है। समिति के अध्यक्ष श्री सुब्रत चौधरी है। कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

वैधानिक लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के तहत वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी लेखा की लेखा परीक्षा लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त निम्नलिखित चार्टर्ड लेखा परीक्षक, फर्म का विवरण निम्नलिखित है :

वैधानिक लेखा परीक्षक :

1.	मेसर्स दत्ता सरकार एवं कंपनी, 7ए, किरण सरकार रॉय रोड, द्वितीय तल, कोलकाता-700001

शाखा लेखा परीक्षक :

2	मेसर्स लोढ़ा एवं कं., 14 गवर्मेंट प्लेस ईस्ट, कोलकाता-700069
3	मेसर्स आर॰ पी॰ बूबना एवं कंपनी, करनानी एस्टेट, 209 ए॰ जे॰ सी॰ बोस रोड, द्वितीय तल, कमरा सं॰ – 87, कोलकाता - 700017
4	मेसर्स एल. बी. झा एवं कंपनी, जीएफ-1, गिल्लंडर हाउस, 8, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001
5	मेसर्स यू.एस. साहा एवं कंपनी, 35, बाहिर सर्वमंगला रोड, बर्द्धमान-713101
6	मेसर्स रॉय घोष एवं एसोसिएट, 39, कालना रोड, बदामतला, बर्द्धमान-713401

वार्षिक सामान्य बैठक :

विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी के अंशधारियों को वार्षिक सामान्य बैठक का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	दिनांक तथा समय	स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई
2010-11	23.05.2011 11:00 पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल श्री अनिरूद्ध पाल, वरिष्ठ अधिकारी(वित्त), सीआईएल श्री एस. चक्रवर्ती, निदेशक (तक.) संचालन, ईसीएल (लेखा परीक्षा समिति के सदस्य) श्री एन. कुमार, निदेशक (तक.) यो.परि., ईसीएल श्री ए. के. सोनी, निदेशक (वित्त), ईसीएल	-
2011-12	21.05.2012 04:00 अपराह्न	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल श्री बी भट्टाचार्या, वरिष्ठ प्रबंधक(वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सीआईएल तथा निदेशक, सीआईएल श्री एस. के. श्रीवास्तव,निदेशक(कार्मिक), ईसीएल श्री एस. चक्रवर्ती, निदेशक(तक.) संचालन, ईसीएल (लेखा परीक्षा समिति के सदस्य) श्री ए. के. सोनी, निदेशक (वित्त), ईसीएल	-
2012-13	23.05.2013 11:00 पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल श्री डी॰ सेट्ट, मुख्य प्रबन्धक (वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सीआईएल तथा	-

वर्ष	दिनांक तथा समय	स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई
			निदेशक (वित्त), सीआईएल श्री एस॰ एम॰ शर्मा, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति श्री एस॰ के॰ श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल श्री एस॰ के॰ श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य) श्री सी॰ के॰ दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल	

उपरोक्त 3 वर्षो के दौरान सदस्यों की किसी भी सामान्य बैठकों में पोस्टल बैलट द्वारा कोई विशेष संकल्प प्रेरित नहीं हुआ।

4. प्रकटन :

(क) संबंधित पार्टी लेनदेन :

कंपनी के निदेशकों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण के तहत पार्टियों के साथ लेन-देन के क्रम में व्यापक तौर पर कंपनी के हित के विरूद्ध कोई विवाद नही था।

(ख) निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता :

निदेशकों एवं वार्षिक अधिकारियों के लिए आचार संहिता को दिनांक 15 अक्तूबर 2007 को कंपनी के निदेशक मंडल की 214 वीं बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसे निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के नाम परिचालित कर दिया गया तथा उनसे इसकी पुष्टि प्राप्त कर ली गई। इसे कंपनी के वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर भी अपलोड कर दिया गया।

(ग) लेखांकन व्यवहार :

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 1956 में दर्शाए गए जरूरी लेखांकन मानकों एवं संबंधित प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किये गए है।

(घ) जोखिम प्रबंधन, धोखाधरी नियंत्रण तथा पहचान :

05.11.2012 को 257 वीं बैठक में ईसीएल बोर्ड द्वारा जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण नीति की मंजूरी दी गई है।

(ङ) सीईओ/सीएफ़ओ प्रमाणीकरण :

ईसीएल की 269वीं बोर्ड बैठक में कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री राकेश सिन्हा एवं निदेशक (वित्त) श्री सी॰ के॰ दे द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया जो **अनुलग्नक – सी** के रूप में कंपनी अधिशासन रिपोर्ट के साथ अनुलग्नित किया गया है।

5. संचार का माध्यम :

कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, संचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन को कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। वार्षिक लेखा के अलावा लेखा के छमाही समीक्षा को भी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा देखा गया।

6. लेखा परीक्षा अर्हता :

कंपनी का यह हमेशा प्रयास रहा है कि वह अप्रतिबंध वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का प्रबंधन के उत्तर को निदेशकों के प्रतिवेदन के संलग्नक के रूप में तैयार किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर टिप्पणियों को भी संलग्न किया गया है।

7. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

अपेक्षित अनुभव के आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रधान हैं। वे कंपनी के बिजनेस मॉडल तथा जोखिम विवरण से भलीभांति परिचित हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से सुपरिचित हैं।

8. कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न :

कंपनी का 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास है।

9. व्यीसल ब्लोवर नीति :

कंपनी अपनी सभी व्यवसायिक गतिविधियों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। बोर्ड ने अवैध या अनैतिक आचरण की रिपोर्टिंग की व्यवस्था दी है। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पास कानून के उल्लंधन, धोखाधरी या अनैतिक आचरण की शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। किसी कर्मचारी से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा छानबीन समिति द्वारा किया गया। प्रबंधन के कार्मियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे उक्त रिपोर्टिंग को गोपनीय रखें।

सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए कोल इंडिया द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन की तर्ज पर मेसर्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए 27 मार्च 2008 को कंपनी के बोर्ड ने अपनी 218 वीं बैठक की मंजूरी दे दी।

10. पीई सर्वे के लिए पूर्ण डाटा शीट को डीपीई के पास प्रस्तुत करने की तारीख 24.09.2013 थी।

अनुलग्नक - ख

निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

सभी निदेशको, का संक्षिप्त सारवृत्त, विशिष्ट कार्यकारी क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति तथा कंपनियों का नाम जिसमें उन्होंने अध्यक्ष, निदेशक, बोर्ड/समितियों के सदस्य रहें है, का विवरण निम्नलिखित है -

श्री राकेश सिन्हा (59) ने नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, रायपुर से 1977 में खनन अभियंत्रणा में स्नातक हैं। इनके पास प्रथम श्रेणी कोलियरी प्रबंधक का प्रमाण पत्र (कोल) भी है। उन्होंने 18 नवम्बर 1977 को कोल इंडिया में संयोजित हुए तथा इनकी तैनाती भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कनिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में हुई। तत्पस्चात इन्होंने बीसीसीएल की विभिन्न खदानों में विविध क्षमताओं में कार्य किया। जिस में महत्वपूर्ण मुनीडीह परियोजना भी शामिल है जो भारत का प्रथम संपूर्ण यांत्रीकृत खदान है।

श्री सिन्हा अप्रैल 1989 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्थानांतरित हुए, जहाँ उन्होंने विविध क्षमताओं जैसे- खान अधीक्षक/प्रबंधक, परियोजना अधिकारी, महाप्रबंधक तथा निदेशक(तकनीकी) संचालन, एसईसीएल के तकनीकी सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने महत्वपूर्ण उच्च क्षमता गेबरा खुली खदान परियोजना में परियोजना अधिकारी के रूप में भी कार्य किया जहाँ 18.03.2007 को खुली खदान परियोजना में उत्पादन 1.00 लाख टन के स्तर पर पहुँच गया, जो कोल इंडिया के इतिहास में किसी एक परियोजना में एक दिन का अबतक का सर्वोच्च उत्पादन है। बाद में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति के पश्चात उनका स्थानांतरण पुनः उनके पहले की कंपनी बीसीसेल में हो गई तथा उन्होंने लोदना क्षेत्र के मुख्य महाप्रबधक के रूप में अपना योगदान दिया।

श्री सिन्हा सितम्बर 2007 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में चुने गए तथा जून 2008 में निदेशक (तकनीकी) संचालन के रूप में योगदान दिया। उनके कुशल नेतृत्व में बीसीसीएल के विभिन्न आयामों में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

उनके प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड एवं प्रबंधकीय क्षमता के कारण अगस्त 2010 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के लिए चुने गए। उन्होंने 23 दिसम्बर 2010 तो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। विभिन्न खनन अवस्थाओं में कार्य करने का खनन अभियंता के रूप में उनका विस्तृत अनुभव है।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद विविध कार्य योजना कार्यान्वयन, सख्त अनुशासन के प्रवर्तन, प्रशासन के साथ उचित संपर्क बनाए रखने तथा उनके द्वारा सूक्ष्म निगरानी की वजह से कंपनी उत्पादन, उत्पादकता, प्रेषण, लाभप्रदता एवं कल्याण/सीएसआर गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में लगातार सर्वांगीण सुधार बनाए रखा। वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी की स्थापना के बाद से उच्चतम कोयला उत्पादन, कुल व्यापार, उपरि संस्तर हटाव, उत्पादकता, क्षमता का उपयोग, लाभप्रदता इत्यादि जैसे क्षेत्रों के पिछले सभी उपलब्धियों में श्रेष्ठ नए रिकॉर्ड बनाया। यह उम्मीद है कि उनके गतिशील नेतृत्व से कंपनी चालू वित्तयी वर्ष 2013-14 के अंत तक बीआईएफआर से बाहर आने के लिए तैयार है जो संशोधित पुरूद्धार योजना में प्रक्षेपण के आगे एक वर्ष है।

श्री सिन्हा ने पावर्ड सपोर्ट लांगवाल उपकरण तथा आईएमआई दिल्ली द्वारा आयोजित विश्वव्यापी नेतृत्व कार्यक्रम में यूरोप के विभिन्न देशों तथा चीन का दौरा किया। जुलाई 2011 के दौरान वे माननीय राष्ट्रपति के नेतृत्व में मंगोलिया के व्यापार प्रतिनिधिमंडल में थे। सित्मबर 2012 में उन्होंने माइन एक्सपो एवं खदान भ्रमण के सिलसले में यूएसए के वायोमिंग स्टेट का दौरा किया।

श्री सुब्रत चक्रवर्ती कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिडेट में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं। इनका जन्म 06.03.1958 को हुआ।
अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पाथा भवाना, शांतिनिकेतन में पूरी करने के पश्चात उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढाई इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद में 1979 में की। तत्पश्चात बीआईटी मेसरा से 1997 में एमसीए की डिग्री प्राप्त की। इम्पेरियल कॉलेज ऑफ माइन्स एवं टेक्नोलॉजी, लंदन में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विलियम सेलकिर्क स्कॉलरशीप एवं हर्लेम-इ-वेस्ट स्कॉलरशीप मिला जो अनुपयोगी रहा।

श्री चक्रवर्ती को खनन उद्योग में 32 वर्षों से अधिक का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है इन्होंने सीसीएल/बीसीसीएल/एनसीएल तथा ईसीएल में भूमिगत तथा खुली खदानों में प्रशासन, उत्पादन, योजना से संबंधित विविध क्षमताओं में कार्य किया है। ईसीएल में निदेशक (तकनीकी) पद पर योगदान के पहले एनसीएल में श्री चक्रवर्ती ने विविध क्षमताओं जैसे मुख्य महाप्रबंधक/अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड के तकनीकी सचिव, मुख्य महाप्रबंधक अमलोहरी प्रोजेक्ट में कार्य किया।

श्री चक्रवर्ती विभिन्न सरकारी दौरे पर अनेक देशों – यूएसए, रूस, बेलारूस, जर्मनी, स्विटजरलैंड, फ्रांस, चीन, सिंगापुर इत्यादि की यात्रा की। श्री चक्रवर्ती को पुस्तक पढ़ने, गाने का शौक है एवं वे सभी प्रकार के खेल के समर्थक हैं।

श्री चंदन कुमार डे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का जन्म दिनांक 10 सितम्बर, 1958 में कोलकाता में हुआ।

श्री डे 1975 में केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 1978 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से लेखा में ऑनर्स के साथ वाणिज्य में स्नातक हुए। श्री डे चार्टर्ड अकाउंटेंड तथा कोस्ट अकाउंटेंड है।

श्री डे को 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है तथा लवलॉक एण्ड लीव्स, डन्लॉप इंडिया लि., निक्को ग्रूप, बाल्मर लौवरी एण्ड कंपनी लि. एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों में अपनी सेवाएं दिये हैं।.

अपने पेशेवर कैरियर के दौरान श्री डे लेखा, राजकोष, कराधान एवं आंतरिक लेखा परीक्षण कार्यों के प्रमुख रहें तथा मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में सेवाएँ दिये। 03 वर्षों के लिए श्री डे यूनाइटेड किंग्डम में बाल्मर लॉवरी एण्ड कंपनी लि. के संचालन के मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में भी प्रमुख थें। वे सरकारी कार्य से भारत में तथा विदेशों में जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीजरलैंड, यूएसए, हॉन्ग कॉन्ग, यूएई और सेन्ट्रल एशियन रिपब्लिक का व्यापक यात्रा किये हैं।

श्री डे की रूचि किताबे पढ़ने में हैं तथा उन्हें संगीत से प्रेम हैं।

श्री रमेश चंद्र (59 वर्ष) स्वर्गीय हरि कृष्ण के बेटे ने 1976 में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वारणसी से माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ग्रहण की तथा प्रथम श्रेणी के माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी (कोल) रखते हैं एवं प्रथम श्रेणी के माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी (मेटलिफेरस) की अर्हता प्राप्त की। वे बीएचयू से स्वर्ण पदक और रॉबर्टन मेडल (एमजीएमआई से) से सम्मानित किये गये हैं। वे 20 सितम्बर 1976 को कोल इंडिया लिमिटेड में नियुक्त हुए तथा कनिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में पदस्थापित हुए। इस तरह से, उन्होंने कोयले की निकासी के दोनों नौभरण एवं केविंग पद्धति के साथ परंपरागत खदानों की बोर्ड एवं पिल्लर प्रणाली के अलावा लॉन्गवाल तकनीक तथा अन्य आधुनिक खदान प्रणाली के साथ भारत में प्रथम यांत्रिक भूमिगत खदान ख्यातिप्राप्त मुनीडीह परियोजना में 17 वर्षों से अधिक के सहित बीसीसीएल के विभिन्न खदानों में विविध क्षमताओं में कार्य किया। सीआईएल में नियुक्त होने के उपरांत उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से एम.टेक (माइनिंग इंजीनियरिंग) किया। अति उच्च गैस वाली डिग्री-III खदानों सहित कोल इंडिया लिमिटेड की बीसीसीएल, एसईसीएल, एमसीएल एवं एनसीएल के भमिगत खदानों तथा खुली खदानों में प्रबंधन, प्रशासन,

उत्पादन, योजना, वायु संचालन जैसे विविध क्षमताओं के साथ कोयला खनन में उन्हें 36 वर्षों से अधिक का विशद अनुभव हैं।
मई, 2012 में श्री चंद्र एसईसीएल में स्थानांतरित एवं पदस्थापित हुए जहाँ वे खुली खदान में ड्रेगलाइन के साथ कार्य करने के साथ-साथ दोनों परंपरागत एवं यांत्रिक खदानों में परियोजना अधिकारी, उप महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक जैसे विविध क्षमताओं में कार्य किये।

तत्पश्चात्, अक्तूबर 2007 में पदोन्नति होने पर, वे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्थानांतरित हुए और एलएचडी एवं यूडीएम के परिनियोजन से युक्त मध्यम स्तरीय मशीनीकरण के साथ मोटी सतह खदान वाली ऑरियेंट क्षेत्र में मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार सम्भाला। जुलाई 2009 में, वे नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्थानांतरित हुए, जहाँ वे लगभग 03 वर्षों के लिए सुरक्षा प्रभाग में और 04 ड्रेगलाइन से युक्त मेगा खुली खदान परियोजना में एक वर्ष तथा अन्य मुख्य उपलब्धियों के प्रमुख बनें। श्री चंद्र ने बीना परियोजना में 6.0 मि.टन से 7.5 मि.टन तक का पर्यावरण संबंधी मंजूरी सहित उत्पादन, संरक्षा मानक तथा लाभ में समग्र विकास द्वारा असाधारण योगदान दिया। उन्हें पर्यावरण के लिए ग्रीन-टेक गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

समकक्ष सामग्री मॉडलिंग के सिलसिले में स्तरीय नियंत्रण के लिए यूएसएसार की यात्रा भी किये। लम्बे समय से वे इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स, एमजीएमआई इत्यादि के प्रोफेसर निकयों के आजीवन सदस्य हैं।

उनके सिद्ध पिछले कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड एवं प्रबंधकीय क्षमता के कारण , अक्तूबर 2012 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) के रूप में चयन हुआ तथा 04 मार्च 2013 को निदेशक (तकनीकी) के कार्यालय का कार्यभार संभाला।

03 अप्रैल, 1958 को ओडीशा के गंजम जिले के एक शिक्षित परिवार में जन्मे **श्री के एस पात्र** ने भंजनगर (ओडीशा) के केएसयूबी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद श्रम एवं समाज कल्याण में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की।

श्री पात्रो ने वर्ष 1982 में प्रशिक्षु कल्याण अधिकारी के रुप में कोल इंडिया लिमिटेड में पदभार ग्रहण किया एवं उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पदस्थापित किया गया। ईसीएल से उन्होंने उन्होंने विभिन् पदों पर कार्य किया। इसमें यूनिट कोड स्तार पर औद्योगिक संबंध, कर्मियों के कल्याण, कार्मिक मामले-खासकर मजदूरी एवं वेतन प्रशासन तथा पदोन्नति से संबंधित विभिन्न चुनौतीपूर्यण कार्य भी शामिल है। ईसीएल में उनकी लंबी अवधि के दौरान श्री पात्रो ने सभी संवेदनशील स्थितियों का बड़े साहस के साथ सामना किया। विशेषकर न्यू केंदा खदान (1994), शामसुंदरपुर कोलियरी एवं बंकोला कोलियरी में भयावह खान दुर्घटना के समय उन्होंने अपने समृद्ध ज्ञान के द्वारा सफलतापूर्वक उन प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पायी। 27 वर्ष (1982-2009) तक ईसीएल में अपनी सेवाएँ देने के पश्चात उन्होंने 2009 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) के रूप में पदभार ग्रहण किया।

2011 में महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) के रुप में पदोन्नत होने के बाद उन्होंने सीसीएल, राँची के कार्मिक विभाग की अध्यक्षता की। 50,000 से अधिक जन शक्ति वाली कंपनी सीसीएल में उन्होंने कंपनी स्तर पर कार्यकारी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया एवं आसपास के गांवों में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लक्ष्य के साथ सहज संबंध स्थापित किया। उनकी नित नवीन एवं सकारात्मक सोच के कारण न केवल कंपनी का औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हुआ है, बल्कि कंपनी के उत्पादन, उताप्दकता, ऑफटेक, लाभ आदि की वृद्धि में भी इसका सकारात्मक योगदान रहा है। साथ ही, इससे कर्मियों, परियोजना प्रभावित लोगों एवं आसपास के ग्रामीणों के बीच उच्च प्रेरणात्मक वातावरण की सृष्टि हुई है। श्री पात्रो हमेशा कर्मियों के कल्याण हेतु समर्पित रहे हैं। सामुदायिक विकास (सीडी)-निगमित सामाजित दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कंपनी के आस पास रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए उनके द्वारा किये गये कार्य इसके साक्ष्य हैं। सीसीएल में उन्होंने लुपुंगटोली, सीमारटोली एवं जरी (1971 के बांगलादेश युद्ध में शहीद हुए श्री अल्बर्ट एक्का की जन्म स्थली) नामक तीन गाँवों को सीएसआर के तहत ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस क्रम में उन्होंने उन गाँवों के चहुँमुखी विकास में स्वयं विशेष ध्यान

दिया, खासकर वहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षी एवं कल्याण पर विशेष जोर दिया गया। उन्हें यह दक्षता प्राप्त है कि वे अपने कर्मियों के शुभचिंतक के रुप में कभी भी उनकी कॉलोनी में जाकर उनसे मिल सकते हैं।

कोयला उद्योग में 31 वर्षों के विशाल अनुभव के साथ-साथ अपने काम के प्रति नित-नवीन एवं सकारात्मक सोच के धनी श्री पात्रो की सफलता की कहानी में उनकी उपलब्धियाँ सहायक सिद्ध हुई है। ईसीएल के निदेशक (कार्मिक) के रुप में चयनित होने पर दिनांक 01 नवंबर 2013 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री कर्मचारियों, उनके परिवारों एवं व्यापक संदर्भ में ईसीएल परिवार, जिसमें ग्रामीण, निर्धन एवं पिछड़े हुए-सभी लोग शामिल हैं, के रहन-सहन में निरंतर सुधार करने को दृढ़संकल्प हैं।

श्री वी. पेद्दन्ना (57) मई 2011 से कोयला मंत्रालय के निदेशक हैं। श्री पेद्दन्ना आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद से कृषि विज्ञान में स्नातक हैं। उन्होंने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर किये हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोक प्रशासन पर पंजाब विश्वविद्यालय से एम.फील प्राप्त किये हैं। उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 04 वर्ष, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्राथमिक शिक्षा विभाग में 07 वर्ष, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 05 वर्ष तथा कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय में 03 वर्ष सहित 23 वर्षों का विस्तृत अनुभव हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बोर्ड में शामिल होने के पूर्व, वे नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित के रूप में कार्यरत थे।

श्री अभिजीत चटर्जी, एसीए 01.11.2012 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के पदभार को ग्रहण किया हैं। इसके पूर्व, 08.03.2010 से सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत रहे हैं। सीसीएल मे पदभार ग्रहण करने के पूर्व, 01.10.1997 से 05.02.2010 तक भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) में महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक तथा कार्यकारी निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत रहे हैं। वे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अंशकालीन आधिकारिक निदेशक के रूप में भी रहे हैं।

उन्हें कंपनी के वित्तीय प्रबंधन में समृद्ध अनुभव हैं तथा बीईएमएल में राजकोषीय प्रबंधन, सीमा उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बीमा, रेल मेट्रो एवं रक्षा उत्पाद व्यापार विपणन इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान दिये हैं। टीम सदस्यों के साथ उनके प्रयासों के कारण, बीईएमएल को राजकोषीय प्रबंधन के क्षेत्र में लगभग 08 करोड़ का लाभ हुआ। 18.02.2009 से 82 महीनों की अवधि हेतु 15 किश्तों में देय `3.58 करोड़ (लगभग) मूल्यों पर बैंगलोर मेट्रो रेल व्यापार के लिए पारगमन, भंडारण, निर्माण, संरचना, अधिष्ठापन तथा प्रवर्तन के जोखिम से आवरित समुद्री-सह-भंडारण-सह-निर्माण नीति को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई थी। 04 किश्तों मे 4.25 करोड़ (लगभग) लागत के कार्य-निष्पादन प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि के बाद कार्य के प्रारंभ होने की अवधि से 05 साल तक व्यावसायिक लापरवाही एवं डिजाइन कार्य में त्रुटि से उत्पन्न होने वाली किसी भी जोखिम को आवरित करने के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा को भी व्यवस्थित किये हैं। केवल 47 दिनों के अंदर अत्यंत पारदर्शी तरीके से 10 बीमाकर्ता/हामीदार के लिए सम्मिलित दर के द्वारा बीईएमएल में पहली बार यह बीमा कवर्स व्यवस्थित किया गया था। सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी मामलों के निपटारण में भी अपना योगदान दिया हैं तथा परिणामस्वरूप कंपनी ने 54.86 करोड़ का पर्याप्त कार्यगत पूँजी की बचत की हैं।

सीसीएल के आदेश पर, उन्होंने सीआईएल द्वारा प्रवर्तित आईपीओ का संवर्धन किये हैं। कोयला कंपनी के टीम नेतृत्व के रूप में, वे बकाया कोयला के विलंब भुगतान के लिए एचपीजीसीएल के विरूद्ध ब्याज दावा किया तथा 75 करोड़ (लगभग) के विस्तृत तक कोयला कंपनी के पक्ष में ऑम्पायर के शीघ्र, तार्किक एवं अनुकूल निर्णय लेना सुनिश्चित किया। उन्होंने जेएसईबी एवं टीएनवीएल से प्राप्ति में सुधार सुनिश्चित किया हैं। जबरदस्त अनुनय के कारण मेसर्स टीएनवीएल ने सीसीएल के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किया है।

सीआईएल के निदेशक (वित्त) के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदानों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) की पूँजी की पुन: संरचना भी शामिल है। उन्होंने सीआईएल द्वारा बीसीसीएल को प्राप्त बकाया ऋण तथा चालू खाता धन को 5% मुक्त करने योग्य संचित शेयर में बादल दिया जिससे बीसीसीएल सकारात्मक शुद्ध लाभ दर्ज़ करने में सफल रहा एवं सीआईएल के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित किए बगैर बीआईएफ़आर से बाहर निकल आया। ऋणों

के पूर्व-भुगतान से विदेशी विनिमय हानि को पूर्वकराय करने में उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई एवं इस प्रकार उन्होंने कंपनी को ऋणमुक्त किया। उनके नेतृत्व में, शेयरधारकों (जीओआई सहित) को एक एकल विशद लाभांश (जो सीआईएल का सर्वोच्च है) का भुगतान करने हेतु जटिल वित्तीय बचत आँकड़े तैयार हुए। कुल व्यय लाभांश कर सहित रू. 21,000 करोड़ रहा। उन्होंने वित्तीय एवं भौतिक दोनों आयामों म्विन वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) की सुस्त वृद्धि का भी सामान्य अध्ययन किया एवं उनकी बेहतरी तथा पुनरुद्धार के उपायों की संस्तुति की। सीआईएल की नीतियों एवं स्थिति की व्याख्या करने के लिए वे अनेक निवेशकों, समीक्षकों, भावी निवेशकों, बैंकरों आदि से लगातार मिलते रहे। साथ ही, वे भारत एवं विदेश में उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के भी उत्तर देते रहे। इससे बाज़ार को सीआईएल की पारदर्शी एवं अद्यतन विचारधारा को समझने तथा सीआईएल में निवेश की रूचि बनाए रखने में मदद मिली। डीजल एवं ठेका श्रम में लगभग 14% तथा सामान्य सीपीआई (कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स) में लगभग 7% की बढ़त के बावजूद प्रति टन 3% (वित्त वर्ष 2013-14 के लिए) के आसपास लागत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर) रखने के लिए उन्होंने एक प्रभावी वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने में सहाता प्रदान की।

वे एमडीआई, गुड़गाँव में वरिष्ठ प्रबंधन कोर्स तथा यूरोप के विभिन्न प्रबंधन स्कूलों में प्रशिक्षण हेतु भी गये हैं।

श्री सुब्रत चौधरी (67) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में खनन अभियंत्रण विभाग में एक अधिकारी प्रोफेसर हैं। शैक्षणिक कार्य में जुड़ने के पहले उन्होंने चार दशकों से कोयला मंत्रालय में उत्पादन, योजना में कार्य किया तथा कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत हुए।
कलकत्ता विश्वविद्यालय से खनन अभियंत्रण में स्नातक एवं इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स से खुली खनन में स्नातकोत्तर के पश्चात श्री चौधरी कोयला खनन प्रबंधन हेतु श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा जारी प्रथम श्रेणी (कोल) खान प्रबंधक का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। वे इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फेलो है और भारत सरकार कोयला मंत्रालय के पैनल में रिकोगनाइज्ड क्लासीफाइड प्लानर हैं।

श्री एस. के. मोहंती (66) 1972 में भारतीय राजस्व सेवा में योगदान किया। वे उड़ीसा, भुवनेश्वर से आयकर के मुख्य आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए। वे इतिहास में स्नातकोत्तर हैं तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में प्रशिक्षित हैं। अपने आईआरएस अधिकारी के रूप में उन्होंने कई प्रतिष्ठित पदों जैसे उप निदेशक/उप सचिव, डीजीएस एण्ड डी, आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार तथा निदेशक (वित्त) एवं कार्यकारी सीएमडी, विद्युत उत्पादन कॉरपोरेशन, उड़ीसा सरकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने सीआईटी चेन्नई, सीआईटी विशाखापत्तनम्. सीआईटी हैदराबाद, मुख्य सीआईटी हैदराबाद, मुख्य सीआईटी हैदराबाद, मुख्य सीआईटी, मुम्बई के पद पर भी कार्य किया। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन, कराधान, प्रशासन तथा अन्य वाणिज्यिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। 1988 में श्री मोहंती ने भारत में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स तथा क्लेक्सन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री के उच्चतम पुरस्कार से सम्मानित किए गए। वर्तमान में वे कुछ कॉरपोरेट ईकाई के (भारत एवं विदेश दोनों) के सलाहकार (वित्त एवं कराधान) भी हैं। वे कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्वतंत्र वाह्य मॉनीटर भी हैं।

श्री एस. एम. शर्मा (68) पेशे से वे कानपुर व्यापार कुशलता सलाहकार हैं। वे ईसीएल बोर्ड में एक वित्तीय विशेषज्ञ है तथा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। वे कानून एवं अर्थशास्त्र में स्नातक हैं। उन्हें लेखा परीक्षण का व्यापक अनुभव है तथा कई लोक उद्यमों जैसे एसबीआई, एलआईसी, टैफको, यूपी ब्रीज कॉरपोरेशन में उन्होने लेखा परीक्षण का कार्य किया हैं। उन्होंने कई निजी क्षेत्रों की कंपनियों - जैसे जागरण प्रकाशन लि. (दैनिक जागरण), कोठारी प्रोडक्ट लि. (पान पराग), रोटोमेक ग्लोबल प्रा. लि., फ्रांटियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लि., मिनएच्योर बल्ब इंडस्ट्रीज लि., हाईटेक बायोसाइंस इत्यादि में लेखा परीक्षण का कार्य किया है। 2012 से वे एनएसई के निवेशकों की शिकायतों से संबंधित ध्यान के जरिए वैकल्पित विवाद समाधान/निवारण (एडीआर) के पैनल में भी हैं।

श्री शर्मा व्यापार प्रबंधन कर योजना के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने विभिन्न व्यवसायिक सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में भाग लिया है जो समय-समय पर भारत एवं विदेश जैसे यूके, यूएसए, फ्रांस एवं जर्मनी में आयोजित किए गए। वे जागरण

प्रकाशन लि. (दैनिक जागरण) एवं रोटोमेक ग्लोबल प्रा. लि. के बोर्ड ग्रूप सलाहकार है। वे रेव-3 मल्टीप्लेक्स में वैचारिक स्तर, कार्यान्वयन की अवधारणा एवं इसेक सफलतापूर्वक संचालन से जुड़े हैं।

श्री शर्मा सक्रिय रूप से कई समाजिक, चेरिटेबल, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक गैर-सरकारी संगठन से भी जुड़े हैं। वे पहल – दी इनिशिएटिव नामक एक गैर-सरकारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं।

श्री एस. एम. लोढ़ा (63) एक वाणिज्य, विधि में स्नातक तथा एमबीए हैं। बड़े कॉरपोरेटों में उनके पास 36 वर्षो का औद्योगिक अनुभव है तथा नामी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सलाहकार एवं बोर्ड सदस्य रहे हैं। एसजीवीएन लि., इंदसुर गियर लि., इंडिया ट्रेड प्रोमोशन संगठन, इंद्शुर ग्लोबल लि., क्रिस्टल पैलेस प्रोपर्टीज प्रा.लि., इंद्शुर स्टेलकोर सर्विसेज प्रा.लि. के बोर्ड सदस्य है। वित्तीय क्षेत्र में वे एक नामी हस्ती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वूज-वू सोसाइटी, यूएसए ने उन्हें 2011-12 में अंतर्राष्ट्रीय वूज-वू पेशेवरों के रूप में पहचान कीहै जिसने अनुकरणीय उपलब्धि एवं व्यापार समुदाय को अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया है।

श्री कृष्ण कुमार गौतम (68) ने मास्टर इन साइन्स, एलएलबी हैं एवं 2007 से नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन लि. में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2006-07 के दौरान नेशनल कॉलेट्रल मेनेजमेंट सर्विसेज लि. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वे 1986 से 2006 के बीच फुड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विभिन्न क्षमताओं, अधिशासी समेत पदों पर कार्य किया है। वे 1977 से 1986 तक आगरा डिविजनल डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। वे 1969 से 1977 तक विविध क्षमताओं में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्य किया हैं। वे कृषि सामग्री व्यापार में ट्रेडिंग, कॉलेट्रल मेनेजमेंट तथा । वे औद्योगिक उद्यमों, वित्त एवं बैंकिंग तथा विभिन्न कानून के विशेषज्ञ है। वे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड के सभी समितियों के सदस्य हैं। वे इंडियन कॉन्सिल ऑफ आर्बिट्रेशन के अनुयायी एवं सदस्य भी हैं। वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आई॰ जी॰ आर॰ पी॰ के सदस्य भी हैं।

अनुलग्नक – ग

सेवा में,
निदेशक मंडल

<u>सीईओ एवं सीएफ़ओ सर्टीफिकेशन</u>

वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार हम, राकेश सिन्हा, अध्यक्ष तथा चन्दन कुमार दे, निदेशक (वित्त) प्रमाणित करते हैं कि :

क) हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह वियवरण का अवलोकन किया है एवं हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i) इन विवरणों में किसी अवास्तविक विवरण को शामिल नहीं किया गया है या किसी वास्तविक तथ्य को हटाया नहीं गया है। साथ ही इनमें ऐसा कोई तथ्य सम्मिलित नहीं है जो वास्तविकता से परे हो एवं बहकाने वाला हो।

ii) ये विवरण कंपनी के मामलों की स्वच्छ एवं वास्तविक छवि सामने प्रस्तुत करते हैं एवं इनमें कंपनी के वर्तमान लेखा मानकों, प्रयोज्य नियमों तथा विनियमों का अनुपालन किया गया है।

ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही में कंपनी द्वारा प्रवेशित कोई लेनदेन ऐसा नहीं है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

ग) वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना तथा उसके रखरखाव का दायित्व हम स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पद्धति के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के प्रारूपण अथवा संचालन की कमियों, यदि हों, को महालेखापरीक्षकों तथा महालेखापरीक्षा समिति के समक्ष उजागर किया जिनसे वे परिचित हैं एवं इन कमियों की सुधार के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।

घ) हमने महालेखापरीक्षकों तथा महालेखापरीक्षा समिति को संकेत किया कि :

i) संदर्भगत तिमाही के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ,

ii) वर्ष के दौरान, लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ; एवं

iii) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पद्धति में ऐसे किसी महत्वपूर्ण छल की जानकारी हमें नहीं है जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो।

दिनांक : 24.05.2014 **निदेशक (वित्त)** **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

अनुलग्नक – VII

7ए, किरण शंकर रोड, द्वितीय तल
कोलकाता – 700001

दत्ता सरकार एवं कंपनी
चार्टर्ड लेखापाल

कंपनी अधिशासन की शर्तों के साथ अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण,

हमलोग ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिशासन की शर्तो के अनुपालन की जाँच की।

कंपनी अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी है एवं एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है तथा कंपनी का शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है इसलिए सूचीबध्यता समझौता का खंड 49 लागू नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों के साथ जाँच का कार्य किया गया तथा कंपनी अधिशासन की शर्तों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित था। यह कंपनी के वित्तीय विवरणऩ पर न तो कोई लेखा परीक्षा है अपने वित्तीय विवरण पर कोई राय है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए उसके मुताबिक हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिशासन की शर्तों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

हम आगे यह घोषणा करते है कि यह अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में उत्तरजीविता का आश्वासन है और न अपने दक्षता को जिस कंपनी ने कार्य किया है।

कृते दत्ता सरकार एवं कंपनी
चार्टर्ड लेखापाल

दिनांक- 24.05.2014
स्थान- कोलकाता

(बी.के. दत्ता)
पार्टनर
सदस्य सं.- 016175
फर्म पंजीकरण सं. 303114ई

....

टेलीफोन : + 91 33 2248 1760 / 2213 1333, टेलीफैक्स : +91 33 2282 4889 / 2210 3885
ई-मेल : info@duttasarkar.com / dusac.2009@rediffmail.com
वेबसाइट : www.duttasarkar.com

अनुलग्नक – □□□□

मोबाइल : +91 91639 09775
ई-मेल : jmitul@ymail.com

मितुल जैन एवं एसोसिएट्स

3, महर्षि देबेन्द्र रोड, तीसरा तल, कोलकाता – 700 007

फॉर्म संख्या – एमआर-3
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी धारा, 2013 के खंड 204(1) तथा कंपनी नियम (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक), 2014 के नियम संख्या – 9 का कार्यान्वयन]

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

सेवा में,
सदस्यगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, डिसेरगढ़,
पश्चिम बंगाल – 713333.

मैंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अनुपालित प्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों एवं बेहतर अधिशासन के प्रति ईसीएल के दृढ़ अनुराग की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा इस प्रकार की गयी जिससे मुझे अधिशासन संचालन/वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा अपनी राय व्यक्त करने का ठोस/समुचित आधार मिला।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान, ईसीएल कंपनी द्वारा देखरेख की जाने वाली किताबों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत पुस्तकों, फॉर्मों एवं फाइल की गयी रिटर्नों तथा अन्य अभिलेखों के साथ-साथ कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी जानकारी के सत्यापन के आधार पर मैं/हम एततद्वारा रिपोर्ट करता/करते हूँ/हैं की मेरे/हमारे विचार में 31 मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षा अवधि) के दौरान ईसीएल ने निम्नलिखित सूचीगत वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया एवं अनुपालन अभियंत्रण है जो बेहतर ढंग से कार्य करते हैं एवं इनका उल्लेख किया जाना चाहिए।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त-वर्ष हेतु ईसीएल कंपनी द्वारा देखरेख की जाने वाली किताबों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत पुस्तकों, फॉर्मों एवं फाइल की गयी रिटर्नों तथा अन्य अभिलेखों की मैंने जाँच की है और सभी दस्तावेज़ों को प्रावधानों की कसौटी पर कसा है :

□) कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा) एवं इसके अंतर्गत नियम;
□□) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं इसके अंतर्गत बने नियम;
□□□) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं नियम;

▯▯) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं विदेश प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश एवं वाह्य व्यापारिक ऋणादान तक इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम;

▯) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('एसईबीआई' अधिनियम) के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश : -

क) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 2011 (शेयर एवं अधीनीकरण का महत्वपूर्ण अधिग्रहण);
ख) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (घरेलू व्यापार को रोकना);
ग) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 2009 (पूँजी जारी करना एवं आवश्यकता ज़ाहिर करना);
घ) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड दिशानिर्देश, 1999 (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना तथा कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना);
ङ) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 2008 (ऋण सुरक्षा की सूची);
च) कंपनी अधिनियम तथा संबंधित सेवार्थी के संबंध में भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1993 (इस्यू एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स का पंजीकरण);
छ) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 2009 (डेलिस्टिंग ऑफ इक्विटी); एवं
ज) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1998 (बायबैक ऑफ सेक्यूरिटीज़);

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि

अधिशासी निदेशक, गैर-अधिशासी निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत तैयार किया गया। आलोच्य अवधि के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। बोर्ड बैठकें, मुद्दे एवं मुद्दों पर विस्तृत टिप्पणियाँ तय करने के लिए सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले अग्रिम सूचना दी जाती है तथा बैठक के पहले मुद्दों पर पूरी जानकारी एवं स्पष्टीकरण माँगने एवं प्राप्त करने की एक पद्धति है जिससे बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी हो सके। किसी बिंदु पर सदस्यों के बीच मतभेद होने पर उन सभी के मतों पर विचार किया जाता है तथा कार्यवृत में भी शामिल किया जाता है जबकि अधिकतर सदस्यों की सहमति से ही निर्णय लिया जाता है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी की प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन मॉनीटर एवं सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार तथा कार्य-संचालन के बीच अनुरूपण स्थापित करने के लिए कंपनी में समुचित पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ हैं।

अनुलग्नक – IX

फॉर्म संख्या – एमजीटी – 9

वार्षिक लेखा का सार

31.03.2014 को समाप्त वित्त-वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) तथा कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 12(1) का कार्यान्वयन]

□. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

□) सीआईएन :- यू10101डबल्यूबी1975जीओआई030295

□□) पंजीकरण दिनांक :- 01.11.1975

□□□)कंपनी का नाम :- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

□□) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी :- कंपनी अधिनियम-2013 के अनुभाग 2(71) के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी

□) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण :- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पत्रालय – डिसेरगढ़, जिला – बर्दवान, पिन- 713333, पश्चिम बंगाल

□□) क्या सूचीगत कमनी है? – हाँ/नहीं :- नहीं

□□□)पंजीयक (रजीस्ट्रार) तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि हो :- अप्रयोज्य

□□. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% या उससे अधिक के योगदान वाली समस्त व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा :-

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	कोयला	0510	100%

□□□. नियंत्रक, अनुषंगी तथा सम्बद्ध कंपनियों का विवरण : -

क्रम	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/अनुषंगी/संबद्ध	धारण किए शेयर का %	कंपनी अधिनियम, 2013 का प्रयोज्य अनुभाग
1	कोल इंडिया लिमिटेड, 10 एनएस रोड, कोलकाता – 700001	एल23109डबल्यूबी1973जीओआई028844	नियंत्रक कंपनी	1000%	2(46)

□□. शेयर नियंत्रण पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

क) श्रेणीवार शेयर नियंत्रण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
□) व्यक्तिगत/एचयूएफ़		3	3	0.01		3	3	0.01	शून्य
□□) केंद्र सरकार									
□□□) राज्य सरकार									
□□) कॉरपोरेट संस्थाएँ		22184497	22184497	99.99		22184497	22184497	99.99	शून्य
□) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
□□) कोई अन्य........									
कुल (क) (1) :-	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य
(2) विदेशी									
□) एनआरआई-व्यक्तिगत									
□□) अन्य – व्यक्तिगत									
□□□) कॉरपोरेट संस्थाएँ									
□□) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
□) कोई अन्य.........									
कुल (ख) (2) :-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रमोटर (क) के कुल धारण शेयर = (क) (1) + (क) (2)	शून्य	22184500	22184500		शून्य	22184500	22184500		
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
(1) संस्थाएँ									
□) म्यूचुअल फंड									
□□) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
□□□) केंद्र सरकार									
□□) राज्य सरकार									
□) वेंचर कैपिटल फंड									
□□) बीमा कंपनी									
□□□) एफ़आईआई									
□□□□) विदेशी वेंचर कैपिटल									

फंड ▯▯) अन्य (उल्लेखनीय) कुल (ख) (1) :- (2) गैर-संस्थाएँ ▯) कॉरपोरेट संस्थाएँ अ) भारतीय आ) ओवरसीज ▯▯) व्यक्तिगत अ) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा धारण की हुई रू॰ 01 लाख तक की शेयर पूँजी आ) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा धारण की हुई रू॰ 01 लाख से अधिक की शेयर पूँजी इ) अन्य (उल्लेखनीय) कुल (ख) (2) :- कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
ग॰ जीडीआर एवं एडीआर हेतु अभिरक्षक द्वारा धारण किए गए शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य

ख) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग

क्रम सं॰	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयर			वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयर			वर्ष के दौरान परिवर्तित %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से प्लेज्ड/इनकंबर्ड शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से प्लेज्ड/इनकंबर्ड शेयरों का %	

1	कोल इंडिया लिमिटेड	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य
	कुल	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य

ग) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में बदलाव (कृपया चिहनित करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो) :

वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	22184497	99.99	22184497	99.99
2	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे – आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	22184497	99.99	22184497	99.99

घ) चोटि के दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग पद्धति (जीडीआर तथा एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों एवं धारकों/नियंत्रकों के अलावा) :

क्रम सं.	चोटि के दस शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
2	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे – आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी)				
3	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)				

ङ) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग :

क्रम सं.	प्रत्येक निदेशक तथा केएमपी के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	1	0.01	1	0.01
2	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे –	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी)				
3	वर्ष के अंत में	1	0.01	1	0.01

V. अनुगृहीता

बकाया/बढ़ते ब्याज पर भुगतान बाकी नहीं सहित कंपनी की अनुगृहीता

विवरण	जमा को छोडकर सुरक्शित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल अनुगृहीता
वित्त वर्ष के आरंभ में अनुगृहीता i) मूल राशि ii) बकाया ब्याज, पर भुगतान नहीं किया गया iii) बढ़ा हुआ ब्याज, पर बकाया नहीं		679.32		679.32
कुल (□+□□+□□□)		679.32		679.32
वित्त वर्ष के दौरान अनुगृहीता में बदलाव ➢ जोड़ ➢ घाटा		13.46 5.74		13.46 5.74
शुद्ध बदलाव		7.72		7.72
वित्त वर्ष के अंत में अनुगृहीता i) मूल राशि ii) बकाया ब्याज, पर भुगतान नहीं किया गया iii) बढ़ा हुआ ब्याज, पर बकाया नहीं		687.04		687.04
कुल (□+□□+□□□)		687.04		687.04

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबन्धक की पारिश्रमिक :

(आँकड़े रू. में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डबल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम						कुल राशि
		श्री राकेश सिन्हा,अप्र नि	श्री एस.चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकी) संचालन, (डब्ल्यूटीडी)	श्री सी के दे, निदेशक (वित्त), (डब्ल्यूटीडी)	श्री रमेश चन्द्र, निदेशक (तकनीकी) योजना-परियोजना, (डब्ल्यूटीडी)	श्री के.एस.पात्र, निदेशक (कार्मिक), (डब्ल्यूटीडी)	श्री एस.के. श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक), (डब्ल्यूटीडी) (31.10.13 तक)	
1	कुल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	2424299	1958330	2141564	2243687	864975	1218173	10851028
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	421233	337260	348040	313145	161684	320212	1901574
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17 (3) के अंतर्गत वेतन के अलावा लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	0	18640	0	310384	0	698063	1027087
6	कुल (क)	2845532	2314230	2489604	2867216	1026659	2236448	13779689
7	अधिनियम के अनुसार सीलिंग							129.91 करोड़

ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(आँकड़े रू. में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	का नाम					कुल राशि
		श्री एस. चौधरी	श्री एस के मोहन्ती	श्री एस एम लोढ़ा	श्री एस एम शर्मा	श्री के के गौतम	
1	स्वतंत्र निदेशक ➢ बोर्ड-समिति बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क ➢ कमीशन ➢ अन्य,उल्लेख करें	2,00,000 शून्य शून्य	2,10,000 शून्य शून्य	90,000 शून्य शून्य	2,20,000 शून्य शून्य		7,20,000 शून्य शून्य
	कुल (1)	2,00,000	2,10,000	90,000	2,20,000		7,20,000
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक ➢ बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क ➢ कमीशन ➢ अन्य,उल्लेख करें					2,30,000 शून्य शून्य	2,30,000 शून्य शून्य
3	कुल (2)					2,30,000	2,30,000
4	कुल (ख) = (1+2)	2,00,000	2,10,000	90,000	2,20,000	2,30,000	9,50,000
5	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)						1,47,29,689
6	अधिनियम के अनुसार कुल सीलिंग						142.92 करोड़

ग) एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी को छोड़कर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक कंपनी सचिव	कुल
1	कुल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 17 (3) के अंतर्गत वेतन के अलावा लाभ	1938646.00 369916.00 शून्य	1938646.00 369916.00 शून्य
	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य
	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य
	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	9021.00	9021.00
	कुल	2317583.00	2317583.00

□□□。 जुर्माना / दंड /अपराधों की सुलह :

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुभाग	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/दंड/सुलह शुल्क का विवरण	प्राधिकारी [आरडी/एनसीएलटी/सीओयूआरटी]	की गयी अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
सुलह					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
सुलह					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
सुलह					

अनुलग्नक - X

विदेशी मुद्रा आय एवं खर्च

I. निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों, सेवाओं एवं निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजार का विकास ⇨ कंपनी निर्यात गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं है।

II. अर्जित एवं व्यवहार में लाए गए कुल विदेशी मुद्रा -

(रू. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2013-14	2012-13
(क)	**व्यवहार में लाई गई विदेशी मुद्रा :**		
	1. आयात का सीआईएफ मूल्य :		
	(i) कच्चा माल	0.00	0.00
	(ii) पुर्जा, भंडार एवं स्पेयर्स	1011.00	1386.00
	(iii) पूँजीगत माल	0.00	2897.00
	2. यात्रा / प्रशिक्षण व्यय	54.00	7.00
	3. तकनीकी जानकारी एवं विदेशी परामर्श पर व्यय	0.00	0.00
	4. विदेशियों को पेंशन	0.00	0.00
	5. अन्य	1294.00	548.00
	कुल	**2359.00**	**1941.00**
(ख)	**विदेशी मुद्रा आय**	**शून्य**	**शून्य**

तकनीकी आमेलन से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया	:	कंपनी के पास अपना अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित नहीं है। सीएमपीडीआईएल, जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है, केंद्रीय रूप से सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का कार्य करती है।
2.	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त लाभ	:	अप्रयोज्य
3.	भविष्य की कार्य योजना	:	अप्रयोज्य
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	:	अप्रयोज्य
	क) पूँजी		-
	ख) आवर्ती		-
	ग) कुल		-
	कुल आर एण्ड डी व्यय, कुल टर्नओवर का प्रतिशत	:	अप्रयोज्य

तकनीकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवप्रवर्तन

1.	तकनीकी आमेलन, अनुकूलन तथा नवप्रवर्तन में किए गए प्रयास का संक्षिप्त विवरण	:	शून्य
2.	उपरोक्त प्रयासों से प्राप्त लाभ जैसे- उत्पाद उन्नयन, लागत में कमी, उत्पाद का विकास, आपात का विकल्प इत्यादि	:	शून्य
3.	आयातित तकनीक के मामले में (वित्तीय वर्ष आरंभ होने से विगत 5 वर्षों के दौरान आयात का गणना) निम्नलिखित जानकारी निम्नवत है-	:	शून्य
	(i) आयातित तकनीक	:	शून्य
	(ii) आयात का वर्ष	:	शून्य
	(iii) क्या आयात का पूर्णतः आमेलन किया गया ?	:	शून्य
	(iv) यदि पूरी तरह आमेलन नहीं हुआ तो कहाँ तक हुआ, उसका कारण एवं भविष्य की कार्य योजना	:	शून्य

गोपनीय

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक
लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्ष
बोर्ड-II कोलकाता
पुराना निजाम महल, आचार्य जगदीश चंद्र बोस
रोड, कोलकाता-700020

पत्रांक- 62/सीए/एलए-I/लेखा/ईसीएल/2013-14 दिनांक – 03.06.2014

सेवा में
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बंगाल।

विषय- कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी अग्रसारित करता हूँ।

कृपया पत्र की पावती भेजी जाय।

भवदीय

संलग्न- यथोपरि।
दिनांक- 03.06.2014

(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II
कोलकाता

दूरभाष : 91-33-22875380 / 7165 / 2360 / 8838. 22810043 / 5654 फ़ैक्स : 91-33-2280-0062
ई-मेल : pdca2cal@cal3.vsnl.net.in तार : कोयलेखा

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी अधिनियम 1956 में दर्शाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के तहत है जो कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। जो इन्सटीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा दर्शाए गए लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है। यह 24.05.2014 को उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए विवरण पर आधारित है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3)(बी) के तहत 31 मार्च, 2014 को समाप्त ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंन्ग पेपर्स के निर्धारण के बिना स्वतंत्र रुप से किया गया है एवं यह वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों की जांच के प्राथमिक रुप से सीमित है एवं कुछ लेखा रेकार्डों की जांच के तहत है। प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरण की समीक्षा के मद्देनजर तथा मेरे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा जो पूरक लेखा परीक्षा में दर्शाए गए हैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन या पूरक टिप्पणी पर आधारित होगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से

(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-।।
<u>कोलकाता</u>

स्थानः कोलकाता
दिनांक 03.06.2014

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

क्रम	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
1.	**वित्तीय विवरण पर प्रतिवेदन** हमलोगों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय विवरण के साथ लेखा परीक्षण की है जो 31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र, वर्ष समाप्ति हेतु लाभ-हानि के विवरण तथा नकद प्रवाह, जिसमें सम्मिलित है (क) हमारे द्वारा मुख्यालय एवं 8 क्षेत्रों/ईकाइयों का लेखा परीक्षण की और भी (ख) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के अनुभाग 228 के अंतर्गत 19 क्षेत्रों/ईकाइयों का लेखा परीक्षण की गई, तथा महत्वपूर्ण नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश को शामिल करता है।	यह तथ्यों का बयान है।
2.	**वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन के दायित्व** इस वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है कि कंपनी अधिनियम 1956 "अधिनियम" के भाग 211 के अनुभाग 3(सी) के संदर्भ में लेखांकन मानदण्डों के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नगद प्रवाह पर एक सच्चा एवं निष्पक्ष राय दें। यह दायित्व वित्तीय विवरण को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव को शामिल करते हुए सच्चा एवं निष्पक्ष राय दे तथा सामग्री के अशुद्ध कथन से मुक्त हो, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	**अभिमत** हमारी राय एवं उत्कृष्ट सूचना तथा हमें दिये गए विवरण के अनुसार भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण के आवश्यक रूप से अधिनियम द्वारा सत्या एवं निष्पक्ष राय के साथ उपरोक्त जानकारी देता है : (क) तुलन-पत्र के संबंध में, 31 मार्च 2014 को कंपनी की मामलों की स्थिति। (ख) लाभ-हानि विवरण के संबंध में, उस दिनांक पर वर्ष की समाप्ति हेतु लाभ। (ग) नकद प्रवाह के संबंध में, उस दिनांक पर वर्ष की समाप्ति हेतु नकद प्रवाह।	यह तथ्यों का बयान है। यह तथ्यों का बयान है। यह तथ्यों का बयान है।
4.	**अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन**	
1.	अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4ए) के रूप में भारतीय केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 की आवश्यकता के अनुसार, आदेश के पारा 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं।	यह तथ्यों का बयान है।
2.	**अधिनियम की धारा 227(3) से अपेक्षित है, हमलोग प्रतिवेदित करते है कि :**	
(क)	हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त की जो हमारी जानकारी में लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थी ;	यह तथ्यों का बयान है।
(ख)	हमारी राय में कानून के तहत आवश्यक लेखा की पुस्तिका कंपनी द्वारा रखी गई है जो इस पुस्तिकाओं की जाँच से स्पष्ट होता है तथा हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य हेतु पर्याप्त उचित वापसी को शाखाओं से प्राप्त कर लिया गया है जहाँ हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया;	यह तथ्यों का बयान है।
(ग)	इस प्रतिवेदन के साथ निपटारित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण खाता बही के साथ करार में है (और शाखाओं से प्राप्त वापसी जहाँ हमने दौरा नहीं किया);	यह तथ्यों का बयान है।
(घ)	हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) को विनिर्दिष्ट लेखांकन मानदण्डों का पालन करते हैं।	यह तथ्यों का बयान है।

क्रम	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
(ङ)	कंपनी के कंपनी सचिव से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के संदर्भ में कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशक प्रथम दृष्टया में अयोग्य नहीं है। विधि न्याय एवं कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 8/2002 दिनांक 22.03.2002 इस कंपनी में प्रयोज्य नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।	यह तथ्यों का बयान है।
(च)	चूँकि केंद्र सरकार ने दर पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है ना ही कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 144ए के अंतर्गत चुकता उपकर (सेस) तथा उक्त धारा के तहत को नियम जारी किया गया, जिसमें ऐसे उपकर को रीतिबद्ध तरीके से चुकाया जाए। कंपनी द्वारा कोई उपकर देय नही है।	यह तथ्यों का बयान है।

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक

(जैसा कि उस दिन के हमारे प्रतिवेदन के पैराग्राफ – 1 में वर्णित है)

क्रम	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
1.	**अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :**	
(क)	कंपनी द्वारा मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिसंपत्तियों समेत उचित रिकॉर्ड रखा गया है। कोल माइन्स प्राधिकारी से राष्ट्रीयकरण के समय प्राप्त परिसंपत्तियों एवं कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन की परिसंपत्तियों के अलावा कंपनी ने सामन्यतः मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण का उचित रिकॉर्ड रखा है।	यह तथ्यों का बयान है।
(ख)	हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या तथा संबन्धित अभिलेखों की समग्र जाँच के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने एक लाख रूपये या इससे अधिक मूल्य के संयंत्रों एवं मशीनों की वास्तविक जाँच की है। इस जाँच में कोई भी विसंगति नहीं पाई गई। जिस अचल परिसंपत्तियों की जाँच की गई उस पर कोई पहचान संख्या नहीं दिया गया। लेकिन एक लाख रूपये से कम मूल्य के संयंत्रों एवं मशीनों की वास्तविक जाँच के आधार में हमलोग सामग्रियों की विसंगतियों के संबंध में कोई राय प्रकट करने में असमर्थ हैं।	यह तथ्यों का बयान है।
(ग)	वर्ष के दौरान कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का अधिकांश भाग का निपटारण नहीं किया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
2.	**वस्तुसूची के संबंध में :**	
(क)	हमें जो सूचना तथा स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं संबंधित रिकॉर्डो के समग्र परीक्षण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर वस्तुसूची की वास्तविक जाँच की गई है।	यह तथ्यों का बयान है।
(ख)	हमें जो सूचना तथा स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं संबंधित रिकॉर्डो के समग्र परीक्षण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची की वास्तविक जाँच की पद्धति सामान्य एवं पर्याप्त है तथा यह कंपनी के आकार एवं कार्य की प्रकृति के हिसाब से उचित है।	यह तथ्यों का बयान है।

(ग)	हमें जो सूचना तथा स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं संबंधित रिकॉर्डों के समग्र परीक्षण के अनुसार, कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकॉर्ड रखा है। वास्तविक जाँच के दौरान वास्तविक स्टॉक एवं बुक स्टॉक में जो अंतर हुआ है उसे उचित तरीके से लेखा में दर्ज किया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत कंपनी रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को/से सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकार नहीं किया है।	यह तथ्यों का बयान है।
4.	हमारी राय में एवं हमें जो सूचना तथा स्पष्टीकरण दिए गए हैं उसके अनुसार कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय के प्रकृति के अनुसार वस्तुसूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद, मालों की बिक्री में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, यह छोड़कर कि कुछ मामलों में सामग्रियों की प्राप्ति, अग्रिमों के समायोजन एवं देयताओं की प्रविष्टी के बीच समय का अंतराल है तथा पार्टियों से शेष पुष्टियों का अभाव है। हमारे लेखा परीक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखी गई।	यह तथ्यों का बयान है।
5.	**कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत संविदा अथवा व्यवस्था का विवरण –**	
(क)	हमारी राय में तथा हमें जो सूचना उपलब्ध करायी गई है उसके अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रजिस्टर में जिस लेनदेन को दर्ज किया जाना जरूरी था, उसे किया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
(ख)	किसी पार्टियों के साथ इस प्रकार के ठेकों या व्यवस्थाओं के तहत पाँच लाख रूपये से अधिक का लेन-देन नहीं किया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
6.	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए था 58एए एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी जन साधारण से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।	यह तथ्यों का बयान है।
7.	कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य चार्टर्ड लेखापालों द्वारा किया जाता है। विभिन्न शीर्षों के तहत पुराने बकाया शेषों की पूरी जाँच की जानी चाहिये। जो कंपनी के खाते में वर्ष-दर-वर्ष लाये जाते हैं ताकि उसकी वैद्यता स्थापित हो सके। हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा का विस्तार एवं आवृति समय पर रिपोर्ट जमा करने की क्रिया को और मजबूत बनाया जाय। उपरोक्त के शर्त कंपनी के आकार एवं कार्य की प्रकृति के हिसाब से कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा सही है।	यह तथ्यों का बयान है।
8.	कोयला खनन के संबंध में, लेखापरीक्षाधीन वर्ष के लिए, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (डी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए। हमें जो सूचना तथा स्पष्टीकरण दिए गए हैं उसके अनुसार तथा लागत रिकॉर्डों के सामान्य पुनरीक्षण के अनुसार रिकॉर्डों एवं खातों की विनिर्दिष्ट लागत बनाया तथा व्यवस्थित रखा गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
9.	**वैधानिक बकाया राशि के संबंध में**	

	कंपनी द्वारा भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर (सेस) एवं अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया की नियमित रूप से उचित अधिकारी के पास जमा किया गया है।	यह तथ्यों का बयान है। साथ ही, कंपनी द्वारा ऋण के रूप में अभिस्वीकृत दावों में इन विवादित बकाया को शामिल किया गया है जिसका विवरण खंड – 7.2 के अंतर्गत 'लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी' में दिया गया है।

(ख) विवादित वैधानिक बकाया कर को विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, उपकर, आयकर, सेवा कर आदि सक्षम प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है उसका विवरण इस प्रकार है :

क्रम	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (रू. लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है
1	प. बंगाल ग्रामीण रोजगार एवं उत्पादन अधिनियम, 1973	प. बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	14203.11	1997-98	जेसीसीटी, आसनसोल को पुनर्प्रेषित
			14978.46	1998-99 से 2000-01	डब्ल्यूबीटीटी
			11760.39	2001-02 से 2008-09	स्पेशल सीओएमएम डब्ल्यूबी सीओएम कर
2.	प. बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	प. बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	2704.08	1997-98	जे सी आसनसोल
			8291.92	1998-99	डब्ल्यूबीटीटी
			2940.10	2001-02	स्पेशल सीओएमएम डब्ल्यूबी सीओएम कर
3.	प. बंगाल- वैट अधिनियम, 2003	प. बंगाल वैट/ सीएसटी	9.96	1998-99	डब्ल्यूबीटीटी
			1650.72	2004-05, 09-10 एवं 10-11	वरिष्ठ जेसीसीटी, आसनसोल को पुनर्प्रेषित
			3827.95	2005-06 से 2007-08	संशोधन बोर्ड
4.	वित्त अधिनियम 1994	आकार में सेवा कर की मांग	3653.51	2006-07 से 2010-11	सीईएसटीएटी, कोलकोता
5	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	ब्यायलर उपभोग पर छूट की अस्वीकृति	601.94	मार्च 2011-मार्च 2012	सीईएसटीएटी, कोलकाता
6.	बिहार वित्त अधिनियम 1981 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956	रेल प्रेषण कर, स्टॉक अंतरण पर कर के लिए बीएसटी अंतर हेतु जीटीओ में शामिल अधिक टीओटी	191.01	1989-90	ट्राइबुनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया
		कोयला मुफ्त जारी करने,	952.68	1990-91 से 1993-94	ट्राइबुनल कोर्ट में

		शॉर्ट फॉर्म, स्टॉक अंतरण पर बकाया उपकर की माँग			सुनवाई प्रक्रिया
		संक्षिप्त भुगतान	267.60	1994-95	ट्राइबुनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया
		स्टॉक बट्टे, स्टॉक अंतरण तथा कोयला मुफ्त देने पर कर	520.69	1995-96	ट्राइबुनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया
		फॉर्मों की कमी एवं ग्रेड स्लिपेज के दावे की अस्वीकृति पर कर	91.97	1997-98 से 1999-2000 तक एवं 2001-02	एसीसीटी, देवघर
		ग्रेड स्लिपेज के दावे की अस्वीकृति पर कर तथा कोयला मुफ्त देने पर संवृद्ध जीटीओ	13.54	2000-01	जेसीसीटी, दुमका द्वारा रोक लगाई गई
		संवृद्ध जीटीओ, शॉर्ट फॉर्म, रद्दी के विक्रय पर कर	161.75	2002-03	ट्राइबुनल कोर्ट, रांची
		संवृद्ध जीटीओ, शॉर्ट फॉर्म। रद्दी के विक्रय पर कर	706.74	2003-04	जेसीसीटी (अपील), दुमका
		संवृद्ध जीटीओ, फॉर्मों की अस्वीकृति	1601.48	2004-05 से 2010-11	व्यापार कर आयुक्त, रांची
			77.45	सितम्बर 2003 एवं 2005-06 से 2006-07	डी सी, देवघर
			16.76	24.09.2003 से 31.12.2005	माननीय उच्च न्यायालय, रांची- द्वारा रोक
7	बिहार वैट अधिनियम	बीएसटी	255.19	78-79,79-80,87-88,90-91,92-93 से 96-97 तथा 99-2000 से 2002-03	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
			364.69	90-91,92-93, 2003-04, 06-07 से 09-10	उप सीसीटी, चिरकुंडा अंचल के समक्ष लम्बित
8	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम	सीएसटी	972	78-79,79-80,87-88, 90-91, 92-93 से 95-96, 99-2000,2000-01 एवं 2002-03	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
			1648	90-91,92-93, 2003-04,05-06	उप सीसीटी, चिरकुंडा अंचल के

				से 2009-10	समक्ष लम्बित
			5,92,333	1990-91	
			12,94,116	1990-91	
			4,02,680	1994-95	
			5,83,134	1994-95	
			40,01,669	1999-2000	

10	कंपनी का कुल जमा घाटा रू॰ 4637.53 करोड़ (रू॰ 5507.76 करोड़) एवं 31.03.2014 को कंपनी का निवल मूल्य ऋणात्मक रहा। बीआईएफआर ने 27.02.2001 के अपने आदेश सं. 501/2001 के अनुसार बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 की धारा 3(1)(0) के तहत एक बीमार कंपनी घोषित किया है। चालू वर्ष एवं हाल ही में बीते वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने नकद हानि को प्राप्त नहीं किया है।	यह तथ्यों का बयान है।
11	कंपनी के पास किसी वितीय संस्थानों, या बैंकों या डिबेंचर होल्डरों का कोई बकाया नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।
12	हमारी राय में एवं हमें जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार शेयरों, डिबेंचरों एवं अन्य प्रतिभूतियों के रूप में कोई ऋण एवं अग्रिम कंपनी ने स्वीकार नहीं किया है।	यह तथ्यों का बयान है।
13	हमारी राय में चिट फंड या एक निधि/म्यूचुवल फंड/सोसाइटी नहीं है। अतः कंपनी के मामले में यह खण्ड(XII) प्रयोज्य नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।
14	हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों में कोई कारोबार नहीं कर रही है। यद्यपि पुराने निवेश कंपनी के अपने नाम में दर्ज है।	यह तथ्यों का बयान है।
15	कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंक या वितीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की कोई गारंटी नहीं ली है।	यह तथ्यों का बयान है।
16	वितीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है।	यह तथ्यों का बयान है।
17	हमें जो सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं तुलन-पत्र के समग्र परीक्षण के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि के आधार पर कोई निधि नहीं लिया है।	यह तथ्यों का बयान है।
18	चूँकि कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है- शेयरों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन का प्रश्न ही नही उठाता।	यह तथ्यों का बयान है।
19	कंपनी ने कोई डिबेंचरों को जारी नहीं किया है, इसलिए प्रतिभूतियों के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठाता।	यह तथ्यों का बयान है।
20	चूँकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, इसलिए सार्वजनिक निर्गम द्वारा धन प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।	यह तथ्यों का बयान है।
21	वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं पाया गया।	यह तथ्यों का बयान है।

प्रयुक्त पूँजी, नेट वर्थ एवं वित्तीय अनुपात

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्रयुक्त पूँजी, नेट वर्थ एवं वित्तीय अनुपात	-1877.35	-1534.04	-1395.59	-2318.43	-3526.75	-3135.66	-1320.30	171.10	1973.68	2528.15
नेट वर्थ	-3399.88	-3036.02	-2925.42	-4239.86	-6348.95	-6015.55	-5908.98	-4946.85	-2458.60	-1586.37
नकदी अनुपात :										
i) चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियाँ/चालू देयताएँ).	0.39	0.53	0.50	0.36	0.30	0.44	0.52	0.83	1.11	1.18
कुल करोबार अनुपात :										
i) पूँजीगत कुल करोबार अनुपात(निवल विक्रय/प्रयुक्त पूँजी).	-1.62	-2.23	-2.52	-1.37	-1.09	-1.67	-4.46	48.29	4.66	3.52
ii) विविध देनदार (सकल) यथा महीनों की संख्या :										
क). सकल उधार बिक्री	1.77	1.41	1.29	1.33	1.25	1.61	1.76	2.99	3.93	2.15
ख). निवल उधार बिक्री.	2.26	1.80	1.65	1.70	1.58	1.93	2.13	3.87	5.20	2.89
iii) कोयला का स्टॉक (उत्पाद शुल्क का निवल) यथा महीनों की संख्या का बिक्री मूल्य	0.72	0.96	1.01	0.80	0.62	0.74	0.84	0.66	0.37	0.38
iv). भंडार एवं स्पेयर्स का स्टॉक (सकल) यथा महीनों की संख्या में खपत (केंद्रीय अस्पताल में दवा का भंडार सहित)	5.32	4.61	4.59	4.26	4.00	3.99	3.70	3.78	3.10	2.91
संरचनात्मक अनुपात :										
i). ऋण : ईक्विटी	0.31	0.32	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31
ii). ऋण : निवल मालियत	-0.20	-0.23	-0.23	-0.15	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.27	-0.43

टिप्पणी - वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए आँकड़े संशोधित अनुसूची VI के तहत।

31 मार्च को तुलनपत्र

विवरण	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
निधियों का स्रोत :										
अंशगत पूँजी	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45
ऋण से ईक्विटी में रूपांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षित एवं अधिशेष	-5618.33	-5254.47	-5143.87	-6458.31	-8567.40	-8234.00	-8127.43	-7165.30	-4677.05	-3804.82
उपचित एवं देय ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण निधि	680.84	708.33	672.96	656.23	689.26	665.52	656.24	670.18	674.17	681.29
अन्य गैर चालू देयताएँ							11.20	5.51	20.88	17.99
दीर्घावधि प्रावधान	1608.54	1668.15	1824.59	2324.70	3342.90	3634.76	4136.04	4731.93	4670.27	4042.55
	-1110.50	-659.54	-427.87	-1258.93	-2316.79	-1715.27	-1105.50	460.77	2906.72	3155.46
निधियों का उपयोग :										
अचल परिसंपत्ति :										
सकल ब्लॉक	4794.90	4831.90	4920.65	5030.21	5217.34	5290.16	5197.08	5389.97	5535.55	5797.26
न्यून - मूल्यह्रास	3488.87	3568.83	3660.27	3789.40	3983.67	4097.59	3988.28	4107.20	4280.72	4413.47
निवल ब्लॉक	1306.03	1263.07	1260.38	1240.81	1233.67	1192.57	1208.80	1282.77	1254.83	1383.79
पूँजीगत चालू कार्य	42.53	40.63	49.20	41.34	39.85	64.80	36.91	51.28	61.32	106.87
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ							11.28	46.22	20.21	30.36
गैर चालू निवेश	0.41	0.41	0.38	0.34	0.31	0.28	0.21	0.18	0.15	0.13
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ									864.20	510.99
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ							18.34	17.68	17.43	16.33
अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम							6.57	21.04	51.26	99.86
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम :										
चालू निवेश							0.03	0.03	0.03	0.03
वस्तुसूची	309.28	404.49	427.28	331.42	323.83	453.36	568.72	622.93	442.33	450.52
विविधि देनदार	321.12	276.07	269.15	269.84	338.11	746.79	959.20	2459.37	3582.13	1720.01
नकद एवं बैंक शेष	852.64	1314.80	846.71	664.36	688.98	947.88	940.99	1248.74	1949.53	3852.00
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	18.25	35.45	35.99	42.75	48.35	33.65	65.83	83.28	187.43	270.65
ऋण एवं अग्रिम	95.64	143.17	132.66	138.00	130.33	146.82	77.59	176.23	183.30	205.25
पूर्ण योग-	1596.93	2173.98	1711.79	1446.37	1529.60	2328.50	2612.36	4590.58	6344.75	6498.46
न्यून - चालू देयताएँ	4056.40	4137.63	3449.62	3987.79	5120.22	5301.42	4999.97	5548.98	5707.43	5491.33
निवल चालू परिसंपत्तियाँ	-2459.47	-1963.65	-1737.83	-2541.42	-3590.62	-2972.92	-2387.61	-958.40	637.32	1007.13
अन्य विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल :	-1110.50	-659.54	-427.87	-1258.93	-2316.79	-1715.27	-1105.50	460.77	2906.72	3155.46

लाभ एवं हानि

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
विक्रय (लेवी का निवल)	3048.19	3417.68	3518.21	3187.61	3837.40	5227.78	5882.60	8262.09	9191.91	8887.79
अन्य आय	148.20	227.18	186.01	204.53	207.77	348.76	354.37	298.62	548.56	712.91
वृद्धि / कमी	47.50	99.94	22.21	-85.86	-11.90	123.26	112.35	44.32	(168.92)	(5.64)
निजी उद्देश्य हेतु कर्मशाला कार्य	47.81	51.41	45.34	44.72	44.51	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शीर्षस्थ प्रभार में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत शुल्क में छूट	0.00	34.32	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए जारी कोयला	0.03	0.09	0.07	0.09	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	3291.73	3830.62	3788.06	3351.09	4077.94	5750.29	6349.32	8605.03	9571.55	9595.06
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	2250.38	1981.69	2160.87	2597.87	3803.75	3364.35	4042.04	5217.06	5300.14	5495.74
बकाया वेतन एवं मजदूरी	375.32			163.80	504.89	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
भंडार एवं स्पेयर्स की खपत	353.60	404.62	411.14	427.37	466.61	490.96	539.95	574.22	649.95	735.36
विद्युत एवं इंधन	258.81	272.18	253.63	263.66	259.25	304.79	376.11	382.42	463.82	463.77
मरम्मत	65.87	69.50	67.93	74.63	70.95	82.82	57.02	61.76	60.23	76.47
सामाजिक ऊपरि प्रभार	151.03	166.28	199.72	229.89	268.09	296.40	180.52	79.33	117.12	92.98
ठेका व्यय	167.25	213.27	243.61	210.91	254.87	342.00	410.98	481.42	672.36	742.15
विविध व्यय	82.86	86.95	97.60	134.69	148.51	160.16	176.44	208.45	261.29	265.34
मूल्यह्रास	148.84	142.98	136.24	147.00	206.86	146.69	184.72	200.90	203.20	213.50
हानि	11.49	14.73	5.28	21.83	20.96	9.51				
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	0.81	10.05	0.41	0.29	0.07	0.01	1.01	0.16	8.48	0.98
अधिभार निष्कासन	69.25	99.80	82.73	80.42	155.86	170.35	164.08	248.19	(324.59)	210.00
प्रावधान	-2.24	-8.96	3.64	12.47	17.43	-13.55	87.27	188.99	260.92	(131.57)
बट्टा खाता	7.77	2.68	10.04	0.00	2.76	1.97	22.61	0.00	0.00	127.70
	3941.04	3455.77	3672.84	4364.83	6180.86	5415.27	6242.75	7642.90	7672.92	8292.42
पीपीए पूर्व वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	-649.31	374.85	115.22	-1013.74	-2102.92	335.02	106.57	962.13	1898.63	1302.64
पूर्वावधि समायोजन	-29.89	-2.89	2.90	-12.92	-2.78	-1.62	0.00	0.00	(1.45)	(3.36
अनुषंगी हितलाभ कर		-8.10	-7.52	-3.27	-3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर व्यय										
- चालू वर्ष									273.13	73.84
- आस्थगित कर									(31.49)	353.21
- पूर्व वर्ष										
सीपीए पश्चात लाभ(+)/हानि(-)	-679.20	363.86	110.60	-1029.93	-2109.09	333.40	106.57	962.13	1655.54	872.23
पूर्व वर्ष तक लाभ एवं हानि	-4789.30	-5618.34	-5254.48	-5143.88	-6458.31	-8567.40	-8234.00	-8127.43	-7165.30	-5509.76
पारगमनीय प्रावधान	-149.84			-284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शेष जो तुलनपत्र में लाया गया	**-5618.34**	**-5254.48**	**-5143.88**	**-6458.31**	**-8567.40**	**-8234.00**	**-8127.43**	**-7165.30**	**-5509.76**	**-4637.53**

टिप्पणी - वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए आँकड़े संशोधित अनुसूची VI के तहत।

परिचालन सांख्यिकी										
31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 (क) कच्चे कोयला का उत्पादन :										
(मिलियन टन)										
भूमिगत	9.45	9.33	8.27	8.32	8.39	8.23	7.37	6.83	6.85	6.87
खुली खदान	17.80	21.78	22.20	15.74	19.74	21.83	23.43	23.73	27.05	29.18
कुल	27.25	31.11	30.47	24.06	28.13	30.06	30.80	30.56	33.90	36.05
(ख) अधिभार निष्कासन	39.70	44.30	48.78	39.98	43.07	49.74	56.25	60.31	76.45	85.76
(मिलियन घन मीटर)										
2. उठाव (कच्चा कोयला)										
(मिलियन टन)										
लोको	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत	24.11	25.17	26.17	21.94	23.69	25.22	26.21	24.27	30.02	31.05
सिमेंट	0.13	0.14	0.18	0.17	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.06
उर्वरक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलियरी खपत	0.50	0.48	0.45	0.42	0.41	0.40	0.38	0.34	0.30	0.28
अन्य	2.43	2.90	2.99	2.91	4.01	3.45	3.00	6.08	5.38	4.86
कुल	27.17	28.69	29.79	25.44	28.26	29.22	29.74	30.83	35.84	36.25
3. जनशक्ति	105692	101474	98780	94943	90470	85617	81128	78009	74276	71826
4. उत्पादकता (ओ.एम.एस.)										
भूमिगत	0.43	0.45	0.42	0.43	0.46	0.47	0.45	0.44	0.46	0.48
खुली खदान	5.30	6.61	7.03	5.04	6.42	7.29	8.14	8.64	10.17	10.96
समग्र	1.07	1.29	1.34	1.07	1.33	1.46	1.60	1.68	1.94	2.12

टिप्पणी : 34

लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1.0 पृष्ठभूमि :

1.1 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक निजी कंपनी के अनुसार 1 नवंबर, 1975 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% अनुषंगी के रूप में निगमित हुई। ईस्टर्न डिवीजन ऑफ कोल माइंस औथौरिटी लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पूर्व नाम) के साथ यह अपनी परिसंपत्तियों तथा दायित्वों सहित निहित हुई।

1.2 कंपनी में दायित्वों एवं परिसंपत्तियों के स्थानांतरण हेतु विधिक औपचारिकताओं के लंबित समापन हेतु कुछ परिसंपत्तियों (खनन अधिकार सहित) को कोल इंडिया लिमिटेड के नाम पर ही जारी रखा गया।

1.3 कोल माइंस लेबर वेल्फेयर संगठन, कल्ला एवं केंद्रीय अस्पतालों के साथ-साथ अन्य अस्पताल/डिस्पेन्सरी, माइंस रेसक्यू स्टेशन, बरकर इंजिनीयरिंग एवं फाउण्ड्री वर्क्स के संदर्भ में कंपनी द्वारा कार्यभार संभालने तथा स्थानांतरित परिसंपत्तियों एवं दायित्वों हेतु विलेख तथा करार/अनुबंध के औपचारिक स्थानांतरण को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है एवं कंपनी के पक्ष में कोई निवारण नहीं किया है। उपरोक्त यूनिटों की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के विवरण और/या औपचारिक स्थानांतरण के अभाव में मूल्यांकन को लेखा में शामिल नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप, माइंस रेसक्यू स्टेशन एवं कल्ला अस्पताल हेतु 26.92 लाख रूपयोन के किए गए भुगतान को प्राप्ति के रूप में खाते में दर्शाया गया है।

2.0 मियादी परिसंपत्ति एवं पूंजी-कार्य प्रगति पर

2.1 आवासीय/कार्यालीय/कारखानों वाले क्षेत्र में स्थित सड़कों एवं पुलों का निर्माण।

2.2 सीएमपीडीआइएल द्वारा सक्रिय किए गए वर्तमान में परित्यक्त सॉफ्ट कोक प्लांट की अभिरक्षा का दायित्व एस० पी० माइंस पर है। न तो परिसंपत्ति का कोए मूल्यांकन हुआ और न ही इस तरह के प्लांट के लिए कंपनी द्वारा किसी प्रकार का कार्यकारी व्यय किया गया।

2.3 भंडार के पूंजीगत मद, जैसे – कनवेयर बेल्ट, पवार केबल्स, इंजिनीयरिंग रोप्स तथा भंडार में पड़ी सिविल-सामाग्री के मूल्य का 90% पूँजी डब्ल्यू० आइ० पी० के रूप में दर्शाया गया है।

2.4 कार्यक्रम के अनुसार एक लाख या उससे अधिक व्यय का पालन प्लांट एवं मशीनरी की प्रत्यक्ष जाँच में किया गया। औपचारिकताओं के समापन पर प्रकाशित अंतर को समायोजित किया गया है।

2.5 राष्ट्रीयकरण के समय ली गई परिसंपत्ति :

कोयला खनन राष्ट्रीयकरण धारा (Coal Mines Nationalization Act), 1973 के अंतर्गत कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण पर अधिगृहीत उन परिसंपत्तियों का शुद्ध मूल्य, जिंका वितरण उपलब्ध नहीं है, 8.17 करोड़ हिसाब में ले लिया गया है तथा मूर्त परिसंपत्ति के समूह के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसके आधार पर समूचा प्रावधान बनाहै।

3.0 वस्तुसूची :

3.1 राजमहल ओ० सी० पी० में 2007-08 में हुई 19.54 लाख टन कोयले की कमी, जिसका मूल्य तब 63.58 करोड़ थी, के संबंध में सी० बी० आई०, धनबाद द्वारा की जाने वाली जाँच-प्रक्रिया 2011-12 में पूर्ण हुई तथा उसे कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष को उनके सूचनार्थ अग्रेषित किया गया है ताकि वे सतर्कता विभाग को सी० बी० आई० आदेशानुसार दागी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का सुझाव दें।

3.2. 4,71,408 मिलियन टन कोयला मिट्टी के मिश्रण के साथ पाया गया जो बेचने योग्य नहीं है तथा उसका मूल्य शून्य आँका गया है।

4. विविध देनदार :

4.1 अलग अलग मामलों के आधार पर सामान्यतः विविध देनदार का प्रावधान तैयार होता है। शुरुआती वर्षों में अस्थिर राशि पर सामान्यतः विविध देनदारों का कोई प्रावधान नहीं बना। दूसरे वर्ष में 50 प्रतिशत अस्थिर राशि तक प्रावधान तैयार किया गया था शेष को तीसरे वर्ष में रखा गया। साथ ही, आग लग जाना या चोरी हो जाने के कारण पुराने स्टॉकों के ह्रास को छोड़कर बिक्री हुए स्टॉकों पर प्रावधान नहीं बना।

5.0 चालू देयता एवं प्रावधान

क. चालू देयता :

5.1 सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उधम विकास धारा, 2006 के अनुभाग 22 की जरुरत के अनुसार कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएँ दी गयीं। 31.01.2014 तक एम एसएम ई को दी जाने वाली प्रधान राशि 0.09 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया तथा उसपर बकाया ब्याज शून्य रहा।

ख. प्रावधान :

5.2 उपदान, लीव इनकैशमेंट, ग्रॉस व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एलटीसी – एलएलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, बंदोबस्त भत्ता, फैटल एक्सीडेंट बेनीफिट, सेवा निवृत कर्मियों का एवं मेडिकल बेनीफिट का वर्षांत प्रावधान बीमांकक द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र के अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है।

बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार ग्रेच्यूटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन : -

<u>लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रकटन</u>

सारणी 1 : प्रकटन मद 120 (▯)

ऑबलिगेशन के वर्तमान मूल्य में बदलाव दर्शाती सारणी :

	31.03.2014 को
वर्ष के आरम्भ में ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	26295396673
अधिग्रहण समायोजन	0
ब्याज लागत	2232269717
भूतपूर्व सेवा लागत	0
चालू सेवा लागत	1183665730
लागत में कमी	0
बन्दोवस्त लागत	0
दिए गए लाभ	66800000
ऑबलिगेशन पर बीमांकिक लाभ/हानि	-4310387611
वर्ष के अंत में ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	25334144509

सारणी 2 : प्रकटन मद 120 (▯)

योजित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव दर्शाती सारणी :

	31.03.2014 को
वर्ष के आरम्भ में योजित परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	0
अधिग्रहण समायोजन	0
योजित सम्पत्ति पर आशान्वित रिटर्न	0
देन	10146900000
दिए गए लाभ	66800000
योजित परिसम्पत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि	100400000
वर्ष के अन्त में योजित परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	10180500000

सारणी 3 : प्रकटन मद 120 (□)

राशि की स्थिति को दर्शाती सारणी

	31.03.2014 को
वर्ष के अन्त ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	25334144509
वर्ष के अन्त योजित परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	10180500000
राशि की स्थिति	-15153644509
वर्ष के अन्त में अपरिचित बीमांकिक लाभ/हानि	0
तुलनपत्र में मान्यताप्राप्त शुद्ध परिसम्पत्ति (देयता)	-15153655509

सारणी 4 : प्रकटन मद 120 (□)

लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च को दर्शाती सारणी

	31.03.2014 को
चालू सेवा लागत	1183665730
भूतपूर्व सेवा लागत	0
ब्याज लागत	2232269717
योजित सम्पत्ति पर आशान्वित रिटर्न	0
लागत में कमी	0
बन्दोबस्ती लागत	0
वर्ष में स्वीकृत बीमांकिक लाभ/हानि	-4410787611
लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च	-994852164

सारणी 7 : प्रकटन मद 120 (1)

बीमांकिक परिकल्पनाओं को दर्शाती सारणी

	31.03.2014 को
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08) यूएलटी
अधिवार्षिकी आयु	60
पूर्व सेवा निवृत्ति एवं अयोग्यता	प्रत्येक हजार पर 10 प्रति वर्ष 45 वर्ष की उम्र से अधिक 6

	29 एवं 45 वर्ष की उम्र के बीच 29 वर्ष की उम्र से कम
छूट दर	8.50 प्रतिशत
स्फीति दर	6.25 प्रतिशत
परिसंपत्ति पर रिटर्न	8.50 प्रतिशत
शेष कामगार जीवन	12 वर्ष
प्रयोग किया गया सूत्र	परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति

सारणी 8 : प्रकटन मद 120 (□)

चूँकि यह योजना चिकित्सा लागत से संबंधित नहीं है; अत: यह अप्रायोज्य है

सारणी 9 : प्रकटन मद 120 (□)

अंतिम 4 मूल्यांकन रिकॉर्ड का सार

उत्पादन के लिए कंपनी

सारणी 10 : प्रकटन मद 120 (□)

तुलन-पत्र में स्वीकृत देयता में गतिविधियाँ

	31.03.2014 को
शुद्ध देयता की शुरुआत	26295396673
उपरोक्त के अनुसार व्यय	-994852164
देन	10146900000
शुद्ध देयता का समापन	15153644509
वर्ष के अन्त में राशि / प्रावधान का समापन	25334144509

छुट्टी भुनाने का बीमांकिक मूल्यांकन

लाभ (अर्जित अवकाश / अर्धवेतन अवकाश)

31.03.2014 के अनुसार

<u>लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रकटन</u>

सारणी 1 : प्रकटन मद 120 (□)

ऑबलिगेशन के वर्तमान मूल्य में बदलाव दर्शाती सारणी :

	31.03.2014 को
वर्ष के आरम्भ में ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	480716442
अधिग्रहण समायोजन	0
ब्याज लागत	366907977
भूतपूर्व सेवा लागत	0
चालू सेवा लागत	697097863
लागत में कमी	0
बन्दोवस्त लागत	0
दिए गए लाभ	981200000
ऑबलिगेशन पर बीमांकिक लाभ/हानि	280268729
वर्ष के अंत में ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	5170239012

सारणी 2 : प्रकटन मद 120 (□)

योजित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव दर्शाती सारणी :

चूँकि योजना को राशि नहीं मिली; अत: अप्रयोज्य

सारणी 3 : प्रकटन मद 120 (□)

राशि की स्थिति को दर्शाती सारणी

चूँकि योजना को राशि नहीं मिली; अत: अप्रयोज्य

सारणी 4 : प्रकटन मद 120 (□)

लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च को दर्शाती सारणी

	31.03.2014 को
चालू सेवा लागत	697097863
भूतपूर्व सेवा लागत	0
ब्याज लागत	366907977
योजित सम्पत्ति पर आशान्वित रिटर्न	0
लागत में कमी	0
बन्दोबस्ती लागत	0

वर्ष में स्वीकृत बीमांकिक लाभ/हानि	280268729
लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च	1344274570

सारणी 7 : प्रकटन मद 120 (1)

बीमांकिक परिकल्पनाओं को दर्शाती सारणी

	31.03.2014 को
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08) यूएलटी
अधिवार्षिकी आयु	60
पूर्व सेवा निवृति एवं अयोग्यता	प्रत्येक हजार पर प्रति वर्ष 45 वर्ष की उम्र से अधिक 3 29 एवं 45 वर्ष की उम्र के बीच-1 29 वर्ष की उम्र से कम
छूट दर	8.50 प्रतिशत
स्फीति दर	6.25 प्रतिशत
परिसंपत्ति पर रिटर्न	अप्रयोज्य
शेष कामगार जीवन	12 वर्ष
प्रयोग किया गया सूत्र	परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति

सारणी 10 : प्रकटन मद 120 (□)

तुलन-पत्र में स्वीकृत देयता में गतिविधियाँ

	31.03.2014 को
शुद्ध देयता की शुरुआत	0
उपरोक्त के अनुसार व्यय	1344274570
देन	0
शुद्ध देयता का समापन	1344274570
वर्ष के अन्त में राशि / प्रावधान का समापन	5170239012

ए॰ एस॰ 15 (संशोधित 2005) के परिशिष्ट बी में टिप्पणी

....

चूँकि इस योजना को राशि नहीं मिली; अतः लाभ / हानि खाते पर चार्ज निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है : -

(1) अंतिम लेखा तारीख में पूर्व ऑब्लिगेशन दिया गया

(2) उपरोक्त प्रावधान के डेबिट के निकास के लिए लाभ का भुगतान किया गया

(3) चालू लेखा तारीख में चालू ऑब्लिगेशन दिया जाएगा

....
....

5.3 वर्ष के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड के सुझाव के अनुसार पी॰ आर॰ पी॰ के रुप में रू॰ 64.02 करोड़ (रू॰ 54.34 करोड़) रुपये हेतु कंपनी के पास तदर्थ प्रावधान है।

5.4 अवधि के दौरान, सेवानिवृत कार्यपालकों के लिए 4 प्रतिशत पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनीफिट के रूप में रू॰ 11.46 करोड़ कंपनी के पास प्रावधान है।

5.5 वर्ष के दौरान, गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को भुगतान हेतु 31,500 रुपये प्रति कर्मचारी के अनुसार 231.96 करोड़ रूपये (218.66 करोड़ रुपये) का प्रावधान कंपनी के पास है।

6.0 लाभ एवं हानि लेखा :

6.1 प्रबंधन द्वारा तय एवं संबंधित ग्रेड बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नियमों के अनुसार कर्मचारियों को मुफ्त में दिये गये कोयले का मूल्य 17.65 करोड़ रुपये(24.23 करोड़ रुपये) ठहरना हैं एवं आंतरिक उपभोग में इस्तेमाल कोयले का मूल्य 76.68 करोड़ रुपये (89.10 करोड़ रुपये) ठहरता है। इसे लेखा के अंतर्गत विशिष्ट निरोध (Specific Contra) के रुप में प्रदर्शित किया गया है।

6.2 वर्ष के दौरान, समुचित प्राधिकारी द्वारा सजाकर रखे गये सुरक्षात्मक कार्य हेतु बारह महीने के लिए 58.65 करोड़ रुपये (41.80 करोड़ रुपये) आर्थिक सहायता के रुप में प्राप्त हुए। अन्य चालू परिसंपत्तियों – (टिप्पणी – 19) के अंतर्गत आर्थिक सहायता 45.28 करोड़ रूपये (24.05 करोड़ रूपये) तक प्राप्त हुआ।

6.3 **कोयला मूल्य संशोधन का प्रभाव** :

कोयले के मूल्य में संशोधन के कारण विक्रय राजस्व घटकर 73.65 करोड़ रूपये हो गया।

6.4अवमूल्यन :

क) लेखा नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव

तकनीकों पर आधारित उपयोगी जीवन पर आधारित वर्ष के दौरान, निम्नलिखित परिसंपत्तियों की दरों में संशोधन किया गया है :

क्रम सं॰	परिसंपत्तियाँ	वर्तमान अवमूल्यन दर	संशोधित अवमूल्यन दर
1	फोटोकॉपी मशीन	10.55 %	23.75 %
2	फ़ैक्स मशीन	15.83 %	31.67 %
3	मोबाइल फोन	15.83 %	31.67 %
4	डिजिटल बेतार दूरभाष	15.83 %	31.67 %

5	कंप्यूटर (प्रिंटर एवं स्कैनर सहित)	16.21 %	31.67 %

अवमूल्यन दरों में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान लाभ में 0.11 करोड़ रूपये की कमी आयी है।

ख) एचईएमएम पर अवमूल्यन :

कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड XIV में उल्लिखित दर के आधार पर स्ट्रेट लाइट मेथड पर एचईएमएम पर अवमूल्यन दिया जाता है। यहाँ उन एचईएमएम को शामिल नहीं किया जाता जहाँ तकनीकी अनुमानित उपयोगी जीवन के अनुसार अवमूल्यन की उच्चतर दर लगाया जाता है एवं जिंका विवरण नीचे दिया जा रहा है : -

परिसंपत्तियों का विवरण	**अवमूल्यन दर**
दूर-संप्रेषण उपकरण	15.83
35 टन तक का डंपर	15.83
50 टन तक का डंपर	13.57
1.2 घन मीटर तक के हायड्रोलिक शॉवेल	13.57
1.2 से 2.2 घन मीटर तक के हायड्रोलिक शॉवेल	13.57
2.2 से 5.0 घन मीटर तक के हायड्रोलिक शॉवेल	13.57
5.0 से 10.0 घन मीटर तक के हायड्रोलिक शॉवेल	11.88
बी एच ड्रिल < 160 मिली मीटर	13.57

6.5 **ग्रेड घटाने हेतु समायोजन :**

01 जनवरी, 2012 से लागू कोयले की ग्रेडिंग की जीसीवी पद्धति के आने से एनटीपीसी को आपूर्त किए जाने वाले कोयले का बिल कोयले के जीसीवी स्तर के आधार पर किया गया। अक्तूबर, 2012 से एनटीपीसी ने प्राप्ति छोर पर एकतरफा निर्धारन कर जीसीवी के अनुसार भुगतान किया गया जो ईंधन आपूर्ति सहमति (एफ़एसए) के प्रावधान के विपरीत है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जीसीवी का निर्धारन लोडिंग छोर पर संयुक्त संग्रहण, तैयारी, जाँच तथा आपूर्त किए जाने वाले कोयले के विश्लेषण के द्वारा होगा।

इसके परिणामस्वरूप, एनटीपीसी द्वारा एफ़एसए के प्रावधान के विपरीत, कोयले की आपूर्ति के संबंध में कंपनी के 936.72 करोड़ रूपये के बिल का भुगतान रोक लिया गया। कोयला मंत्रालय द्वारा इस मामले को ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके परिणामस्वरूप लोडिंग बिंदु पर तृतीय पज्श नमूना संग्रहण, तैयारी, जाँच तथा विश्लेषण हेतु एफ़एसए में एक प्रावधान रखा गया। इस तृतीय पक्ष नमूना जाँच/ विश्लेषण को अक्तूबर, 2013 से क्रियान्वित किया गया।

इस मामले के उचित समाधान के लिए, भारत सरकार ने अक्तूबर-दिसंबर, 2013 के दौरान तृतीय पक्ष नमूना जाँच/ विश्लेषण के परिणामों के साथ अक्तूबर, 2012 से मई/जून, 2013 तक की अवधि के दौरान

आपूर्त कोयले का मेल करने की सलाह दी। इस सूत्र के आधार पर 163.57 करोड़ रूपये एनटीपीसी के पास रहे। यह राशि आपूर्त किए एवं बिल तैयार किए गए कोयले के घोषित ग्रेड की तुलना में ग्रेड में गिरावट के संबंध में थी। इन 163.57 करोड़ रूपयों में अक्तूबर, 2012 से मार्च, 2013 तक एनटीपीसी को आपूर्त कोयले से संबंधित 127.08 करोड़ रूपये शामिल हैं, जिसे 31 मार्च, 2013 के विविध देनदारों की राशि में शामिल कर लिया गया था। अत: 127.08 करोड़ रूपये बैड डेब्ट(□□□□□□□) के रूप में लेखा-पुस्तिका में बट्टे खाते में है। वर्तमान वर्ष के दौरा, आपूर्त किए गए कोयले के ग्रेड घटाने के संबंध में शेष 36.49 करोड़ रूपये पुस्तिका में समुचित ढंग से समायोजित कर दिया गया है।

6.6 **सीएसआर व्यय :** वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने 12.54 करोड़ रूपये (9.34 करोड़ रूपये) सीएसआर में व्यय किये। चूँकि ईसीएल बीआईएफ़आर के अधीन है; अत: यह व्यय ईसीएल की नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया।

6.7 **खान समापन :** इस विषय पर पहले के सभी दिशानिर्देशों को बर्खास्त करते हुए कोयला मंत्रालय ने 07 जनवरी, 2013 को एक दिशानिर्देश जारी किया जिसमें उन सभी खान मालिकों, जिन्होंने पहले के जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन अभी तक नहीं किया है, को इस दिशानिर्देश के प्रकाशन की तारीख से एक साल के भीतर खान समापन योजना की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया गया है।
इस प्रकार, कंपनी के सभी खानों के खान समापन की योजना सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार किया अगया एवं 24.09.2013 को संपन्न कंपनी के निदेशक मंडल की 264वीं बैठक में उसे स्वीकृति दी गयी। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित डबल्यूपीआई के आधार पर वर्ष 2013-14 के लिए एस्क्रो खाते में जमा करने के उद्देश्य से समूचे परियोजना क्षेत्र हेतु खान समापन लागत का प्राक्कलन करने हेतु कथित दिशानिर्देशों के साथ एक खुली खान की समापन लागत 06 लाख प्रति हेक्टर तथा भूमिगत खान की समापन लागत 01 लाख प्रति हेक्टर (अगस्त, 2009 के मूल्य स्तर पर) बढ़ाया गया। समूचे परियोजना क्षेत्र की खान समापन लागत को 2013-14 को आधार मानकर प्रत्येक खान के शेष जीवन से भाग देने से कंपनी, इसके बैंकर नामत: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं कोयला नियंत्रक के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद वर्ष 2013-14 के लिए एस्क्रो खाते में जमा 71.03 करोड़ रूपये हैं।साथ ही, 2013-14 को आधार मानकर सभी खानों के लिए खान समापन लागत 2013-14 के लिए 71.03 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। चूँकि खान समापन लागत 2013-14 को आधार बनाकर रखागाया था, 31.03.2014 तक 217.38 करोड़ रूपये के प्रावधान की और आवश्यकता नहीं थी; अत: उसे वापस कर दिया गया।

7.0 पूँजी प्रतिबद्धता

7.1 आकलन की गयी संविदा राशि का कार्यान्वयन 138.23 करोड़ रुपये (180.06 करोड़ रुपये) है।

7.2 ऋण के रुप में अस्वीकार्य कंपनी के लिए किये गये दावे.

(अंक करोड़ में हैं)

	वर्तमानअवधि	पिछलीअवधि
बिक्री कर	154.80	146.80
रॉयल्टी एवं उपकर	596.42	1262.78
अन्य	565.20	562.73
कुल	1316.42	1972.31

7.3निदेशकों का पारिश्रमिक :

(अंक करोड़ में हैं)

	वर्तमानअवधि	पिछलीअवधि
वेतन एवं भत्ता	0.93	0.80
भविष्य निधि	0.11	0.07
अनुलब्धियाँ	0.19	0.14
सेवानिवृति लाभ	शून्य	शून्य
छुट्टी के लिए नकद भुगतान	0.04	शून्य
चिकित्सा	0.11	शून्य
कुल	**1.38**	**1.29**

वेतन एवं भत्तों के अंतर्गत पी.आर.पी. की राशि शून्य है।

क) घर का किराया-बिजली उर्जा आदि के मूल्यों की वसूली कंपनी के नियमों के अनुसार की जाती है तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं कंपनी अस्पताल-डिस्पेंसरी में उपलब्ध होने के कारण इन्हें परिलब्धियों के अंतर्गत नहीं रखा गया है।

ख) इसके अतिरिक्त सेवा नियमों के अनुसार, निदेशक 400 रुपये प्रति महीने का भुगतान कर निजी यात्रा के लिए प्रत्येक महीने 750 कि.मी. तक गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं।

8.0 360.46 लाख टन (339.01 लाख टन) कोयले का उत्पादन

9.0 कोयला :

	(परिमाण -- लाख टन में)		(रूपए – करोड़ में)	
	31.3.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
ओ०पी० स्टॉक	21.14	40.48	309.74	478.40

समायोजन/अभिगृहीत कोयला	0.00	0.00	0.00	0.00
विक्रय (*)	359.78	355.45	8887.90	9191.90
अंतिम स्टॉक (**)	19.13	21.14	299.95	309.74

(*) कर्मचारियों को घरेलू उपभोग के लिए एवं ब्याइलर उपभोग हेतु दिये गये 2.77 लाख टन (3.40 लाख टन) एवं विविध उद्देश्यों हेतु 0.00 लाख टन (0.12 लाख टन) कोयले को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(**). शुद्ध अतिरेक / कमी – (-) शून्य लाख टन {शून्य लाख टन}.

10.0 विदेशी बदलाव में अर्जन : - शून्य (शून्य)

11.0 आयात का सी.आइ.एफ. मूल्य

(रूपए – करोड़ में)

	वर्तमानअवधि	**पिछलीअवधि**
क. कच्ची सामग्री	---	---
ख. सामग्री, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	---	13.86
ग. पूँजीगत सामग्री	10.11	---

12.0 विदेशी मुद्रा में व्ययः

(रूपए – करोड़ में)

	वर्तमानअवधि	**पिछलीअवधि**
क. यात्रा-व्यय	0.54	.07
ख. तकनीकी-जानकारी एवं विदेशी परामर्श पर व्यय	शून्य	शून्य
वीदेशी को पेंशन	शून्य	शून्य
अन्य	12.94	5.48

13.0 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के दौरान भंडार में कुल व्यय

(रूपए – करोड़ में) (प्रतिशत)

	चालू अवधि	**पिछली अवधि**	**चालू अवधि**	**पिछली अवधि**
क. आयातित सामाग्री का कुल उपभोग	10.11	19.63	1.38	3.02
ख. देशी	723.27	630.32	98.62	96.98

14.0 सामान्य

14.1 जब किसी खान (कैश जेनेरेटिंग यूनिट) का वाहक मूल्य इसके वसूली जाने वाली राशि से अधिक हो जाता है, जो निरंतर मूल्य के स्तर पर गणन करके निरंतर पांच वर्षों के नकद प्रवाह को आधार बनाकर तय किया जाता है, तब परिसंपत्तियों की हानि (पूर्वेक्षित बोरिंग एवं खान विकास) होती है।

14.2 2005-06 में एफ.बी.टी. के लिए 8.10 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया जिसका रिटर्न आत्म-मूल्यांकन- कर लेखा रिपोर्ट के अनुसार 7.49 करोड़ रुपये जमा किये गये तथा तद्नुसार मूल्यांकन किया गया। साथ-साथ, समुचित प्राधिकारी के पास लंबित पड़े 4.0 करोड़ रुपये के दोहरे दायित्व को दर्शाते हुए एक अपील याचिका दायर की गयी।

14.3 प्रबंधन के विचार में ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी वर्तमान परिसंपत्तियों का स्वीकार्य मूल्य व्यापार के सामान्य आधार पर कम से कम उतना है जितना कि कहा गया था। साथ ही, सभी ज्ञात दायित्वों के संबंध में उचित प्रावधान बनाए गए हैं।

14.4 देनदारों की शेष राशि का पुनर्मिलान शाश्वत आधार पर किया गया। जहां लेनदारों से एवं अन्य दलों से कोई पुष्टिकरण प्राप्त न हो वहाँ बही-शेष को ही सही माना जाता है।

14.5 सन् 2004-05 में सातग्राम में एक दुर्विनियोग का मामला सामने आया था तथा एफ.आइ.आर. भी दाखिल हुआ था एवं मामला बीमा कंपनी तक पहुँचा था। इसमें शामिल राशि का कुल योग 0.40 करोड़ रुपये है। यह मामला अभी भी बीमा कंपनी के द्वारा सुलझाना बाकी है।

14.6 ईसीएल को बीमार कंपनी के रुप में घोषित कर उसे बीआईएफआर के अंतर्गत रख दिया गया एवं केस सं. 501-2000 के रुप में एक केस दर्ज हुआ। बीआईएफआर ने एक पुनर्व्यवस्था योजना तैयार करने के लिए संचालक एजेंसी के रुप में भारतीय स्टेट बैंक को नियुक्त किया। बीआईएफआर ने नवंबर, 2004 में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी। बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत इस योजना के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त रियायत की सहायता मिलने के बाद सन-2008-09 में यह कंपनी सकारात्मक रास्ते पर चलने में सक्षम हो गयी। लिकिन, उत्पादन में बृद्धि के लिए कुछ कल्पित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, दिनांक 01.07.2001 से दिनांक 30.06.2006 तकके एन. सी. डब्ल्यू.ए. 7 के क्रियान्वयन तथा 16.06.2004 से कोयले की कीमत में बृद्धि के कारण प्रत्यक्ष एवं वित्तीय परियोजना को नया रुप दिया गया एवं तदनुरुप नयी योजना तैयार की गयी। यह नयी योजना बीआरपीएसई द्वारा संस्तुत एवं अक्टुबर 2006, में भारत सरकार द्वारा मान्य है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक नयी योजना के अनुसार सन 2009-10 में कंपनी सकारात्मक रुप ले रही थी। किंतु कंपनी सन 2009-10 में सकारात्मक रुप प्राप्त करने में असमर्थ रही। इसका कारण बहुत-सी परियोजनाओं का क्रियान्वित नहीं होना रहा। बहुत सी परिकल्पित परियोजनाओं की रिपोर्ट की स्वीकृति मिलने में देरी एवं जंगलों की सफाई कर भूमि अधिग्रहण में आई समस्या इस क्रियान्वयन में बाधा बनी। साथ ही, 01.07.2006 से एनसीडब्ल्यूए-8 तथा 01.01.2007 से कार्यपालकों की वेतन वृद्धि भी क्रियान्वित हुई।

इसलिए, कंपनी ने फिर से एक नयी योजना बनायी जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में दिरी को ध्यान में रखा गया तथा इस पुनर्विककित परियोजना के अनुसार कंपनी ने 2014-15 तक विकासवान होने की तैयारी शुरु कर दी एवं इसे 31.08.2009 एवं 01.09.2009 को हुई ईसीएल की 230 वीं बोर्ड बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया। लेकिन विभिन्न् परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के चलते 05.01.2010 को हुई बैठक के कार्यकारी निदेशकों ने यह सलाह दी कि इसके भौतिक ढाँचे को 2010-11 से 2016-17 तक दोहराया जाय। इसी बीच, कोयला विक्रय मूल्य में भी 16.10.2009 से वृद्धि हुई।

इस तरह, पहले से बने वित्तीय परियोजनाओं को फिर से तैयार किया गया तथा फिर से तैयार परियोजनाओं के अनुसार, कंपनी का शुद्ध मूल्य कोल इंडिया लिमिटेड के ऋण तथा चालू खाते के इक्विटी के रुप में परिवर्तन के साथ कंपनी 2016-17 तक सकारात्मक रुप में सामने आएगी। 05.08.2010 को संपन्न ईसीएल बोर्ड की 237 वी बैठक में ड्राफ्ट मोडीफाइड – रिवाइभ्ड प्रोपोजल (डी एम आर पी) को स्वीकृत किया गया। कंपनी ने डी एम आर पी ने बीआपीएसई के समक्ष प्रस्तुत किया और उसने 27.08.2010 को ईसीएल के मामले का पुनरीक्षण किया। बीआपीएसई ने कंपनी को बीआईएफआर से बाहर निकालने में योग्य परियोजनाओं की संभाव्यता की खोज करके वित्तीय एवं भौतिक परियोजनाओं पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। तद्नुसार संशोधित डीएमआरपी तायार किया गया एवं संशोधित योजना के अनुसार कंपनी के 2014-15 तक बीआईएफआर से बाहर आ जाने की संभावना है। आयातित कोयले के मूल्य की सहायता में कंपनी का विक्रय मूल्य बड़ा है, जिससे कंपनी ने 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में लाभ कमाया है।

दिनांक 02.09.2011 को बीआईएफआर कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नियुक्त मोनिटरिंग एजेंसी एण्ड टेकनीकल कंसलटेंट के साथ एक बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित स्थिति दर्शायी गयी-निराशापूर्ण प्रस्ताव

(क)के साथ उत्पादन लक्ष्य की पुनः जाँच की गयी है।
(ख)आयातित कोयले के मूल्य के आधार पर कोयले का मूल्यांकन।
(ग) संरक्षात्मक आकलन के साथ परियोजित किया गया।

तदनुसार, ईसीएल ने संशोधित आकलन प्रस्तुत किया जहाँ उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार कर यह दर्शाया गया है कि ईसीएल 2013-14 तक सकारात्मक स्वरुप ग्रहण कर लेगा या सीआईएल द्वारा प्राप्त मूल्य निर्देशों के अनुसार, कंपनी 2015-16 तक उस स्थिति तक पहुँचेगी। यह स्थिति 15.10.2011 को बीआईएफआर को बता दी गयी है। उपरोक्त अवलोकन से, कंपनी का लेखा गोइंग कंसर्न कोंसेप्ट के आधार पर तैयार होता दिख रहा है।

15.0 लेखा मानक :

(क) ए एस-17 : खंड प्रतिवेदन – कंपनी मुख्यतः शुरु में केवल कोयले के उत्पादन एवं विक्रय में व्यस्त थी। ए.एस-17 के संदर्भ में और किसी प्रकार का मुख्य खंड प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) ए.एस-18 : संबंधित दल प्रकटीकरण- अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेन दिन के संबंध में संबंधित दल प्रकटिकरण के संदर्भ में राज्य नियंत्रित उद्यमों को मिली रियायत के अवलोकन में ए.एस-18 के अंतर्गत कोई प्रकटीकरण नहीं हुआ है। जि कि कंपनी के लिए प्रयोज्य भी नहीं था।

(ग) ए.एस-20 : प्रति शेयर अर्जनः कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में अर्जित लाभ के साथ संबंधित अवधि के दौरान कंपनी के शेयर की इक्विटी की संख्या के भारात्मक औसत का गणन करके प्रति शेयर अर्जन निकाला गया, जो इस प्रकार है -

(करोड़ रुपये में)

(क). 31 मार्च,2014 को समाप्त अवधि में लाभ - रू. 872.23 करोड़

(ख). भारात्मक औसत शेयरों की संख्या – 22184500 एन० ओ० एस०

ई० पी० एस० (मूल एवं मिश्रित) (क-ख) –393.17 करोड. रुपये

(घ). ए.एस-22 : **आस्थगित कर परिसंपत्ति :**

वर्ष के दौरान उत्पन्नसमयांतर के कर प्रभाव एवं परवर्ती अवधि के राजस्व का परिकलन कर आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन किया जाता है। विस्तृत गणनाएँ नीचे दी गयी है-

(रूपए – करोड़ में)

विवरण	01.04.2013 के अनुसार आस्थगितकर परिसंपत्ति/(देयता)	वर्ष 2013-14 के दौरान समायोजन	31.03.2014 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)
आस्थगित कर परिसंपत्तिः			
□)बीमांकिक ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान	2,629.54	-1,110.81	1,518.73
□□) अधिवर्षिता लाभ हेतु प्रावधान	98.63	24.49	123.12
□□□) खान समापन हेतु प्रावधान	217.38	-146.35	71.03
	2,945.55	**-1,232.67**	**1,712.88**
आस्थगित कर देयता :			
□) कर एवं बही मूल्यह्रासमें अंतर	-281.97	72.45	-209.52
कुल	**2663.58**	**-1160.22**	**1503.36**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति	864.20	-394.36	
वर्तमान वर्ष में कर दरों में बदलाव का प्रभाव		41.15	
लाभ एवं हानि खाते से डेबिट की गई कुल राशि		**-353.21**	
आस्थगित कर परिसंपत्ति (कुल)	**864.20**	**.353.21**	**510.99**

प्रबंधन के विचार में यह बिलकुल निश्चित है कि इस प्रकार के आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए पर्याप्त भविष्यगत करयोग्य आय उपलब्ध रहेगा।

(ङ) ए.एस-24 : 31.03.2014 को समाप्त अवधि के दौरान किसी भी खान केकिसी भी क्रियाकलाप में कार्यान्वयन में कोई रुकावट नहीं है।

(च). ए.एस-28 : 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के डव्ल्यू आई पी पूँजी सहित प्रोस्पेक्टिंग एवं बोरिंग तथा अन्य खान विकास मूल्य पर रू॰ 19.29 करोड़ (रू॰ 20.07 करोड़) रुपयों की हानि हुई जिसे पी/एल खाते से डेबिट कर लेखा नीति के अनुसार परिसंपत्तियों की हानि शीर्ष के अंतर्गत रखा गया।

(छ) ए.एस-29 : प्रावधान, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक परिसंपत्ति के संबंध में वर्ष के दौरान निम्नांकित लेन-दैन है-

प्रावधान का विवरण :

(रूपए – करोड़ में)

विवरण	01.04.2013 को आया प्रावधान	इस अवधि के दौरान बने प्रावधान	इस अवधि के दौरान वापस लिए गए प्रावधान	31.03.2014को समाप्त प्रावधान
गैर-सेवा योग्य/क्षतिग्रस्त/लुप्त भंडार	12.94	---	0.40	12.54
अचल भंडार	34.23	0.75	3.55	31.43
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य चालू परिसंपत्ति	20.33	0.03	0.62	19.76
खान समापन योजना	217.38	71.03	217.38	71.03
उपदान हेतु बीमांकन प्रावधान	2629.54	---	96.12	2533.42
छुट्टी भुनाने हेतु बीमांकन प्रावधान	480.72	36.31	---	517.03
एलटीसी/एलएलटीसी हेतु बीमांकन प्रावधान	27.96	3.31	---	31.27
लाइफ कवर योजना हेतु बीमांकन प्रावधान	21.34	---	3.82	17.52
बंदोबस्त भत्ता हेतु बीमांकन प्रावधान	61.06	---	3.12	57.94
फैटल माईं एक्सीडेंट पॉलिसी बेनीफिट हेतु बीमांकन प्रावधान	49.23	---	2.31	46.92
ग्रोस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी हेतु बीमांकन प्रावधान	0.18	---	0.02	0.16
पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनीफिट हेतु बीमांकन प्रावधान	102.83	11.46	---	114.29
कुल	**3657.74**	**122.89**	**327.34**	**3453.29**

16.0 कोष्ठक के अंक पिछले वर्ष के अंक को दर्शाते हैं।

17.0 जहाँ जरुरी लगा वहाँ पिछले वर्ष के अंकों को फिर से अंकित किया गया, पुनः सजाया गया एवं उन्हें नया रुप दिया गया है।

► ◄

टिप्पणी – 33

क) महत्वपूर्ण लेखा-नीति :

1.0 लेखा-परिपाटी :

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक मूल्य परिपाटी एवं लेखा के प्रोद्भवन आधार पर भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखा-नीतियों एवं कंपनी की धारा, 1956 के संदर्भित प्रावधानों के साथ-साथ सूचित लेखा मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए हैं।

2.0 सरकार द्वारा सहायिकी/अनुदान :

2.1 पूंजी लेखा पर सहायिकी/अनुदान संबंधित परिसंपत्ति के मूल्य से काट ली जाती है। तुलन-पत्र की तारीख पर यदि खर्च न की गई कोई राशि हो, तो उसे तत्काल दायित्व के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

2.2 राजस्व ल्व्खा पर सहायिकी/अनुदान 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत 'लाभ एवं हानि के विवरण' में जमा किया गए एवं संबंधित खर्च क्रमश: शीर्षों से नामे कर लिए गए। तुलन-पत्र की तारीख पर यदि खर्च न की गई कोई राशि हो, तो उसे तत्काल दायित्व के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

2.3 *सरकार द्वारा प्राप्त सहायिकी/अनुदान कार्यान्वयन समिति के रूप में :

2.3.1* कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एवं परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में लायी गई एस० एवं टी०, पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के अंतर्गत जो अनुदान/राशि प्राप्त हुई है, उसे कैपिटल रिजर्व के रूप में माना गया है एवं उसमें मूल्यह्रास कैपिटल रिजर्व खाते (Capital Reserve Account) से नामे किया गया है। अनुदान की सहायता से सृजित परिसंपत्ति का मालिकाना हक़/स्वामित्व उस प्राधिकारी के साथ होता है जिसने अनुदान प्राप्त किया है।

2.3.2* नोडल/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में प्राप्त अनुदान/राशि रसीद एवं संवितरण के का लेखा-जोखा दिया गया है।

3.0 मियादी परिसंपत्ति :

3.1भूमि :

भूमि के मूल्य के अंतर्गत उस भूमि के अधिग्रहण की कीमत तथा लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था पर आए खर्च आते हैं। भूमि के बदले नौकरी जैसे अन्य खर्च राजस्व खर्च के रूप में लिए जाते हैं।

3.2प्लांट एवं मशीनरी:

प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्गत उन परिसंपत्तियों के सुधार या संचालन में तथा उन्हें कार्य करने लायक बनाने में आए खर्च आते हैं।

3.3रेलवे साइडिंग :

रेलवे प्राधिकारियों को रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु किए गए भुगतान व लंबित कमीशन के भुगतान को (पूँजी हेतु अग्रिम) के अंतर्गत नोट-12- (लंबी अवधि ऋणएवं अग्रिम) में दर्शाया गया है।

3.4 विकास :

विभिन्न योजनाओं-खानों को राजस्व खाते में जबतक नहीं लाया जाता तबतक उनके विकास पर हुए खर्च को (पूँजी-कार्य प्रगति पर) के अंतर्गत (विकास खातेमें) दर्ज कर दिया जाता है।

क. स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, जिस वर्ष परियोजना ने अपनी क्षमता का 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष उत्पादन किया ठीक उसके बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही, या

ख. कोयले के स्पर्श के दो साल, या

ग. कुल खर्च से अधिक मूल्य के उत्पादन वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से,इनमें से जो घटना पहले घटे।

4.0निवेश :

तत्काल निवेश का आकलन न्यूनतम मूल्य एवं तुलनपत्र के आधार पर उचित मूल्य के अनुसार किया जाता है। पारस्परिक निधि में निवेश तत्काल निवेश के अंतर्गत आता है।

गैर-तत्काल निवेशों का आकलन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

5.0वस्तुसूची :

तत्काल निवेश का आकलन न्यूनतम मूल्य एवं तुलन-पत्र के आधार पर उचित मूल्य के अनुसार किया जाता है। पारस्परिक निधि में निवेश तत्काल निवेश के अंतर्गत आता है।

गैर-तत्काल निवेशों का आकलन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

6.0 वस्तुसूची -

6.1 जहाँ बुक किए गए कोयले के स्टॉक एवं माप किए गए स्टॉक में करीब +/- 5% तक का अंतर होता है वहाँ बुक किए गए कोयले/कोक के स्टॉक को लेखा के अंतर्गत लिया जाता है तथा जहाँ यह अंतर +/- 5% से परे होता है वहाँ माप किए गए कोयले पर विचार किया जाता है। इस तरह के स्टॉक का मूल्यांकन उगाही मूल्य या कीमत -- जो कम हो उसके आधार पर किया जाता है।

6.1.1 कोयले एवं कोक फाइन का मूल्यांकन न्यूनतम मूल्य या कुल उगाही मूल्य के आधार पर किया जाता है।

6.1.2 स्लारी (Slurry) (कोकिंग/अर्ध-कोकिंग), वाशरीज़ के मध्यांकन एवं उत्पादों का मूल्यांकन कुल उगाही मूल्य के आधार पर किया जाता है।

6.2 <u>भंडार एवं अतिरिक्त</u> :

6.2.1 केंद्रीय भंडार के मूल्यगत भंडार लेजर में दिखने वाली शेष राशि ईएएम कोलियारियों/यूनिटों में प्रत्यक्ष जाँच के आधार पर पाए गए पड़े भंडारों के अनुसार भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों का कुल स्टॉक लेखा में विचारणीय है।

6.2.3 भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों के अंतर्गत खुले यंत्र आते हैं।

6.2.4 वैसे भंडार जो सेवा में नहीं हैं, क्षतिग्रस्त हैं एवं अप्रचलित है उनके लिए 100% एवं उन भंडारों के लिए, जो पाँच साल से चल नहीं रहे हैं, 50% दर का प्रावधान है।

6.3 स्टेशनरी के स्टॉक (प्रींटिंग प्रेस में पड़े सामान को छोड़कर), ईंट, बालू, दवा (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर), वायुयान सामाग्री एवं अतिरिक्त पुर्जों को वस्तुसूची में नहीं रखा गया है।

7\. **<u>मूल्यह्रास</u>** :

7.1 कंपनी की धारा, 1956 (संशोधित) के क्रम XIV में उल्लिखित दरों एवं तरीकों के आधार पर मियादी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास एक सीधी रेखा पद्धति के अनुसार दिया जाता है। दूरसंचार उपकरण एवं अनुलिपि मशीन इसके अंतर्गत नहीं आते। चूंकि ये तकनीकी उपकरण हैं; अत: इनकी दरें उच्च होती हैं, जो इस प्रकार हैं : -

दूरसंचार उपकरण – 15.83% प्रति वर्ष एवं 10.55% प्रति वर्ष
अनुलिपि मशीन - 23.75% प्रति वर्ष
फ़ैक्स मशीन - 31.67% प्रति वर्ष
मोबाइल फोन - 31.67% प्रति वर्ष
बेतार टेलीफोन की डिजिटल संवृद्धि - 31.67% प्रति वर्ष
कंप्यूटर (प्रिंटर एवं स्कैनर सहित) - 31.67% प्रति वर्ष

अर्थ साइंस म्यूज़ियम (Earth Science Museum)तथा उच्च परिमाण प्रतिदर्शन एवं श्वासनिक डस्ट पर मूल्यह्रास क्रमाशा: 5.15% एवं 33.33% के रूप में उनके तकनीकी जीवन के आधार पर दरें लागू की गयीं।

आगे, कुछ निश्चित उपकरणों/ एचईएमएम पर मूल्यह्रास की दरें उनके तकनीकी जीवन को आधार बनाकर उच्च दरों जैसे – 11.88%, 13.57% एवं 15.83% - जैसा प्रयोज्य हो, लागू की गई हैं।

एसडीएल एवं एलएचडी (उपकरण) पर मूल्यह्रास उनके तकनीकी आकलन के आधार पर क्रमाश: 19% प्रति वर्ष एवं 15.83% प्रति वर्ष आदि दरें लागू की गयीं।

वर्ष के दौरान जुडी/निपटान की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास जुडने/निपटान के महीने के संदर्भ में यथानुपात दिया गया। इसके अंतर्गत परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है जो 100% वार्षिक मूल्यह्रास वाले हैं (एस०एल०एम० आधारित) एवं जिंका अपने मूल्यह्रास के वर्ष में पूरी तरह अवक्षय हुआ है।

7.2 कोयला गृहीत क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) की धारा, 1957 के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि का मूल्य संबंधित परियोजना की शेष आयु के आधार पर तय किया जाता है। पट्टे की भूमि का मूल्य उसके पट्टे की अवधि या संबंधित परियोजना की शेष आयु में से जो पहले आए उसके आधार पर तय किया गया।

7.3 बीस वर्षों में परियोजना का राजस्व के अंतर्गत आना या परियोजना के कार्यकारी वर्ष में से जो कम हो उसी पर विवरणिका, बोरिंग तथा विकास व्यय आधारित है।

8.0 <u>परिसंपत्ति की हानि</u> :

हानि वहाँ देखि जाती है जहाँ किसी परिसंपत्ति का धारक मूली उसके वसूली की राशि से अधिक हो एवं यह हानि 'लाभ एवं हानि के विवरण' के अंतर्गत आती है तथा उसका धारक मूल्यउसके वसूले मूल्य तक घाटा दिया जाता है।

पिछले वर्षों में जब अधिक दिनों तक अस्तित्व में न रहने वाली या घटने वाली परिसंपत्ति हेतु ……… हानि के संकेत मिले तब …… हानि का प्रत्यावर्तन रिकॉर्ड दर्ज़ किया गया।

9.0 <u>विदेशी मुद्रा लेनदेन</u> :

9.1 तुलन-पत्र की तारेख के आधार पर उल्लिओखित दरों पर विदेशी मुद्रा लेनदेन के संतुलन को अनुवादित किये गये तथा तदनुरूप प्रभाव संबंधित खातों में दिये गये। अवधि के दौरान हुए लेनदेन का समायोजन वास्तविकता के आधार पर किया गया।

9.2 अंतर्निहित विदेशी मुद्रा की, भविष्य में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं में किया गया लेनदेन के द्वारा सौदा का निपटारण को तुलन पत्र के दिनांक पर प्रचलित दरों की पहचान किया है। ऐसे संविदाओं से उत्पन्न प्रभावों को निपटारण के दिनांक से लेखा में लिया गया है।

10.0. <u>सेवानिवृत्ति लाभ/अन्य कर्मचारी लाभ</u> :

क) परिभाषित अंशदान योजना :

अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं पेंशन की राशि का लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी ने अंशदान योजनाओं को प्रकाश में लाया है। यह भविष्य निधि एवं पेंशन राशि सीएमपीएफ द्वारा संचालित होती है। इन योजनाओं के नियम के अनुसार, कंपनी एक निश्चित प्रतिशत सीएमपीएफ प्राधिकारियों को प्रदान करती है ताकि इन लाभों को लागू किया जा सके।

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ :

उपदान एवं छुट्टी के लिए भुगतान हेतु तुलन-पत्र की तारीख पर दायित्व परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति के द्वारा बीमांकन एवं मूल्यांकन किया जाता है। [आगे, फंडेड ग्रूप ग्रैचुइटी (नकद संचय) योजना की स्थापना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम की सहाता से कंपनी ने एक ट्रस्ट बनाया है।

ग) अन्य कर्मचारी-लाभ :

आगे, छुट्टी यात्रा रियायत (□□□/□□□), लाइफ कवर योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्था-भत्ता, सेवानिवृत कार्यपालक चिकित्सा लाभ योजना एवं खान-दुर्घटना में बीमार हुए कर्मचारियों के आश्रितों को प्रतिपूर्ति भत्ता आदि अन्य कर्मचारी लाभ तुलन-पत्र तारीख पर दायित्व परियोजित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करके बीमांकन आधार पर लागू किया जाता है।

11.0 <u>आय एवं खर्च को चिह्नित करना</u> :

आय एवं खर्च सामान्यतः बीमांकन आधार पर पहचाने जाते हैं तथा सभी ज्ञात दायित्वों के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं।

11.1 <u>विक्रय</u> :

क) जब माल की संपदा अपने मालिकाना जोखिम एवं इनाम के साथ अपने खरीददार तक स्थानांतरित होती है तब विक्रय के संबंध में राजस्व की पहचान हो जाती है।

ख) कोयले के गुण को लेकर शुध्द सांविधिक देय राशि एवं खरीददारों द्वारा स्वेडेकार्य कटौती को ध्यान में रखकर कोयले की बिक्री की जाती है।

ग) जहाँ संग्रह की पूर्ण निश्चितता होती है वहाँ राजस्व की पहचान की जाती है। दूसरी ओर, प्रबंधन द्वारा यदि कोई अनिश्चितता हो तो राजस्व की पहचान स्थगित की जाती है।

11.2 <u>लाभांश</u> :

जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो, तब लाभांश आय तय किया जाता है।

12.0 <u>उधार की लागत</u> :

अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार की लागत को पूंजीगत किया गया है। अन्य उधार की लागतों को खर्च के रूप में वहाँ छिहनित किया जाता है जहाँ वे व्यय किए गये हैं।

13.0 <u>कर लागत</u> :

आयकर धारा, 1961 के अनुपालन में वत्र्मान आयकर का प्रावधान बनाया गया है। आस्थगित कर दायित्वों एवं परिसंपत्तियों को मौलिक रूप से प्रभावी कर दरों के आधार पर छिहनित किया जाता है। इसके अंतर्गत दूरदर्शिता का विचार, समयान्तर, एक ही अवधि में कर हेतु देय आय एवं लेखागत आय में अंतर तथा एक या लगातार अवधियों में प्रत्यावर्तन शामिल है।

14.0 <u>प्रावधान</u> :

बीटी घटनाओं के आधार पर जब किसी उधम (Enterprise) को किसी 'बंधन' में रखा जाता है, तो उसे हम प्रावधान की श्रेणी में रखते हैं। ऐसी संभावना है किइस तरह के 'बंधन' के निपटान हेतु आर्थिक लाभ से संबन्धित संसाधनों का प्रवाह ज़रूरी है जिससे संबंधित एक विश्वासनीय आकलन तैयार किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं लगाते तथा ये तुलन-पत्र की मुश्किलों के समाधान के लिए ज़रूरी आकलन पर आधारित होते हैं।

15.0 <u>आकस्मिक दायित्व</u> :

आकस्मिक दायित्व वह बंधन है जो बीटी घटनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा जिसकी उपस्थिती की पुष्टई केवल एक या एकाधिक भविष्यगत घटनाओं, जो पूरी तरह उधम के नियंत्रण में हो, के घटित होने या न होने से की जाती है। इसकी पुष्टि वर्तमान 'बंधन' के आधार पर भी की जा सकती है जो अतीत में घटित हुई हैं लेकिन जिसे चिहनित नहीं किया जा सका है क्योंकि यह संभावित नहीं है कि ऐसी संभावना नहीं है किइस तरह के 'बंधन' के निपटान हेतु आर्थिक लाभ से संबंधित संसाधनों का प्रवाह ज़रूरी है जिससे संबंधित एक विश्वासनीय आकलन तैयार नहीं किया जा सकता है।

लेखा के अंतर्गत आकस्मिक दायित्व को न रखकर उसे 'नोट्स' के रूप में प्रकट किया गया है।

16.0 <u>अधिभार (ओवरबर्डेन)हटानव्यय</u>:

ओपन कास्ट खानों में सालाना एक मिलियन टन या उससे अधिक की क्षमता दर के साथ खानों को राजस्व के अंतर्गत लाने के पश्चात प्रत्येक खान में तकनीकी तौर पर मूल्यांकित औसत अनुपात पर ओ० बी० आर० का मूल्य चार्ज किया गया था। अग्रिम पत्ते का शुध्द शेष तथा तुलन-पत्र पर अनुपात विभेद को स्थितीनुसार गैर-चालू परिसंपत्ति/लाँग टर्म प्रावधान शीर्ष के हिसाब हेतु जहाँ प्रतिवेदित परिमाण एवं माप किया गया परिमाण का अंतर दो वैकल्पिक स्वीकार्य सीमाओं के अंतर्गत हो, उस अनुपात के गणन में विचारणीय रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डेन का प्रतिवेदन परिमाण निम्नांकित है :-

खान के ओवरबर्डेन की वार्षिक मात्रा	अंतर की स्वीकृत सीमा	
	I	II
	%	मात्रा (मिलियन क्यूबिक मीटर में)
1 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम	+/-5%	0.03
1 मिलियन क्यूबिक मीटर एवं 5 मिलियन क्यूबिक मीटर के बीच	+/-3%	0.20
5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक	+/-2%	शून्य

और, जहाँ यह सीमा स्वीकार न किया जा सके, वहाँ माप लिए गए परिमाण पर विचार होता है।

17.0 <u>पूर्वकालिक समायोजन एवं पूर्व प्रदत्त व्यय</u> :

पूर्वकालिक समायोजन एवं पूर्व प्रदत्त व्यय से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक केस में 0.10 करोड़ से अधिक न हो, उसे चालू वर्ष के आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

*नीति संख्या – 2.3 सीएमपीडीआइएल को छोडकर किसी अनुषंगी कंपनी में प्रयोज्य नहीं है।

** इस प्रकार के ट्रस्ट होने वाली अनुषंगी कंपनी पर लागू।

► ◄

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31मार्च, 2014
कोतुलन-पत्र (समेकित)

(रू॰ करोड़ में)

	टिप्पणी		31-03-2014 को		31-03-2013 को
I. ईक्विटी एवंदेयताएँ					
(1) शेयरधारकों कीनिधि					
क) शेयर पूँजी	1	2,218.45		2,218.45	
ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	(3804.82)	(1,586.37)	(4677.05)	
					(2,458.60)
(2)गैर-मौजूदादेयताएँ					
क) दीर्घावधि उधार	3	681.29		674.17	
ख) आस्थगित कर-देयताएँ					
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएँ	4	17.99		17.95	
घ) दीर्घावधि प्रावधान	5	4,042.55	4,741.83	4,670.27	
					5,362.39
(3) अल्प हित					
(4) चालू देयताएँ					
क) अल्पावधि उधार	6	1,714.51		1,766.10	
ख) व्यापार देय	7	63.86		80.52	
ग) अन्य चालू देयताएँ	8	2,854.20		2,591.62	
घ) अल्पावधि प्रावधान	9	858.76		1,272.12	
			5,491.33		5,710.36
कुल			**8,646.79**		**8,614.15**
II. परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर-मौजूदापरिसंपत्तियाँ					
क) अचलपरिसंपत्तियाँ					
i) मूर्त परिसंपत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10 ए	4,501.77		4,272.75	
न्यूनः मूल्य ह्रास, हानि एवंप्रावधान		3,245.78		3,160.59	
निवल भार मूल्य			**1,255.99**		**1,112.16**
ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ -सकल ब्लॉक	10ए	1,295.49		1,262.80	
न्यूनः मूल्य ह्रास, हानि एवंप्रावधान		1,167.69		1,120.13	
निवल भार मूल्य			**142.67**		**142.67**
iii) पूँजीगत चालू कार्य	10 बी		106.87		61.32
iv) विकासशील अमूर्तपरिसंपत्तियाँ	10 सी		30.36		20.21
(ख) गैर-मौजूदानिवेश	11		0.13		0.15
(ग) आस्थगित करआस्तियाँ			510.99		864.2
(घ) दीर्घावधि ऋणएवं अग्रिम	12		99.86		50.87
(ङ) अन्यगैर-मौजूदा आस्तियाँ	13		16.33		17.43

तुलन-पत्र जारीहै....

(` करोड़ में)

	टिप्पणी		31-03-2014को		31-03-13को
(2) चालू परिसंपत्तियाँ	14	0.03		0.03	
क) चालू निवेश	15	450.52		442.33	
ख)वस्तु सूची	16	1,720.01		3,582.13	
ग) व्यापार प्राप्तियों	17	3,852.00		1,949.53	
घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	18	205.25		188.98	
ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	19	270.65		182.14	
			6,498.46		6,345.14
कुल			**8,646.79**		**8,614.15**
महत्वपूर्ण लेखांकननीतियाँ	33				
लेखा पर अतिरिक्तटिप्पणीयाँ	34				

उपरोक्त टिप्पणीयाँतुलन-पत्र का एक अभिन्न अंग है।

दिनांक -

स्थान -

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष-सह-प्रबंधकनिदेशक
डी.आई.एन.- 02186695

सी. के. डे
निदेशक (वित्त)
डी.आई.एन.- 03204505

वी. आर. रेड्डी
कंपनी सचिव

एस. रायचौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)(निगमित खाता)

(बी. के.दत्ता)
भागीदार
सदस्य सं.-O16175
कृते दत्तासरकार कंपनी
अधिकृतलेखापाल
फर्म पंजीकरणसं.- 303114ई

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

31 मार्च, 2014कोसमाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

आय	टिप्पणी	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (` करोड़ में)	31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (` करोड़ में)
कोयला, कोक इत्यादिका विक्रय	20	11,959.75	12,162.59
न्यूनः उत्पाद शूल्क		(604.17)	(578.00)
अन्य उगाही		(2,467.79)	(2,392.68)
परिचालन से राजस्व		8,887.79	9,191.91
अन्य आय	21	712.91	548.56
कुल राजस्व		**9,600.70**	**9,740.47**
व्यय			
प्रयुक्त सामग्री कीलागत	22	735.36	649.95
तैयार माल, चालू कार्य एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची मेंपरिवर्तन	23	5.64	168.95
कर्मचारी लाभ व्यय	24	5,495.74	5,329.99
बिजली तथा ईधन		463.77	433.97
कल्याण व्यय	25	92.98	117.12
मरम्मत	26	76.47	60.23
संविदात्मक व्यय	27	742.15	672.36
वित्त लागत	28	0.98	8.48
मुल्यह्रास/ऋणपरिशोधन/हानि		213.50	203.2
प्रावधान	29	(131.57)	260.92
बट्टे खाता डाला गया	30	127.70	-
अधिभार निष्कासनसमायोजन		210.00	(324.59)
अन्य खर्च	31	265.34	261.29
कुल व्यय		**8,298.06**	**7,841.84**
लाभ/हानि पूर्ववधि समंजन, अपवाद एवं असाधारण मदों तथा कर		**1,302.64**	**1,898.63**

लाभ-हानि लेखाजारी..

	टिप्पणी	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (` करोड़ में)	31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (`करोड़ में)
पूर्वाधि समायोजन {प्रभार/(आय)}	32	3.36	1.45
विशिष्ट मदों		-	-
असाधारण मदों एवंकर के पहले लाभ/(हानि)		**1,299.28**	**1,897.18**
असाधारण मदों {प्रभार/(आय)}		-	-
कर के पहलेलाभ/(हानि)		**1,299.28**	**1,897.18**
न्यून : कर व्यय			
- चालू वर्ष		73.84	273.13
- बकाया कर		353.21	31.49
- विगत वर्ष		-	-
अवधि के दौरानलाभ/(हानि)		**872.23**	**1,655.54**
प्रति शेयर अर्जन (`)			
(` 1000/- प्रतिशेयर अंकित मूल्य)			
1) आधार		**393.17**	**746.26**
2) तनुकृत		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकननीतियाँ	33		
लेखा पर अतिरिक्तटिप्पणीयाँ	34		

उपरोक्त संबंधितटिप्पणीयाँ लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न अंग है।

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डी.आई.एन.- 02186695

सी. के. डे
निदेशक (वित्त)
डी.आई.एन.- 03204505

वी. आर. रेड्डी
कंपनी सचिव

एस. रायचौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)(निगमितखाता)

(बी. के.दत्ता)
भागीदार
सदस्य सं.-016175
कृते दत्तासरकार कंपनी
अधिकृतलेखापाल
फर्म पंजीकरणसं.- 303114ई

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

31 मार्च, 2014कोसमाप्त वर्ष हेतु

[लेखा मानक-3 (संशोधित) के अनुसार]

रू.करोड़ में

		31-03-14		31-03-13
(क)परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
करपूर्व निवल लाभ		1,299.28		1,897.18
योग/(न्यून) : परिचालनेतर खर्च/(परिचालनेतर आय) देयताप्रतिलेखन मूल्यह्रास एवं हानि प्राप्त पट्टे का भाड़ा ब्याजआय ओबीआरसमायोजन परिसंपत्तिबिक्री पर लाभ ब्याजका भुगतान परिसंपत्ति/सर्वेक्षितबंद परिसंपत्ति ह्रास पर प्रावधान विदेशीमुद्रा अनिश्चता पर नामे/(साख) दीर्घावधिप्रावधान (ओबीआर को छोड़कर) में वृद्धि/(कमी)	(124.45) 213.50 - (180.36) 210.00 (1.63) 0.96 4.01 13.46 (837.72)	(711.71)	(6.62) 203.20 - (179.36) (324.59) (0.80) 8.48 1.95 9.86 262.93	(24.95)
कार्यशीलपूँजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		587.57		1,872.23
विविधदेनदारों में कमी / (वृद्धि) ऋणएवं अग्रिम में कमी / (वृद्धि) चालूपरिसंपत्तियों व निवेश (जमाराशि सहित) कमी /(वृद्धि) वस्तुसूचीमें कमी/(वृद्धि) चालूदेयताओं(देयताएँ प्रतिलेखन छोड़कर) में वृद्धि/(कमी)	1,862.12 (16.27) (88.51) (8.19) (168.42)	1580.73	(1,122.76) (11.20) (100.02) 180.60 (108.06)	(1,161.44)
परिचालनसे उत्पन्न नकद :		**2168.30**		710.79
परिचालनगतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क) :		**2168.30**		**710.79**
(ख)निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
पूंजीगतचालू कार्य सहित परिसंपत्तियों की खरीद अचलपरिसंपत्तियों के मूल्य में समायोजन पावर बॉड का शोधन प्राप्त पट्टे का भाड़ा ब्याजआय अचलपरिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ	(408.87) 6.70 0.02 (1153.55) 189.86 1.63	(1364.21)	(202.94) 11.24 0.03 (864.79) 179.36 0.80	(876.30)
निवेशगतिविधियों (ख) से निवल नकद प्रवाह :		**(1,364.21**		**(876.30)**

		)		
(ग)वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
दीर्घावधिदेयताओं से प्राप्त राशि/(वापसी) दीर्घावधिउधार से प्राप्त राशि/(वापसी) अन्यगैर-मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी /(वृद्धि) दीर्घावधिऋण एवं अग्रिमों में कमी /(वृद्धि) ब्याजका भुगतान	0.04 (6.34) 1.10 (48.99) (0.98)	(55.17)	15.37 (5.87) 0.25 0.24 (8.48)	1.51
वित्तीयगतिविधियों (ग) से निवल नकद प्रवाह		**(55.17)**		**1.51**
नकद/नकदसमतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग) :		**748.92**		**(164.00)**
नकद/नगदसमतुल्य (तीन मास से अधिक जमापूँजी रहित)				
प्रारंभिकनकद /नकद समतुल्य	**439.15**		**603.15**	
अंतिमनकद / नकद समतुल्य	**1188.07**	**748.92**	**439.15**	**(164.00)**

दिनांक -
स्थान -

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डी.आई.एन.- 02186695

सी. के. डे
निदेशक (वित्त)
डी.आई.एन.- 03204505

वी.आर. रेड्डी
कंपनी सचिव

एस. रायचौधरी
महाप्रबंधक (वित्त)(निगमितखाता)

(बी. के.पात्रा)
भागीदार
सदस्य सं.-634444
कृते दत्तासरकार कंपनी
अधिकृतलेखापाल
फर्म पंजीकरणसं.-
303114ई

समेकित तुलन-पत्र की टिप्पणी

टिप्पणी - 1

	शेयर पूँजी			
		31-03-14 को (रू.करोड़ में)		31-03-13 को (रू.करोड़ में)
(i)	**अधिकृत** रू॰ 1000/- प्रत्येक के 25000000 इक्विटी शेयर	2,500.00		2,500.00
		-		-
		2,500.00		2,500.00
	निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त			
	रू॰ 1000/- प्रत्येक के नकद रूप मेंपूर्ण प्रदत्त 10390000 इक्विटी शेयर	1,039.00		1,039.00
	रू॰ 1000/- प्रत्येक केनकद के अतिरिक्त प्राप्त प्रतिफल रूप में पूर्ण प्रदत्त 11794500 इक्विटी शेयर	1,179.45		1,179.45
		2,218.45		2,218.45

टिप्पणी 1 : कंपनीमें शेयरधारकों द्वारा 5% से अधिक धारित शेयर

	शेयर धारक के नाम	**धारितशेयरों की संख्या (प्रत्येकरू॰ 1000/- का अंकित मूल्य)**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**
	कोल इंडिया लिमिटेड	22184500	100%

टिप्पणी 2 : वर्ष केदौरान शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है।

समेकित तुलनपत्र की टिप्पणियाँ (जारी....)

टिप्पणी - 2

आरक्षित एवं अधिशेष	31-03-14को (रू.करोड़ में)		31-03-13को (रू. करोड़ में)
आरक्षित			
आरक्षित पूँजी			
विगत तुलनपत्र के अनुसार	-		-
योग- वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-		-
न्यून- वर्ष के दौरान समायोजन	-		-
	-		-
पूँजी-मोचन आरक्षित			
विगत तुलनपत्र के अनुसार	-		-
योग- वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-		-
न्यून- वर्ष के दौरान समायोजन	-		-
	-		-
विदेशी मुद्रालेनदेन हेतु आरक्षित			
विगत तुलनपत्र के अनुसार	-		-
योग- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-
न्यून- वर्ष के दौरान समायोजन	-		-
	-		-
सीएसआर आरक्षित			
विगत तुलनपत्र के अनुसार	-		-
योग- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-
न्यून- सामान्य आरक्षित मेंअंतरण	-		-
	-		-
सामान्य आरक्षित			
विगत तुलनपत्र के अनुसार	832.71		832.71
योग- लाभ एवं हानि लेखा सेअंतरण	-		-
योग/न्यून- वर्ष के दौरानसमायोजन	-		-
	832.71		832.71
लाभ एवं हानि लेखामें अधिशेष	-		-
विगत तुलनपत्र के अनुसार	(5,509.76)		(7,165.30)
वर्ष के दौरान कर पश्चातलाभ(हानि)	872.23		1,655.54
विनयोजन हेतु उपलब्ध लाभ(हानि)	(4,637.53)		(5,509.76)
विनियोजन			
विदेशी विनिमय लेनदेन हेतुआरक्षित	-		-
सामान्य आरक्षित को अंतरण	-		-
सीएसआर आरक्षित को अंतरण	-		-
अंतरिम लाभांश	-		-

इक्विटी शेयर पर प्रस्तावितलाभांश	-		-
निगमित लाभांश कर	-		-
	(4,637.53)		(5,509.76)
विविध व्यय			
(बट्टा खाता नहींडालने के सीमा तक)			
प्रारंभिक खर्च	-		-
पूर्व-परिचालन खर्च	-		-
कुल	**3,804.82**		**4,677.05**

समेकित तुलनपत्र की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी-3

	दीर्घावधि उधार	31-03-14को (रू.करोड़ में)		31-03-13को (रू.करोड़ में)
	सावधि ऋण (क)			
	आईबीआरडी	-		-
	जेबीआईसी	-		-
	निर्यात विकास निगम, कनाडा	162.32		155.20
	निभेर फ्रांस एस.ए., फ्रांस	-		-
	कोल इंडिया लि. से ऋण (ख)	518.97		518.97
	कुल (क+ख)	**681.29**		**674.17**
	वर्गीकरण I			
	जमानती	-		-
	अजमानती	681.29		674.17

वर्गीकरण II

निदेशकों तथा अन्य द्वाराप्रतिभूतित ऋण

	ऋण का विवरण	राशि (` करोड़ में)	गारंटी की प्रकृति
	एक्सपोर्टडेवेलपमेंट कोरपोरेशन, कनाडा	162.32	भारत सरकार

टिप्पणी- 3.1 - सीआईएल द्वारा एक्सपोर्टडेवेलपमेंट कोरपोरेशन, कनाडा से गैर-जमानती ऋण के संबंध में विनिमय अस्थिरता नामेरू॰13.46 करोड़ (रू॰ 9.86 करोड़) को जमानती मूल्य में समायोजित करलिया गया है तथा इसे लाभ-हानि लेखा में टिप्पणी सं. 31 में दिखाया गया है।

टिप्पणी-3.2 - वर्ष के दौरान सीआईएल द्वारारू॰ 5.74 करोड़ (रू॰ 5.14 करोड़) का विदेशी ऋण की वापसी किया गया है।

समेकित तुलनपत्र की टिप्पणियाँ (जारी ...)

टिप्पणी- 4

अन्य दीर्घावधि देयताएँ		31.03.14को (रू.करोड़ में)	31.03.13को (रू.करोड़ में)
विस्थापन एवं पुनर्वास निधि			
आरंभिक शेष		-	-
योग- निधि के निवेश से ब्याज		-	-
योग- प्राप्त अंशदान		-	-
न्यून- उपयोग की गई राशि		-	-
देय व्यापार *		-	-
जमानती जमा		16.79	16.75
अन्य (विशिष्ट प्रकृति)		1.20	1.20
कुल		**17.99**	**17.95**
	4		

समेकित तुलनपत्र की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी - 5

दीर्घावधि प्रावधान	31.03.14को (रू.करोड़ में)	31.03.13को (रू.करोड़ में)
कर्मचारियों के लाभ हेतु		
- उपदान	1,515.36	2,268.99
- अवकाश नकदीकरण	451.72	421.92
- अन्य कर्मचारी लाभ	276.91	258.40
	-	-
विदेशी विनिमयलेनदेन हेतु (बाजार को चिह्नित)	-	-
ओबीआर समायोजन लेखा	1,610.75	1,400.75
खदान बंदी	73.52	217.38
अन्य (सेवानिवृत्तिके उपरांत चिकित्सा लाभ)	114.29	102.83
कुल	4,042.55	**4,670.27**

टिप्पणी 5.1- वर्ष समाप्ति पर उपदान, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिएचिकित्सा लाभ तथा अन्य कर्मचारी लाभ जैसे सकल व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी, अवकाशयात्रा रियायत, खदान दुर्घटना में मृत्यु के संबंध में आश्रितों को मुआवजा कीवर्ष के अंत देयता को बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

समेकित तुलनपत्र की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी –6

अल्पावधि उधार	31.03.14को (रू॰ करोड़ में)		31.03.13को (रू॰करोड़ में)
बैंक से ऋण	-		-
माँग पर चुकौतीयोग्य ऋण			
कोल इंडिया लि. एवंअन्य अनुषंगियों के साथ शेष	1,714.51		1,766.10
सावधि जमा को गिरवीके विपरित ओवरड्राफ्ट	-		-
अन्य ऋण एवं अग्रिम			
आस्थगित ऋण	-		-
कुल	**1,714.51**		**1,766.10**

<u>**वर्गीकरण 1**</u>

जमानती	-		-
बेजमानती	1,714.51		1,766.10

<u>**वर्गीकरण 2**</u>

निदेशकों तथा अन्यद्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का विवरण	राशि (` करोड़ में)	गारंटी की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य

समेकित तुलनपत्र की टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –7

	देय व्यापार			
		31.03.14को (रू॰ करोड़ में)		**31.03.13को (रू॰करोड़ में)**
	राजस्व भंडार के लिए विविध देनदार	63.86		80.52
	कुल	**63.86**		**80.52**

मेकित तुलनपत्र की टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –8

अन्य चालू देयताएँ	31.03.14को (रू.करोड़ में)	31.03.13को (रू.करोड़ में)
दीर्घावधि उधार की चालू परिपक्वता		
आईबीआरडी से सावधि ऋण	-	-
जेबीआईसी से सावधि ऋण	-	-
एक्सपोर्ट डेवेलेपमेंट कोरपोरेशन, कनाडा से सावधि ऋण	**5.75**	**5.15**
लीभरे फ्रांस एस.ए., फ्रांस से सावधि ऋण	-	-
कोल इंडिया लि. से ऋण	-	-
कोल इंडिया से अधिशेष निधि	-	-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता	-	-
पूँजी के लिए (भंडार सहित)	**20.73**	**11.90**
व्यय के लिए :		
वेतन एवं भत्ते	330.57	361.32
विद्युत एवं इंधन	61.01	59.18
अन्य	95.19	119.45
	486.77	**539.95**
वैधानिक बकाया :		
विक्रय कर/वैट	-	-
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	66.09	60.77
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	23.34	-
कोयला पर रॉयल्टी एवं उपकर	29.74	29.52
उत्पाद शुल्क नौभरण	11.05	10.83
स्वच्छ उर्जा उपकर	24.51	34.24
अन्य वैधानिक कर	17.52	14.21
	172.25	**149.57**
स्रोत पर काटा गया आयकर	38.13	35.72
जमानती जमा	79.63	74.66
बयाना/अग्रिम धन	48.02	49.08
ग्राहक/अन्य से अग्रिम तथा जमा	388.17	318.23
उधारी पर उपचित एवं देय ब्याज	-	-
उधारी पर उपचित किन्तु वसूल न किया गया ब्याज	-	-

उपकर समीकरण खाता	1241.82	1044.22
आईआईसीएम के साथ चालू खाता	-	-
अदत्त लाभांश	-	-
राष्ट्रीकरण पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
अन्य देयताएँ	372.93	363.14
कुल	**2854.20**	**2591.62**

(8)

टिप्पणी 8.1 - कोयला धारित भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर के भुगतान की प्रक्रिया में पहले केदो वर्षों के औसत उत्पादन जो प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को प्रचलित दर पर तथाकोयले के प्रेषण के मूल्य पर ग्राहकों से वसूल किया गया, इससेरू॰ 1241.82करोड़ (1044.22करोड़) जमा है, जिसे उपकर समीकरण खाता केतहत दिखाया गया है।

समेकित तुलनपत्र की टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –9

दीर्घावधि प्रावधान	31.03.14को (रू. करोड़ में)		31.03.13को (रू.करोड़ में)
कर्मचारियों के लाभ हेतु			
- उपदान	76.09		460.30
- अवकाश नकदीकरण	75.09		67.17
- पीपीएलबी	217.39		192.05
- पीआरपी	264.46		200.44
- अन्य कर्मचारी लाभ	69.12		76.58
प्रस्तावित लाभांश के लिए			
निगमित लाभांश कर के लिए			
आयकर हेतु प्रावधान	154.06		273.13
न्यून- स्रोत पर काटा गया कर/अग्रिम आयकर	(18.74)		(20.98)
कोयला के शेष माल पर उत्पाद शुल्क हेतु	18.79		20.76
अन्य के लिए	2.67		2.67
कुल	**858.76**		**1272.12**

टिप्पणी 10 क
अचल परिसंपत्तियाँ

Rs करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				हानि					निवल वहनमूल्य	
	01.04.13को	अवधिके दौरान अनुवृद्धि	अवधिके दौरान समायोजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.14को	01.04.13को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधिके दौरान समायोजन/ विक्रय/ अंतरण	31.03.14को	01.04.13को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधिके दौरान समायोजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.14को	कुल मूल्यह्रास /हानि	31.03.14को	31.03.13को
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भूमि															
(क) पूर्णस्वामित्व	58.82	17.45	(6.59)	69.68	5.29	0.30	-	5.59	-	-	-	-	5.59	64.09	53.53
(ख) पट्टेवाली	111.91	12.31	-	124.22	26.78	6.27	-	33.05	-	-	-	-	33.05	91.17	80.13
भवन/जलापूर्ति/ सड़कएवं पुलिया	480.42	12.60	-	493.02	223.36	11.23	-	234.59	-	-	-	-	234.59	258.43	257.06
संयंत्रएवं उपकरण	3,452.33	254.78	(81.24)	3,625.87	2,774.79	137.01	(76.44)	2,835.36	-	-	-	-	2,835.36	790.51	677.54
दूरसंचार	19.32	12.39	-	31.71	17.09	1.52	-	18.61	-	-	-	-	18.61	13.10	2.23
रेलवेसाइडिंग	26.40	0.50	(0.15)	26.75	19.13	0.78	-	19.91	-	-	-	-	19.91	6.84	7.27
उपस्कर/कार्यालय टूल एवं उपकरण/विद्युतफिटिंग्स/आग्नेयास्त्र	101.36	6.06	(0.02)	107.40	74.44	3.18	0.05	77.67	-	-	-	-	77.67	29.73	26.92
वाहन	14.02	-	(0.06)	13.96	11.54	0.36	(0.06)	11.84	-	-	-	-	11.84	2.12	2.48
विमान	-	-	-	-	-	-	-								
विकास															
राष्ट्रीकरणदौरान अधिग्रहित संपत्ति	8.17	0.99	-	9.16	8.17	0.99	-	9.16				-	9.16	-	-
कुल	**41,272.75**	**317.06**	**(88.06)**	**4,501.77**	**3,160.59**	**161.64**	**(76.45)**	**3,245.78**	-	-	-	-	**3,245.78**	**1,255.99**	**1,112.16**
मूर्तपरिसंपत्तियाँ(31.03.2013को)	4,157.09	155.87	(40.21)	4,272.75	3,032.15	167.06	(38.62)	3,160.59				-	3,160.59	1,112.16	1,124.94
अमूर्तपरिसंपत्तियाँ															
कम्प्यूटरसॉफ्टवेअर															
विकास	1,061.50	31.26	(0.01)	1,092.75	706.46	31.59	0.01	738.06	216.89	14.89	-	231.78	269.84	122.91	138.15
पूर्वेक्षणएवं बोरिंग	201.30	1.49	(0.05)	202.74	135.81	0.98	-	136.79	60.97	0.38	(0.29)	61.06	197.85	4.89	4.52
कुल	**1,262.80**	**32.75**	**(0.06)**	**1,295.49**	**842.27**	**32.57**	**0.01**	**874.85**	**277.86**	**15.27**	**0.29**	**292.84**	**1,167.69**	**127.80**	**142.67**

अमूर्तपरिसंपत्तियाँ (31.03.2013को)	1,232.88	30.50	(0.58)	1,262.80	815.24	26.63	0.40	842.27	259.81	17.90	0.13	277.86	1,120.13		157.83
कुल योग	**5,535.55**	**349.83**	**88.12**	**52,797.26**	**4002.86**	**194.21**	**(76.44)**	**4,120.63**	**277.86**	**15.27**	**(0.29)**	**292.84**	**4,413.47**	**1,383.79**	**1,254.83**

टिप्पणी 10 (क) 1 - काश्तकारी भूमि को सीधीखरीद के लिए कोयला धारित अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहणकी गई भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं अन्य भूमिके अधिग्रहण जैसे राष्ट्रीयकरण के समय ली गई भूमि, सरकारी भूमि का सीधा हस्तांतरणएळं वनभूमि को पट्टेदारी के रूप में वर्गीकृत किया गया।

टिप्पणी 10(क) 2 - कंपनी द्वाराअधिग्रहित कुछ भूमि सहित भूमि जिसके लिए स्वत्व विलेख इत्यादि जैसे वैधानिकऔपचारिकता लंबित है। तदापि कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि हेतु मूल्यांकन कानिर्धारण लंबित हैं जिसमें वैधानिक औपचारिकता शामिल है।

टिप्पणी 10 ख

पूँजीगत चालू कार्य

रू.करोड़ में

	लागत				प्रावधान				हानि					वहन मूल्य	
विवरण	01.04.13 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधिके दौरान समायोजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.14 को	01.04.13को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधिके दौरान समायोजन /विक्रय/ अंतरण	31.03.14 को	01.04. 13को	अवधिके दौरान अनुवृद्धि	अवधिके दौरान समायोजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.14 को	कुल प्रावधान / हानि	31.03.14 को	31.03.13 को
मूर्तपरिसंपत्तियाँ															
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	18.91	13.13	(12.58)	19.46	5.94	-	(0.03)	5.91	-	-	-	-	5.91	13.55	12.97
संयंत्रएवं उपकरण	78.17	287.21	(243.01)	122.37	36.57	0.14	(0.02)	36.69	-	-	-	-	36.69	85.68	41.60
रेलवेसाइडिंग	6.61	0.74	(0.21)	7.14	2.63	-	-	2.63	-	-	-	-	2.63	4.51	3.98
विकास	-	0.45	(0.45)	-	-	-	-	-					-	-	-
अन्य	3.72	17.42	(17.06)	4.08	0.95	-	-	0.95				-	0.95	3.13	2.77
कुल	107.41	318.95	(273.31)	153.05	46.09	0.14	(0.05)	46.18	-	-	-	-	46.18	106.87	67.32
मूर्त परिसंपत्तियाँ(31.03.2012 को)	96.84	135.24	(124.67)	107.41	45.56	0.54	-0.01	46.09	-	-	-	-	46.09		
सर्वेडऑफ परिसंपत्तियाँ	321.63		40.03	361.66	321.63	3.87	36.16	361.66				-	361.66	-	-
सर्वेड ऑफ परिसंपत्तियाँ (31.03.2013को)	315.06		6.57	321.63	315.06	1.41	5.16	321.63				-	321.63	-	-
कुलयोग	**429.04**	**318.95**	**(233.28)**	**514.71**	**367.72**	**4.01**	**36.11**	**407.84**	-			-	**407.84**	**106.87**	**61.32**

कुल योग (31.03.2013को)	411.90	135.24	(118.10)	429.04	360.62	1.95	5.15	367.72	-	-	-	-	367.72	-	

टिप्पणी- प्रत्येक श्रेणी कीपरिसंपत्तियों के लिए पट्टा के अंतर्गत परिसंपत्तियाँ अलग से निर्देशित कीजायगी।

टिप्पणी 10 (ख) 1 - अवधि के अंत तकमूर्त परिसंपत्तियों के लिए कुल प्रावधानरू॰ 46.16 करोड़ (रू॰ 46.09 करोड़) है।

टिप्पणी 10(ख) 2 - सर्वेड ऑफपरिसंपत्तियों के मूल्य पररू॰ 3.87 करोड़ (रू॰ 1.41करोड़) का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी 10 ग

विकासाधीन अमूर्तपरिसंपत्ति

Rs. करोड़ में

विवरण	लागत				प्रावधान				हानि					वहन मूल्य	
	01.04.13 को	अवधिके दौरान अनुवृद्धि	अवधिके दौरान समायोजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.14को	01.04.13को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधिके दौरान समायोजन /विक्रय/ अंतरण	31.03.14को	01.04.13को	अवधिके दौरान अनुवृद्धि	अवधिके दौरान समायोजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.14को	कुल प्रावधान /हानि	31.03.14को	31.03.13को
अमूर्तपरि संपत्तियाँ															
विकास	50.01	44.36	(34.67)	62.70	11.21	-	(0.74)	10.47	18.59	4.02	(0.03)	22.58	33.05	29.65	20.21
पूर्वेक्षणएवं बोरिंग	4.11	2.20	(1.49)	4.82	2.73	-	-	2.73	1.38	-	-	1.38	4.11	0.71	-
कुल	**54.12**	**46.56**	**(33.16)**	**67.52**	**13.94**	**-**	**(0.74)**	**13.20**	**19.97**	**4.02**	**(0.03)**	**23.96**	**37.16**	**30.36**	**20.21**
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (31.03.2012 को)	78.58	34.72	(59.18)	54.12	14.39	-	(0.45)	13.94	17.97	2.15	(0.15)	19.97	33.91		

टिप्पणी 10 (ग) 1 - अवधि के अंत तकअमूर्तपरिसंपत्तियों के अंतर्गत रू॰ 37.16 करोड़ (रू॰ 33.91 करोड़) का कुल प्रावधान/हानि किया गया है।

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –11

गैर-चालू निवेश -लागत पर गैर-उद्धृत	चालू वर्ष/(विगत वर्ष) मेंशेयर/बॉन्ड/ प्रतिभूति की संख्या	चालू वर्ष/ (विगत वर्ष) में प्रतिशेयर/बॉन्ड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य(रू.)	31-03-14को (रू.करोड़ में)	31-03-13को (रू.करोड़ में)
व्यापार				
<u>8.5% कर मुक्त विशेषबॉन्ड (पूर्णतः प्रदत्त)</u>				
(विविध देनदार काप्रतिभूतिकरण पर)				
<u>मुख्य राज्यवारविश्लेषित आँकड़े</u>				
(प्रत्येक 1,65,000/- का 4 बॉन्ड				
उत्तर प्रदेश	-	-	0.05	0.07
हरियाणा	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-
मध्यप्रदेश	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-
पं. बंगाल	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
संयुक्त कंपनियोंमें ईक्विटी शेयर	-	-	-	-
(संयुक्त उद्यमों के नाम केसाथ)				
अनुषंगी कंपनियोंमें ईक्विटी शेयर	-	-	-	-
(अनुषंगियों के नाम के साथ)				
अन्य (सहकारी शेयरमें)	-	-	0.08	0.08
i) कोल माइन्स ऑफिसरस को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में प्रत्येकरू.1000/- का 500 "बी" क्लास शेयररू. 0.05				
ii) डिसेरगढ़ कोलियरी वर्क्स सेंट्रल को-ऑप्ट स्टोर लि. मेंप्रत्येकरू. 100/- का 1000 "डी" क्लास शेयररू. 0.01				
iii) मुगमा कोलफील्ड्स कोलियरी वर्क्स सेंट्रल को-ऑप्ट स्टोर लि.में प्रत्येकरू. 25/- का 4000 शेयररू. 0.01				

iv) सोदपुर कोलियरी इम्प्लाईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. मेंप्रत्येक रू॰100/- का 500 "बी" क्लास शेयर औरधेमोमेन कोलियरी इम्प्लाईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में प्रत्येक रू॰ 100/- का 500 "बी" क्लास शेयररू॰ 0.01				
गैर-व्यापार 7.55% अपरिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त बॉन्ड 2021 सीरीज	-	-	-	-
कुल			**0.13**	**0.15**

उद्धृत निवेश का कुल
गैर-उद्धृत निवेश काकुल
उद्धृत निवेश काबाजार मूल्य
निवेश मूल्य में कमीके लिए बने प्रावधान

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –12

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		31.03.14को (रू॰ करोड़ में)		31.03.13को (रू॰ करोड़ में)
ऋण				
अग्रिम				
पूँजीके लिए				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		88.57		45.17
- संदिग्ध		4.80		4.82
		93.37		50.29
न्यून-संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान		4.80		4.82
		88.57		45.47
राजस्वके लिए				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		3.10
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		2.20		0.66
- संदिग्ध		0.56		
		2.76		3.76
न्यून-संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान		0.56		0.66
		2.20		3.10
जमानतीजमा				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		7.89		0.41
- संदिग्ध		0.66		0.45
		8.55		0.86
न्यून-संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान		0.66		0.45
		7.89		0.41
दूरसंचार, विद्युत इत्यादि हेतु जमा				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		1.16
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		0.37		-
- संदिग्ध		0.44		-
		0.81		1.16
न्यून-संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान		0.44		0.45
		0.37		0.40
कर्मचारियों एवं अन्य को ऋण				
भवननिर्माण के लिए				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		0.82		0.02
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-

- संदिग्ध -		-		-
		0.82		0.02
मोटरकार एवं अन्य साधन के लिए				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		0.01		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		-		0.02-
- संदिग्ध		-		-
		0.01		0.02
अन्यके लिए		-		-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- संदिग्ध		-		-
न्यून-संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान		-		-
		-		-
		99.86		50.87
अनुषंगी कंपनियों को ऋण		-		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- संदिग्ध		-		-
		-		-
कुल		**99.86**		**50.87**

टिप्पणी

	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक/सदस्यहै (कंपनी के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

समेकित तुलनपत्र परटिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –13

अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	31.03.14को (रू.करोड़ में)		31.03.13को (रू.करोड़ में)
दीर्घावधि व्यापारिक प्राप्य राशियाँ	-		-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री			
- संदिग्ध	-		-
	-		-
न्यून-अशोध्य एवं संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशि हेतु प्रावधान	-		-
	-		-
अन्वेषणात्मक ड्रीलिंग कार्य			
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-		-
- संदिग्ध	-		-
	-		-
न्यून-अशोध्य एवं संदिग्ध हेतु प्रावधान	-		-
	-		-
अन्य प्राप्य राशियाँ			
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	16.33		17.43
- संदिग्ध	5.22		5.33
	21.55		22.76
न्यून-अशोध्य एवं संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशि हेतु प्रावधान	5.22		5.33
	16.33		17.43
कुल	**16.33**		**17.43**

टिप्पणी

	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियोंद्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक/सदस्य है (कंपनी के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपनियों के नाम सहित				
पार्टियोंद्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी 13.1 - बीआईएफआर की स्वीकृति योजना के अनुसार ईसीएल के सुधार हेतु आवश्यक छूट केसमर्थन में विद्युत निदेशक, पं॰ बंगाल सरकार के साथरू॰ 47.67 करोड़ के कुल दावे के बदले रू॰ 20.86 करोड़(रू॰ 21.11 करोड़) के शेष दावे अन्यप्राप्य राशियों में शामिल हैं। आरंभिक शेष पर संदिग्धवसूली मानते हुए 10% का प्रावधान रखा गया है।

समेकित तुलनपत्र परटिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –14

चालू निवेश - (लागतपर उद्धृत/उद्धृत)	चालू वर्ष/(विगत वर्ष) में शेयर/बॉन्ड/प्रतिभूति कीसंख्या	चालू वर्ष/ (विगत वर्ष) में प्रति शेयर/बॉन्ड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य(रू॰)	चालू वर्ष/ (विगत वर्ष) में प्रति शेयर/बॉन्ड/प्रतिभूति की बाजार मूल्य/एनएवी (रू॰)	31-03-14को (रू॰करोड़ में)	31-03-13 को (रू॰ करोड़ में)
गैर-व्यापार					
म्यूचुअल फंड निवेश (म्यूचुअल फंड के नाम के साथ)	-	-	-	-	-
7.55% अपरिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त बॉन्ड 2021 सीरिज					
व्यापार					
8.5% कर मुक्त विशेषबॉन्ड (पूर्ण प्रदत्त) (विविध देनदारों कीप्रतिभूतिकरण पर) मुख्य राज्यवारविश्लेषित आँकड़े (प्रत्येक 1,65,000/- का 2 बॉन्ड					
उत्तर प्रदेश				0.03	0.03
कुल				**0.03**	**0.03**

उद्धृत निवेश का कुल	-	-
गैर-उद्धृत निवेश काकुल	-	-
उद्धृत निवेश काबाजार मूल्य	-	-
अउद्धृत निवेश काबाजार मूल्य	-	-
निवेश मूल्य में कमी के लिए बने प्रावधान	-	-

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –15

	वस्तुसूची (लेखा नीति सं. .. के तहत मूल्यांकन)	**31.03.14को (रू.करोड़ में)**		**31.03.13को (रू.करोड़ में)**
	कोयला का स्टॉक	299.95		309.74
	विकासाधीन कोयला	-		-
	न्यून- प्रावधान	1.76		1.76
क	**कोयला का स्टॉक (निवल)**	**298.19**		**307.98**
	भंडार एवं स्पेयर्स का स्टॉक (लागत पर)	177.68		167.24
	भंडारों में पारगमन	0.06		0.02
	न्यून- प्रावधान	43.97		47.17
ख	**भंडार एवं स्पेयर्स का निवल स्टॉक (लागत पर)**	**133.77**		**120.09**
ग	**कर्मशाला कार्य**			
	चालू कार्य एवं तैयार माल	18.06		13.83
	न्यून- प्रावधान	0.20		0.2
	कर्मशाला कार्यो का निवल स्टॉक	**17.86**		**13.63**
घ	प्रेस			
	चालू कार्य एवं तैयार माल	-		-
ङ	केंद्रीय अस्पताल में दवाओं का स्टॉक	**0.70**		**0.63**
च	विक्रय हेतुपूर्वेक्षण एवं बोरिंग/विकसित अन्वेषण/कोयला ब्लॉक	-		-
	कुल (क से च)	**450.52**		**442.33**

टिप्पणी 15.1 - कुल क्षेत्रों को छोड़कर सालों भार वस्तुसूची का निरंतर सत्यापनजारी रहा। केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर में भंडार का अंतिम स्टॉक भारित औसतलागत पर मूल्यांकन किया गया। वर्ष के अंत में रू. 43.97 करोड़ (रू. 47.17 करोड़) काप्रावधान निम्नलिखित दिया गया है -

क) मार्च, 2014तक द्विआधारी कार्ड एवं भंडार बही के बीचरू. 2.07करोड़ (रू. 2.32 करोड़) कादेखागया मात्रात्मक असमानता हेतु प्रावधान

ख)बेकार, क्षतिग्रस्त एवं अप्रचलित भंडार हेतुरू. 10.47करोड़ (रू. 10.62करोड़) काप्रावधान

ग) अचल भंडार एवं स्पेयर्सहेतुरू. 31.43करोड़ (रू. 34.23करोड़) का प्रावधान

टिप्पणी -15 काअनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में)(मूल्यरू.लाख में)

सारणी – क

वर्षके अंत में बही-स्टॉक के साथ लेखा में अपनाया गया बंद स्टॉक का मिलान -

	समग्र स्टॉक		गैर विक्रय योग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (क) 01.04.13को प्रारंभिक स्टॉक	25.85	35630	4.71	4656	21.14	30974
(ख) प्रारंभिक स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25.85	35630	4.71	4656	21.14	30974
2. वर्ष के लिए उत्पादन	360.54	906317	0.00	0.00	360.54	906317
3. पूर्ण योग (1+2)	386.39	941947	4.71	4656	381.68	937291
4. वर्ष के लिए कुल खरीद						
(क) बाह्य प्रेषण	359.78	897805	0.00	0.00	359.78	897805
(ख) वासरीज को कोयला संभरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) निजी खपत	2.77	9491	0.00	0.00	2.77	9491
कुल 4(क+ख+ग)	**362.55**	907296	0.00	0.00	**362.55**	907296
5. व्युत्पन्न स्टॉक	23.84	34651	4.71	4656	19.13	29995
6. मापित स्टॉक	23.55	34102	4.71	4656	18.84	29446
7. अंतर (5-6)	0.29	549			0.29	549
8. अंतर का ब्रेकअप						
(क) 5% के बीच अधिक	0.05	60	0.00	0.00	0.05	60
(ख) 5% के बीच कमी	0.34	609	0.00	0.00	0.34	609
(ग) 5% से ज्यादा उपर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) 5% से ज्यादा कमी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. लेखा(6-8क+8ख)में अंगीकृत अंतिम स्टॉक	23.84	34651	4.71	4656	19.13	29995

लेखा पर टिप्पणी काभाग

सारणी – ख

कोयला का अंतिम स्टॉक का सारांश

	कच्चा कोयला				वाष्ड/डीशेल्ड कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		गैर-कोकिंग		कोकिंग		गैर-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिकस्टॉक (लेखा परीक्षित	-	-	25.85	35,630	-	-	-	-	-	-	25.85	35,630
न्यून - गैर विक्रय योग्य कोयला	-	-	4.71	4,656	-	-	-	-	-	-	4.71	4,656
प्रारंभिक स्टॉक (विक्रय योग्य) मेंसमायोजन	-	-	21.14	30,974	-	-	-	-	-	-	21.14	30,974
उत्पादन	-	-	360.54	906,317	-	-	-	-	-	-	360.54	906,317
ऑफ्टेक*											-	-
(क) बाह्य प्रेषण	-	-	359.78	897,805	-	-	-	-	-	-	359.78	897,805
(ख) वाशरीज को कोयला संभरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) निजी खपत	-	-	2.77	9,491	-	-	-	-	-	-	2.77	9,491
											-	-
अंतिमस्टॉक**	-	-	19.13	29,995	-	-	-	-	-	-	19.13	29,995
न्यून - कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिमस्टॉक** (टिप्पणी - 15)	-	-	19.13	29,995	-	-	-	-	-	-	19.13	29,995
न्यन-साइज्ड कोयला	-	-		276	-	-	-	-	-	-		276
अंतिमस्टॉक** (टिप्पणी-23)	-	-	-	29,719	-	-	-	-	-	-	-	29,719

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –16

व्यापारिक प्राप्यराशियाँ		**31.03.14 को (रू. करोड़ में)**		**31.03.13 को (रू.करोड़ में)**
नियत तारीख से छःमहीने से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		1142.74		620.98
- संदिग्ध		423.70		353.19
		1566.44		974.17
न्यून- अशोध्य एवं संदिग्ध व्यापार प्राप्यराशि हेतु प्रावधान		423.70		353.19
		1142.74		620.98
अन्य ऋण				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		577.27		2,961.15
- संदिग्ध		-		46.2
		577.27		3,007.35
न्यून- अशोध्य एवं संदिग्ध व्यापार प्राप्यराशि हेतु प्रावधान		-		46.2
		577.27		2,961.15
कुल		**1720.01**		**3,582.13**

टिप्पणी

	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भीएक निदेशक/सदस्य है (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपनियों के नाम सहित				
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक कीरूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी 16.1 - वर्ष के दौरानपार्टियों के साथ सामंजस्य, निपटारण तथा जमा-नोट जारी करके ग्रेड स्लीपेज के लिएरू॰382.91करोड़ (पिछले वर्ष में रू॰ 101.35 करोड़) की राशि कासमायोजन किया गया है।

टिप्पणी 16.2 - प्रावधान का विवरण निम्नवत है-

	(रू.करोड़ में)	**(रू.करोड़ में)**
	31-03-14	**31-03-13**
प्रारंभिकप्रावधान	399.39	205.67
न्यून- प्रारंभिक देनदार के विरूद्धनिपटारिट/बट्टा खाता में लिखित/समायोजित		
योग - वर्ष केदौरान नए प्रावधान	92.82	272.75
न्यून -प्रारंभिक प्रावधान से प्रतिलेखन	68.51	79.03
अंतिम शेष	423.70	399.39

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –17

नकद एवं बैंक शेष	31.03.14को (रू.करोड़ में)		31.03.13को (रू.करोड़ में)
नकद एवं नकद समतुल्य			
अनुसूचित बैंकों केसाथ शेष			
- एसबीआई लाभांश लेखा (अदत्त/अदावी लाभांश खाता)			
- 3 महीने तक परिपक्वता के साथ जमा खातों में	529.32		8.00
- चालू खातों में	584.43		429.58
- नकदी जमा खातों में	-		-
गैर अनुसूचित बैंकोंके साथ शेष	-		
भारत से बाहर केबैंकों के साथ खातों में	-		-
मुद्रा प्रेषण मेंपारगमन	-		0.12
हस्तगत चेक, ड्राफ्टएवं स्टाम्प	0.08		0.73
हस्तगत नकदी	0.72		0.72
3 महीनों तक की परिपक्वता के साथ स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधियोजना के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ जमा	-		-
अन्य बैंक शेष			
अनुसूचित बैंकों केसाथ शेष			
- 3 महीने तक परिपक्वता के साथ जमा खातों में	2663.93		1,510.38
3 महीनों से अधिक की परिपक्वता के साथ स्थानांतरण एवं पुनर्वासनिधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ जमा	-		-
खदान बंदी योजना केतहत अनुसूचित बैंकों के साथ जमा	73.52		-
कुल	**3852.00**		**1,949.53**

शून्य शून्य

1. वर्ष के दौरान किसी समय अनुसूचित बैंकों को छोड़कर बैंकों के साथअधिकतम बकाया राशि
2. खरीद की तारीख से 1 (एक) वर्ष से अधिक के लिए जमा — शून्य — शून्य
3. अवधि के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एस्क्रो खाते में रू. 73.52 करोड़ जमा किए गए।

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –18

अल्पावधि ऋण एवंअग्रिम		**31.03.14को (रू. करोड़ में)**	**31.03.13को (रू. करोड़ में)**
ऋण			
अग्रिम (नकदी में या वस्तुके रूप में या मूल्य एवज में प्राप्य वसूली योग्य)		-	
आपूर्तिकर्ताओं केलिए अग्रिम			
राजस्व के लिए			
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		74.09	67.27
- संदिग्ध		2.50	2.64
		76.59	69.91
न्यून- संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमहेतु प्रावधान		2.50	2.64
		74.09	67.27
		74.09	67.27
वैधानिक बकाया काअग्रिम भुगतान			
विक्रय कर			
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		24.08	22.51
- संदिग्ध		-	-
		24.08	22.51
न्यून- संदिग्ध ऋम एवं अग्रिमहेतु प्रावधान		-	-
		24.08	22.51
स्रोत पर काटा गया अग्रिमआयकर/कर			-
न्यून - आयकर हेतु प्रावधान		-	-
		-	
अन्य			
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		20.15	19.70
- संदिग्ध		0.44	0.12
		20.59	19.82
न्यून- संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमहेतु प्रावधान		0.44	0.12
		20.59	19.70
	-	**44.23**	**42.21**

कर्मचारियों कोअग्रिम				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		79.84		78.91
- संदिग्ध		1.32		1.56
		81.16		80.47
न्यून- संदिग्ध ऋम एवं अग्रिमहेतु प्रावधान		1.32		1.56
		79.84		78.91
कोल इंडिया लि. एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियोंके साथ चालू खाता		-		-
अनुषंगियों के साथऋण खाता				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- संदिग्ध		-		-
		-		-
न्यून- संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमहेतु प्रावधान		-		-
		-		-
दावाकृत प्राप्यराशियाँ				
- सुरक्षित मानी गई सामग्री		-		-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री		6.70		0.13
- संदिग्ध		2.20		2.04
		8.90		2.17
न्यून - अशोध्य एवंसंदिग्ध दावाकृत प्राप्यराशियों के लिए प्रावधान		2.20		2.04
		6.70		0.13
पूर्वदत्त व्यय		0.39		0.46
		86.93		**79.50**
कुल		**205.25**		**188.98**

टिप्पणी

	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भीएक निदेशक/सदस्य है (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक कीरूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणीयाँ (जारी..)

टिप्पणी –19

अन्य चालूपरिसंपत्तियाँ	31.03.14को (रू.करोड़ में)	31.03.13को (रू.करोड़ में)
उपचित ब्याज		
- निवेश	-	-
- बैंक के पास जमा	127.72	140.23
- अन्य	-	
पूर्व स्वामी कालेखा	-	-
अन्य अग्रिम	0.06	0.03
न्यून- प्रावधान	0.06	0.03
जमा -		
सीमा शुल्क, बंदरगाह प्रभारइत्यादि हेतु जमा	-	=
कोल इंडिया के पास जमा	-	-
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय करहेतु जमा	-	-
न्यून-प्रावधान	-	-
अन्य	3.74	3.69
न्यून-प्रावधान	0.49	0.47
	3.25	3.22
पूर्वकोल मंडल के आदेश पर अंतरण हेतु भारतसरकार से प्राप्य राशि	-	-
न्यून- प्रावधान	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	140.75	39.46
न्यून- प्रावधान	1.31	0.80
	139.62	38.66
कुल	**270.65**	**182.14**

टिप्पणी –20

परिचालनों सेप्राप्त राजस्व	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)	31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)
कोयला, कोक इत्यादिकी बिक्री *	11959.75	12162.59
न्यून - उत्पादनशुल्क	604.17	578.00
न्यून - अन्य लेवी		
रॉयल्टी	322.83	254.93
कोयला पर सेस	1522.89	1542.89
नौभरण उत्पाद शुल्क	35.98	35.54
स्वच्छ उर्जा सेस	152.31	127.40
राज्य विक्रय कर/वैट	179.89	177.71
अन्य लेवी	241.75	244.93
	12.32	9.28
कुल लेवी	**3071.96**	**2970.68**
परिचालनों सेप्राप्त राजस्व (निवल विक्रय*)	**8887.79**	**9191.91**

टिप्पणी 20.1 - पूर्वावधि एवं चालू अवधि हेतु ग्रेड स्लीपेज के लिए निवल कटौतीविक्रय है। पार्टी को जमा-नोट जारी करने से अवधि के दौरान विक्रयरू.382.91करोड़ (रू. 101.35 करोड़) से कम हो गई है।

टिप्पणी 20.2–विक्रय के अंतर्गत 8.91 लाख टन (शून्य) एमओयू परिमाण तथा रू. 122.71 करोड़ (शून्य) एमओयू प्राप्ति शामिल है।

टिप्पणी 20.3- प्रेषण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न उर्जा क्षेत्रों के साथ हुए ईन्धनआपूर्ति समझौता के तहत प्रोत्साहन की तरह विक्रयरू. 349.11 करोड़ (रू. 559.87करोड़) सम्मिलित करता है।

टिप्पणी 20.4 - विक्रय 39.04 लाख टन (41.84 लाख टन) कीई-नीलामी मात्रा तथारू. 224.35करोड़ (रू. 390.72करोड़)की ई-नीलामी वृद्धि को सम्मिलित करता है।

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –21

अन्य आय	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)		31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)
<u>दीर्घावधि निवेशोंसे आय</u>			
संयुक्त उद्यमों से लाभांश	-		-
अनुषंगियों से लाभांश	-		-
सरकारी प्रतिभितियों से ब्याज (8.5% कर मुक्त विशेष बॉन्ड) (व्यापार)	0.01		0.01
7.55% अपरिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त बॉन्ड 2021 सीरिज (गैर व्यापार)			
<u>चालू निवेशों से आय</u>			
म्यूच्युल फंड निवेश से लाभांश	-		-
सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज (8.5% कर मुक्त विशेष बॉन्ड) (व्यापार)			
7.55% अपरिवर्तनीयआईआरएफसी कर मुक्त बॉन्ड 2021 सीरिज (गैर व्यापार)			
<u>अन्य से प्राप्त आय</u>			
ब्याज (सकल)			
बैंक में जमा से	189.86		179.36
कर्मचारियों की ऋण एवं अग्रिमसे	0.10		-
आयकर वापसी से	0.09		-
कोल इंडिया लि. से	-		-
अन्य	0.01		0.13
कोयले की अंतिमस्टॉक पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2.16		0.93
शीर्षस्थ प्रभार	-		-
बालू भरण एवं बचावकार्य हेतु छूट	53.62		41.80
परिसंपत्तियों कीबिक्री पर लाभ	1.63		0.80
परिवहन एवं लोडिंगलागत पर वसूली	168.04		136.85
विदेशी विनिमयलेनदेन पर लाभ	-		-
विनिमय दर अन्तर			

पट्टा भाड़ा	124.45		6.62
देयताएँ प्रतिलेखन	-		-
अनुषंगियों सेगारंटी शुल्क	-		182.06
अन्य गैर-परिचालन आय	172.94-		-
कुल	**712.91**		**548.56**

टिप्पणी : 1 : अन्य गैर-परिचालनआयरू॰ 91.57करोड़ (रू॰ 106.22 करोड़) की विक्रयक्षतिपूर्ति को सम्मिलित करता है।

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी – 22

खपतहुई सामग्री की लागत	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)		31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)
विस्फोटक	126.14		115.92
टिंबर	4.33		4.23
पीओएल	277.57		210.88
एचईएमएम स्पेयर्स	140.79		134.36
अन्यखपत योग्य भंडार एवं स्पेयर्स	186.53		184.56
कुल	**753.36**		**649.95**

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –23

तैयार माल, चालूकार्य तथा भंडार माल की वस्तुसूची में परिवर्तन

	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)		31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू. करोड़ में)
कोल/कोक काप्रारंभिक स्टाक	307.06		477.01
योग - प्रारंभिकस्टाक का समायोजन			
न्यून - कोल/कोल काक्षय	1.76		1.76
कुल (1)	305.30		475.25
न्यून -			
कोल/कोक का अंतिमस्टाक	297.19		307.06
न्यून - कोल/कोक काक्षय	1.76		1.76
कुल (2)	295.43		305.30
(क) अंतिम स्टाक कीवस्तुसूची में परिवर्तन (1-2)	9.87		169.95
कर्मशाला मेंनिर्मित तैयार माल तथा चालू कार्य का प्रारंभिक स्टाक	13.83		12.83
न्यून – प्रावधान	0.20		0.23
कुल (3)	13.63		12.60
कर्मशाला मेंनिर्मित तैयार माल तथा चालू कार्य का अंतिम स्टाक	18.06		13.83
न्यून – प्रावधान	0.20		0.20

कुल (4)	17.86		13.63
(ख) कर्मशाला कीअंतिम स्टाक की वस्तुसूची में परिवर्तन (3-4)	(4.23)		(1.03)
प्रेस प्रारंभिककार्य			
(i) तैयार माल	-		-
(ii) चालू कार्य	-		-
कुल (5)	-		-
प्रेस अंतिम कार्य			
(i) तैयार माल	-		-
(ii) चालू कार्य	-		-
कुल (6)	-		-
(ग) तैयार माल तथा चालू कार्य से बने हुए प्रेस जॉब केअंतिम स्टाक की वस्तुसूची मेंपरिवर्तन (5-6)	-		-
	-		-
	-		-
स्टाक की वस्तुसूचीमें कुल परिवर्तन (क+ख+ग)	**5.64**		**168.92**

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –24

कर्मचारी लाभ व्यय	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू. करोड़ में)		31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)
वेतन, मजदूरी, भत्तातथा लाभ	4,056.42		3,758.51
अनुग्रह	231.96		218.66
पीआरपी	64.02		54.34
भविष्य निधि तथाअन्य निधि में योगदान	468.03		430.13
उपदान	264.43		375.20
अवकाश नकदीकरण	145.82		187.06
वीआरएस	3.12		6.25
श्रमिक क्षतिपूर्ति	4.13		1.42
चिकित्सा व्यय	33.43		26.59
स्कुल एवं संस्थानको अनुदान	5.96		7.55
खेल-कूद एवं मनोरंजन	1.42		0.37
कैंटीन एवं क्रेच	0.13		0.11
विद्युत - नगर	113.63		135.81
बस, एम्बुलेंसइत्यादि का भाड़ा प्रभार	5.36		4.57
अन्य कर्मचारी लाभ	101.30		66.55
सेवानिवृत्ति उपरांतचिकित्सा लाभ	(3.42)		56.87
कुल	**5,494.74**		**5,329.99**

टिप्पणी24.1 - अधिकारी अधिवर्षिता लाभ हेतु वेतन, मजदूरी, भत्ताएवं लाभ सहितरू॰ 24.49 करोड़ (रू॰ 21.60करोड़) का प्रावधान किया गया।

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –25

कल्याण व्यय	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)	31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)
सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए चिकित्सा व्यय	16.83	39.87
सीएसआर व्यय	-	-
पर्यावरण व्यय	2.06	0.81
वृक्षारोपण	0.36	0.09
अन्य व्यय	73.73	76.35
कुल	**92.98**	**117.12**

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –26

मरम्मत	**31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)**	**31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)**
भवन	4.24	3.04
संयंत्र एवं मशीनरी	69.60	55.02
अन्य	2.63	2.17
कुल	**76.47**	**60.23**

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –27

ठेका संबंधी व्यय	**31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)**	**31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)**
परिवहन शुल्क		
- बालू	53.58	29.41
- कोयला एवं कोक	223.23	200.32
- भंडार एवं अन्य	1.76	1.26
वैगन लोडिंग	7.42	5.41
पी&एम का भाड़ा	379.16	375.74
अन्य ठेका कार्य	77.00	60.22
कुल	**742.15**	**672.36**

समेकित लाभ-हानि लेखापर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –28

वित्तीय लागत	**31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)**		**31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)**
आस्थगित भुगतान	0.89		-
बैक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण	-		-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-		-
सीआईएल निधि ऋण ब्याज	-		-
अनुषंगी कंपनियों के लिए ब्याज	-		-
अन्य	0.09		8.48
कुल (क)	0.98		8.48
अन्य उधारी लागत			
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर प्रत्याभूति शुल्क	-		-
अन्य व्यय/बैंक प्रभार	-		-
कुल (ख)	-		-
कुल (क+ख)	**0.98**		**8.48**

समेकित लाभ-हानि लेखापर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –29

प्रावधान	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)	31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)
(क) के लिए किए गए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	92.82	272.75
संदिग्ध अग्रिम एवं दावा	0.03	0.99
भंडार एवं स्पेयर	-	-
भूमि/खदान बंदी व्यय का उद्धार	0.75	2.41
अचल परिसंपत्तियाँ/पूँजीगत चालू कार्य का सर्वेक्षण	71.03	64.11
अन्य	4.01	2.13
कुल (क)	**168.64**	**342.39**
(ख) प्रावधान का प्रतिलेखन		
संदिग्ध ऋण	68.51	79.03
संदिग्ध अग्रिम एवं दावा	0.62	0.04
विदेशी विनिमय लेनदेन	-	-
भंडार एवं स्पेयर्स	3.95	2.22
भूमि/खदान बंदी व्यय का उद्धार	-	-
अचल परिसंपत्तियाँ/पूँजीगत चालू कार्य का सर्वेक्षण	217.38	0.18
अन्य	8.63	-
कुल (ख)	**300.21**	**81.47**
कुल (क-ख)	**(131.57)**	**260.92**

टिप्पणी-29.1- भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वार जारीदिशार्निदेश के अनुसार समस्त परिचालित खदानों के कुल खदान बंदी व्यय के यथानुपातलागत के लिएरू॰ 71.03करोड़ (रू॰ 64.11 करोड़) का खदानबंदी व्यय हेतु प्रावधान।

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –30

	बट्टे खाता डालना	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)		31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)
	संदिग्ध ऋण	127.70		-
	संदिग्ध अग्रिम	-		-
	अन्य	-		-
	कुल	127.70		-

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –31

अन्य व्यय	31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)		31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)
यात्रा व्यय			
- घरेलू	12.05		11.47
- विदेशी	0.54		0.19
प्रशिक्षण व्यय	2.65		2.22
टेलीफोन एवं डाक	1.78		1.96
विज्ञापन एवं प्रचार	4.21		3.29
मालभाड़ा प्रभार	0.03		0.02
विलम्ब शुल्क	0.38		0.47
दान/चंदा	0.13		0.03
सुरक्षा व्यय	62.30		57.03
कोल इंडिया का सेवाप्रभार	-		-
भाड़ा व्यय	16.22		14.35
सीएमपीडीआई व्यय	9.59		3.73
विधि व्यय	1.30		1.30
बैंक प्रभार	0.12		0.18
अतिथिगृह व्यय	1.72		0.78
परामर्श व्यय	0.65		0.64
लदान प्रभार के तहत	10.59		4.80
विक्रय/पृथक्करण/सर्वेक्षितपरिसंपत्तियों पर हानि	-		-
लेखा परीक्षकों कापारिश्रमिक एवं व्यय	-		-
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.14		0.11
- कराधान मामले के लिए	0.09		0.07
- कंपनी विधि मामले	-		-
- प्रबंधन सेवा के लिए	0.68		0.62
- अन्य सेवाओं के लिए	0.89		1.16
- व्यय की अतिपूर्ति के लिए	0.24		0.22
पुनर्वास प्रभार	-		-
रॉयल्टी एवं सेस	1.91		1.65
केंद्रीय उत्पादशुल्क	-		-
किराया	-		-
दर एवं कर	4.29		2.61
बीमा	0.03		0.05
विनिमय दर अंतर परहानि	13.46		9.86

पट्टा भाड़ा	-	-
खान सुरक्षा एवंबचाव व्यय	2.82	1.92
अनिवार्यकिराय/सरफेस किराया	8.47	31.78
साईडिंग रख-रखावप्रभार	2.93	3.11
भूमि/फसलक्षतिपूर्ति	0.98	0.01
विविध व्यय	104.15	105.66
कुल	**265.34**	**261.29**

टिप्पणी 31.1 –रू॰ 8.35 करोड़ (रू॰27.57 करोड़) की भू-राजस्व सहित अनिवार्य किराया/सरफेस किराया

समेकित लेखा-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी..)

टिप्पणी –32

पूर्वावधि समायोजन	**31.03.14को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)**	**31.03.13को समाप्त वर्ष हेतु (रू.करोड़ में)**
(क) व्यय		
कोयला एवं कोक कीबिक्री	-	-
कोयला एवं कोक काभंडार	-	-
अन्य आय	-	-
भंडार एवं स्पेयर्सकी खपत	-	-
कर्मचारियों कापारिश्रमिक एवं लाभ	-	-
विद्युत एवं इंधन	-	-
कल्याण व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
ठेकागत व्यय	2.41	-
अन्य व्यय	-	-
ब्याज एवं अन्यवित्तीय प्रभार	-	-
मूल्यह्रास	2.41	10.56
कुल (क)	2.41	10.56
(ख) आय		
कोयला एवं कोक कीबिक्री	-	-
कोयला एवं कोक काभंडार	-	-
अन्य आय	(1.14)	-
भंडार एवं स्पेयर्सकी खपत	0,19	-
कर्मचारियों कापारिश्रमिक एवं लाभ	-	-
विद्युत एवं इंधन	-	-
कल्याण व्यय	-	9.11
मरम्मत	-	-
ठेकागत व्यय	-	-
अन्य व्यय	-	-
ब्याज एवं अन्यवित्तीय प्रभार	-	-
मूल्यह्रास	-	-
कुल (ख)	(0.95)	9.11
कुल (क-ख)	3.36	1.45